

श्री गणेशप्रसाद वर्णी दि० जैन ग्रन्थमाला, पुष्प : ३२

जैन-न्याय

भाग २

लेखक

सिद्धान्ताचार्य (ए.ए.) पं. कैलाशचन्द्र शास्त्री
पूर्व-प्राचार्य, श्री स्यादाद महाविद्यालय
भदौनी, वाराणसी

सम्पादक

डॉ. कमलेशकुमार जैन
जैनदर्शन-प्राध्यापक
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

प्रकाशक

श्री गणेश वर्णी दिगम्बर जैन संस्थान
वाराणसी

ग्रन्थमाला सम्पादक :

डॉ० राजाराम जैन

यूनिवर्सिटी प्रोफेसर (प्राकृत) एवं

अध्यक्ष, संस्कृत-प्राकृत विभाग

ह० दा० जैन कालेज, आरा (बिहार)

प्रो० उदयचन्द्र जैन

पूर्व अध्यक्ष, दर्शन विभाग

संस्कृतविद्या धर्मविज्ञान संकाय

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

प्रकाशक :

© श्री गणेश वर्मा दिगम्बर जैन संस्थान
नरिया, वाराणसी-२२१००५
(उत्तर प्रदेश)

प्रथम संस्करण : १९८९

११०० प्रतियाँ

मूल्य : पुस्तकालय संस्करण : ~~१००~~ रुपये १००
साधारण संस्करण : तीस रुपये



मुद्रक :

तारा प्रिंटिंग वर्क्स, कमन्स
वाराणसी

Shri Ganesh Prasad Varni Dig. Jaina Granthamālā No. : 32

JAINA-NYĀYA

Part II

By

Late Pt. KAILASH CHANDRA SHASTRI

Ex-Principal, Shri Syadwad Mahavidyalay

Bhadaini, Varanasi

Edited by

DR. KAMALESH KUMAR JAIN

Lecturer in Jainadarśana

Banaras Hindu University

Varanasi

Published by

SHRI GANESH VARNI D. J. SANSTHAN

VARANASI

V. N. S. : 2515]

[1989 A. D.

General Editors :

Dr. Rajaram Jain

University Prof. of Prakrit and
Head of the Dept. of Sanskrit & Prakrit
Magadh University P. G. Centre
H. D. Jain College, Arrah (Bihar)

Prof. Udaya Chandra Jain

Ex-Head of the Dept. of Darśan
Faculty of Sanskrit Learning & Theology
B. H. U., Varanasi

Published by

© Shri Ganesh Varni Digambar Jain Sansthan
Naria, Varanasi-221005

First Edition : 1989

1100 Copies

Price : Library Edition Rs. ~~150~~

General Edition Rs. ~~150~~



100 = 00

Printed by

Tara Printing Works
Varanasi

प्रकाशकीय

श्रेष्ठ पण्डित कैलाशचन्द्रजी शास्त्री जैन-धर्म-दर्शन एवं न्यायशास्त्र के उन महारथी विद्वानों में अग्रणी थे, जिन्होंने न केवल प्राच्य परिपाटी से जैनशास्त्रों का अध्ययन, मनन एवं चिन्तन किया, अपितु उस प्राच्य परम्परा को अपने समग्र जीवन में अक्षरशः उतारकर एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। वे यावज्जीवन माँ जिनबाणी की सेवा त्रिविध-योग से करते रहे। उन्हीं श्रेष्ठ पण्डित जी की लेखनी से प्रसूत प्रस्तुत 'जैन न्याय, भाग २' को संस्थान से बत्तीसवें पुष्प के रूप में प्रकाशित करते हुए हमें हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। पण्डित जी ने अपने जीवन के बहुमूल्य अन्तिम क्षणों में लिखित प्रस्तुत कृति में जैन न्यायशास्त्र के अन्तर्गत प्रमेय परीक्षा सम्बन्धी विचारों का समीक्षात्मक चिन्तन प्रस्तुत कर हिन्दी माध्यम से अध्ययन करने वाले न्यायशास्त्र के जिज्ञासुओं का महदुपकार किया है। अतः ग्रन्थ प्रकाशन की इस मञ्जुलमेला पर हम (स्व०) पूज्य पण्डित जी के प्रति अपने विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।

प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रकाशन में संस्थान के प्रबन्धक डॉ० अशोककुमार जैन ने अपनी पूज्या माता श्रीमती पुतलीबाई जैन (धर्मपत्नी सिद्धान्ताचार्य पं० फूलचन्द्र जी शास्त्री) एवं अपनी बड़ी मौसी स्व० श्रीमती रूपाबाई (धर्मपत्नी स्व० वि० मोहनलाल जी बरया) तथा अपनी मझली काकी स्व० श्रीमती पाँचोबाई (धर्मपत्नी स्व० श्री धर्मदास जी बरया) की ओर से ७०००)०० (सात हजार रुपये) दान स्वरूप भेंट कर अपनी उदारता का परिचय दिया है। इसके अतिरिक्त दिसम्बर ८८ के अन्तिम सप्ताह में जब मैं रुझकी गया तो पूज्या अम्मा जी श्रीमती पुतलीबाई जैन ने स्वयं के द्वारा सन्धित की गई राशि में से अलग से एक सौ एक रुपये इस ग्रन्थ के प्रकाशनार्थ देकर हमारा उत्साहवर्द्धन किया है। अतः हम डॉ० अशोक जी उनकी पूज्या अम्मा जी, उनकी बड़ी मौसी जी एवं उनकी मझली काकी जी के प्रति संस्थान परिवार की ओर से हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।

इस वर्ष पर्यवषण पर्व में दि० जैन समाज, एटा (उ० प्र०) के आग्रहपूर्ण निमन्त्रण पर मैं प्रवचनार्थ वहाँ गया था। वहाँ पर परम पूज्य १०८ आचार्यश्री कल्याणसागर जी महाराज का संसंध चातुर्मास हो रहा था। पूज्य आचार्यश्री अपने संघ सहित प्रतिदिन दोपहर में तत्त्वार्थसूत्र वाचन के अवसर पर पद्मावती पुरवाल दि० जैन पञ्चासती मन्दिर में उपस्थित होते थे और अत्यन्त

मनोयोगपूर्वक सूत्रार्थ श्रवण करते थे तथा उपदेश भी देते थे। उक्त अवसर पर पूज्य आचार्यश्री की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से दि० जैन समाज एटा ने भी इस महत्वपूर्ण ग्रन्थ के प्रकाशनार्थ एक हजार चबालीस रुपये प्रदान किए हैं। एतदर्थ हम पूज्य आचार्यश्री को विनम्र प्रणाम करते हुये दि० जैन समाज एटा के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं।

संस्थान के संस्थापक श्रेष्ठ पं० फूलचन्द्र जी सिद्धान्ताचार्य इस वृद्धावस्था में भी संस्थान के कार्यों में रुचि लेते हैं एवं उसकी प्रगति के लिए निरन्तर चिन्तित रहते हुए समय-समय पर अपने बहुमूल्य सुझाव देते रहते हैं। अतः हम संस्थान की ओर से उनके प्रति भी आभार प्रकट करते हैं।

श्रेष्ठ गुरुवर्य पं० जगन्मोहनलाल जी सिद्धान्तशास्त्री (कटनी) ने मेरे विनम्र अनुरोध को स्वीकार करते हुए इस ग्रन्थ की विद्वत्तापूर्ण भूमिका लिखी है, जो मन्दिर के ऊपर चढ़ाये गये स्वर्ण-कलश का कार्य करती है। अल्प समय में ऐसी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण भूमिका लिखने के लिए हम पूज्य पण्डित जी के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्हें विनम्र प्रणाम करते हैं।

समाज के लक्ष्यप्रतिष्ठ विद्वान् एवं ग्रन्थमाला सम्पादक प्रो० डॉ० राजाराम जैन (आरा) एवं प्रो० उदयचन्द्र जैन (वाराणसी) का प्रकाशन सम्बन्धी कार्यों में हमें निरन्तर सहयोग प्राप्त है। अतः उक्त ग्रन्थमाला सम्पादकों के हम हृदय से आभारी हैं।

हमें अपने मित्र एवं संस्थान के उपमन्त्री डॉ० सुरेशचन्द्र जैन का संस्थान के विविध कार्यों में सक्रिय सहयोग मिलता रहता है। तारा प्रिन्टिंग प्रेस के सञ्चालक आदरणीय श्री रमाशङ्कर पण्ड्या ने अल्प समय में कलात्मक मुद्रण कार्य किया है। अतः हम उक्त दोनों महानुभावों को हृदय से धन्यवाद देते हैं।

निर्वाण भवन

बी २/२४९-५, लेन नं० १४

रबीन्द्रपुरी, वाराणसी

१८ अप्रैल, १९८९

डॉ० कमलेशकुमार जैन

संयुक्त मन्त्री

श्री गणेश वर्णा दि० जैन संस्थान

नरिया, वाराणसी

प्राक्कथन

भारतवर्ष विविध दर्शनों की भूमि है। यहाँ सनातन काल से धर्म के विविध सिद्धान्तों का पर्यालोचन होता आ रहा है। भगवान् ऋषभदेव का समय भोग-भूमि का अन्त और कर्मभूमि का प्रारम्भ काल था। भोगभूमि में कोई तात्त्विक विचारधारा का उदय न था। भगवान् आदिनाथ के दीक्षा लेने के बाद उनके साथ उनके अनुकरण रूप अनेक क्षत्रियों ने उन जैसा वेष तो धारण कर लिया, परन्तु वह मात्र उनका अनुकरण था। भगवान् मौन थे, अतः उनके अन्य चरण का अनुसरण न हो सका।

जैनदर्शन में यह प्रतिपादित है कि जब तक केवलज्ञान नहीं होता, अर्थात् छप्पस्व अवस्था छूटकर पूर्णज्ञान का उदय नहीं होता, तब तक दीक्षा के बाद तीर्थंकर एक अपेक्षा से मौन रहते हैं, तात्त्विक उपदेश नहीं देते। इसलिए उनका उपदेश तब होता है, जब उनको पूर्णज्ञान प्राप्त हो जाता है। संसारी प्राणि मोही है, रागी-द्वेषी है। जब तक राग-द्वेष एवं मोह की स्थिति रहती है, ज्ञान अपूर्ण रहता है। अपूर्ण ज्ञानी की बात रत्नत्रय रूप परिणति नहीं होने तक अपूर्ण रहती है।

सूक्ष्म पदार्थ जो इन्द्रियगोचर या सन्निकर्ष प्रक्रिया द्वारा नहीं जाने जा सकते, उनका ज्ञान पूर्णज्ञानी हो होता है। इसी प्रकार अतिदूर क्षेत्रवर्ती पदार्थ, जहाँ मनुष्य का आवागमन भी नहीं है, वे दूरान्तरित तथा अतिकाल पूर्व के पदार्थ, जो कालान्तरित होते हैं; ऐसे सूक्ष्म, दूरान्तरित एवं कालान्तरित पदार्थों का ज्ञान सम्पूर्ण ज्ञानी को निश्चित होता है।

वे तीर्थंकर प्रभु जगत् को उद्धार करने वाले प्रामाणिक वचनों का उपदेश देते हैं। यही कारण है कि जैनदर्शन में उनके वचन ही प्रमाण माने गये हैं। जो मोह, राग-द्वेष रहित पूर्णज्ञानी हो, जो प्राणिमात्र के हित की बात कहते हों, उनका वचन ही पूर्ण प्रमाण माना गया है। लोक में भी उसी व्यक्ति को पूर्ण प्रामाणिक माना जाता है, जो किसी के प्रति राग-द्वेष, मोह न रखता हो। दोनों पक्षों का हितचिन्तक हो तथा विवादित विषय को स्वयं पूर्ण समझकर यथार्थ को जान चुका हो, उसी के वचन को प्रमाण माना जाता है। अतः सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, रागादि दोषरहित, सत्त्व-हितकारक तीर्थंकरों के वचन ही प्रमाण-कोटि में गिने गये हैं। समस्त जैनदर्शन सर्वज्ञ तीर्थंकर की वाणी है, जो क्रमशः

बीतरागी, निर्मोही, स्व पर हितैषी आचार्यों की परम्परा से मूल तीर्थंकर की वाणी को ही अनुसरण करने वाली है, वही जैनदर्शन है।

भगवान् ऋषभदेव के दीक्षाकाल के बाद केवलज्ञान उत्पन्न होने के पूर्व जिन लोगों ने भगवान् का बाह्य अनुसरण तो कर लिया था, पर न वह दृढ़ता थी और न वह भाव अन्तरङ्ग में था। उन्होंने कष्टादि सहन न कर सकने के कारण जुदे-जुदे प्रकार के अने-अने भेष बनाये और अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार आचार-पद्धति बनाई। यही विविध दर्शनों को जन्म देने की स्थिति का कारण बना।

भगवान् ऋषभदेव के पौत्र एवं भरत के पुत्र मारीचिकुमार ने बड़े ज्ञानदान का होने से अपने प्रताप से अनेक व्यक्तियों को अपने कल्पित धर्म में दीक्षित किया। जैन कथा-ग्रन्थों के अनुसार अन्य दर्शनों की उत्पत्ति का यह इतिहास है।

जैन तीर्थंकरों ने वस्तु को अनेक घर्मात्मक माना है। है भी प्रत्येक वस्तु में अनेक धर्म, अनेक गुण और अनेक परिणतियाँ। यद्यपि एक वस्तु की एक समय में समुच्चय रूप से एक ही परिणति (पर्याय) होती है और दूसरे समय वह बदल जाती है, पर वह सब उसी वस्तु के परिवर्तन है, उसी की अनेक गुण-रूप अवस्थाएँ हैं। इसलिये पदार्थ अपनी एकता रखते हुए भी गुणों और पर्यायों की गणना से अनेक रूप है तथा अनेक परिस्थितियों के कारण भी परिवर्तनशील है। अतः स्वभाव से त्रिकाल स्थित रहने वाला अर्थात् ध्रुव तथा अनेक गुणों के कारण अनेकपन में तथा समय-समय के परिवर्तनों के कारण अनित्य है। इस तरह ध्रुवता, नवीन उत्पाद तथा पुराने परिणमन का विलय—इस प्रकार उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य स्वरूप ही जगत् के सभी पदार्थ हैं। यह जैनदर्शन का अकाट्य सिद्धान्त है।

सम्पूर्ण ज्ञान को प्रमाणज्ञान और ज्ञानी के श्रुत-विकल्प को नय कहते हैं। इस तरह प्रमाण-नय स्वरूप ज्ञान द्वारा वस्तु का निर्णय होता है, पर प्रतिपादन की दृष्टि से एक समय में एक ही धर्म कहा जा सकता है, शेष धर्मों का निषेध नहीं है, उन्हें गौण रूप में स्वीकारना ही प्रामाणिकता है, स्याद्वाद है। अन्यथा मिथ्यादर्शन हो जायेगा। अनेकान्त रूप वस्तु के किसी एक धर्म को लेकर प्रतिपादन करना या समझना कि यही वस्तु का स्वरूप है, यह वस्तु-स्वरूप होकर के भी मिथ्यादर्शन है।

जैनदर्शन वस्तु के स्वरूप का प्रदर्शन कराने वाला दर्शन है, वह भगवान् सर्वज्ञ द्वारा प्रकृत सिद्धान्तों का आगम और हेतुवाद या युक्तिवाद द्वारा प्रतिपादन करता है।

दर्शन और न्याय में थोड़ा अन्तर है। दर्शन में अपने सिद्धान्त का समुक्तिक प्रामाणिक वर्णन होता है और न्याय में अपने पक्ष के समुक्तिक प्रतिपादन के साथ-साथ अन्य वादियों द्वारा लगाये गये दूषणों का निराकरण तथा अन्य दर्शन-प्रतिपादित वस्तु-तत्त्व का समुक्तिक परोक्षण भी किया जाता है।

स्व० सिद्धान्ताचार्य पं० कैलाशचन्द्र जी शास्त्री ने जैन न्याय का अनुसरण कर 'जैन न्याय' का प्रथम भाग लिखा था, जो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा सन् १९६६ में प्रकाशित हुआ था। यह द्वितीय भाग स्व० पण्डित जी से उनकी जीवित अवस्था में उनसे प्राप्त हुई पाण्डुलिपि के आधार पर डॉ० कमलेशकुमार जैन (जैनदर्शन-प्राध्यापक, जैन-बौद्धदर्शन विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी) के सम्पादकत्व में श्री गणेश वर्णा दिगम्बर जैन संस्थान, नरिया, वाराणसी से प्रकाशित हो रहा है। ज्ञात हुआ है कि कुछ कृतियाँ पं० कैलाशचन्द्र जी शास्त्री की और भी हैं, जो अज्ञात हैं। वे जैसे-जैसे उपलब्ध हो सकेंगे, उनका भी प्रकाशन किया जायेगा।

इस ग्रन्थ के लेखक स्व० पं० कैलाशचन्द्र जी शास्त्री आज की समाज व विद्वद्बर्ग के लिए सुपरिचित हैं। समाज में समय-समय पर पहुँचकर उन्होंने जैन-धर्म-दर्शन का प्रचार किया है और विद्वद्बर्ग की आज जो संस्था है, उसमें अनेक विद्वान् उनके शिष्य हैं।

सिद्धान्त के महान् ग्रन्थों का अनुवाद, सम्पादन, टीका और विवरण आदि अनेक कृतियाँ उनकी यशोगाथा का मुक ज्ञान करा रही हैं। वे मेरे सहाध्यायी थे। परम मित्र थे। जीवन भर उनसे मित्रता चली। वे मुझे उम्र के हिसाब से तथा अपनी सहज सज्जनता के कारण बड़ा मानते थे। कभी कोई कार्य या निर्णय मुझे उनका उचित नहीं जँचा तो मैंने उन्हें रोका। उन्होंने उसे तत्काल अङ्गीकार किया। यह उनकी महानता थी।

सन् १९२३ में हम दोनों पढ़कर निकले। मुझे स्पाह्वाद विद्यालय के मन्त्री ने विद्यालय में कार्य करने का अवसर दिया, पर मैं अपने पालक स० सि० कन्हैयालाल रतनचन्द्र जी की आज्ञानुसार कटनी विद्यालय में कार्य करने को बाध्य था। अतः मैंने मन्त्री जी को पं० कैलाशचन्द्र जी का परिचय दिया। उन्होंने पं० कैलाशचन्द्र जी को विद्यालय में धर्माध्यापक नियुक्त किया। कालान्तर में वे विद्यालय के प्रधानाध्यापक और बाद में अधिष्ठाता बने।

कटनी विद्यालय में भी प्रवेशिका से शास्त्री कक्षा तक की पढ़ाई प्रारम्भ हो चुकी थी। पं० कैलाशचन्द्र जी एक बार कटनी आये। विद्यालय देखा।

अपना विचार प्रकट किया कि शास्त्री कक्षा काशी में चलती है, तब दो-दो जगह छात्रों के लिए अलग-अलग स्वर्च समाज का नहीं करना चाहिए। आप इन्हें काशी भेज दो। हमारा उनका इस प्रकार का समझौता हुआ कि आप काशी में मध्यमा और शास्त्री कक्षायें ही चलायें, प्रथमा नहीं। और हम कटनी में प्रथमा और मध्यमा चलायेंगे, शास्त्री कक्षा नहीं। आपके पास भेज देंगे। यह समझौता ५० वर्षों तक चला। अब तो दोनों विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र नहीं हैं। सन् १९५४ से १९६९ तक पण्डित जी मेरे सहायक सम्पादक के रूप में 'जैन सन्देश' के सम्पादक रहे। बाद में मैंने जब छोड़ दिया तो वे ही जैन सन्देश के प्रधान सम्पादक रहे।

मेरे समय में भी प्रायः सम्पादन वे ही करते थे। वस्तुतः नाम तो मेरा था, पर प्रधान सम्पादक का कार्य वे ही करते थे। मैं मात्र सहायक था, पर वे मुझे सम्मान देते थे। मैं यदि छोड़ने की बात कहता था तो वे कहते थे कि आप छोड़ दोगे तो मैं भी छोड़ दूँगा। मैं इस भय से ही प्रधान सम्पादक बना रहा। पर उन दिनों में भी सम्पादन का मुख्य श्रेय उनको ही है।

न्यायशास्त्र वस्तु-परीक्षण के लिए है। उसके दो भाग हैं—प्रमाण और प्रमेय। प्रमाण परीक्षा को न्याय-तुला है, प्रमेय उसमें तौले जाते हैं, परीक्षण किये जाते हैं। प्रथम भाग में पण्डित जी ने जैनागम-सम्मत प्रमाणों की ही परीक्षा की है। यदि प्रमाण ठीक न हो तो प्रमेय का सत् परीक्षण नहीं हो सकता। अतः यह आवश्यक होता है कि प्रथम प्रमाण का लक्षण, उसके भेद, भेदों का स्वरूप प्रतिपादन कर अन्य न्यायवादियों द्वारा प्ररूपित प्रमाण, उनका स्वरूप और उनके भेदों के स्वरूप का परीक्षण किया जाए। 'जैन न्याय, प्रथम भाग' में पं० कैलाशचन्द्र जी ने जैन न्याय के पचासों ग्रन्थों के आधार पर स्वपक्ष प्रतिपादन और परपक्ष का परीक्षण बहुत सुन्दरता तथा सरलता से विद्वत्तापूर्ण शैली में किया है।

इस द्वितीय भाग में प्रमेय का परीक्षण है। जहाँ प्रमाण के स्वरूप व भेदों में अन्य दर्शनों के साथ जैनदर्शन की भिन्नता है, उसी प्रकार प्रमेय वस्तु-तत्त्वों के निरूपण में भी भिन्नता है। इस भाग में उसी पद्धति पर जैनागम-सम्मत प्रमेय की प्रामाणिकता तथा अन्य दर्शनों द्वारा प्रतिपादित प्रमेयों का साङ्गोपाङ्ग निरीक्षण किया गया है।

भारतीय दर्शनों में सांख्य, न्याय-वैशेषिक, अद्वैतवाद, चार्वाक और बौद्ध विशेषतः प्रसिद्ध हैं। आर्हद्दर्शन भी उनमें एक है। इसे ही जैनदर्शन नाम से कहा जाता है।

जैनधर्म का पालन करने वाले दो भागों में विभक्त हो चुके हैं—दिगम्बर और श्वेताम्बर। ये दोनों भेद आचार-भेद से बने थे। बाद में अपने-अपने आचार की पुष्टि में कुछ सिद्धान्तों में भी भेद हुआ। पर जैनदर्शन और न्याय के सिद्धान्तों में थोड़ा ही अन्तर है और प्रायः समानता है। इस जैन न्याय के विषय प्रतिपादन में पण्डित जी ने दोनों पक्षों के न्याय ग्रन्थों का उपयोग किया है।

इस द्वितीय भाग में सौख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, चार्वाक, बौद्ध और सभी अद्वैतवादियों द्वारा प्रतिपादित प्रमेय व्यवस्था का सरल/सुबोध भाषा में परोक्षण किया है। प्रारम्भ में ही पदार्थों को केवल सद्भाव रूप मानने वाले भावैकान्तवादियों का तथा केवल अभाव स्वरूप पदार्थ मानने वाले अभावैकान्तवादियों का तथा भावाभावैकान्त उभयरूप पदार्थ-व्यवस्था मानने वाले एकान्तवादियों का विचार किया है। कुछ तत्त्व के अगोचर प्रतिपादन करने वाले अवाच्यतैकान्तवादी हैं, उनका भी विचार किया है।

सभी एकान्तवादी अपर एकान्तवादी का खण्डन तो करते हैं, पर जब तक परपक्ष का अस्तित्व न मानें तो खण्डन किसका है, यह प्रश्न खड़ा रह जाता है। अतः दोनों पक्ष कथञ्चित् अपनी-अपनी विषया में एकान्त से सार्थ हैं। इस अनेकान्तवाद सिद्धान्त में किसी भी पदार्थ की अपेक्षा स्वद्रव्य, स्वप्रदेश, स्वपर्याय और स्वभाव का अस्तित्व है। परपदार्थ की अपेक्षा से परद्रव्य, उसके प्रदेशों का, उसकी पर्यायों का, उसके गुणों का अस्तित्व उसमें नहीं है। इस तरह अस्तित्व-नास्तित्व का एक पदार्थ में अविनाभाव सम्बन्धवश इस ग्रन्थ में सतर्क वर्णन किया है। अद्वैतवाद के अनेक भेद हैं—ब्रह्माद्वैत, शब्दाद्वैत, धून्याद्वैत आदि। इन वादों का भी इसमें पर्याप्त विचार किया गया है।

वैशेषिक मत द्वारा मान्य द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय—इन छः पदार्थों के सम्बन्ध में पूरा अध्याय ही लिखा गया है। प्रश्नोत्तर के माध्यम से सुन्दर प्रदर्शन किया गया है। अन्त में सौख्य द्वारा प्रतिपादित पञ्चीस तत्त्वों पर भी ऊहापोह किया गया है तथा बौद्ध मतानुयायियों के प्रमेय तत्त्व पर भी प्रश्नोत्तर के रूप में पर्यालोचन है।

अनेक जैन न्याय-ग्रन्थों का आलम्बन लेकर विषय का प्रतिपादन करके भी मुख्यतः आचार्य समन्तभद्र की आसमीमांसा तथा उस पर आचार्य विद्यानन्द की अष्टसहस्री और अकलंक के लघुयस्त्रय पर लिखित प्रभाचन्द्र के न्यायकुमुद-चन्द्र का बहुत उपयोग किया गया है।

यद्यपि जैन न्याय के ग्रन्थों में उक्त सभी विषय प्रतिपादित हैं तथापि वे सब संस्कृत भाषा में हैं। भाषा की दुरुहता, विषयों की गूढ़ता और अध्ययन की वर्तमान में पल्लवप्राही पाण्डित्य की शैली के कारण जैन न्याय का पठन-पाठन प्रायः जैन छात्रों में भी बन्द हो गया है। यह पुस्तक उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिये हिन्दी भाषा में सरल/सुबोध पद्धति से लिखी गई है। भाषा प्रभावशाली और प्राञ्जल है। आशा है जैन-जैनेतर भाई भी जो जैन न्याय और सिद्धान्त को समझना चाहते हैं, वे अवश्य इसके द्वारा लाभान्वित होंगे।

ग्रन्थ के अन्त में अनेक परिशिष्ट भी जोड़े गये हैं, जो एक बहुत बड़े अभाव की पूर्ति करते हैं।

इस ग्रन्थ के दोनों भागों के अध्ययन से जैनदर्शन का हार्द तो जाना ही जाता है, साथ ही अन्य दर्शनों का भी परिचय हो जाता है। जैन न्यायशास्त्रों में यद्यपि पूर्व-पक्ष के रूप में अन्य दर्शनों का भी प्रतिपादन है, तथापि पाठक को अन्य दर्शन की सभी बातों का परिचय नहीं हो पाता।

न्याय का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए तो ये दोनों भाग उपयोगी हैं ही, साथ ही उन सभी जिज्ञासु विद्वानों के भी ज्ञानवर्धन में सहायक सिद्ध होंगे, जो दर्शनशास्त्र के रहस्य को जानने की इच्छा रखते हैं।

इस ग्रन्थ का सम्पादन डॉ० कमलेशकुमार जैन ने किया है। सर्वप्रथम उन्होंने मुझे ग्रन्थ का पता गत ८८ में ही दिया था कि स्व० पं० कैलाशचन्द्र जी के जैन न्याय की पुस्तक का द्वितीय भाग 'प्रमेय परीक्षा' की पाण्डुलिपि मेरे पास है। मैंने उन्हें सुझाव दिया कि उसका सम्पादन कर प्रकाश में लाओ। प्रमाण-परीक्षा, बिना प्रमेय-परीक्षा के अधूरी है। जब प्रमाण-परीक्षा प्रकाशित है, तो प्रमेय-परीक्षा भी प्रकाशित होनी चाहिए। डॉ० कमलेश ने प्रकाशन के सम्बन्ध में जिज्ञासा की कि कौन छपायेगा? मैंने भारतीय ज्ञानपीठ (दिल्ली) के निदेशक बाबू लक्ष्मीचन्द्र जी को सुझाव दिया और उन्होंने इसका प्रकाशन ज्ञानपीठ की ओर से कर देने की स्वीकारता भी दी, तब तक श्री गणेश वर्णी दि० जैन संस्थान, नरिया, वाराणसी ने भी इसका प्रकाशन स्वीकार कर लिया। अतः अब संस्थान से इसका प्रकाशन हो रहा है, यह प्रसन्नता की बात है।

सम्पादन से प्रकाशन सुन्दर बन जाता है। डॉ० कमलेशकुमार जी ने इसका सम्पादन सुन्दर ढंग से किया है। अप्रैल सन् १९८८ से ही वे इस कार्य में जुटे हैं। ग्रन्थ में उल्लिखित प्रमाणों की तत्-तत् ग्रन्थों से मिलान कर उनका संशोधन करना, फिर उसकी प्रतिलिपि करना, विषय को सुसम्बद्ध रूप से प्रकाशन योग्य

बनाना, पुस्तकालयों से ग्रन्थ उपलब्ध कर उनका उपयोग करना आदि समस्त श्रम के कार्य उन्होंने किये हैं।

इस कार्य को सम्पन्न कर उन्होंने इस प्रकाशन को जिस सौचे में ढाला है, वह पाठकों के सामने है।

डॉ० कमलेश जी पं० जी के पास अध्ययन करते थे। अतः कुतज्ञता के नाते उन्होंने इसे परिश्रम पूर्वक तैयार किया है। मेरे पास भी उन्होंने कटनी में प्रारम्भिक शिक्षा ग्रहण की है। इस कुतज्ञता से मुझे भी उन्होंने स्मरण किया और मैंने इस ग्रन्थ का प्राक्कथन लिखा। स्व० पं० कैलाशचन्द्र जी का स्नेह तो उसका मूल कारण है ही।

डॉ० कमलेश को मेरा शुभाशीर्वाद है कि वे आगे भी साहित्य और धर्म की सेवा में बढ़ें और सफल हों।

कटनी (म० प्र०)

८-१२-८८

विदुषामनुचरः

जगन्मोहनलाल शास्त्री

श्री महावीर वि० जैन उदासीन आश्रम

कुण्डलगिरि, पो०—कुण्डलपुर

जिला—दमोह-४७०७७३

प्रस्तावना

ईसा की बीसवीं शती के प्रारम्भ में जब विभिन्न भारतीय विद्याओं का पठन-पाठन द्रुतगति से प्रचलित हुआ तब अपने धर्म एवं सिद्धान्तों को अन्य विद्वानों के समक्ष सतर्क उपस्थित करने की बलवती इच्छा ने जैन विद्वानों को जैन न्याय का अध्ययन, मनन और चिन्तन करने की दिशा में अग्रसर किया। उस समय संस्कृत के मूल ग्रन्थ ही उनके सामने थे, अतः उन्हीं में विशेष परिश्रम किया गया। पुनः शनैः शनैः भौतिकवाद की ओर युवा पीढ़ी के बढ़ते कदम और संस्कृत मूल ग्रन्थों की दुरूहता ने राष्ट्रभाषा हिन्दी की ओर विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया। किन्तु उस समय हिन्दी भाषा में जैन न्याय विषयक ऐसा कोई साहित्य नहीं था, जिससे हिन्दी माध्यम से अध्ययन करने वाले विद्वानों को उक्त समस्या का ठोस समाधान मिल सके।

प्राच्य विद्वत्परम्परा के प्रबुद्ध मनीषी श्रद्धेय स्व० पण्डित कैलाशचन्द्र शास्त्री इस समस्या से पूर्णतः परिचित थे। अतः उन्होंने अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए हिन्दी में 'जैन न्याय' नामक ग्रन्थ की रचना की, जो भारतीय ज्ञानपीठ काशी से मूर्तिदेवी ग्रन्थमाला के अन्तर्गत सन् १९६६ में प्रकाशित हुआ है।

'जैन न्याय' नामक इस ग्रन्थ में पूज्य पण्डित जी ने संस्कृत के जैन एवं जनेतर न्याय विषयक मूल ग्रन्थों का दोहन कर जैन प्रमाणशास्त्र से सम्बद्ध सभी विषयों का प्रामाणिक एवं साङ्गोपाङ्ग विवेचन प्रस्तुत किया है, जो भारतीय न्याय मनीषा के प्रबुद्ध अधिकारी विद्वानों द्वारा बहुप्रशंसित है। सर्वप्रथम उन्होंने अपने इस 'जैन न्याय' में न्यायशास्त्र की सामान्य परम्परा का उल्लेख करते हुए जैन न्याय के उद्गम एवं विकास की कथा का दिग्दर्शन कराया है। पुनः ईसा की प्रथम शताब्दी के विद्वान् आचार्य कुन्दकुन्द और उनके परवर्ती समन्तभद्र, सिद्धसेन, भट्टाकलङ्क, विद्यानन्द, माणिक्यनन्दी, प्रभाचन्द्र, हेमचन्द्र तथा जैन नव्य-न्याय शैली के प्रतिष्ठापक आचार्य यशोविजय पर्यन्त जैन न्यायविद्या के धुरीण आचार्यों का कालानुक्रम से परिचय दिया है, जिनके चिन्तन और विवेचन के फलस्वरूप प्रमाणशास्त्र ज्ञानमीमांसा से लेकर नव्य-न्याय की कोटि तक पहुँचा है। तत्पश्चात् न्यायशास्त्र विषयक ग्रन्थों का मुख्य प्रतिपाद्य प्रमाण का स्वरूप, प्रमाण के भेद, श्रुत के दो उपयोग—स्याद्वाद और नयवाद, प्रमाण का फल तथा

प्रमाणभास का विस्तार से विवेचन किया है। प्रस्तुतीकरण की इस प्रक्रिया में श्रद्धेय पण्डित जी ने प्रारम्भ में पूर्वपक्ष का उल्लेख करते हुए अन्त में जैन न्याय सम्मत उत्तरपक्ष प्रस्तुत किया है। बीच-बीच में पूर्वपक्ष द्वारा उठाई गई शङ्काओं-प्रतिशङ्काओं का भी समाधान किया है। इस प्रकार यह ग्रन्थ जैन न्याय के प्रथम अङ्ग प्रमाणशास्त्र का समग्र अनुशीलन प्रस्तुत करता है।

जैन-न्यायविद्या का द्वितीय महत्त्वपूर्ण अङ्ग है प्रमेय परीक्षा। क्योंकि प्रमेय की परीक्षा के बिना प्रमाणशास्त्र अधूरा है। अतः श्रद्धेय पण्डित जी ने प्रारम्भ में यद्यपि 'जैन न्याय' के नाम से जैन प्रमाणशास्त्र का स्वतन्त्र रूप से विवेचन किया था, किन्तु उन्हें उक्त ग्रन्थ में जैन प्रमेय विषयक सामग्री का अभाव खटकता रहा। फलस्वरूप पण्डित जी ने अपने जीवन की अन्तिम बेला में इस अभाव की पूर्ति हेतु 'प्रमेय प्रकाश' नामक स्वतन्त्र ग्रन्थ की रचना की। इस प्रकार पूर्व प्रकाशित 'जैन न्याय' में विषय की दृष्टि से प्रमाणशास्त्र और 'प्रमेय प्रकाश' में प्रमेय का विवेचन है। यतः प्रस्तुत ग्रन्थ 'जैन न्याय' का उत्तरार्द्ध है। अतः 'जैन न्याय, भाग २' के नाम से प्रकाशित किया जा रहा है। ग्रन्थ की मूल पाण्डुलिपि में एक जगह मुखपृष्ठ पर पण्डित जी ने स्वयं अपनी कलम से 'प्रमेय प्रकाश' को काटकर 'जैन न्याय, भाग २' लिखा है। अतः ग्रन्थ का उक्त नामकरण पूज्य पण्डित जी की भावना के सर्वथा अनुकूल है, जिसका हम सम्मान करते हैं।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में जैनदर्शन प्राध्यापक पद पर भेरी नियुक्ति होने के पश्चात् मुझे श्रद्धेय पं० कैलाशचन्द्र जी शास्त्री से आचार्य विद्या-नन्दकृत अष्टसहस्री और आचार्य प्रभाचन्द्रकृत न्यायकुमुदचन्द्र पढ़ने का अवसर मिला। पण्डित जी द्वारा सम्भवतः यह अन्तिम अध्यापन-कार्य था। उसी समय उन्होंने भट्टाकलङ्कृत लघीयस्त्रय का हिन्दी अनुवाद और प्रस्तुत कृति 'जैन न्याय, भाग २'—दोनों की पाण्डुलिपियाँ मुझे सौंप दी थीं। तत्पश्चात् उनकी स्मृति निरन्तर क्षीण होती गई और १७ नवम्बर १९८७ को राँची में ८४ वर्ष की आयु में उनका स्वर्गवास हो गया। वे जैनविद्याओं के आद्यन्त उपासक रहे हैं, उनके निधन से प्राचीन जैन पण्डित परम्परा की अपूरणीय क्षति हुई है।

श्रद्धेय पण्डित जी के दिवंगत होने के पश्चात् उनके द्वारा सौंपी गई इस साहित्यिक निधि के सम्पादन का कार्य मैंने स्व० पण्डित जी के सहाध्यायी एवं अनन्य मित्र तथा अपने आद्य गुरुवर्य परम श्रद्धेय पं० जगन्मोहनलाल जी सिद्धान्त-शास्त्री (कटनी) की आज्ञानुसार स्वीकार किया। सम्पादन के समय सर्वप्रथम

समग्र ग्रन्थ का आद्योपान्त वाचन किया। इस अवधि में मैंने अनुभव किया कि इसमें अभी काफी परिश्रम अपेक्षित है। क्योंकि कहीं विषय छूटा था तो कहीं सन्दर्भ। अतः हमने मूल-ग्रन्थों से मिलान कर आवश्यक सामग्री का यत्र-तत्र समावेश किया। दुर्लभ मूल ग्रन्थों को पुस्तकालय से प्राप्तकर सन्दर्भों का सावधानी पूर्वक निरीक्षण किया और संशोधन सहित सुवाच्य प्रतिलिपि तैयार कर ली।

ग्रन्थ का प्रतिपाद्य

प्रस्तुत ग्रन्थ में पूर्वपक्ष के रूप में सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, बौद्ध, चार्वाक, ब्रह्माद्वैतवाद, शब्दाद्वैतवाद आदि विभिन्न भारतीय दर्शनों का पर्याप्त उद्घापोह करके जैन दृष्टि से खण्डन-भण्डन किया है। इसका अधिकांश विषय आचार्य समन्तभद्रकृत आत्ममीमांसा और उस पर आचार्य विद्यानन्दकृत अष्टसहस्री तथा आचार्य अकलंककृत लघोयस्त्रय और उस पर आचार्य प्रभाचन्द्रकृत न्याय-कुमुदचन्द्र से गृहीत है।

भावैकान्त :

सर्वप्रथम वस्तु के अनेकान्तात्मक स्वरूप का प्रतिपादन करते हुये सांख्यों द्वारा भावैकान्त रूप से स्वीकृत प्रकृति आदि पञ्चीस तत्त्वों का पूर्वपक्ष के रूप में निरूपण है। इसका खण्डन करते हुये जैन तार्किकों का कहना है कि यदि सभी पदार्थों को भावैकान्त रूप स्वीकार करते हैं तो चार प्रकार के अभावों का लोप हो जायेगा। प्रागभाव न मानने पर कार्य रूप द्रव्य अनादि हो जायेगा। प्रध्वंसाभाव न मानने पर घटादि कार्य अनन्त (नित्य) हो जायेंगे। अन्यापोह (इतरेतराभाव) स्वीकार न करने पर वस्तुओं का स्वतंत्र स्वरूप न होकर सभी पदार्थ सब रूप (सर्वात्मक) हो जायेंगे। इसी प्रकार अत्यन्ताभाव के स्वीकार न करने पर अर्थात् एक तत्त्व में अन्य तत्त्व का अत्यन्ताभाव न मानने पर इष्ट और अनिष्ट तत्त्वों का कथन नहीं बन सकेगा।

अभावैकान्त :

पदार्थों की सत्ता को न मानने वाले माध्यमिकों के सर्ववैराग्य की प्रतिज्ञा को अभावैकान्त कहते हैं। इसकी समीक्षा करते हुए जैन-तार्किकों का कहना है कि स्वप्नादि के मिथ्याज्ञान की तरह दृश्यमान जगत् का ज्ञान भी मिथ्या है, तो मिथ्याज्ञान स्वयं मिथ्या न होने पर 'सर्वज्ञान मिथ्या है' यह बात सिद्ध नहीं

होती है और यदि मिथ्याज्ञान भी मिथ्या है, तो मिथ्याज्ञान के मिथ्या होने से जगत् का अस्तित्व सिद्ध ही होता है। अतः अभावैकान्त पक्ष ठीक नहीं है।

भावाभावैकान्त :

भाट्ट द्वारा स्वीकृत सर्वथा सदसदात्मक अर्थात् भावाभावैकान्त (उभयैकान्त) रूप पदार्थ पर विचार करने पर प्रतीत होता है कि सर्वथा भाव और सर्वथा अभाव एक वस्तु में एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि भाव और अभाव में भेद का प्रसङ्ग आता है।

अवाच्यतैकान्त :

बौद्धों द्वारा स्वीकृत सर्वथा अवकल्प्य अर्थात् अवाच्यतैकान्त भी ठीक नहीं है, क्योंकि वस्तु के सर्वथा अवाच्य रूप हो जाने से दूसरे को यह समझाना सम्भव नहीं है कि वस्तु-स्वरूप सर्वथा अवाच्य है।

वस्तु में अस्तित्व-नास्तित्व :

अद्वैतवादियों का कथन है कि अस्तित्व ही वस्तु का स्वरूप है, नास्तित्व नहीं, किन्तु जैन-तार्किकों का कहना है कि एक धर्म जीवादि में अस्तित्व प्रतिषेध्य नास्तित्व के साथ अविनाभावी है, क्योंकि वह विशेषण है। एक अन्य दार्शनिक का कहना है कि जीवादि में अस्तित्व नास्तित्व का अविनाभावी भले ही हो, किन्तु नास्तित्व अस्तित्व का अविनाभावी कैसे हो सकता है? क्योंकि आकाश-पुष्प आदि में नास्तित्व के होते हुए भी अस्तित्व असम्भव है। इसके उत्तर में जैनाचार्यों का कहना है कि जो-जो विशेषण होता है, वह एक वस्तु में अपने प्रतिपक्षी धर्म का अविनाभावी होता है, जैसे वैचर्म्य साधर्म्य के साथ अविनाभावी है। नास्तित्व भी विशेषण है, अतः वह अस्तित्व के साथ अविनाभावी है।

कुछ लोग अस्तित्व और नास्तित्व को विशेषण मानते हैं, विशेष्य नहीं, इसलिये वे वास्तविक साध्य धर्म और साधन धर्म के आधार नहीं हो सकते। कुछ लोगों का कहना है कि अस्तित्व और नास्तित्व सर्वथा शब्दवाच्य नहीं है, क्योंकि वस्तु रूप अवाच्य है। कुछ लोगों का कथन है कि अस्तित्व और नास्तित्व वस्तु से अत्यन्त भिन्न हैं, जैसे घट और पट। इसी प्रकार कुछ अन्य लोगों का कहना है कि वस्तु अस्तित्व-नास्तित्व रूप नहीं है। इस पर जैन-तार्किकों का कहना है कि जीवादि पदार्थ विधि-निषेधात्मक अस्तित्व रूप हैं, क्योंकि जीवादि पदार्थ शब्दगोचर होने से हेतु की तरह विशेष्य हैं।

सदसदात्मक वस्तु में अर्थक्रियाकारित्व :

वस्तु को सर्वथा सत् अथवा सर्वथा असत् रूप मानने पर अर्थक्रिया सम्भव नहीं है, अतः सदसदात्मक वस्तु ही अर्थक्रियाकारी है। क्योंकि जैसे स्वर्णत्वरूप द्रव्य की दृष्टि से सत् और केयूररूप पर्याय की दृष्टि से असत् स्वर्ण केयूररूप से परिणमन करने की शक्ति रूप विशिष्ट अन्तरंग सामग्री और स्वर्णकार के व्यापाररूप बाह्य सामग्री के मिलने पर केयूररूप आदि से उत्पन्न होता है। अतः जो सर्वथा अर्थक्रियाकारी है, वह न सर्वथा सत् होता है और न सर्वथा असत्। क्योंकि एकान्तवाद में सर्वथा असत् क्रिया का विरोध है।

अद्वैतकान्त :

अद्वैतकान्तवादियों का कहना है कि अनादि अविद्या के कारण स्वप्न की तरह नाना वस्तुओं का प्रतिभास होने से द्वैत की प्रतीति मात्र होती है, किन्तु वास्तव में विचार करने पर अद्वैत की सिद्धि होती है। इस पर जैन तार्किकों का कहना है कि अद्वैतकान्त में जो क्रिया-कारक भेद है वह अनित्य है और जो अनित्य है उसकी उत्पत्ति होती है। अतः कारण और कार्य के भेद से द्वैत ही सिद्ध हुआ। दूसरी बात यह है कि अद्वैतकान्त स्वीकार करने पर लौकिक एवं वैदिक कर्म अथवा पुण्य एवं पाप कर्म नहीं होंगे और उनके न होने से इस लोक में और परलोक में अच्छे-बुरे फल नहीं होंगे। क्योंकि कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है, अतः अद्वैतकान्त मानना युक्तियुक्त नहीं है।

ब्रह्माद्वैत :

ब्रह्माद्वैतवादियों का कथन है कि ब्रह्म शब्द से संसार के समस्त पदार्थों का बोध हो जाता है, अतः एकमात्र ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस प्रसङ्ग में जैन तार्किकों का कहना है कि हेतु से अद्वैत की सिद्धि करने पर हेतु और अद्वैत—इन दो के होने से द्वैत ही सिद्ध होता है। और बिना हेतु के अद्वैत की सिद्धि करने पर वचन मात्र से भी अद्वैत की सिद्धि का प्रसङ्ग आता है। जैसे हेतु के बिना अद्वैत नहीं होता, सम्यक् एकान्त के बिना अनेकान्त नहीं होता, वेसे ही द्वैत के बिना अद्वैत नहीं होता, माया के बिना अमाया नहीं होती। अतः ब्रह्माद्वैतवाच ठीक नहीं है।

शब्दाद्वैत :

शब्दब्रह्मवादियों का कहना है कि लीक में ऐसा कोई प्रत्यय नहीं है जो शब्द के अनुगम के बिना हो, ज्ञान शब्द से अनुविद्ध ही प्रतिभासित होता है। जैसे

नेत्र विकार से पीड़ित मनुष्य विशुद्ध आकाश को भी विचित्र रेखाओं से चित्रित देखता है, वैसे ही अविद्या से ग्रस्त मनुष्य अनादि निघन एक स्वभाव और समस्त भेद प्रपञ्चों से रहित शब्दब्रह्म को आविर्भाव, तिरोभाव आदि प्रपञ्चों से युक्त ही मानता है, अतः शब्दब्रह्म ही उपादेय है। इसके उत्तर में जैन-तार्किकों का कहना है कि शब्दब्रह्म का सद्भाव इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष से सम्भव नहीं है, क्योंकि श्रोत्रजन्य प्रत्यक्ष शब्द के स्वरूप मात्र को प्रत्यक्ष करता है; देश, काल, आकार वगैरह उसके अविषय है। अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष से भी शब्दब्रह्म की प्रतीति नहीं होती, क्योंकि शब्दब्रह्म के विषय में अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष ही असम्भव है और योगज प्रत्यक्ष स्वीकार करने पर योगी, योग तथा योगज प्रत्यक्ष के होने से अद्वैत का अभाव हो जाता है, अतः एकान्ततः शब्दब्रह्म ठीक नहीं है।

द्वैतेकान्त :

वैशेषिकों का पक्ष है कि द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव—ये सात पदार्थ परस्पर में सर्वथा भिन्न और पृथक्-पृथक् स्वरूप वाले हैं। नौ द्रव्यों में से पृथ्वी, जल, तेज और वायु—ये चार द्रव्य सत् होते हुए भी इनका कोई कारण नहीं है, अतः परमाणु रूप नित्य है और अवयविरूप पृथ्वी आदि की उत्पत्ति होने से अनित्य है। शेष आकाश, काल, विशा, आत्मा और मन—ये पाँच द्रव्य नित्य ही हैं। रूपादि गुण चौबीस हैं। उत्सेपण आदि पाँच कर्म हैं। पर और अपर के भेद से सामान्य दो प्रकार का है, जो 'सत् सत्' और 'घट घट' इत्यादि प्रकार के अनुगत ज्ञान का कारण होता है। नित्य द्रव्य में रहने वाले और अत्यन्त भेद बुद्धि में जो कारण है, वे विशेष हैं। अयुतसिद्ध और आधाय-आधारभूत पदार्थों में 'इसमें यह है'—इस प्रकार का बोध कराने वाले सम्बन्ध को समवाय कहते हैं। इस प्रसङ्ग में जैन तार्किकों का कहना है कि वैशेषिकों का उक्त कथन अविचारपूर्ण है, क्योंकि परमाणु रूप पृथ्वी आदि के सद्भाव में प्रमाण का अभाव है। हमारा प्रत्यक्ष तो उसके सद्भाव को नहीं जान सकता, क्योंकि वे अतीन्द्रिय हैं। अनुमान भी उनके सद्भाव में प्रवृत्त नहीं होता, क्योंकि उनके सद्भाव के साधक अनुमान का अभाव है। यदि वैशेषिक परमाणु रूप पृथ्वी आदि की सिद्धि के लिये यह कहें कि 'द्रव्यणुक आदि कार्य अपने परिमाण में अल्प परिमाण वाले कारण से बना है, क्योंकि वह कार्य है, जैसे घट आदि, तो यह हेतु भी ठीक नहीं है, क्योंकि कार्य के परिमाण से अधिक, न्यून, अथवा समपरिमाण वाला भी कारण होता है। अतः किसी प्रमाण से परमाणु का सद्भाव सिद्ध न होने से 'परमाणु रूप पृथ्वी आदि नित्य हैं, सत्

और अकारणवान् होने से' इस अनुमान में हेतु का विशेषण असिद्ध है तथा विशेष्य भी असिद्ध है। क्योंकि स्कन्धों के भेद से परमाणु की उत्पत्ति होती है। वैशेषिकों के मत में कार्य-कारणभाव न बनने से 'द्वघणुक आदि अवयविरूप पृथ्वी आदि उत्पन्न होने से अनित्य है' यह कथन भी ठीक नहीं है।

अवयव-अवयवी :

वैशेषिकों के मत में पृथ्वी आदि अवयवी अपने अवयवों से अत्यन्त भिन्न है, क्योंकि इनमें षट-पट की तरह भिन्न प्रतिभास पाया जाता है। अवयव-अवयवी की शक्तियाँ भिन्न-भिन्न हैं। दोनों पिता और पुत्र की तरह पूर्वोत्तरकालभावी हैं। बेर और आँवले की तरह दोनों का परिमाण भी भिन्न-भिन्न है। यदि अवयव और अवयवी में तादात्म्य माना जायेगा तो प्रतिभासभेद वगैरह अत्यन्त दुर्लभ हो जायेंगे। अतः दोनों अत्यन्त भिन्न स्वभाव वाले हैं। इस प्रसङ्ग में जैनाचार्यों का कहना है कि अवयव और अवयवी में कथञ्चित् भेद है। प्रत्यक्ष से अवयव-अवयवी कथञ्चित् तादात्म्य रूप ही प्रतिभासित होते हैं, अत्यन्त भिन्न नहीं। नतंकी दशकों में हर्ष-विषाद आदि अनेक अर्थक्रिया करते हुए भी एक ही हैं। अतः भिन्न अर्थक्रियाकारी होने से भी दोनों में भेद नहीं है। अनेक कारणों से उत्पन्न होने पर भी अङ्कुर एक ही है। पट अवस्था को प्राप्त तन्तुओं का पट से काल-भेद नहीं है। घूपदानी का जो भाग हाथ में रहता है वह ठण्डा रहता है और जिसमें आग रहती है वह गर्म होता है, इस प्रकार विरह घर्मा-ध्यास होने पर भी घूपदानी एक ही है। शक्ति-भेद एवं परिणाम-भेद से तन्तु और पट वगैरह में कथञ्चित् अवस्था-भेद ही सिद्ध होता है, जिसे जैन ताकिक भी मानते हैं। अतः अवयव-अवयवी में अत्यन्त भेद असिद्ध है। इस प्रसङ्ग में बौद्ध ताकिकों का कहना है कि रूपादि से भिन्न अवयवी की प्रतीति स्वप्न में भी प्रत्यक्ष से नहीं होती है, अतः ग्राहक प्रमाण का अभाव होने से अवयवी का अभाव है। द्वघणुक आदि अवयवी की उत्पत्ति में परमाणु संयोग को कारण माना जाता है। वह परमाणु संयोग न एकदेश से बनता है और न सर्वात्मना। परमाणुओं का संयोग सर्वात्मना मानने पर पिण्ड को अणुमात्रता का प्रसङ्ग आता है और परमाणुओं में देश सम्भव न होने से परमाणुओं का एक देश से संयोग नहीं बनता, अतः अवयवी की सिद्धि नहीं होती। इसी प्रकार रूप को ग्रहण करने वाला चाक्षुष प्रत्यक्ष रस को नहीं जानता और रस को जानने वाला रासन प्रत्यक्ष रूप को नहीं जानता तथा रूप और रस—इन दोनों को एक साथ ग्रहण करने वाला प्रत्यक्ष स्वप्न में भी दृष्टिगोचर नहीं होता, अतः अवयवी

का रूप-रसाद्यात्मकपना भी सिद्ध नहीं है। इसके उत्तर में जैनों का कहना है कि चक्षु आदि इन्द्रियों से उत्पन्न होने वाले ज्ञान में एकत्व परिणति विशिष्ट ऊर्ध्व-अधो-मध्य भागात्मक, विशिष्ट आकार से युक्त घट आदि का नाम ही अवयवी है। यदि रूपादि से अतिरिक्त अवयवी का प्रतिभास न होने से अभाव मानते हो तो रूपादि के अभाव का प्रसङ्ग आता है। दूसरी बात यह कि अर्थों का अवयव सम्बन्ध प्रत्यक्ष में दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि रस्सी, बाँस, दण्ड वगैरह के एकदेश को खींचने पर अन्य देशों का भी आकर्षण होता है। इसी प्रकार जल-सत्तु वगैरह में स्निग्धता और रुद्रता के कारण ही सम्बन्ध देखा जाता है, अतः अवयव और अवयवी में कथञ्चित् भेद स्वीकार करना ही श्रेयस्कर है।

द्रव्य पदार्थ :

वैशेषिकों का मत है कि द्रव्यत्व के योग से द्रव्य होता है और क्रियावत्व, गुणवत्व तथा समवायिकारणत्व द्रव्यत्व का व्यञ्जक है। इस पर जैनों का कहना है कि क्रियावत्व आकाश आदि द्रव्य व्यक्तियों में असम्भव होने से पृथक्-पृथक् व्यञ्जक नहीं हो सकते। तत्काल उत्पन्न हुये घट वगैरह में गुणवत्व नहीं है। समवायिकारणत्व सर्वदा न रहने से द्रव्यत्व का व्यञ्जक नहीं है, अतः उक्त लक्षण में अब्याप्ति दोष है तथा तीनों को समुदाय रूप द्रव्य का लक्षण मानने पर भी अब्याप्ति दोष रहता है। क्योंकि तत्काल उत्पन्न हुये घट वगैरह में क्रियावत्व, गुणत्व और समवायिकारणत्व—इन तीनों का ही अभाव है तथा आकाशादि में क्रियावत्व का अभाव है। अतः अनुमान के द्वारा द्रव्य का गुणादि से भेद-व्यवहार सिद्ध नहीं होता है।

वैशेषिकों ने पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन—इन नौ को द्रव्य स्वीकार किया है।

पृथ्वी आदि द्रव्य—पृथ्वी आदि चार द्रव्यों के सम्बन्ध में वैशेषिकों का कहना है कि यदि ये चारों एक हैं तो उनका पृथ्वीत्व आदि प्रतिनियत जाति से सम्बन्ध नहीं बन सकता है। इस पर जैन तार्किकों का कहना है कि पृथ्वी आदि चारों में अनभिन्न होते हुये भी स्वर्णादि गुण समान रूप से पाये जाते हैं। अतः वे परस्पर में अत्यन्त भिन्न द्रव्यान्तर नहीं हैं।

आकाश द्रव्य—इसके सम्बन्ध में वैशेषिकों का कहना है कि शब्द रूपादि की तरह गुण होने से किसी के आश्रित हैं और जो इसका आश्रय है, वह

आकाश है। आकाश एक और व्यापक है तथा परमाणु की तरह नित्य है और उसका लिङ्ग शब्द है। इस पर जैनों का कहना है कि शब्द गुणवान् और क्रियावान् होते हुये हमारी बाह्य इन्द्रिय का प्रत्यक्ष है, अतः घट की तरह पौद्गलिक है। शब्द आकाश का लिङ्ग नहीं है। इसलिये शब्द के आधार पर आकाश की सिद्धि नहीं हो सकती है। किन्तु एक साथ समस्त द्रव्यों को अवगाह दान रूप कार्य से ही आकाश की सिद्धि होती है।

काल द्रव्य—वैशेषिकों का कहना है कि आकाश की तरह काल द्रव्य भी एक, नित्य और व्यापक है तथा पर-अपर आदि प्रत्यय उसके लिङ्ग है। इस पर जैनों का कहना है कि यदि काल एक और नित्य रूप है तो उससे होने वाले कार्यों की एक साथ उत्पत्ति का प्रसङ्ग आता है। साथ ही यदि काल नित्य, निरंश, एक द्रव्य रूप है तो पदार्थों में भूत, भविष्यत् और वर्तमानता नहीं बनती है। समय, मूर्त आदि के भेद से भी काल-द्रव्य अनेक है। मुख्य और गौण की अपेक्षा से भी काल-द्रव्य अनेक है। मुख्य काल अनेक द्रव्य होने से प्रत्येक आकाश-प्रदेश में व्यवहार-काल भिन्न-भिन्न पाया जाता है। अतः लोकाकाश के एक-एक प्रदेश पर रत्नों की राशि की तरह कालानु भिन्न-भिन्न माना गया है। कालाभाववादी के अनुसार काल-द्रव्य का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होता है। क्योंकि अनुभूयमान वस्तु को वर्तमान, क्रम से अनुभूयमान जो वस्तु पूर्वक्षणवर्ती होती है उसे भूत और उत्तरक्षणवर्ती को भविष्यत् कहते हैं। इस पर जैनों का कहना है कि भूत, भविष्यत् आदि शब्दों का प्रयोग काल को माने बिना नहीं हो सकता है, अतः अनेक द्रव्य रूप काल वास्तविक ही है। इसलिये वैशेषिकों के द्वारा कल्पित काल-द्रव्य नहीं बन सकता है।

दिग्द्रव्य—वैशेषिकों का कहना है कि कालकृत पर-अपर आदि प्रत्ययों से भिन्न मूर्त द्रव्यों में ही मूर्त द्रव्य की सीमा करके यह इससे पूर्व में है, यह इससे पश्चिम में है, इत्यादि प्रत्यय रूप हेतु से दिग्द्रव्य की प्रतीति होती है। इस पर जैनों का कहना है कि पूर्व आदि प्रत्यय काल रूप है, अतः इससे कारण मात्र का अनुमान हमें भी स्वीकार है। क्योंकि हम उन प्रत्ययों का कारण आकाश को मानते हैं, एतदर्थ नाम मात्र का अन्तर है। किन्तु यदि आप दिग्द्रव्य नामक कारण विशेष को मानते हैं तो यह गधे के सींग की तरह सर्वथा असम्भव है। क्योंकि आकाश के प्रदेशों की पंक्ति में ही सूर्योदय के कारण पूर्व आदि का व्यवहार बन आता है। इसके लिये पृथक् दिग्द्रव्य मानने की आवश्यकता नहीं है।

आत्मद्रव्य—इसके सम्बन्ध में वैशेषिकों का कहना है कि आत्मा व्यापकत्व आदि धर्मों से युक्त है। देवदत्त के उपकारक द्वीपान्तरवर्ती मणि-मुक्ता वगैरह की उत्पत्ति में देवदत्त का अदृष्ट गुण कारण है। जिस देश में देवदत्त की पत्नी का शरीर आदि उत्पन्न होता है, उसमें उसके उत्पादक कारणों की तरह देवदत्त के गुणों की भी सिद्धि होती है, क्योंकि गुणों के बिना गुण नहीं रहते। आत्मा यदि शरीर परिमाण है, तो शरीर को काटने पर आत्मा के कटने का प्रसङ्ग आता है। इस पर जैनों का कहना है कि आत्मा का व्यापकत्व प्रत्यक्ष बाधित है और उसके समर्थन में दिया गया हेतु कालात्ययापदिष्ट है। 'मैं सुखी हूँ' इस प्रकार के प्रत्यक्ष के द्वारा अपने शरीर में ही आत्मा का ग्रहण होता है। देवदत्त के आत्मा के ज्ञान-दर्शनादि गुण प्रत्यक्ष से देवदत्त के शरीर में ही पाये जाते हैं। हाँ, देवदत्त के पुण्य-पाप आदि को देवदत्त की पत्नी के उत्पन्न होने में कारण जैन भी मानते हैं, किन्तु वे पुण्य-पाप रूप कर्म अचेतन हैं और पीद्गलिक हैं। अतः जैन उनको देवदत्त की आत्मा का गुण नहीं मानते हैं। शरीर का छेद (विनाश) होने पर आत्मा का छेद नहीं होता है, क्योंकि शरीर से सम्बद्ध आत्म-प्रदेशों से छिन्न हुये शरीर-प्रदेश में आत्म-प्रदेशों के रहने का नाम ही आत्मा का छेद है और ऐसा छेद आत्मा में होता है, क्योंकि शरीर से बटकर पृथक् हुये शरीर-प्रदेश में कम्पन आदि होता ही है। अतः आत्मा सामान्य और विशेष से युक्त होते हुये लोगों के प्रत्यक्ष का विषय है।

मनोद्रव्य—वैशेषिकों के अनुसार मन कार्य नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको बना सकने वाले कारणों का अभाव है, अतः मन आकाश की तरह नित्य है। इस पर जैनाचार्यों का कथन है कि जिस प्रकार पृथ्वी आदि द्रव्य की अपेक्षा से तन्तु-पट वगैरह में सजातीयता होने से कार्य-कारणभाव है, वैसे ही पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा मन परमाणु का सजातीय है, अतः उसमें कार्य-कारणभाव सिद्ध होने से मन के नित्यपने में बाधा आती है। इसलिये मनोद्रव्य की सिद्धि नहीं होती है।

इस प्रकार वैशेषिकों द्वारा कल्पित द्रव्य-पदार्थ सिद्ध नहीं होता है।

गुण पदार्थ :

वैशेषिकों ने गुण नामक पदार्थ को स्वीकार करते हुये उसका लक्षण बतलाया है कि जो द्रव्य के आश्रय हो, निर्गुण हो, तथा संयोग और विभाग में सापेक्ष कारण हो वह गुण है। यह रूप-रसादि के भेद से चौबीस प्रकार का है। इस पर जैनाचार्यों का कहना है कि वैशेषिकों द्वारा कल्पित द्रव्य की ही सिद्धि न

होने से गुण द्रव्याश्रित कैसे हो सकता है ? अपेक्षा बुद्धि से दो आदि संख्याओं की उत्पत्ति मानना भी युक्ति-युक्त नहीं है, क्योंकि यदि इच्छा मात्र से अर्थ की उत्पत्ति होने लगे तो सभी को इष्ट अर्थ की सिद्धि का प्रसङ्ग आता है तथा गुण चौबीस ही है, ऐसा नियम नहीं बन सकता है, क्योंकि लोक में अन्य धीर्य-औदार्य आदि अनेक गुणों की प्रसिद्धि पाई जाती है। इस क्रम में जैनाचार्यों ने वैशेषिक सम्मत गुणों का पृथक्-पृथक् सयुक्तिक खण्डन किया है।

कर्म पदार्थ :

वैशेषिकों ने कर्म पदार्थ का लक्षण करते हुये लिखा है कि एक द्रव्य जिसका आश्रय होता है, जो न स्वयं गुणरूप है और न जिसमें गुण रहते हैं तथा संयोग और विभाग के करने में जो अन्य कारण की अपेक्षा नहीं रखता उसे कर्म कहते हैं। उल्लेखण आदि इसके पाँच भेद हैं। इस पर जैनाचार्यों का कहना है कि कर्म अर्थ से भिन्न प्रतीत नहीं होता है, अतः उसे अर्थ का परिणाम मानना ही उचित है और परिणाम में उल्लेखणादि का अन्तर्भाव होने से पृथक्-पृथक् पाँच भेद मानना तर्कसंगत नहीं है।

सामान्य पदार्थ :

वैशेषिकों के अनुसार द्रव्य, गुण और कर्म के निमित्त के बिना जो बाधा-रहित अनुगत ज्ञान में निमित्त होता है, उसे सामान्य कहते हैं। यह सामान्य द्रव्यादि से भिन्न प्रतिभासित होता है, जैसे विभिन्न गी आदि से भिन्न एक अनुगत रूप सामान्य 'गी गौ' इस प्रकार इन्द्रियजन्य ज्ञान में प्रतिभासमान होता है। इस पर जैनाचार्यों का कहना है कि यदि सामान्य व्यक्ति से भिन्न होता तो व्यक्ति का ग्रहण हुये बिना भी सामान्य का ज्ञान हो जाता, जैसे घट से भिन्न पट का ज्ञान। किन्तु व्यक्ति को जाने बिना सामान्य को नहीं जाना जा सकता है, अतः सामान्य व्यक्ति से भिन्न नहीं है। इस प्रसङ्ग में बौद्धों का कहना है कि निश्च, निरंश, एकरूप सामान्य अनुवृत्त प्रत्यय का कारण नहीं है, अपितु विजातीय से व्यावृत्ति उसका कारण है। इसके उत्तर में जनों का कहना है कि जिस प्रकार विजातीय से व्यावृत्ति वस्तु का स्वरूप है, उसी प्रकार सजातीय से व्यावृत्ति भी वस्तु का स्वरूप है। अतः दर्शन के पश्चात् होने वाले विकल्प में विजातीय व्यावृत्ति रूप आकार को तरह सजातीय व्यावृत्ति रूप आकार का भी उल्लेख होना चाहिए। क्योंकि इन दोनों और स्वलक्षण में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार सामान्यों में अनुगत स्वभाव रूप और छद्म पदार्थों में अत्यन्त भिन्न

लक्षण रूप सदृश परिणाम को छोड़कर कोई अन्य निमित्त उक्त प्रत्ययों का नहीं पाया जाता है, अतः सामान्य नामक पदार्थ की सिद्धि नहीं होती है।

विशेष पदार्थ :

वैशेषिकों के अनुसार जो आकाशादि नित्य द्रव्यों में रहते हैं तथा अन्त्य हैं, वे विशेष नामक पदार्थ कहे जाते हैं। योगिजन उनका प्रत्यक्ष करते हैं। इस पर जैनाचार्यों का कथन है कि कोई भी द्रव्य सर्वथा नित्य नहीं है। साथ ही सत् जगत् का महाप्रलय रूप सर्वथा विनाश और सर्वथा असत् जगत् की पुनः उत्पत्ति किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं होती है, जिससे परमाणुओं को जगत् के विनाश और आरम्भ का कोटिभूत होने के कारण अन्त माना जाये और उसमें रहने के कारण विशेषों को अन्त्य कहा जाये। अतः निर्दोष लक्षण न होने से तथा ग्राहक प्रमाण के अभाव के कारण विशेष नामक पदार्थ ही सिद्ध नहीं होता है।

समवाय पदार्थ :

वैशेषिकों ने समवाय पदार्थ का लक्षण करते हुए लिखा है कि—अयुतसिद्ध और आचार्य-आधारभूत पदार्थों में 'इसमें यह है' इस व्यवहार का कारण जो सम्बन्ध होता है, वह समवाय है और वह एक है। उनके अनुसार पुत्रक आश्रय में न रहने को अयुतसिद्ध कहते हैं और यह अयुत-सिद्धपना तन्तु-पट में पाया जाता है। इस सन्दर्भ में जैनाचार्यों का कहना है कि वैशेषिक द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और विशेष—इन पाँच पदार्थों को समवायी मानता है और जब उनका ही निराकरण कर दिया है तो समवाय नाम का पदार्थ कैसे सिद्ध हो सकता है? साथ ही तन्तु अपने अवयवों में रहते हैं और पट तन्तुओं में रहता है। अतः दोनों का आश्रय भिन्न होने से तन्तु-पट में अयुतसिद्धि नहीं होती है। यतः वैशेषिकों ने समवाय को आश्रित माना है, अतः भिन्न देशवर्ती, भिन्न कालवर्ती और भिन्न आकार वाले पदार्थों में सम्बन्ध बुद्धि कराने में हेतु होने से समवाय अनेक है।

सम्बन्ध :

बौद्धों के अनुसार सम्बन्ध का स्वरूप परतन्त्रता रूप, रूपसंश्लेष स्वभाव अथवा परापेक्षा रूप न होने से सभी पदार्थों में कोई सम्बन्ध नहीं है। अतिसु सब पदार्थ परस्पर में अमिश्रित होकर परमार्थ से अपने-अपने स्वरूप में स्थित हैं। इस प्रसङ्ग में जैनाचार्यों का कथन है कि पदार्थों में एकत्व परिणति रूप पार-तन्त्र्य प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध है। क्योंकि जैनाचार्य पदार्थों में द्रव्यकृत, क्षेत्र-

कृत, कालकृत और भावकृत प्रत्यासत्ति को सम्बन्ध कहते हैं और उसी का नाम पारतन्त्र्य है। सम्बन्धियों का पृथक्-पृथक् न किया जा सकता ही रूपश्लेष है, किन्तु जैनों ने पृथक् रूपता को त्यागकर संश्लिष्ट रूप से एकमेव रूप परिणति को सत्तु-जल वगैरह का सम्बन्ध माना है। परापेक्षा रूप सम्बन्ध जैन मानते ही नहीं है, क्योंकि एकत्व परिणति रूप सम्बन्ध अपने कारणों से ही उत्पन्न होता है। हाँ, सम्बन्ध व्यवहार में परापेक्षा होने से वह मिथ्या नहीं हो सकता है। अतः अवयव-अवयवी वगैरह में कश्चित् एकत्व रूप परिणति सम्बन्ध ही सिद्ध होता है।

सांख्यभिमत तत्त्व :

सांख्य लोग तरङ्ग रहित समुद्र के तुल्य प्रधान (प्रकृति) को जगत् के प्रपञ्च की रचना में कारण मानते हैं। क्योंकि जो एक कारण पूर्वक होता है, उसी में परिमितपना पाया जाता है, जैसे एक मिट्टी से बने वाले घट, सकोरा आदि। प्रधान में इस प्रपञ्च की सत्ता 'असदकरणात्' आदि पाँच हेतुओं से जानी जाती है। प्रधान व्यक्त को करने में प्रवृत्त होता हुआ व्यक्त को उत्पन्न करता है। अतः प्रधान का अस्तित्व सिद्ध है। इसके उत्तर में जैनाचार्यों का कथन है कि सांख्य ने प्रकृति के सद्भाव को सिद्ध करने के लिये पाँच हेतु दिये हैं वे आश्रयासिद्ध होने के कारण अयुक्त हैं, क्योंकि असंवेद्य स्वभाव होने से प्रकृति स्वरूप से ही असिद्ध है। तथा उक्त हेतु व्यधिकरणासिद्ध भी हैं, क्योंकि परिमितपना आदि हेतु भेदों में रहते हैं और साध्य अस्तित्व प्रकृति में। घटादि सभी कार्य सहकारी और उपादान कारणों से उत्पन्न होते हैं, अतः परिमितपने की व्याप्ति अनेक कारण पूर्वक होने से परिमितत्व हेतु विरुद्ध है। तथा महान् आदि जगत् का प्रपञ्च प्रकृति से भिन्न है या अभिन्न ? यदि अभिन्न है तो कोई अन्तर न होने से दोनों ही कार्य या कारण कहे जायेंगे और तब 'प्रकृति कारण ही है और भूतादि कार्य ही हैं' इत्यादि कथन विरुद्ध ठहरता है। अतः प्रकृति का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होता है।

इस प्रकार प्रस्तुत ग्रन्थ में विभिन्न दार्शनिकों द्वारा स्वोक्त सिद्धान्तों की समीक्षा करते हुये जैन तार्किकों ने बड़ी सावधानी पूर्वक पदाचार्यों की परीक्षा करके उनके वास्तविक स्वरूप का सतर्क विवेचन किया है।

परिशिष्ट संयोजन :

ग्रन्थ के अन्त में तीन परिशिष्ट जोड़े गये हैं—१. सन्दर्भ-ग्रन्थ, २. उद्धृत वाक्य-सूची और ३. विशिष्ट पारिभाषिक शब्दानुक्रमणिका। प्रथम परिशिष्ट में

ग्रन्थ में प्रयुक्त विविध सन्दर्भ-ग्रन्थों का प्रकाशनादि सहित उल्लेख किया गया है। द्वितीय परिशिष्ट में ग्रन्थ में उद्धृत मूल पद्यों, सूत्रों अथवा वाक्य-खण्डों को अकारादि क्रम से ससन्दर्भ उद्धृत किया है। तृतीय परिशिष्ट में ग्रन्थ में समागत विशिष्ट पारिभाषिक शब्दों का चयन कर पृष्ठोल्लेख पूर्वक अनुक्रमणिका दी गई है। इस प्रकार प्रस्तुत ग्रन्थ को सजाने-सँवारने का प्रयास किया गया है।

आभार प्रदर्शन :

ग्रन्थ को इस रूप में प्रस्तुत करते हुए हमें ग्रन्थ के लेखक सिद्धान्ताचार्य (स्व०) पं० कैलाशचन्द्र शास्त्री का पुनः पुनः स्मरण आ रहा है, जिन्होंने बड़ी ही आत्मीयता के साथ इस ग्रन्थ की पाण्डुलिपि मुझे सौंपी थी। आज इसका सम्पादन कर यद्यपि मुझे आनन्द की अनुभूति हो रही है, किन्तु ग्रन्थ प्रकाशन के अवसर पर पूज्य पण्डित जी की अनुपस्थिति हृदय को कचोट भी रही है। श्रद्धेय पण्डित जी ने ग्रन्थ की पाण्डुलिपि सौंपकर हमें इस ग्रन्थ के सम्पादन का जो अवसर प्रदान किया है, उसके लिये हम उनका हृदय से आभार स्वीकार करते हैं और उनकी स्मृति में यह अर्घ्य उन्हें सविनय समर्पित करते हैं।

जैन बाह्यमय के अप्रतिम विद्वान् श्रद्धेय गुरुवर्य पं० जगन्मोहनलाल जी सिद्धान्तशास्त्री (कटनी) इस ग्रन्थ के सम्पादन में 'अथ' से 'इति' तक प्रेरणास्रोत रहे हैं। सिद्धान्ताचार्य श्रद्धेय पं० फूलचन्द्र जी शास्त्री ने हमारा निरन्तर उत्साह-वर्धन किया है। अतः उक्त दोनों विद्वानों के भी हम हृदय से आभारी हैं।

न्याय विषयक इस दुर्लभ-ग्रन्थ के सम्पादन में पदे-पदे होने वाली कठिनाइयों को दूर करने में हमें जैन और बौद्धदर्शन के विशिष्ट विद्वान् श्रद्धेय पं० उदयचन्द्र जी जैन (पूर्व अध्यक्ष, दर्शन विभाग, संस्कृतविद्या धर्मविज्ञान संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी) का अनन्य सहयोग मिला है। अतः हम श्रद्धेय पण्डित जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।

आदरणीय भाई सा० डॉ० कोमलचन्द्र जैन (अध्यक्ष, पालि एवं बौद्ध अध्ययन विभाग, कला संकाय, का० हि० वि० वि०, वाराणसी) एवं आदरणीय डॉ० गोकुलचन्द्र जैन (अध्यक्ष, प्राकृत एवं जैनागम विभाग, श्रमणविद्या संकाय, सम्पूर्णानन्द सं० वि० वि०, वाराणसी) द्वारा भी हमें ग्रन्थ-सम्पादन में अनेक उपयोगी सुझाव मिले हैं। अतः उक्त दोनों विद्वानों के हम हृदय से आभारी हैं।

इस अवधि में श्री सुधीरचन्द्र जैन (जैन भवन, कटरा बाजीराव, मिरजापुर, उ० प्र०) ने अपने वाराणसी प्रवास में मुझे गृह कार्यों से मुक्त रखा है। मेरी

सहस्रमिणी श्रीमती सुषमा जैन ने परिशिष्ट आदि तैयार कराने में सहयोग किया है। अतः ये धन्यवादार्ह है।

चि० आनन्दकुमार जैन एवं बिटिया अनामिका जैन ने अपनी बाल-लीलाओं से हमें आह्लादित किया है, अतः हम इन दोनों को अनन्त शुभाशीर्वाद देते हैं और इनके उज्ज्वल भविष्य की मङ्गलकामना करते हैं।

पूरी सावधानी रखने के बाद भी त्रुटियाँ सम्भव हैं। आशा है विद्वज्जन उनके परिमार्जन पूर्वक ग्रन्थ का उपयोग करेंगे।

वाराणसी
दिनांक २६-३-१९८९

डा० कमलेशकुमार जैन
जैनदर्शन प्राध्यापक, जैन-बौद्धदर्शन विभाग
संस्कृतविद्या धर्मविज्ञान संकाय
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
प्रकाशकीय	v
प्राक्कथन	vii
प्रस्तावना	xv
१. पृष्ठभूमि	१
२. भावैकान्त-विचार	४
३. अभावैकान्त-विचार	२४
४. भावाभावैकान्त (उभयैकान्त)-विचार	२७
५. अवाच्यतैकान्त-विचार	२८
६. अस्तित्वघर्म नास्तित्व का अविनाभावी	३५
७. नास्तित्वघर्म अस्तित्व का अविनाभावी	३८
८. शब्दगोचर-विशेष्य विधि-प्रतिषेधात्मक	३९
९. संबंधा अर्थक्रिया का निषेध	४२
१०. अद्वैतैकान्त-विचार	४४
११. ब्रह्माद्वैत-विचार	४८
ब्रह्माद्वैतवादी :	४८
जैन :	५०
१२. शब्दाद्वैत-विचार	५६
शब्दब्रह्मवादी :	५६
जैन :	५८
१३. द्वैतैकान्त-विचार	६२
वैशेषिक :	६२
जैन :	६४
१४. अवयव-अवयवी-विचार	७०
वैशेषिक :	७०
जैन :	७२
बौद्ध :	७५
जैन :	७६

१५. वैशेषिकाभिमत पदार्थ-विचार	८०
१. द्रव्य-पदार्थ	८०
(क-घ) पृथिवी, जल, तेज और वायु-द्रव्य	८१
वैशेषिक :	८१
जैन :	८२
(ङ) आकाश-द्रव्य	८३
वैशेषिक :	८३
जैन :	८४
(च) काल-द्रव्य	८८
वैशेषिक	८८
जैन	८९
कालाभाववादी :	९१
जैन :	९२
(छ) दिक्-द्रव्य	९३
वैशेषिक :	९३
जैन :	९४
(ज) आत्म-द्रव्य	९६
वैशेषिक :	९६
जैन :	९७
(झ) मनो-द्रव्य	१०१
वैशेषिक :	१०१
जैन :	१०३
२. गुण-पदार्थ	१०५
वैशेषिक :	१०५
जैन :	१०८
३. कर्म-पदार्थ	११३
वैशेषिक :	११३
जैन :	११४
४. सामान्य-पदार्थ	११५
वैशेषिक :	११५
जैन :	११६

	बौद्ध :	१२०
	जैन :	१२०
५. विशेष-पदार्थ		१२२
	बौद्धिक :	१२२
	जैन :	१२३
६. समवाय-पदार्थ		१२५
	बौद्धिक :	१२५
	जैन :	१२६
१६. सम्बन्ध-विचार		१२८
	बौद्ध :	१२८
	जैन :	१३०
१७. सांख्यनिमित्त तत्त्व-विचार		१३२
	सांख्य :	१३२
	जैन :	१३७
परिशिष्ट :		
१. सन्दर्भ-ग्रन्थ		१४१
२. उद्धृत वाक्य-सूची		१४३
३. विशिष्ट पारिभाषिक शब्दानुक्रमणिका		१५०

१. पृष्ठभूमि

जिसके द्वारा वस्तु का स्वरूप यथार्थ रूप से जाना जाता है उसे प्रमाण कहते हैं। प्रमाण और उसके भेदों का स्वरूप 'प्रमाण-नय-निक्षेप प्रकाश' में बतलाया गया है। यहाँ उसके विषय का वर्णन किया जाता है।

जैन सिद्धान्त के अनुसार द्रव्यपर्यायात्मक या सामान्यविशेषात्मक अर्थ प्रमाण का विषय है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक अर्थ अनेकान्तात्मक है, चाहे वह अर्थ बाह्य हो अथवा आन्तर। सकलदेशवर्ती और सकलकालवर्ती प्राणी बाह्य की तरह अन्तस्तत्त्व को भी अनेकान्तात्मक ही अनुभव करते हैं। अनेकान्तात्मक वस्तु के साक्षात्कार का कोई बाधक प्रमाण नहीं है, यह सुनिश्चित है, अतः वही प्रमाण का विषय है। कोई ज्ञान या बाह्य अर्थ न तो केवल सर्वथा सत् रूप ही है, न केवल सर्वथा असत् रूप ही है, न सर्वथा नित्य ही है और न सर्वथा अनित्य ही है, जैसा कि एकान्तवादी बौद्धादि दर्शन मानते हैं। अन्तस्तत्त्व चैतन्य सुखादि पर्यायों से विशिष्ट प्रतिभासमान होता है। इसी तरह बाह्य पुद्गल भी रूपादि नाना पर्यायों से विशिष्ट प्रतिभासमान होता है। अतः प्रत्येक अन्तर्बस्तु और बाह्य-वस्तु द्रव्य की अपेक्षा एकात्मक और पर्याय की अपेक्षा नानात्मक होने से एकानेकात्मक ही प्रतीत होती है।

शब्द—सुखादि रूप चैतन्य प्रतिनियत अनेकात्मक ही है, एकात्मक नहीं, क्योंकि आह्लाद रूप सुख चैतन्य से पदार्थ के आकार को जानने वाला ज्ञान भिन्न है। विरुद्धधर्माध्यास ही पदार्थों में भेद का कारण होता है। यदि विरुद्ध धर्म वालों को भी अभिन्न माना जायेगा तो विश्व की एक रूपता का प्रसङ्ग आयेगा।

समाधान—ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने से तो चित्रज्ञान में भी एकरूपता के अभाव का प्रसङ्ग आता है, क्योंकि चित्रज्ञान में पीताकार का ज्ञान नीलादि आकारों के ज्ञान से भिन्न है, जैसे सुख-ज्ञान से पदार्थ-ज्ञान भिन्न है। विरुद्ध धर्माध्यास दोनों में समान है।

1. प्रमाण-नय-निक्षेप प्रकाश, लेखक : सिद्धान्ताचार्य पं० कैलाशचन्द्र सिद्धान्त-शास्त्री, प्रकाशक : वीर सेवा मन्दिर ट्रस्ट, वाराणसी, प्रथम संस्करण, सन् १९७०।

शायद कहा जाये कि पीतादि आकारों का ज्ञान एकात्मक ही है अनेकात्मक नहीं, क्योंकि चित्रज्ञान के पीतादि आकारों में भेद करना शक्य नहीं है तो सुखादि ज्ञान ने ही क्या अपराध किया है, उसे भी एकरूप ही मानना चाहिये। क्योंकि जैसे एक चित्रज्ञान के पीतादि आकारों को उससे भिन्न नहीं किया जा सकता है, वैसे ही देवदत्त के सुखादि रूप आकारों को देवदत्त से पृथक् करके यजदत्त के नहीं बनाया जा सकता है।

माध्यमिक बौद्ध—तो सुखादि रूप चैतन्य को एकात्मक ही मानो, अनेकात्मक मत मानो।

जैन—तब तो चित्रज्ञान के भी अनेक रूप होने के अभाव का प्रसङ्ग उपस्थित होता है और ऐसी स्थिति में घटादि ज्ञान की तरह एक रूप होने से उसे चित्रज्ञान नहीं कहा जा सकता है।

बौद्ध—चित्रज्ञान में जो पीतादि आकारों का प्रतिभास प्रतीत होता है, वह तो अविद्या कल्पित है, वास्तविक नहीं है, एकात्मकता ही वास्तविक है।

जैन—जब एकाकारता और अनेकाकारता—दोनों का ही प्रतिभास चित्रज्ञान में होता है तो उसमें से एक की वास्तविकता और दूसरे की अवास्तविकता का विवेक कैसे किया जा सकता है ?

बौद्ध—एकाकार का अनेकाकार से विरोध है, अतः अनेकाकारता अवास्तविक है।

जैन—तो अनेकाकार का एकाकार से विरोध होने के कारण एकाकार ही अवास्तविक क्यों नहीं है ?

बौद्ध—स्वप्नज्ञान में प्रतीयमान अनेकाकारता अवास्तविक है, यह लोक में प्रसिद्ध है। अतः चित्रज्ञान में अनेकाकारता को अवास्तविक मानना उचित है।

जैन—तो आकाश में भ्रमवश दिखाई देने वाले केशादि में प्रतीयमान एकाकारता अवास्तविक प्रसिद्ध है, अतः एकाकारता को अवास्तविक मानना अनुचित कैसे कहा जा सकता है ?

बौद्ध—चित्रज्ञान में प्रतीयमान पीतादि आकार ज्ञान से भिन्न हैं या अभिन्न ? यदि अभिन्न हैं तो 'यह ज्ञान है और ये पीतादि हैं' इस प्रकार का भेद नहीं बन सकता। और यदि भिन्न हैं तो चित्रज्ञान में उनका प्रतिभास असम्भव है। यदि प्रतिभास होता है तो वह चित्रज्ञान न होकर ज्ञानान्तर ही हुआ। अतः अनेकाकारता अवास्तविक है।

जैन—तब तो एकाकारता भी अवास्तविक ही है, क्योंकि यदि चित्रज्ञान पीतादि आकारों के प्रतिभास से अभिन्न है तो उसके एकत्व में विरोध आता है। यदि पीतादि आकारों के प्रतिभास से चित्रज्ञान भिन्न है तो पीतादि समस्त आकारों से शून्य चित्रज्ञान की प्रतीति नहीं हो सकती है, यदि होती है तो वह ज्ञानान्तर सिद्ध होता है। अतः बुद्धिमान् पुरुष चित्रज्ञान में केवल अनेकाकार के प्रतिभास को ही अवास्तविक नहीं मान सकते।

बौद्ध—एक चित्रज्ञान में पीतादि आकारों के नहीं रहने पर भी ज्ञान मात्र तो रहता ही है, अतः कोई विरोध नहीं है। यदि ज्ञान मात्र भी न रहे तो विरोध आता है।

जैन—ज्ञान मात्र के अभाव में भी अनेक पीतादि प्रतिभासों के होने से कोई विरोध नहीं आता।

बौद्ध—कहीं भी एकात्मकता के नहीं मानने पर नानात्व की व्यवस्था कैसे हो सकती है? क्योंकि एक वस्तु में अन्य एक वस्तु की अपेक्षा से ही अनेकत्व की व्यवस्था बनती है। यदि कहीं एकत्व मानते हों तो चित्रज्ञान में एकत्व अविच्छेद क्यों नहीं है? चित्राकारों के अभाव में भी चित्रज्ञान में एकत्व सम्भव है।

जैन—ऐसा कहने वाला व्यक्ति बुद्धिमान् नहीं है। यदि चित्राकारों के नहीं रहने पर भी चित्रज्ञान में ज्ञानाकार सम्भव है तो जैसे परस्पर की अपेक्षा से एक ज्ञानाकार अनेक रूप है, वैसे ही एक पीताकार या नीलाकार का सद्भाव सिद्ध होने पर परस्पर की अपेक्षा से अनेकत्व की सिद्धि हो जाती है। अतः अनेकाकार चित्रज्ञान को चैतन्य को एकानेकात्मक सिद्ध करने में दृष्टान्त रूप से उपस्थित किया जा सकता है। अर्थात् जैसे चित्रज्ञान एक होते हुये भी अपने नील-पीत आदि अनेकाकारों में व्याप्त है, वैसे ही एक चैतन्य-ज्ञान सुखादि अनेकाकारों में व्याप्त है।

बौद्ध—चैतन्य यदि सुखादि में व्याप्त है तो एक स्वभाव से व्याप्त है या अनेक स्वभाव से। यदि एक स्वभाव से व्याप्त है तो ज्ञान सुखादि एक रूप ही जायेंगे। यदि अनेक स्वभाव से व्याप्त है तो उन अनेक स्वभावों में भी चैतन्य अन्य अनेक स्वभावों से व्याप्त होगा और ऐसा होने से अनवस्था दोष आता है। अतः सुखादि में व्याप्ति एक चैतन्य सिद्ध नहीं होता है।

जैन—यह दोष तो चित्रज्ञान में भी समान है। चित्रज्ञान पीतादि आकारों में एक स्वभाव से व्यापक है या अनेक स्वभाव से? यदि एक स्वभाव से व्यापक

है तो पीतादि आकार एक रूप हो जायेंगे। यदि अनेक स्वभाव से व्यापक है तो अनवस्था दोष आता है।

बौद्ध—पीतादि आकारों से व्यापी उस चित्रज्ञान का स्वयं संवेदन होने से कोई दोष नहीं आता।

जैन—तो सुखादि में व्यापी चैतन्य का एक साथ और क्रम से स्वयं संवेदन होने से कैसे उक्त उपालम्भ दिया जा सकता है? जो बात अनुभव सिद्ध हो उसमें अनुपपन्नता का प्रश्न ही नहीं है। अतः जैसे चित्रज्ञान एकानेकात्मक है, वैसे ही चैतन्य तथा जड़ सभी एकानेकात्मक होने से प्रत्येक वस्तु अनेकान्तात्मक है और वही प्रमाण का विषय है।

२. भावैकान्त-विचार

भावैकान्ते पदार्थानामभावानामपह्लावात्।

सर्वात्मकमनाद्यन्तमस्वरूपमतावकम् ॥^१

सौख्य प्रकृति आदि पञ्चीस तत्त्वों को मानता है। यथा -

मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त।

षोडशकश्च विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः ॥^२

मूल प्रकृति कारण ही है, वह किसी से उत्पन्न नहीं होती। महत्, अहंकार और पाँच तन्मात्राएँ—रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द कारण भी हैं और कार्य भी। पाँच बुद्धीन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच महाभूत और मन—ये सोलह विकार अर्थात् कार्यरूप ही हैं तथा पुरुष न किसी का कारण है और न किसी का कार्य।

सौख्य इन पञ्चीस तत्त्वों का अस्तित्व ही मानता है। इसी का नाम भावैकान्त है। उसके मानने पर समस्त प्रकार के अभावों का लोप हो जाने से चार दोष आते हैं। अर्थात् एक-एक अभाव के अभाव में एक-एक दोष आता है। उसी को बतलाते हैं—

सौख्य के मत में प्रकृति या प्रधान अव्यक्त है और उससे उत्पन्न होने वाले महदादि तथा घटादि कार्य व्यक्त हैं। इन व्यक्त और अव्यक्त में इतरेतराभाव

१. आसमीमांसा, ९।

२. सौख्यकारिका, ३।

को न मानने पर व्यक्त के अव्यक्त रूप हो जाने से सर्वात्मकता का प्रसङ्ग आता है। आशय यह है कि एक द्रव्य की एक पर्याय का दूसरी पर्याय में जो अभाव होता है, उसे इतरेतराभाव या अन्योन्याभाव कहते हैं। जैसे घट का पट में अभाव है और पट का घट में अभाव है। यदि इस अभाव को न माना जायेगा तो एक वस्तु दूसरी वस्तु रूप हो जाने से सब स्वरूप हो जायेंगे। किसी का कोई प्रतिनियत स्वरूप ही नहीं बन सकेगा। अतः सांख्य ने जो व्यक्त और अव्यक्त प्रधान का भिन्न लक्षण कहा है, उसके कथन में विरोध आता है। उसने कहा है—

हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिङ्गम् ।

सावयवं परतन्त्रं व्यक्तं विपरीतमव्यक्तम् ॥^१

व्यक्त प्रधान कार्य रूप होने से कारणवाला है, अनित्य है, अव्यापी है, क्रियावान् है, अनेक है, प्रधान के आश्रित है, प्रधान का लिङ्ग है, उसी से प्रधान के अस्तित्व का अनुमान किया जाता है, सावयव है, प्रधान के अधीन है और अव्यक्त प्रधान उससे विपरीत है।

एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में जो अभाव होता है उसे अत्यन्ताभाव कहते हैं। प्रकृति का पुरुष में अत्यन्ताभाव न मानने पर प्रकृति के पुरुष रूप और पुरुष के प्रकृति रूप हो जाने का प्रसङ्ग उपस्थित होने से सर्वात्मकता दोष आता है। ऐसी स्थिति में सांख्य ने जो दोनों के भिन्न-भिन्न लक्षण कहे हैं, उसमें विरोध आता है। उसने कहा है—

त्रिगुणमविवेकि विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवधमि ।

व्यक्तं तथा प्रधानं तद्विपरीतस्तथा च पुमान् ॥^२

व्यक्त और अव्यक्त प्रधान सत्व, रज और तमो गुणों से युक्त हैं, ये सत्त्वादि गुण हैं और ये व्यक्ताव्यक्त प्रधान हैं, ऐसा भेद करना अशक्य है, दोनों ही भोग्य स्वभाव होने से विषय हैं तथा सब पुरुषों के द्वारा उपभोग्य होने से सामान्य हैं, अचेतन हैं, दोनों ही प्रसवधर्मा हैं; क्योंकि प्रधान बुद्धि को जन्म देता है, बुद्धि अहंकार को, अहंकार पाँच तन्मात्राओं और ग्यारह इन्द्रियों को तथा पाँच तन्मात्राएँ पाँच महाभूतों को जन्म देती हैं। किन्तु पुरुष केवल सामान्य धर्म वाला होने से तो उसके सरूप है, जैसे प्रधान भोग्य होने से सब भोक्ताओं के के लिए साधारण है, वैसे ही पुरुष भी भोक्ता होने से सब भोग्यों के प्रति साधारण है, परन्तु अन्य धर्मों से युक्त न होने से उससे विपरीत है।

१. सांख्यकारिका, १० ।

२. सांख्यकारिका, ११ ।

कार्य के उत्पन्न होने से पहले जो उसका अभाव होता है उसे प्रागभाव कहते हैं। प्रागभाव का अपह्नव (लोप) करने पर बुद्धि और अहंकार आदि जो विकार हैं, उनके अनादि होने का प्रसङ्ग आता है। ऐसी स्थिति में सांख्य ने जो सृष्टिक्रम का कथन किया है, उससे विरोध आता है। उसने कहा है—

प्रकृतेर्महांस्ततोऽहङ्कारस्तस्माद्गणश्च षोडशकः ।

तस्मादपि षोडशकात् पञ्चभ्यः पञ्च भूतानि ॥^१

प्रकृति से बुद्धि, बुद्धि से अहङ्कार, अहङ्कार से सोलह गण, उस सोलह गण में से भी पाँच तन्मात्राओं से पाँच महाभूत उत्पन्न होते हैं।

कार्य की उत्पत्ति के पश्चात् उसका जो अभाव होता है उसे प्रध्वंसाभाव कहते हैं। प्रध्वंसाभाव को न मानने पर कार्य के अनन्त (अन्त रहित) होने का प्रसङ्ग आता है। और उस स्थिति में सांख्य ने जो सृष्टि के संहार का कथन किया है कि—पृथ्वी आदि पाँच महाभूत पाँच तन्मात्राओं में लीन हो जाते हैं। अर्थात् पृथ्वी गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द तन्मात्रा में प्रवेश कर जाती है; जल रसादि में, तेज रूपादि में, वायु स्पर्श और शब्द तन्मात्रा में, आकाश शब्द तन्मात्रा में लीन हो जाता है। सोलह गण का अहंकार में संहार हो जाता है, अहंकार का महान् में और महान् का प्रकृति में संहार हो जाता है। यह सृष्टि संहार का क्रम नहीं बनता है।

ऐसी स्थिति में किसी भी तत्त्व का असाधारण स्वरूप व्यवस्थित न हो सकने से सब अस्वरूप हो जाते हैं।

सांख्य^२—व्यक्त और अव्यक्त प्रधान में इतरेतराभाव व्यक्ताव्यक्त प्रधान रूप ही है, प्रकृति-पुरुष का अत्यन्ताभाव प्रकृति-पुरुष रूप ही है, महद्-अहंकार आदि का प्रागभाव अपने कारण स्वभाव रूप है तथा महाभूत आदि का प्रध्वंसाभाव, जिसमें वे लीन होते हैं उस रूप ही है, ऐसा हम मानते हैं। अतः अभाव का अपह्नव न करने से हमारे मत में सर्वात्मक आदि दोष कैसे आ सकते हैं ?

जैन—ऐसा मानने पर तो भावैकान्त का विरोध होने से सभी वस्तुएँ भावाभावात्मक सिद्ध होती हैं। हम जैन भी अभाव को भाव से सर्वथा भिन्न पदार्थ नहीं मानते। ऐसा मानने पर तो अभाव में निस्स्वभावता का प्रसङ्ग आ

१. सांख्यकारिका, २२ ।

२. अष्टसहस्री, पृष्ठ ९३ ।

जायेगा। अभाव नीरूप या निस्स्वभाव नहीं है, 'नास्ति' (नहीं है) इस ज्ञान को उत्पन्न करना ही उसका स्वभाव है, अतः अभाव भी भावस्वभाव है। जो 'नास्ति' (नहीं है) इस प्रकार की प्रतीति और शब्द व्यवहार का विषय है, उस अर्थक्रियाकारी पदार्थ को भावस्वभाव माना गया है। अस्तित्व की तरह नास्तित्व भी वस्तु का धर्म है। वस्तु का जो धर्म 'अस्ति' इस प्रकार के प्रत्यय का विषय होता है उसे अस्तित्व कहते हैं और जो 'नास्ति' प्रत्यय का विषय होता है उसे नास्तित्व कहते हैं। निष्पर्याय द्रव्यैकान्त मानने पर सर्वात्मक आदि दोषों का परिहार कैसे किया जा सकता है ?

संक्षेप—हम सर्व विवर्त रूप एक अनादि-अनन्त प्रधान को मानते हैं। यथार्थ में महत् आदि समस्त विवर्त उससे भिन्न नहीं हैं, अतः आपका उक्त दोषापादन तो हमें इष्ट ही है।

जैन—ऐसा मानने पर तो प्रकृति और पुरुष में भी कोई अन्तर नहीं रहेगा। क्योंकि सत्ता से भिन्न न प्रकृति का प्रतिभास होता है और न पुरुष का, अतः सत्ताद्वैत का प्रसङ्ग आता है।

ब्रह्माद्वैतवादी—सत्ताद्वैत ही रहा आये तो क्या हानि है ? चेतन और अचेतन का भेद तो अविद्या कल्पित है।

जैन—तब आप प्रतीयमान भेदों का अपह्नव किस प्रमाण से करेंगे ? प्रत्यक्ष से तो कर नहीं सकते, क्योंकि प्रत्यक्ष को तो आपने ही विधायक माना है, निषेधक नहीं माना, अतः भेदों का निषेध करने में उसकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण से भी प्रतीयमान भेदों का निषेध नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसको भी प्रतिषेधक नहीं माना गया है। यदि उसको प्रतिषेधक माना जायेगा तो प्रत्यक्ष के भी प्रतिषेधक होने का प्रसङ्ग आ जायेगा, क्योंकि अनुमान और आगम प्रमाण का मूल प्रत्यक्ष ही है।

ब्रह्माद्वैतवादी—हम स्वयं किसी प्रमाण से भेदों का अपह्नव नहीं करते, किन्तु भेद के साधनों में व्यभिचार देखकर भेदों को अविद्याजनित मानते हैं। भेद को सिद्ध करने वाला बौद्ध किस हेतु से भेद की सिद्धि करता है, कारण भेद से या विरुद्धधर्माध्यास से ? 'कारण भेद से संसार में भेद है' ऐसा तो कहना नहीं चाहिये, क्योंकि हम ब्रह्माद्वैतवादी कारण भेद रूप हेतु को नहीं मानते। हमारे

१. यहाँ से एक ब्रह्म तत्त्व को मानने वाला ब्रह्माद्वैतवादी अद्वैत तत्त्व का समर्थन करता है।

मत से एक ही तत्त्व संसार का कारण है। इसी तरह दूसरा विरुद्धधर्माध्यास रूप हेतु भी हमें मान्य नहीं है। हाँ, ज्ञान में भेद की प्रतीति होने से पदार्थों में स्वभाव-भेद माना जा सकता है, किन्तु यह हेतु भी व्यभिचारी है, क्योंकि ज्ञान अभेद रूप है, फिर भी उसका खण्डशः प्रतिभास होता है।

बौद्ध—ज्ञान का खण्डशः प्रतिभास भ्रान्त है। वास्तव में वह एक ही है, अतः उससे व्यभिचार नहीं आता। कहा भी है—

अविभागोऽपि बुद्ध्यात्मविपर्यासितदर्शनैः।

ग्राह्यग्राहकसंवित्तिभेदवानिव लक्ष्यते ॥^१

एक भी ज्ञानात्मा विररीत दृष्टि पुरुषों के द्वारा ग्राह्य-ग्राहकरूप ज्ञान-भेद को लिये हुये की तरह प्रतीयमान होता है।

ब्रह्माद्वैतवादी—यह बात तो ब्रह्माद्वैतवाद में भी समान है। कहा है—

यथा विशुद्धमाकाशं तिमिरोपप्लुतो जनः।

संकीर्णमिव मात्राभिभिन्नाभिरभिमन्यते ॥

तथेदममलं ब्रह्म निर्विकल्पमविद्यया।

कलुषत्वमिवापन्नं भेदरूपं प्रपश्यति ॥^२

जैसे तैमिरिक रोगी विशुद्ध आकाश को विभिन्न रेखाओं से व्याप्त देखता है, वैसे ही यह निर्मल निर्विकल्प ब्रह्म अविद्या के द्वारा कलुषता को प्राप्त हुये की तरह भेद रूप दिखाई देता है।

अतः जैसे ज्ञानाद्वैत में एक ही ज्ञान प्रतिभास-भेद से ग्राह्य-ग्राहकभेद को लिये हुये प्रतिभासित होता है, वैसे ही एक बाह्य चक्षु आदि ज्ञानों के प्रतिभास-भेद से रूपादि-भेद को लिये हुये प्रतीत होता है।

बौद्ध—अभेदवादी ब्रह्माद्वैत में चक्षु आदि ज्ञानजन्य प्रतिभास-भेद भी असिद्ध है।

ब्रह्माद्वैतवादी—तो भेदवादी बौद्धमत में क्या एक ही ज्ञानात्मा में ग्राह्य-ग्राहक रूप प्रतिभास-भेद सिद्ध है ?

१. प्रमाणवार्तिक, २।३५४।

२. बृहदारण्यकोपनिषद् भाष्य वार्तिक, ३।५।४३-४४।

मूलग्रन्थ में 'भिन्नाभिरभिमन्यते' के स्थान पर 'चित्राभिरुपलक्षयेत्', 'कल्प' के स्थान पर 'कार' और 'प्रपश्यति' के स्थान पर 'प्रकाशते' पाठ मिलता है।

बौद्ध—संवृति (कल्पना) से सिद्ध है ।

ब्रह्माद्वैतवादी—समान ही समाधान है, क्योंकि बौद्ध और ब्रह्माद्वैतवाद—दोनों ही दर्शनों में संवृति से ही भेद को स्वीकार किया गया है । जो योग 'इतरेतराभावरूप प्रत्यक्ष के द्वारा पदार्थों में स्वभाव-भेद मानता है उसका इतरेतराभाव रूप प्रत्यक्ष भी अयथार्थ है । क्योंकि 'भूतल घटाभाव वाला है' इस प्रत्यक्ष में शुद्ध भूतलरूप भाव में और घटाभाव रूप अभाव में यद्यपि अभेद है, अर्थात् घटाभाव शुद्ध भूतल से कोई भिन्न वस्तु नहीं है, फिर भी दोनों में इतरेतराभाव रूप प्रत्यक्ष होता है । अतः व्यभिचार-दोष आता है, क्योंकि अभाव भाव से भिन्न कोई वस्तु सत् नहीं है और प्रमाण वस्तु को ही विषय करता है ।

योग—प्रत्यक्ष प्रमाण अभाव को विषय करता ही है, क्योंकि अभाव का इन्द्रियों के साथ संयुक्त-विशेषण-सम्बन्ध है । मैं घटाभाव विशिष्ट भूतल को ग्रहण करता हूँ ऐसा प्रत्यक्ष होता है, अतः इन्द्रियों से संयुक्त भूतल में घटाभाव के पाये जाने से इन्द्रियों के साथ अभाव का संयुक्त-विशेषण-सम्बन्ध सिद्ध है ।

ब्रह्माद्वैतवादी—उक्त कथन ठीक नहीं है, क्योंकि इन्द्रिय प्रत्यक्ष केवल भूतल के सद्भाव को ही ग्रहण करता है । यदि वह अभाव को विषय करने लगे तो वस्तु में वर्तमान अनन्त पररूपों के अभावों को ही क्रम से जानने में उसकी शक्ति क्षीण हो जाने से वस्तु को जानने का अवसर ही नहीं आयेगा ।

योग—जाता शुद्ध भूतल में घट का स्मरण करके प्रत्यक्ष से उसका अभाव जानता है । भूतल वगैरह में वर्तमान अनन्त पररूपों के अभाव का स्मरण न होने से उन्हें नहीं जानता । अतः उसे वस्तु को जानने का अवसर क्यों नहीं आयेगा ?

ब्रह्माद्वैतवादी—प्रत्यक्ष स्मरण की अपेक्षा नहीं करता, यदि वह स्मृति की अपेक्षा करेगा तो वह अपूर्व (पहले नहीं जाने गये) अर्थ को जानने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि स्मृति पूर्व-अनुभूत अर्थ को ही विषय करती है ।

योग—कुछ वस्तु प्रत्यक्ष तो स्मरण की अपेक्षा नहीं करते, जैसे योगी का प्रत्यक्ष । कुछ वस्तु प्रत्यक्ष स्मरण की अपेक्षा करते हैं, जैसे सुखादि की साधन वस्तु को देखकर और पूर्वानुभूत सुख के साधन का स्मरण करके यह स्त्री वगैरह सुख के साधन हैं, इस प्रकार का प्रत्यक्ष ज्ञान । इसी तरह कहीं तो अभाव का

१. यहाँ से ब्रह्माद्वैतवादी भेदवादी योगी का खण्डन करते हुये स्वमत की स्थापना करता है ।

—द्रष्टव्य, अष्टसहस्री, पृष्ठ १४ ।

प्रत्यक्ष स्मरण की अपेक्षा के बिना होता है, जैसे योगी को अभाव का प्रत्यक्ष । और भूतल वगैरह में जो घटाभाव का प्रत्यक्ष होता है वह स्मरण की अपेक्षा पूर्वक होता है ।

ब्रह्माद्वैतवादी—स्मरण सापेक्ष जो विकल्प ज्ञान होता है वह अनुमान आदि की तरह प्रत्यक्ष नहीं है । प्रत्यक्ष तो समस्त प्रकार की कल्पनाओं का अविषय है । यदि वह स्मृति की अपेक्षा करेगा तो अनवस्था दोष का प्रसङ्ग उपस्थित होता है, क्योंकि स्मृति पूर्वानुभव की अपेक्षा करती है और पूर्वानुभव भी अन्य स्मृति की अपेक्षा करता है । इस तरह सुदूर जाकर यदि किसी अनुभव (प्रत्यक्ष) को स्मृति-निरपेक्ष मानते हो तो प्रकृत घटाभाव के ग्राहक अनुभव को भी स्मृति सापेक्ष मानना व्यर्थ है । अतः सब प्रत्यक्ष स्मृति-निरपेक्ष ही होते हैं । ऐसा प्रत्यक्ष यदि अभाव को विषय करता है तो भाव को जानने का उसे अवसर हो नहीं आयेगा । अतः प्रत्यक्ष अभाव को नहीं जानता । उसका विषय तो केवल सन्मात्र है । उसी में वह प्रमाण माना जाता है ।

यौग्य—तो अभाव को अनुमान से जान लेंगे ।

ब्रह्माद्वैतवादी—अभाव तो निस्वभाव है, उसमें किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं है । ऐसे अभाव का न कोई स्वभाव है और न कोई कार्य है । तब कैसे स्वभावरूप या कार्यरूप हेतु से अभाव को जाना जा सकता है । अनुपलब्धि रूप हेतु तो अभाव की असिद्धि ही करता है, अतः उससे भी अभाव को नहीं जाना जा सकता है ।

इसलिये केवल सन्मात्र तत्त्व ही सत् है । भेद की प्रतीति तो अविद्यावश होती है । स्वयं असत् अविद्या देश, काल, अवस्था आदि असत्-भेदों का ही दर्शन कराती है, वह सब वास्तविक नहीं है ।

इस प्रकार ब्रह्माद्वैतवादी के द्वारा भेद रहित सत्ताद्वैत की सिद्धि करने पर भेदाभेदवादी जैन कहते हैं कि सर्वथा अद्वैतवाद में साध्य और साधन का भेद न होने पर किस हेतु से किस साध्य को सिद्ध किया जा सकता है, क्योंकि अद्वैतवाद में साधन साध्य से अभिन्न है, भिन्न मानने पर द्वैत का प्रसङ्ग आता है । इसका विशेष कथन आगे किया जायेगा । अतः भावैकान्त मानने पर सर्वात्मकता आदि पूर्वोक्त दोष आते हैं ।

आगे प्रागभाव और प्रध्वंसाभाव को न मानने पर दूषण देते हैं—

१. द्रष्टव्य, अष्टसहस्री, पृष्ठ ९६ ।

२. द्रष्टव्य, अष्टसहस्री, पृष्ठ ९७ ।

कार्यद्रव्यमनादि स्यात् प्रागभावस्य निह्वे ।
प्रध्वंसस्य च धर्मस्य प्रच्यवेऽनन्ततां व्रजेत् ॥'

कार्य की उत्पत्ति से पूर्व जो उसका अभाव होता है उसे प्रागभाव कहते हैं । प्रागभाव को न मानने पर घटादि कार्य अनादि हो जायेंगे । तथा कार्य के उत्पन्न होने के पश्चात् उसका जो अभाव होता है, उसे प्रध्वंसाभाव कहते हैं । प्रध्वंसाभाव को न मानने पर घटादि कार्य अनन्त (अन्त रहित) नित्य हो जायेंगे । सर्वप्रथम चार्वाक प्रागभाव पर आपत्ति करता है ।

चार्वाक—जैन लोग कार्य से पूर्ववर्ती अनन्तर परिणाम को प्रागभाव मानते हैं । अर्थात् घट उत्पन्न होने से अव्यवहित पूर्व क्षण में जो अवस्था है वही घट का प्रागभाव है । ऐसी स्थिति में उस अव्यवहित पूर्वक्षणवर्ती परिणाम से पहले जो अनादि परिणाम सन्तति है, उसमें कार्य के सद्भाव का प्रसङ्ग आता है, क्योंकि आप तो कार्योत्पत्ति से पूर्ववर्ती अनन्तर परिणाम को ही प्रागभाव मानते हैं । उससे पहले की जो परिणाम परम्परा है, उसमें उस प्रागभाव का अभाव है और प्रागभाव के अभाव को ही कार्य कहते हैं ।

जैन—अनादि पूर्व परिणाम सन्तति का और कार्य का परस्पर में इतरेतराभाव है ।

चार्वाक—तो कार्य के अव्यवहित पूर्वक्षणवर्ती परिणाम का और कार्य का भी परस्पर में इतरेतराभाव है । उस इतरेतराभाव के ही कारण अव्यवहित पूर्वक्षण के कार्य का अभाव सिद्ध हो जाता है, तब प्रागभाव के मानने की आवश्यकता ही क्या है ?

जैन—कार्य प्रागभाव के अभावस्वरूप होता है, इसकी सिद्धि के लिए हम प्रागभाव मानते हैं ।

चार्वाक—तब तो कार्य से पूर्व अनन्तरवर्ती पर्याय से रहित उससे पूर्ववर्ती पर्यायों में भी कार्य के सद्भाव का प्रसङ्ग आता है, क्योंकि प्रागभाव के अभाव का नाम कार्य है और कार्य से केवल अव्यवहित पूर्वक्षणवर्ती पर्याय उसका प्रागभाव है । अतः उससे पूर्वक्षणवर्ती और उत्तरक्षणवर्ती पर्यायों में भी प्रागभाव का अभाव है ही । पूर्वक्षणवर्ती और उत्तरक्षणवर्ती पर्यायों के भी प्रागभाव का अभावरूप होते हुए भी उनको कार्यरूप न मानना और केवल घटावस्था को ही कार्यरूप मानने में तो कोई हेतु नहीं है ।

जैन—कार्य से पूर्वक्षणवर्ती अनन्तर पर्याय का प्रागभाव है। और उसी के प्रध्वंस का नाम कार्य है। इतरेतराभाव का नाम कार्य नहीं है। अतः उससे पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती समस्त पर्यायों में घट रूप कार्य का प्रसङ्ग नहीं आता। क्योंकि पूर्वोत्तर क्षणवर्ती पर्यायों प्रागभाव का प्रध्वंस रूप नहीं है। उनको तो इतरेतराभाव रूप माना गया है।

शार्दाक—यह तो स्याद्वादी जैनों का मत नहीं है, बौद्धों का मत है। जैन तो प्रागभाव को अनादि मानते हैं। यदि घट के पूर्वक्षणवर्ती अनन्तर पर्याय को ही प्रागभाव माना जाता है तो उसमें विरोध आता है।

जैन—हम द्रव्याधिक नय से प्रागभाव को अनादि मानते हैं।

शार्दाक—तो क्या मिट्टी बगैरह द्रव्य का नाम प्रागभाव है? वैसा मानने पर घट में प्रागभावाभावरूपता कैसे घटित हो सकेगी? क्योंकि द्रव्य का तो अभाव होता नहीं है। और ऐसी स्थिति में घट कभी उत्पन्न ही नहीं हो सकेगा। यदि आप का ऐसा मत है कि घट की उत्पत्ति होने से पहले की सभी अनादि सन्तान रूप पर्यायों घट का प्रागभाव है तो जैसे घट के अव्यवहित पूर्ववर्ती पर्याय का विनाश होने पर घट की उत्पत्ति होती है, वैसे ही उस अव्यवहित पूर्व पर्याय के भी पूर्व की पर्यायों का विनाश होने पर घट की उत्पत्ति का प्रसङ्ग आता है। और ऐसा होने पर घट अनादि हो जाता है, क्योंकि पूर्व पर्यायों के विनाश की सन्तान भी अनादि है। अतः चूँकि सभी पूर्व पर्यायों घट के प्रागभाव रूप हैं और प्रागभाव का विनाश घटोत्पत्तिरूप है। चूँकि पर्याय-परम्परा अनादि होने से उसका विनाश भी अनादि है, अतः घट के भी अनादि होने का प्रसङ्ग आता है।

जैन—न तो अव्यवहित पूर्ववर्ती पर्याय घट का प्रागभाव है, न मिट्टी बगैरह द्रव्य मात्र प्रागभाव है और न उससे पूर्व की समस्त पर्याय-परम्परा ही घट का प्रागभाव है, किन्तु प्रागभाव द्रव्यपर्यायात्मक है। और वह द्रव्य की अपेक्षा अनादि तथा पर्याय की अपेक्षा सादि है।

शार्दाक—तब तो आप के पक्ष में दोनों पक्षों के दूषण आते हैं, क्योंकि यदि प्रागभाव द्रव्य की अपेक्षा अनादि है तो उसका कभी विनाश न होने से प्रागभाव अनन्त हो जायेगा और ऐसी स्थिति में सर्वदा कार्य उत्पन्न नहीं हो सकेगा। तथा यदि प्रागभाव पर्याय की अपेक्षा सादि है तो अनन्तर पूर्ववर्ती पर्याय रूप प्रागभाव का विनाश होने पर जैसे घट उत्पन्न होता है, वैसे ही उससे पूर्व भी घट की उत्पत्ति का निवारण कैसे किया जा सकता है? अन्य तो कोई गति है नहीं।

नैयायिक—इसीलिए प्रागभाव भाव-स्वभाव नहीं है। क्योंकि वह भाव से विलक्षण है।

चार्वाक—उक्त कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि भाव से सर्वथा विलक्षण अभाव का ग्राहक कोई प्रमाण नहीं है।

नैयायिक—‘अपनी उत्पत्ति से पहले घट नहीं था’ यह प्रत्यय असत् को विषय करता है, क्योंकि यह सत्प्रत्यय से विलक्षण है। जो सत् को विषय करता है वह सत् प्रत्यय से विलक्षण नहीं होता है, जैसे ‘सत् द्रव्य’ इत्यादि प्रत्यय। किन्तु उक्त प्रत्यय सत्प्रत्यय से विलक्षण है, अतः वह ‘असत् को विषय करता है’ यह अनुमान प्रागभाव का ग्राहक है।

चार्वाक—उक्त कथन ठीक नहीं है, क्योंकि उक्त अनुमान में ‘प्रागभाव वगैरह में प्रध्वंसाभाव वगैरह नहीं है’ इस प्रत्यय से व्यभिचार आता है, क्योंकि यह प्रत्यय प्रध्वंसाभाव का अभाव रूप होने से यद्यपि सत् को विषय करता है, फिर भी सत्प्रत्यय से विलक्षण है।

नैयायिक—‘प्रागभाव वगैरह में प्रध्वंसाभाव वगैरह नहीं है’ यह प्रत्यय भी असत् को ही विषय करता है। अतः कोई दोष नहीं है।

चार्वाक—यदि ‘प्रागभाव वगैरह में प्रध्वंसाभाव वगैरह नहीं है’ यह प्रत्यय अभाव का ग्राहक है तो ‘वह अभाव भी प्रकृत प्रागभाव में नहीं है’ इस असत् को ग्रहण करने वाले प्रत्यय से उसे भिन्न करना चाहिए। और ऐसी स्थिति में अनवस्था दोष का प्रसङ्ग आता है।

नैयायिक—‘भाव रूप भूतल वगैरह में घटादि नहीं है’ यह प्रत्यय मुख्य अभाव को विषय करता है और ‘प्रागभाव वगैरह में प्रध्वंसाभाव वगैरह नहीं है’ यह प्रत्यय उपचरित अभाव को विषय करता है। अतः अभाव की अनवस्था का दोष नहीं आता है।

चार्वाक—यह भी ठीक नहीं है, ऐसा मानने से परमार्थ से प्रागभाव वगैरह के साङ्ख्य का प्रसङ्ग आता है। क्योंकि उपचरित अभाव के द्वारा चारों अभावों का परस्पर में भेद सिद्ध नहीं हो सकता है, अन्यथा सर्वत्र मुख्य इतरतराभाव की कल्पना ही व्यर्थ हो जायेगी।

‘प्रागभाव भाव-स्वभाव नहीं है, क्योंकि वह ‘घट का प्रागभाव’ इत्यादि रूप से सर्वदा भाव का विशेषण होता है’ नैयायिक का यह अनुमान भी सम्यक् नहीं है, क्योंकि इस अनुमान का हेतु पक्ष में व्यापक नहीं है। ‘प्रध्वंसाभाव

बगैरह में प्रागभाव नहीं है' इत्यादि रूप से अभाव, अभाव का भी विशेषण होता है तथा गुण बगैरह से व्यभिचार आता है, क्योंकि गुण सर्वदा भाव का विशेषण होने पर भी भाव-स्वभाव ही होता है।

नैयायिक—'मैं रूप को देखता हूँ' इत्यादि व्यवहार के द्वारा स्वतन्त्र गुण की भी प्रतीति देखी जाती है, अतः गुण सर्वदा भाव का विशेषण नहीं होता है।

चार्वाक—तो 'अभाव तत्त्व' यहाँ अभाव की भी स्वतन्त्र प्रतीति देखी जाती है, अतः अभाव में भी सर्वदा भाव विशेषणत्व सिद्ध नहीं हो सकेगा।

नैयायिक—'अभाव तत्त्व' यहाँ अभाव किसका ? द्रव्य का इत्यादि रूप सामर्थ्य से उसके विशेष्य द्रव्यादि का बोध होता है, अतः अभाव सदा भाव का विशेषण होता है।

चार्वाक—तो इसी तरह गुण बगैरह भी सदा भाव के विशेषण रहे आये, क्योंकि गुण किसका ? द्रव्य का इत्यादि सामर्थ्य से गुण के विशेष्य द्रव्य की ही प्रतीति होती है।

तथा, आप प्रागभाव को सादि सान्त मानते हैं, या सादि अनन्त मानते हैं, या अनादि-अनन्त मानते हैं, अथवा अनादि सान्त मानते हैं ? यदि प्रागभाव सादि सान्त है तो प्रागभाव से पहले घट की उपलब्धि का प्रसङ्ग आता है। क्योंकि प्रागभाव घट का विरोधी है और सादि होने से प्रागभाव से पहले प्रागभाव का अभाव है। यदि प्रागभाव सादि अनन्त है तो प्रागभाव के काल में घट की अनुपलब्धि का प्रसङ्ग आता है, क्योंकि एक बार उत्पन्न होने के पश्चात् अनन्त होने से प्रागभाव नष्ट नहीं हो सकता है। यदि प्रागभाव अनादि-अनन्त है तो घट की सदा अनुपलब्धि का प्रसङ्ग आता है। यदि प्रागभाव अनादि सान्त है तो घट की उत्पत्ति होने पर प्रागभाव का अभाव होने से घट की उपलब्धि की तरह समस्त कार्यों की उपलब्धि होनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में उत्पन्न होने वाले सब कार्यों का प्रागभाव एक है।

नैयायिक—जितने कार्य हैं उतने ही प्रागभाव है। अतः प्रागभाव का विनाश होने पर भी उत्पन्न होने वाले शेष कार्यों के प्रागभावों का विनाश न होने से घट की उपलब्धि होने पर सब कार्यों की उपलब्धि नहीं होती है।

चार्वाक^१—तो वे अनन्त प्रागभाव स्वतन्त्र है या भावाधीन ? यदि स्वतन्त्र है तो काल आदि की तरह भाव-स्वभाव क्यों नहीं है ? यदि भावाधीन है तो

१. द्रष्टव्य, अष्टसहस्री, पृष्ठ ९९।

उत्पन्न हुए भावों के अधीन हैं या उत्पन्न होने वाले कार्यों के अधीन ? प्रथम पक्ष तो ठीक नहीं है, क्योंकि भाव के उत्पन्न होने पर उसका प्रागभाव नष्ट हो जाता है। दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्रागभाव के काल में भविष्य में उत्पन्न होने वाले अतएव असत् पदार्थ प्रागभाव के आश्रय नहीं हो सकते हैं। यदि जो स्वयं असत् है, वह भी किसी का आश्रय हो सकता है तो प्रध्वंसाभाव का भी आश्रय प्रध्वस्त घटादि हो सकता है। जो पदार्थ उत्पन्न नहीं हुआ है या उत्पन्न होकर नष्ट हो गया है वह किसी का आश्रय नहीं हो सकता, यदि ऐसा हो तो खर-विषाण वगैरह भी प्रागभाव और प्रध्वंसाभाव के आश्रय हो सकेंगे।

नैयायिक—प्रागभाव एक ही है। घट का प्रागभाव, पट का प्रागभाव इत्यादि रूप से विशेषण के भेद से उसे उपचार से भिन्न माना जाता है। तथा उत्पन्न पदार्थ के विशेषण रूप से उसका विनाश हो जाने पर भी उत्पन्न होने वाले पदार्थ के विशेषण रूप से उसका विनाश नहीं होता है, अतः प्रागभाव नित्य भी है।

शार्वाक—तो प्रागभाव आदि के भेद से अभाव के चार भेद मानना ही व्यर्थ है। क्योंकि विशेषण भेद से एक ही अभाव में प्रागभाव आदि भेद-व्यवहार बन जायेगा। कार्य के ही पूर्वकाल से विशिष्ट अर्थ को प्रागभाव, पश्चात् काल से विशिष्ट अर्थ को प्रध्वंसाभाव, नाना अर्थों से विशिष्ट उसी अर्थ को इतरतराभाव और तीनों कालों में भी सर्वथा भिन्न स्वभावरूप भाव को अत्यन्ताभाव मान लिया जायेगा। विशेषण के भेद से 'पहले घट नहीं था' या 'घट नष्ट हो गया' इत्यादि प्रत्यय भेद भी बन जायेगा, जैसे सत्ता के एक होने पर भी द्रव्यादि विशेषण के भेद से भेद-व्यवहार होता है। जैसे आप (नैयायिक-वैशेषिक) सत्ता को एक मानते हैं, क्योंकि सर्वत्र सत् सत् प्रत्यय एक ही रूप होता है और अन्य विशेष लिङ्ग का अभाव है, वैसे ही सर्वत्र असत् प्रत्यय भी एक रूप ही होता। और अन्य विशेष लिङ्ग का अभाव है, अतः अभाव को भी एक ही माना। यदि कहेंगे कि 'पहले घट नहीं था' इत्यादि प्रत्यय भेद से अभाव के चार भेद माने जाते हैं तो सत्ता के भी चार भेद क्यों नहीं मानते? पहले था, पीछे होगा, वर्तमान में है, पाटलिपुत्र में है, चित्रकूट में है, घट है, पट है, रूप है, रस है, गमन है—इस प्रकार कालभेद, देशभेद, द्रव्यभेद, गुणभेद और कर्मभेद से प्रत्यय-भेद सत्ता में भी पाया जाता है।

नैयायिक—प्रत्यय-भेद से सत्ता में भेद नहीं होता है, किन्तु सत्ता के विशेषणों में ही भेद होता है, क्योंकि विशेषण के निमित्त से प्रत्यय-भेद होता है। अतः सत्ता एक ही है।

चार्वाक—तो अभाव विषयक प्रत्यय-भेद भी विशेषण के भेद से ही होता है, अतः अभाव के भेद भी मत मानो। घटाभाव, पटाभाव आदि शब्द ही भिन्न-भिन्न रूप से सुने जाते हैं, किन्तु उनके भेद से अभाव-भेद की प्रतीति प्रत्यक्ष से नहीं होती है। केवल लोग गतानुगतिकता से प्रागभाव आदि विकल्प मात्र वश पृथ्वी आदि चार महाभूतों में प्रागभाव आदि का व्यवहार करते हैं, अतः प्रध्वंसाभावादि की तरह प्रागभाव की भी प्रतीति नहीं होती है।

यहाँ से जैन कहते हैं—

इस प्रकार प्रागभाव वगैरह को न मानकर पृथिवी आदि कार्य द्रव्य को मानने वाले चार्वाक को 'कार्यद्रव्यमनादि स्यात्...' इत्यादि कारिका के द्वारा दूषण दिया गया है।

प्रागभाव को न मानने पर पृथिवी आदि कार्यरूप द्रव्य अनादि हो जायेगा और प्रध्वंसाभाव को न मानने पर अनन्त (अन्त रहित) नित्य हो जायेगा, किन्तु प्रागभाव आदि को न मानने वाला चार्वाक पृथिवी आदि को अनादि-अनन्त नहीं मान सकता है और यदि माने तो उसका लौकायतपना ही स्तर में पड़ जायेगा।

चार्वाक—किन्तु प्रागभाव कैसे सिद्ध हो सकता है? उसके मानने में उक्त दूषण जो आते हैं।

जैन—स्याद्वादियों के द्वारा माने गये प्रागभाव में उक्त दूषण नहीं आते हैं। नैयायिक वगैरह ने प्रागभाव का जो स्वरूप माना है, उसे तो हम भी नहीं मानते हैं। ऋजुसूत्रनय की अपेक्षा घटाटि रूप कार्य का अव्यवहित पूर्ववर्ती उपादान परिणाम ही प्रागभाव है, किन्तु ऐसी स्थिति में घट से पूर्ववर्ती अनादि परिणाम सन्तति में घट रूप कार्य के सद्भाव का प्रसङ्ग नहीं आ सकता है, क्योंकि प्रागभाव के विनाश को कार्य रूप माना गया है। कारण के विनाश को ही कार्य का उत्पाद कहते हैं।

चार्वाक—घट रूप कार्य से पूर्व परिणामों को अनादि सन्तान में प्रत्येक परिणाम (पर्याय) अपने-अपने पूर्व रूप प्रागभाव का अभाव रूप होने से कार्य रूप है ही, तब विवक्षित कार्य से पहले भी कार्योत्पत्ति का प्रसङ्ग क्यों नहीं आता है?

जैन—घट का प्रागभाव मृत्पिण्ड, मृत्पिण्ड का प्रागभाव मिट्टी का डेला इत्यादि रूप से जो अनादि परिणाम सन्तान है, वह विवक्षित कार्यरूप नहीं है।

१. द्रव्य, अष्टसहस्री, पृष्ठ १००।

अव्यवहित पूर्व क्षणवर्ती परिणाम का विनाश ही घटरूप कार्य का उत्पाद है, जिस किसी भी परिणाम का विनाश घटोत्पत्ति रूप नहीं माना गया है। प्राग-भाव और उसका प्रागभाव आदि में विवक्षित कार्य का हम इतरेतराभाव नहीं मानते, जिससे इतरेतराभाव पक्ष में प्रागभाव की व्यर्थता का जो दूषण चार्वाक ने ऊपर दिया है वह आ सके। चूंकि घट का उत्पाद प्रागभाव का विनाश रूप है, अतः उसी से उसकी व्यावृत्ति हो जाती है। तथा चूंकि हम कार्य के अव्यवहित पूर्ववर्ती परिणाम को प्रागभाव मानते हैं, अतः इससे प्रागभाव की अनादिता में भी कोई विरोध नहीं आता है, क्योंकि हम प्रागभाव की सन्तान को अनादि मानते हैं।

चार्वाक—सन्तान सन्तानी से भिन्न है या अभिन्न ? भेद मानने पर सन्तान और सन्तानी का सम्बन्ध नहीं बन सकता है। अभेद में सन्तानी ही रहेगा, सन्तान नहीं।

जैन—उक्त प्रकार से सन्तान में दूषण देना उचित नहीं है। प्रागभाव रूप पूर्व पूर्व भाव क्षणों को ही भेद की विवक्षा न करके सन्तान माना गया है। सन्तानी क्षण की अपेक्षा से प्रागभाव के अनादि नहीं होने पर भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि ऋजुसूत्रनय प्रागभाव को सादि मानता है। तथा इस पक्ष में अनादि सन्तान रूप से प्रवर्तित सभी पूर्व पर्यायों घट के प्रागभावरूप है ऐसा मानने पर भी अव्यवहित पूर्व पर्याय का विनाश होने पर जिस प्रकार घट की उत्पत्ति होती है उस प्रकार अव्यवहित पूर्व पर्याय से भी पूर्व की पर्यायों के नष्ट होने पर घट की उत्पत्ति का प्रसङ्ग नहीं आता है, जिससे घट की अनादिता का दोषापादन किया जा सके। घट से पूर्ववर्ती सभी पर्यायों घट के प्रागभाव रूप हैं और उन सभी का अभाव होने पर घट की उत्पत्ति मानी गई है। जैसे घट से अव्यवहित पूर्ववर्ती पर्याय का विनाश न होने पर घट की उत्पत्ति का प्रसङ्ग सम्भव नहीं है, वैसे ही उससे पूर्ववर्ती किसी भी एक पर्याय का विनाश न होने पर भी घट के समस्त प्रागभावों का विनाश न होने से घट को उत्पत्ति का प्रसङ्ग सम्भव नहीं है।

व्यवहारनय की अपेक्षा से तो मिट्टी वगैरह द्रव्य घट वगैरह कार्य का प्रागभाव है, किन्तु ऐसा कहने पर चूंकि द्रव्य का अभाव असम्भव है, अतः कभी भी घट की उत्पत्ति नहीं होगी, ऐसा मानकर घट का प्रागभावाभाव स्वभाव होना दुर्घट है, ऐसा नहीं समझना चाहिए; क्योंकि 'मिट्टी आदि द्रव्य' शब्द से घटादि कार्य रहित और पूर्वकाल विशिष्ट मिट्टी आदि द्रव्य को घटादि के प्रागभाव

रूप माना गया है। और कार्य की उत्पत्ति होने पर उसका विनाश अवश्यम्भावी है, क्योंकि कार्य रहितपने का विनाश हुए बिना, कार्य सहित रूप से उत्पत्ति नहीं हो सकती है। आगे बतलायेंगे कि उपादान कारण रूप प्रागभाव का क्षय ही कार्य की उत्पत्ति है।

प्रमाण की अपेक्षा से प्रागभाव द्रव्यपर्यायात्मक है, ऐसा कहने में भी दोनों पक्षों में दिये गये दोष नहीं आते, क्योंकि द्रव्य की तरह पर्याय रूप से (सन्तान की अपेक्षा) प्रागभाव को अनादि बतलाया है। शायद कहा जाये कि जो अनादि^१ होता है उसका अन्त नहीं होता, किन्तु ऐसा एकान्त नहीं है, क्योंकि भ्रम्य जीव का संसार अनादि होने पर सान्त प्रसिद्ध है। अन्यथा किसी की मुक्ति नहीं हो सकेगी। और ऐसा भी एकान्त नहीं है कि जो सान्त होता है वह सादि होता है, क्योंकि मुक्त जीवों का संसार सान्त होने पर भी अनादि प्रसिद्ध है। अतः प्रागभाव को अनादि मानने पर न तो सर्वदा घट की अनुत्पत्ति ही दुर्निवार है और न उसको सान्त मानने पर घट की पूर्व भी उत्पत्ति ही दुर्निवार है। अतः प्रागभाव भाव-स्वभाव ही है और वह भाव की तरह द्रव्य की अपेक्षा एक स्वभाव और पर्याय की अपेक्षा अनेक स्वभाव है, अतः उसको सर्वथा एक या सर्वथा अनेक मानने पर जो दोष दिये जाते हैं, वे यहाँ नहीं आते।

शायद कहा जाये कि यदि प्रागभाव भाव-स्वभाव है तो 'पहले कार्य नहीं था' इस प्रकार नास्तित्व प्रत्यय नहीं हो सकता, किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि कार्य का अभाव भावान्तर रूप है और उस भावान्तर रूप अव्यवहित पूर्ववर्ती पर्याय में कार्य का नास्तित्व प्रत्यय होने में कोई विरोध नहीं है। जैसे घट रहित भूतल में 'घट नहीं है' इस प्रकार का नास्तित्व प्रत्यय होने में कोई विरोध नहीं है। अतः प्रागभाव प्रसिद्ध।

इसी तरह नयदृष्टि से प्रध्वंसाभाव भी प्रसिद्ध है। ऋजुसूत्रनय की अपेक्षा उपादेय कपालमाला ही उपादान घट का प्रध्वंस है। शायद कहा जाये कि यदि उपादेय क्षण ही उपादान का प्रध्वंस है तो उपादेय क्षण से जो उत्तर क्षण है अर्थात् घट का प्रध्वंस होने पर जो कपाल हो जाते हैं, उन कपालों को भी तोड़ने पर जो और छोटे-छोटे टुकड़े हो जाते हैं उनमें प्रध्वंस का अभाव होने से घट के पुनरुज्जीवन का प्रसङ्ग आता है, किन्तु ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उपादान कारण का नाश होने पर उत्तर पर्याय रूप कार्य की उत्पत्ति

१. द्रष्टव्य, अष्टसहस्री, पृष्ठ १०१।

होती है, किन्तु कार्य का नाश होने पर कारण की उत्पत्ति होने का नियम नहीं है। प्रागभाव को उपादान रूप और प्रध्वंस को उपादेय रूप माना गया है, अतः प्रागभाव का विनाश होने पर प्रध्वंस का जन्म होता है।

शार्वाक—अभावों में उपादानोपादेय भाव कैसे हो सकता है ?

जैन—भावों में कैसे होता है ?

शार्वाक—जिसके होने पर ही जिसका जन्म होता है वह उपादान है और दूसरा उपादेय है।

जैन—तो कारण रूप प्रागभाव के पूर्व क्षणवर्ती होने पर कार्यरूप प्रध्वंसाभाव की उत्पत्ति होती है, अतः उन दोनों में उपादानोपादेयभाव क्यों नहीं हो सकता ? नैयायिक के द्वारा माने गये तुच्छ रूप अभावों में ही उपादानोपादेयभाव के होने से विरोध है।

तथा व्यवहारनय से घट के उत्तर कालवर्ती और घटाकार से रहित मिट्टी रूप द्रव्य घट का प्रध्वंस है। और वह अनन्त है। अतः घट से पूर्वकालवर्ती मिट्टी रूप द्रव्य घट का प्रागभाव ही है, प्रध्वंसाभाव नहीं है। तथा घटाकार सहित मिट्टी रूप द्रव्य भी घट का प्रध्वंस नहीं है, क्योंकि घटाकार रहित और घट के उत्तर कालवर्ती—ये दो विशेषण उसके साथ लगे हुये हैं।

शाङ्खा—तब तो घट के उत्तर कालवर्ती और घटाकार से रहित जो अन्य मिट्टी है, जो कि घट रूप नहीं हुई, वह भी घट का प्रध्वंस हो सकती है ?

समाधान—उक्त आशङ्का ठीक नहीं है। क्योंकि उक्त वाक्य में द्रव्य पद का ग्रहण किया गया है। वर्तमान घट पर्याय का आश्रय रूप मिट्टी वगैरह ही अन्वयी द्रव्य इष्ट है, सन्तानान्तर नहीं। सन्तानान्तर तो अपनी ही अतीत और अनागत पर्यायों में अन्वयी होता है, अतः वह विवक्षित घट रूप पर्याय का आधारभूत द्रव्य नहीं हो सकता। अतः प्रध्वंसाभाव भी वस्तु का धर्म प्रसिद्ध है। और उसके न मानने पर पृथिवी आदि कार्य द्रव्य अनन्त हो जायेंगे।

अब इतरेतराभाव और अत्यन्ताभाव को न मानने वाले वादियों को दूषण देते हैं—

सर्वात्मकं तदेकं स्यादन्यापोहव्यतिक्रमे।

अन्यत्र समवाये च व्यपदिश्येत सर्वथा ॥^१

१. अष्टसहस्री, पृ. १०९।

२. आसमीमांसा, ११।

यहाँ तत्त्व पद से सभी वादियों का इष्ट तत्त्व लिया गया है। इतरेतराभाव को न मानने पर वह इष्ट तत्त्व सर्वात्मक हो जायेगा, अर्थात् अनिष्ट रूप से भी उसका अस्तित्व हो जायेगा। चैतन्य का समवाय आत्मा में होता है, यदि जड़ प्रधान में उसका समवाय हो तो उसे 'अन्यत्र समवाय' कहेंगे। अतः अन्यत्र समवाय का अर्थ अत्यन्ताभाव को न मानने पर, अर्थात् प्रधान में चैतन्य का समवाय मानने पर 'यह चेतन है और यह अचेतन है' इस प्रकार संबंधा भेद रूप से इष्ट तत्त्व का कथन करने पर अनिष्ट रूप से भी कथन करने का प्रसङ्ग आता है, और अनिष्ट रूप से कथन न करने पर अपने इष्ट रूप से भी कथन नहीं किया जा सकता है। क्योंकि एक तत्त्व में अन्य तत्त्व का अत्यन्ताभाव न होने से तीनों कालों में भी इष्ट और अनिष्ट तत्त्वों में भेद ही नहीं बन सकेगा।

शङ्का—अन्यापोह या इतरेतराभाव किसे कहते हैं ?

समाधान—स्वभावान्तर से स्वभाव की व्यावृत्ति का नाम अन्यापोह है, जैसे घटस्वभाव से पटस्वभाव भिन्न है। 'स्वभावान्तर से' ऐसा कहने से यह अर्थ निकलता है कि अपने स्वभाव से व्यावृत्ति का नाम अन्यापोह नहीं है, क्योंकि यदि वस्तु अपने ही स्वभाव से भिन्न हो जायेगी तो घटादि का कोई स्वभाव ही नहीं रहेगा।

शङ्का—तथापि प्रागभाव और प्रध्वंसाभाव में अन्यापोहत्व का प्रसङ्ग आता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि कार्य द्रव्य से यद्यपि पूर्व परिणाम रूप प्रागभाव और उत्तर परिणाम रूप प्रध्वंसाभाव स्वभावान्तर है, फिर भी कार्य द्रव्य पूर्वोत्तर परिणाम व्यावृत्ति से विशिष्ट है। इसका खुलासा इस प्रकार है—जिसके अभाव में नियम से कार्य उत्पन्न होता है वह प्रागभाव है और जिसके होने पर नियम से कार्य का विनाश होता है वह प्रध्वंसाभाव है। किन्तु न तो इतरेतराभाव के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होती है और न इतरेतराभाव के सद्भाव में कार्य का विनाश होता है। जैसे जल और अग्नि में इतरेतराभाव है, किन्तु जल के अभाव में भी अग्नि उत्पन्न नहीं होती है और जल के सद्भाव में भी अग्नि का विनाश नहीं होता है। इस प्रकार जल और अग्नि में प्रागभाव और प्रध्वंसाभाव रूप अभावों के नहीं होने पर भी इतरेतराभावरूपता ही है।

शङ्का—कहीं अन्वकार के अभाव में रूपज्ञान उत्पन्न होता है, अतः वह उसका प्रागभाव क्यों नहीं कहा जायेगा ?

समाधान—अन्धकार के अभाव में ही रूपज्ञान की उत्पत्ति होने का कोई नियम नहीं है, किन्हीं को अन्धकार में भी दिखलाई देता है। इसीलिये अन्धकार रूपज्ञान का प्रध्वंस नहीं है, क्योंकि अन्धकार के सद्भाव में नियम से रूपज्ञान का अभाव नहीं देखा जाता है। अतः 'स्वभावान्तर से स्वभाव की व्यावृत्ति को अन्यापोह कहते हैं' अन्यापोह का यह लक्षण ठीक ही है। यह लक्षण अत्यन्त-भाव त्रिकाल सापेक्ष होता है। किन्तु घट और पट का इतरेतराभाव त्रिकाल सापेक्ष नहीं है, क्योंकि कदाचित् पट का भी घट रूप से परिणमन सम्भव है। उस प्रकार की कारण सामग्री के मिलने पर पट के घट रूप से परिणत होने में कोई विरोध नहीं है। क्योंकि पुद्गल के परिणामों में अनियम देखा जाता है। जैसे चन्द्रकान्तमणि से जल की उत्पत्ति देखी जाती है, जल से मोती की उत्पत्ति देखी जाती है। इस तरह चेतन और अचेतन का तादात्म्य रूप से परिणमन कभी भी नहीं होता है, यदि हो तो दोनों के तत्त्वान्तर होने में विरोध आता है।

बौद्ध—इतरेतराभाव को न मानने पर चार्वाक के मत में पृथिवी तत्त्व जलादि रूप हो जायेगा, तथा सांख्य के मत में महत् आदि परिणाम सर्वात्मक हो जायेंगे, यह ठीक है। किन्तु ज्ञानाद्वैतवादी बौद्ध तो केवल एक विज्ञान मात्र को ही मानता है, अतः उसके मत में इतरेतराभाव को न मानने पर भी कोई दूषण नहीं आ सकता।

जैन—ज्ञानाद्वैतवादी बौद्ध भी यदि ज्ञान को ग्राह्य नील आदि आकार से कथञ्चित् भिन्न मानता है तो द्वैत की आपत्ति आती है, और यदि सर्वथा भिन्न मानता है तो ज्ञान और उसके ग्राह्य आकार में उपकार्य-उपकारक भाव न मानने से कोई सम्बन्ध नहीं बन सकता है। और यदि ज्ञान और उसके ग्राह्याकार में अभेद मानता है तो यदि ज्ञान ग्राह्य आकार में प्रविष्ट हो जाता है तो ग्राह्य आकार ही रह जायेगा, ज्ञानाकार नहीं रहेगा। और ग्राहक ज्ञानाकार के न रहने पर ग्राह्याकार का भी अभाव हो जायेगा, क्योंकि ग्राहक ज्ञान के अभाव में ग्राह्याकार नहीं रह सकता। यदि ग्राह्य आकार ज्ञान में प्रविष्ट हो जाता है तो ज्ञान ही शेष रहेगा, ग्राह्याकार नहीं। और ऐसी स्थिति में ज्ञान का भी अभाव हो जायेगा, क्योंकि विषय से रहित ज्ञान मात्र नहीं पाया जाता है।

बौद्ध—ज्ञान से अतिरिक्त कोई ग्राह्य नहीं है और उस ज्ञान का ग्राहक कोई अन्य ज्ञान नहीं है। अतः ग्राह्यग्राहकभाव का अभाव होने से ज्ञान स्वयं ही प्रकाशित होता है।

जैन—इस स्थिति में भी 'ज्ञान ज्ञानाकार है, ज्ञेयाकार नहीं है' इस प्रकार ज्ञेयाकार रूप स्वभावान्तर से स्वभाव रूप ज्ञानाकार की व्यावृत्ति होने से बौद्ध अन्यापोह को अमान्य कैसे कर सकता है ? क्योंकि स्वभावान्तर से स्वभाव की व्यावृत्ति का नाम ही तो अन्यापोह है ।

इसी तरह चित्रज्ञानवादी योगाचार बौद्धों को भी चित्रज्ञान में प्रतिभासित होने वाले नील-पीत आदि ज्ञानाकारों में इतर व्यावृत्ति माननी चाहिये । अन्यथा जैसे नील-पीतादि में से एक के ज्ञान को चित्रज्ञान नहीं कहा जा सकता है, वैसे ही नील-पीतादि आकारों में इतर व्यावृत्ति न मानने पर उनके ज्ञान को भी चित्रज्ञान नहीं कहा जा सकेगा । क्योंकि उस अवस्था में चित्रज्ञान के आलम्बन नीलादि में अभेद स्वभावत्व की आपत्ति आती है । यदि प्रतिभास भेद के अभाव में भी नीलादि में भेद माना जायेगा तो कोई एक अभिन्न हो नहीं बन सकेगा, और निरंश स्वलक्षण में भी अनेकत्व की प्रसक्ति आयेगी । अतः पीत आदि विषयों में स्वरूप-भेद चाहने वाले बौद्ध को अनेक ज्ञानों की तरह एक चित्रज्ञान में भी प्रतिभास-भेद मानना चाहिये । और उसके मानने पर स्वभावान्तर से पारमार्थिक स्वभाव व्यावृत्ति सिद्ध होने से अन्यापोह सिद्ध हो जाता है । तथा ज्ञानगत पदार्थों में जिस प्रकार परस्पर में व्यावृत्ति पाई जाती है उसी प्रकार चित्रज्ञान की अपने विषयभूत नीलादि आकारों से और विषयभूत चित्रपट वगैरह की अपने नीलादि आकारों से व्यावृत्ति सिद्ध है ।

बौद्ध—किस प्रमाण से उनकी इतर व्यावृत्ति सिद्ध है ?

जैन—चित्रपट आदि को विषय करने वाला चित्रज्ञान नीलादि आकारों से भिन्न है, एक और अनेक स्वभाव होने से, जैसे घट और उसका रूप । इस अनुमान से इतर व्यावृत्ति सिद्ध होती है । क्योंकि ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि नीलादि आकार ही अनेक स्वभाव वाले हैं और नीलादिवान् चित्रपटादि का एक ज्ञान और बाह्य द्रव्य अनेक स्वभाव नहीं है, जिससे हमारा 'एक और अनेक स्वभाव होने से' यह हेतु असिद्ध साबित हो । क्योंकि चित्रपटादि का ज्ञान और बाह्य द्रव्य भी अबाधित प्रतीति के द्वारा सिद्ध है । फिर भी यदि उन्हें नहीं माना जायेगा तो द्रव्य ही रहेगा, रूपादि नहीं । और ऐसा होने पर चित्रज्ञान हो रहेगा, उसके विषयभूत आकार नहीं । अतः अन्यापोह को न मानना उचित नहीं है ।

तथा अत्यन्तभाव को न मानने पर सब सर्वत्र सर्वथा पाये जायेंगे । किन्तु न तो ज्ञानादिक घटादि में पाये जाते हैं और न रूपादि आत्मा आदि में पाये

जाते हैं। जिस तरह कोई वस्तु स्वात्मा से पाई जाती है, उसी तरह परात्मा से नहीं पाई जाती है। यतः कोई स्वेष्ट तत्त्व किसी अनिष्ट तत्त्व में वास्तविक रीति से नहीं पाया जाता है, अतः वह स्वेष्ट तत्त्व उस अनिष्ट तत्त्व में त्रिकाल में भी नहीं रहता है। इसी का नाम अत्यन्ताभाव है।

बौद्ध—अभाव का ज्ञान कैसे होता है ?

जैन—कैसे नहीं होता है ?

बौद्ध—सर्वथा भाव से विलक्षण वास्तविक अभाव का ग्राहक कोई प्रमाण नहीं है। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष रूपादि स्वलक्षण को विषय करता है, अभाव में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है। क्योंकि अभाव प्रत्यक्ष का कारण नहीं हो सकता है, यदि वह उसका कारण हो तो उसे स्वलक्षण रूप मानना पड़ेगा। और जो जिसका कारण नहीं होता है वह उसका विषय नहीं होता है। अनुमान प्रमाण भी अपने कारण को ही विषय करता है। क्योंकि अग्नि स्वलक्षण से धूम स्वलक्षण की उत्पत्ति होती है, उसके बाद धूम का दर्शन होता है, उससे धूम का विकल्प होता है, उससे अग्नि का अनुमान होता है। इस तरह अनुमान भी परम्परा से स्वकारण को ही विषय करता है। तथा अभाव को विषय करने वाला अनुमान कार्यानुमान है या स्वभावानुमान ? यदि वह कार्यानुमान है तो अभाव को कारणता की सिद्धि होती है और वह युक्तियुक्त नहीं है। यदि वह स्वभावानुमान है तो अभाव को भावरूपता सिद्ध होती है, किन्तु अभाव का स्वभाव असम्भव है। शायद कहा जाये कि 'इस भूतल में घट नहीं है, क्योंकि घट की अनुपलब्धि है' इस अनुमान से अभाव का ग्रहण होता है। किन्तु ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि पर्युदास रूप से वह अनुमान भूतल को ही विषय करता है। अतः अभाव प्रमाण का सर्वथा अविषय है, यह सिद्ध होता है।

जैन—'केवल भूतल का होना ही घटादि का न होना है' ऐसा कहने वाला भी बौद्ध अभाव को नहीं मानता है, यह आश्चर्य है। 'इस भूतल में घट नहीं है, अनुपलब्धि होने से' इस अनुमान से भाव रूप भूतल और अभाव रूप घटाभाव को प्रतिपत्ति होती है। बौद्ध का कथन है कि—'शब्दार्थस्त्रिविधो धर्मो भावा-भाबोभयाभितः' अतः परमार्थ से भाव, अभाव और भावाभाव की प्रतिपत्ति से अभाव को मानने वाला बौद्ध अभाव को प्रतिपत्ति के सम्बन्ध में पूर्वोक्त प्रश्न

१. शब्दार्थस्त्रिविधो धर्मो भावाभाबोभयाध्रयः।

—प्रमाणवार्तिक, ३।२०६।

कैसे कर सकता है ? और यदि करता है तो मालूम होता है कि उसकी विचार-शक्ति स्वस्थ नहीं है ।

प्रत्येक वस्तु स्वरूप की अपेक्षा भावात्मक और पररूप की अपेक्षा अभावात्मक है, जैसे सीढ़ी के उण्डे दोनों ओर से दो लम्बे लट्टों से बंधे होते हैं, वैसे ही वस्तु भाव और अभाव स्वभावों से बद्ध है । यदि आपका ज्ञानाद्वैत स्वरूपादि की तरह पररूपादि से भी सत् है तो भेदरूपता का प्रसङ्ग आता है । यदि पररूपादि की तरह स्वरूपादि से भी उसका अभाव है तो स्वयं उसका प्रकाशन नहीं हो सकता है । कोई भी प्रमाण न तो सर्वात्मना भाव को ही ग्रहण करता है और न अभाव को ही । यदि ऐसा हो तो 'यह घट ही है' ऐसा नियम नहीं बन सकता । बौद्ध मत में प्रमाण का विषय भाव ही है । और ऐसा मानने वाले एकान्तवादी भाव का नियमित रूप से ज्ञान नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं पर किसी का किसी प्रकार से असत्त्व सिद्ध हुये बिना वस्तु की स्व-स्वभाव में अवस्थिति नहीं बन सकती । अतः उक्त दोषों का परिहार चाहने वाले बौद्ध को अभाव को वस्तु का धर्म मानना चाहिये । अतः भावैकान्त में इष्ट की सिद्धि सम्भव नहीं है ।

३. अभावैकान्त-विचार

आगे अभावैकान्त में दूषण देते हैं^१—

अभावैकान्तपक्षेऽपि भावापह्नववादिनाम् ।
बोधवाक्यं प्रमाणं न केन साधनदूषणम् ॥^२

बौद्धाचार्य धर्मकीर्ति ने कहा है—

भावा येन निरूप्यन्ते तद्रूपं नास्ति तत्त्वतः ।
यस्मादेकमनेकं च रूपं तेषां न विद्यते ॥^३

जिस रूप से भावों का कथन किया जाता है, परमार्थ से वह रूप नहीं है, क्योंकि उनका एक और अनेक रूप नहीं है ।

इस प्रकार पदार्थों की सत्ता को न मानने वाले माध्यमिकों के सर्वनैरात्म्य की प्रतिज्ञा को अभावैकान्त पक्ष कहते हैं । उसमें भी ज्ञानरूप स्वार्थानुमान और

१. अष्टसहस्री, पृष्ठ ११५ ।

२. आतमीमांसा, १२ ।

३. प्रमाणवार्तिक, २।३६० ।

वचनरूप परार्थानुमान प्रमाण के न होने से नैरात्म्य का साधन किससे करेंगे और बाह्य तथा आम्यन्तर भावों की सत्ता में किससे दूषण देंगे ?

यदि स्वपक्ष का साधन और परपक्ष में दूषण के लिए स्वार्थानुमान और परार्थानुमान को स्वीकार करते हैं तो अन्तर्बाहिः (आम्यन्तर और बाह्य) रूप तत्त्व की सिद्धि अनिवार्य है। अतः बाह्य और आम्यन्तर तत्त्व परमार्थ सत् हैं, क्योंकि उनमें से एक के भी अभाव में साधन और दूषण रूप अनुमान नहीं बन सकता।

बौद्ध—नैरात्म्यवादी माध्यमिक न तो परमार्थ से स्वार्थानुमान को ही मानता है और न परार्थानुमान को ही, अतः उसके द्वारा बाह्य और आम्यन्तर तत्त्व की सिद्धि माध्यमिक मत में नहीं की जा सकती, क्योंकि असिद्ध हेतु से साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती।

जैन—तब तो माध्यमिक न तो परमार्थ रूप से नैरात्म्यवाद का साधन कर सकता है और न अनैरात्म्यवाद में दूषण दे सकता है। और काल्पनिक साध्य-साधन व्यवस्था युक्तिपूर्ण नहीं मानी जाती। क्योंकि काल्पनिक साधन से वास्तविक सिद्धि असम्भव है। वैसी स्थिति में शून्यवाद की सिद्धि अपरमार्थ होने पर अशून्यवाद की ही सिद्धि का अनुषंग आता है।

बौद्ध—ज्ञेय-ज्ञायक भाव बगैरह से शून्य ज्ञान स्वयं ही प्रकाशमान होता है। उसमें साधन का व्यवहार केवल संशयादि को दूर करने के लिए ही किया जाता है।

जैन—यदि किसी विषय में तात्त्विक रूप से संशयादि का व्यवच्छेद किया जाता है तो साध्य-साधन की व्यवस्था को काल्पनिक नहीं माना जा सकता है। यदि नैरात्म्यवाद में संशयादि का व्यवच्छेद भी काल्पनिक ही है तो संशयादि का व्यवच्छेद न होने से नैरात्म्यज्ञान स्वयं भी प्रकाशमान नहीं हो सकता। और ऐसा होने से अन्तर्बाहिस्तत्त्व की अशून्यता का प्रसङ्ग आता है। अतः शून्यवादी भी तत्त्वोपप्लववादी की तरह केवल बकवाद करता है। उसके मत में न कुछ हेय है और न कुछ उपादेय।

बौद्ध—हम संवृति रूप से (काल्पनिक रूप से) सद्वाद को हेय और शून्यवाद को उपादेय मानते हैं तथा उसी रूप से हेय का निषेध और उपादेय का विधान भी करते हैं, अतः शून्यवादी तत्त्वोपप्लववादी की तरह कोरा बकवादी नहीं है।

जैन—‘संवृति रूप से है’ इसमें संवृति पद का अर्थ स्वरूप है, पररूप है, उभय है अथवा अनुभय है ? यदि ‘संवृतिरूप से है’ का अर्थ ‘स्वरूप से है’ तो हमारे अनुकूल ही है, क्योंकि स्याद्वादी जैन ज्ञान की तरह सभी पदार्थों को ‘स्वरूप से सत्’ मानते हैं। यदि ‘संवृतिरूप से है’ का अर्थ ‘पररूप से नहीं’ है तो यह भी हमें अनुकूल ही है, क्योंकि हम प्रत्येक वस्तु को ‘स्वरूप से सत्’ की तरह ‘पररूप से असत्’ मानते हैं। जैसे नैरात्म्यवादी का ज्ञान ग्राह्य-ग्राहक आदि भाव से रहित है, वैसे ही पररूप से सब पदार्थों के असत् रूप होने में कोई विवाद नहीं है। इसी तरह यदि ‘संवृति रूप से है’ का अर्थ ‘स्वरूप से सत् और पररूप से असत्’ है तब भी कोई विवाद नहीं है। यदि अनुभय रूप अर्थ है तब भी विवाद नहीं है। आगे वस्तु को अनुभय रूप भी सिद्ध करेंगे।

बौद्ध—संवृति का अर्थ है विचार से असङ्गत।

जैन—यह अर्थ अयुक्त है, क्योंकि विचार के अभाव में किसी को ‘विचार से असङ्गत’ नहीं कहा जा सकता है। तथा शून्यवाद में कुछ भी निर्णीत नहीं है, जिसका आश्रय लेकर किसी अनिर्णीत अर्थ में विचार किया जा सकता हो। शून्यवादी को तो सर्वत्र विवाद ही विवाद है। इसी से तत्त्वार्थश्लोकवातिक में कहा है—

किञ्चिन्निर्णीतमाश्रित्य विचारोज्ज्यत्र प्रवर्तते ।

सर्वविप्रतिपत्तौ तु कचिन्नास्ति विचारणा ॥^१

‘किसी निर्णीत बात का आश्रय लेकर अन्यत्र विचार की प्रवृत्ति होती है, सर्वत्र विवाद होने पर तो कहीं विचार नहीं हो सकता है।’

अतः विचार का अभाव होने से उस विचार के द्वारा दूसरों को समझाने के लिए शास्त्र का उपदेश देने वाला और उपदेष्टा की प्रशंसा करने वाला बौद्ध केंसे उन्मत्त नहीं है ?

बौद्ध—बौद्ध का उपदेश है कि समस्त पदार्थ माया या स्वप्न के सदृश है, अतः सब पदार्थों का प्रतिक्षेपक बौद्धदर्शन उन्मत्तवत् नहीं है। तथा स्वप्न में होने वाले मिथ्याज्ञान की तरह सभी पदार्थों का ज्ञान मिथ्या है।

इसका उत्तर देते हुए अकलङ्कदेव ने न्यायविनिश्चय में कहा है—

तत्र शौद्धोदनेरेव कथं प्रज्ञापराधिनी ।

बभूवेति वयं तावद् बहु विस्मयमास्महे ॥

१. तत्त्वार्थश्लोकवातिकम्, १।१।१४० ।

तत्राद्यापि जडाशक्तास्तमसो नापरं परम् ।
विभ्रमे विभ्रमे तेषां विभ्रमोऽपि न सिद्ध्यति ॥^३

संसार में दृश्यमान सभी पदार्थों के विषय में बुद्ध की ही बुद्धि कैसे ऐसी हुई कि उसने सभी पदार्थों के अस्तित्व का सर्वथा निषेध करके शून्यवाद की प्रतिष्ठा की, यह हमें बड़ा आश्चर्य है। आज भी जो उस बुद्ध में अज्ञानी लोग आसक्त हैं, यह केवल अज्ञानान्धकार का ही माहात्म्य है। यदि स्वप्नादि के मिथ्याज्ञान की तरह दृश्यमान जगत् का ज्ञान भी मिथ्या है, तो मिथ्याज्ञान स्वयं मिथ्या है या सच्चा? यदि मिथ्याज्ञान मिथ्या नहीं है तो 'सर्वज्ञान मिथ्या है' यह बात सिद्ध नहीं होती है। और यदि मिथ्याज्ञान भी मिथ्या है तो मिथ्याज्ञान के मिथ्या होने से जगत् का अस्तित्व ही सिद्ध होता है।

अतः भावैकान्त की तरह अभावैकान्त पक्ष भी श्रेयस्कर नहीं है।

४. भावाभावैकान्त-विचार

परस्पर^२ निरपेक्ष भावैकान्त और प्रभावैकान्त पक्ष भी ठीक नहीं, यह आगे स्वामी समन्तभद्राचार्य कहते हैं—

'विरोधान्नोभयैकात्म्यं स्याद्वादन्यायविद्विषाम् ।'^१

भावैकान्त और अभावैकान्त पक्षों में दिये गये दोषों का परिहार करने की इच्छा से सबको सर्वथा सदसदात्मक मानने वाले भाट्ट का भी कथन ठीक नहीं है, क्योंकि सर्वथा भाव और सर्वथा अभाव एक वस्तु में एक साथ नहीं रह सकते। जो किसी वस्तु को सर्वात्मना सत् और सर्वात्मना असत् कहता है उसे कैसे स्वस्थ कहा जा सकता है। जैसे स्वसंवेदन से या अनुमान से सर्वथा शून्यवाद को सिद्ध करने वाला बौद्ध ऐसा करने से अपने इष्ट शून्यैकान्तवाद का निरसन करता है और अनिष्ट प्रमाणादि के सद्भाव को अपनाता है, वैसे ही भाव और अभाव का सर्वथा तादात्म्य मानने वाला भाट्ट भी ऐसा करने से अपने इष्ट भावाभावात्मकवाद का निरसन करता है और अनिष्ट भावैकान्त अथवा अभावैकान्त को अपनाता है, क्योंकि भाव और अभाव का सर्वथा तादात्म्य मानने

१. न्यायविनिश्चय, १।५३-५५।

२. अष्टसहस्री, पृष्ठ ११७।

३. आसमीमांसा, १३ पूर्वाह्न।

पर या तो अभाव का भाव में प्रवेश हो जायेगा या भाव का सर्वथा अभाव में प्रवेश हो जायेगा। अभिन्न होते हुए भी ऐसा न होने पर भाव और अभाव में भेद का प्रसङ्ग आता है। अतः स्याद्वाद के विरोधियों के लिये भाव और अभाव का सर्वथा तादात्म्य श्रेयस्कर नहीं है, क्योंकि सत् और असत् में परस्पर परिहार स्थिति नाम का विरोध माना जाता है।

वस्तु कथञ्चिद् भावाभावात्मक ही प्रतीत होती है, सर्वथा भावाभावात्मक नहीं। अतः भावैकान्त और अभावैकान्त की तरह सर्वथा भावाभावैकान्तवाद भी बाधित है।

तथा सांख्य व्यक्त प्रधान और अव्यक्त प्रधान को सर्वथा एक मानता है। उसके मत से महत् आदि की अभिव्यक्ति के कारण त्रैलोक्य का तिरोभाव होता है, क्योंकि वह नित्य नहीं है। तिरोभूत होने पर भी उसका अस्तित्व रहता है, क्योंकि विनाश का निषेध है। इस तरह सांख्य मत में त्रैलोक्य व्यक्त प्रधान रूप से तिरोभूत होता है और अव्यक्त प्रधान रूप से सत् रहता है। अब जैसे अन्धा सर्प अपने बिल में ही घुसता है, वैसे ही सांख्य भी स्याद्वाद का ही प्रकारान्तर से अवलम्बन लेता है।

सांख्य—परमार्थ से व्यक्त और अव्यक्त प्रधान एक ही हैं, अतः सांख्य के स्याद्वाद का अवलम्बन लेने की बात ठीक नहीं है।

जैन—तब तो उक्त प्रकार से दोनों का विरोध तदवस्थ रहता है। प्रधानाद्वैत मानने पर तो प्रधान की अपेक्षा नित्यत्व और महदादि रूप से अनित्यत्व—इस प्रकार का उभयैकान्त्य नहीं बन सकता। यदि वैसा स्वयं न मानते हुए भी कथञ्चिद् उभयात्मकतत्त्ववाद को अपनाते हैं तो यह अन्ध सर्प-बिल प्रवेश-न्याय का अनुसरण क्यों नहीं हुआ। अतः परस्पर निरपेक्ष भावाभावैकान्तवाद सिद्ध नहीं होता है।

५. अवाच्यतैकान्त-विचार

अवाच्यतैकान्तेऽप्युक्तिर्नावाच्यमिति युज्यते ॥^१

भावैकान्त, अभावैकान्त और उभयैकान्त पक्षों में दिये गये दोषों का परिहार करने की इच्छा से जो बौद्ध तत्त्व को सर्वथा अवक्तव्य मानता है, वह भी उसे

१. आसमीमांसा, १३।

‘अवक्तव्य’ कैसे कह सकता है ? क्योंकि अवाच्यतैकान्त में अवक्तव्य शब्द का कथन सम्भव नहीं है । तब वह दूसरों को कैसे समझायेगा कि तत्त्व अवक्तव्य है । स्वसंवेदन ज्ञान से तो दूसरों को समझाया नहीं जा सकता । और दूसरों को न समझा सकने के कारण उसे परीक्षक कैसे कहा जा सकता है ? और उसके अपरीक्षक होने पर अल्पज्ञ से उसमें विशेषता कैसे सिद्ध हो सकती है ? क्योंकि अपरीक्षित तत्त्व को स्वीकार करने पर सभी निरंकुश हो जायेंगे ।

बौद्ध—उक्त दोष ठीक नहीं है । जैसे ‘स्वलक्षण अनिर्देश्य है’ ‘प्रत्यक्ष कल्पनापोह है’ वैसे ही ‘सब तत्त्व अवाच्य है’ ऐसा कहने में भी कोई विरोध नहीं है, क्योंकि अवाच्य शब्द के बिना दूसरों को उसे समझाया नहीं जा सकता ।

जैन—उक्त कथन ठीक नहीं है । जो असिद्ध है उसे उदाहरण के रूप में उपस्थित करना युक्त नहीं है । यदि स्वलक्षण सर्वथा अनिर्देश्य है तो ‘स्वलक्षण अनिर्देश्य है’ इस वचन के द्वारा उसे निर्देश्य करना ठीक नहीं है ।

बौद्ध—स्वलक्षण स्वलक्षण शब्द से भी निर्देश्य नहीं है । स्वलक्षण शब्द स्वलक्षण सामान्य (अन्यापोह) को ही कहता है । स्वलक्षण में निर्देश तो असम्भव है । कहा भी है कि—‘अर्थ में शब्द नहीं है और शब्द अर्थात्मक ही है, जिससे अर्थ का प्रतिभास होने पर शब्दों का भी प्रतिभास हो जाय’ ।^१ निर्देश्य शब्द से काल्पनिक स्वलक्षण का अथवा उसके निर्देश्यत्व धर्म का निर्देश किया जाता है, उसमें कोई विरोध नहीं है ।

जैन—तब तो स्वलक्षण अज्ञेय हो जायेगा । क्योंकि जैसे इन्द्रिय विषय स्वलक्षण में शब्द नहीं है, वैसे ही इन्द्रियज्ञान में स्वलक्षण रूप विषय भी नहीं है । अतः इन्द्रियज्ञान के प्रतिभासमान होने पर भी विषय का प्रतिभास नहीं होता । यह कहा जा सकता है कि ‘जो जहाँ आधेय रूप से नहीं है अथवा तदात्मक नहीं है उसका प्रतिभास होने पर भी वह प्रतिभासित नहीं होता है, जैसे इन्द्रिय विषय स्वलक्षण में शब्द ।’ इन्द्रिय ज्ञान में इन्द्रिय विषय स्वलक्षण न तो आधेय रूप से है और न वह तदात्मक है । अतः ज्ञान के प्रतिभासमान होने पर भी अर्थ स्वयं प्रकाशित नहीं होता है ।

बौद्ध—इन्द्रियज्ञान विषय की सामर्थ्य से उत्पन्न होता है, अतः इन्द्रियज्ञान का प्रतिभास होने पर विषय का भी प्रतिभास होता ही है ।

१. न ह्यर्थे शब्दाः सन्ति तदात्मानो वा येन तस्मिन् प्रतिभासमाने तेषां प्रतिभासेरन्निति ।

—अष्टसहस्री, पृष्ठ ११८ ।

जैन—यह भी ठीक नहीं है, तब तो इन्द्रिय की शक्ति के भी प्रतिभास का प्रसङ्ग आता है, क्योंकि विषय की सामर्थ्य से ही केवल निर्विकल्पज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, किन्तु चक्षु आदि की शक्ति से भी उत्पन्न होता है, अतः विषय की तरह चक्षु आदि की शक्ति का भी प्रतिभास होना चाहिये ।

बौद्ध—दर्शन (निर्विकल्पज्ञान) विषय के आकार का अनुकरण करता है अर्थात् ज्ञान जेयाकार होता है, अतः दर्शन में विषय का प्रतिभास होता है, इन्द्रिय का नहीं, क्योंकि दर्शन इन्द्रिय के आकार का अनुकरण नहीं करता है ।

जैन-- तो उसे अर्थ की तरह इन्द्रिय के आकार का भी अनुकरण करना चाहिये, या फिर अर्थ के भी आकार का अनुकरण नहीं करना चाहिये । क्योंकि अर्थ और इन्द्रिय—दोनों ही उसके कारण हैं, और कारण रूप से दोनों में कोई विशेषता नहीं है ।

बौद्ध—जैसे पुत्र पिता के आकार का अनुकरण करता है, वैसे ही कारणान्तर के होने पर भी निर्विकल्पकज्ञान विषय के ही आकार का अनुकरण करता है ।

जैन—यह कथन भी व्यर्थ है, क्योंकि इससे तो केवल अपने उपादान मात्र के ही अनुकरण का प्रसङ्ग आता है । यदि कहोगे कि वह विषय और उपादान—दोनों के आकार का अनुकरण करता है तो रूपादि की तरह उपादान (पूर्वज्ञान) भी उसका विषय होना चाहिये, क्योंकि दोनों में कोई विशेषता तो है नहीं ।

बौद्ध—यद्यपि निर्विकल्पकज्ञान विषय और उपादान—दोनों से उत्पन्न होता है और दोनों के आकार का अनुकरण भी करता है, फिर भी वह विषय में ही सविकल्पक ज्ञान को उत्पन्न करता है, अतः वह बाह्य अर्थ को ही विषय करता है, उपादान को नहीं ।

जैन—यह बात भी निस्सार है । क्योंकि रूपादि की तरह उपादान में भी सविकल्पक ज्ञान को उत्पन्न करने का प्रसङ्ग आता है । यदि उपादान में वह सविकल्पक को उत्पन्न नहीं करता है तो रूपादि में भी उत्पन्न नहीं करना चाहिये । फिर रूपादि में निर्विकल्पक निश्चय सम्भव नहीं है, क्योंकि बौद्ध रूपादि को निर्विकल्पक ज्ञान का विषय मानता है और निर्विकल्पक ज्ञान अध्य-वसायात्मक नहीं होता है । यदि वह अध्यवसायात्मक या विकल्पात्मक हो तो वह स्वलक्षण को विषय नहीं कर सकता है ।

बौद्ध—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि निर्विकल्पक प्रत्यक्ष सविकल्पक ज्ञान का हेतु है, अतः वह स्वयं सविकल्पक नहीं है ।

जैन—बौद्ध का उक्त कथन ठीक नहीं है। रूपादि की तरह निर्विकल्पक में शब्द का संसर्ग नहीं है, क्योंकि वह शाब्दिक कल्पना से रहित होता है तथा अनभिलाषात्मक (अशब्दात्मक) स्वलक्षण रूप अर्थ से उत्पन्न होता है। फिर भी यदि वह सविकल्पक ज्ञान को उत्पन्न करने में हेतु है तो स्वलक्षण रूपादि हेतु क्यों नहीं है? स्वयं शब्द शून्य भी निर्विकल्पक प्रत्यक्ष सविकल्पक का हेतु है, किन्तु रूपादि उसका हेतु नहीं है, इसे कैसे ठीक कहा जा सकता है?

बौद्ध—दीपक से कज्जल की तरह विजातीय कारण से भी कार्य की उत्पत्ति देखी जाती है। अतः निर्विकल्पक प्रत्यक्ष से भी सविकल्पक ज्ञान की उत्पत्ति होती है।

जैन—तब तो स्वलक्षण रूप अर्थ से सविकल्पक प्रत्यक्ष की उत्पत्ति होनी चाहिए।

बौद्ध—जाति, द्रव्य, गुण, क्रिया और परिभाषा—इन पाँचों कल्पनाओं से रहित अर्थ से जात्यादि कल्पना से युक्त सविकल्पक प्रत्यक्ष कैसे उत्पन्न हो सकता है?

जैन—तो जात्यादि कल्पना से रहित निर्विकल्पक प्रत्यक्ष से जात्यादि कल्पना विशिष्ट सविकल्पक प्रत्यक्ष कैसे उत्पन्न होता है?

बौद्ध—सविकल्पक प्रत्यक्ष जाति आदि को विषय करता है, इसीलिए सविकल्पक है। निर्विकल्पक से उत्पन्न होने के कारण वह सविकल्पक नहीं है।

जैन—जैसे निर्विकल्पक प्रत्यक्ष जाति आदि को विषय नहीं करता है, वैसे ही उससे उत्पन्न सविकल्पक प्रत्यक्ष भी जाति आदि को विषय नहीं कर सकता है। जैसे निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में शब्द संसर्ग की योग्यता नहीं है, वैसे ही उससे उत्पन्न होने वाले सविकल्पक में भी नहीं होने चाहिये। क्योंकि कार्य अपने उपादान कारण के समान ही होता है।

बौद्ध—तो फिर सविकल्पक प्रत्यक्ष जाति आदि का निश्चय कैसे करेगा?

जैन—कैसे भी नहीं करेगा। क्योंकि किसी वस्तु को किसी से विशिष्ट ग्रहण करने के लिए कहीं पर विशेषण, विशेष्य और उन दोनों के सम्बन्ध की व्यवस्था का ग्रहण अपेक्षित होता है। सविकल्पक प्रत्यक्ष इतना काम नहीं कर सकता है, क्योंकि वह क्षणिक निर्विकल्पक प्रत्यक्ष से उत्पन्न होता है, अतः उसी की तरह क्षणिक होने से अविचारक है।

बौद्ध—सविकल्पक प्रत्यक्ष केवल निविकल्पक से ही उत्पन्न नहीं होता है, किन्तु शब्दार्थ विकल्प-वासना से भी उत्पन्न होता है और यह विकल्प-वासना भी पूर्व विकल्प-वासना से उत्पन्न होती है। इस तरह विकल्प-वासना की सन्तान अनादि है तथा निविकल्पक प्रत्यक्ष की सन्तान से भिन्न है। अतः हम विजातीय से विजातीय की उत्पत्ति नहीं मानते हैं। उसके मानने पर भी उक्त दूषण आते हैं।

जैन—शब्दार्थ विकल्प-वासना से उत्पन्न होने वाले सविकल्पक प्रत्यक्ष से निविकल्पक प्रत्यक्ष का विषय रूपादि ही है, यह कैसे सिद्ध होगा? यदि वासना से उत्पन्न होने वाले सविकल्पक प्रत्यक्ष से निविकल्पक के विषय का नियम सिद्ध होता है तो मनोराज्य आदि विकल्प से भी उसकी सिद्धि का प्रसङ्ग आयेगा। यदि निविकल्पक प्रत्यक्ष सहकारी वासना विशेष से उत्पन्न हुए रूपादि विकल्प से निविकल्पक प्रत्यक्ष के रूपादि विषयत्व का नियम मानते हो तो उसी से उत्तर निविकल्पक ज्ञान के उपादान रूप पूर्व निविकल्पक ज्ञान के विषय का नियम भी मानो। अथवा निविकल्पक के रूपादि विषय का नियम भी मत मानो।

बौद्ध—सविकल्पक में रूपादि का उल्लेख रहता है, अतः उसके बल से उत्तर निविकल्पक ज्ञान के उपादान रूप पूर्व निविकल्पक ज्ञान के विषय का नियम मानते हैं।

जैन—तो उसी की तरह निविकल्पक प्रत्यक्ष के शब्द संसर्ग का भी अनुमान करना चाहिये। क्योंकि यदि निविकल्पक प्रत्यक्ष में शब्द संसर्ग न होता तो उसके पश्चात् होने वाले सविकल्पक में शब्द के द्वारा कहे जाने वाले जाति आदि का उल्लेख न पाया जाता। और इस अनुमान से अनुमित निविकल्पक प्रत्यक्ष के शब्द संसर्ग से रूपादि के भी शब्द संसर्ग का अनुमान कर लेना चाहिये, अर्थात् रूपादि में शब्द संसर्ग है, क्योंकि उसके बिना रूपादि से उत्पन्न होने वाले निविकल्पक प्रत्यक्ष में शब्द का संसर्ग नहीं हो सकता। और ऐसा होने पर शब्दाद्वैतवादी का मत सिद्ध हो जाता है। किन्तु बौद्ध निविकल्पक प्रत्यक्ष में शब्द का संसर्ग नहीं मानता है। अतः वह किसी वस्तु को देखने पर उसके सदृश पहले देखी हुई वस्तु का स्मरण नहीं कर सकता, क्योंकि शब्द संसर्ग के बिना उसके नाम विशेष का स्मरण नहीं हो सकता। स्मरण न होने पर उसके नाम को नहीं जान सकता। न जानने पर उस नाम के साथ उस वस्तु की योजना नहीं कर सकता। योजना न करने पर

उसमें विकल्प को उत्पन्न नहीं कर सकता। और ऐसा होने पर न कहीं विकल्प होगा और न शब्द। अतः जगत् विकल्प और शब्द से रहित हो जायेगा।

बौद्ध—विकल्प का कारण नाम है और उसका वेदन प्रत्येक आत्मा को होता है तथा सभी मनुष्यों के श्रोत्रज्ञान में शब्द का प्रतिभास होता है। तब जगत् कैसे विकल्प और शब्द रहित हो जायेगा।

जैन स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अथवा निविकल्पक इन्द्रिय प्रत्यक्ष से विकल्प और शब्द का ग्रहण नहीं होता। यदि निविकल्प से सविकल्पक का ग्रहण हो सकता है तो निविकल्पक से ही स्थिर स्थूल वस्तु का आकार ग्रहण हो जाने से सविकल्पक की आवश्यकता ही न रहती। इसलिये विकल्प और शब्द का निश्चय होना असम्भव है। क्योंकि निविकल्पक प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत भी अगृहीत के समान है, यतः निविकल्पक प्रत्यक्ष नाम-जाति आदि की योजना के साथ ग्रहण नहीं करता है।

बौद्ध—हमारे मत में कोई किसी नील वगैरह या सुख वगैरह को जानता हुआ उसका और उसके समान पहले जानी हुई वस्तु के नाम विशेष का क्रम से स्मरण नहीं करता, किन्तु दोनों का एक साथ ही स्मरण होता है। क्योंकि दृश्य वस्तु के देखने से ही दोनों के संस्कारों का एक साथ प्रबोध होता है। अतः किसी वस्तु को देखते ही उसके सदृश पूर्व दृष्ट वस्तु का स्मरण होता है उसी समय उसके नाम विशेष का स्मरण होता है, उससे 'उसका अमुक नाम है' इस प्रकार शब्द-बोध होता है। उससे (उस नाम से) उस दृश्य वस्तु को युक्त कर देने से वस्तु का निश्चय होता है, अतः कोई दूषण नहीं आता।

जैन—दृश्यमान और उसके समान पूर्वदृष्ट वस्तु के नाम का स्मरण एक साथ होना युक्त नहीं है, क्योंकि एक साथ दो स्मरण नहीं माने हैं। तथा बौद्ध मत में निविकल्पक प्रत्यक्ष का विषय स्वलक्षण अनभिलाष्य (शब्द से कथन करने के अयोग्य) है और सामान्य अभिलाष्य है। तो अनभिलाष्य स्वलक्षण का प्रत्यक्ष होने पर अभिलाष्य सामान्य का स्मरण कैसे हो सकता है, क्योंकि सत्त्व और विन्ध्य पर्वत की तरह स्वलक्षण से सामान्य का अत्यन्त भेद है।

बौद्ध—विशेष स्वलक्षण और सामान्य का एकत्वाध्यवसाय कर लेने से विशेष का प्रत्यक्ष होने पर सामान्य का स्मरण उचित ही है।

जैन—तो दोनों का एकत्वाध्यवसाय कैसे होगा? प्रत्यक्ष से तो हो नहीं सकता, क्योंकि वह सामान्य को विषय नहीं कर सकता। निविकल्पक प्रत्यक्ष के

परचात् होने वाले सविकल्पक से अथवा अनुमान से भी उनका एकत्वाध्यवसाय नहीं हो सकता, क्योंकि सविकल्पक और अनुमान विशेष को विषय नहीं करते। और ऐसा कोई प्रमाण बौद्ध ने नहीं माना है जो सामान्य और विशेष—दोनों को विषय कर सकता हो। और दोनों में से एक को विषय करने वाले प्रमाण से दोनों को एकत्वाध्यवसाय मानने पर इन्द्रिय ज्ञान के द्वारा परमाणु वगैरह का भी एकत्वाध्यवसाय होने का प्रसङ्ग उपस्थित होगा।

तथा बौद्ध शब्द और अर्थ के वाच्य-वाचक सम्बन्ध को अस्वाभाविक मानते हैं। ऐसी स्थिति में अर्थ मात्र का प्रत्यक्ष करने वाला बौद्ध शब्द का स्मरण कैसे करेगा और शब्द को सुनकर उसके अर्थ का स्मरण कैसे करेगा? सहा पर्वत को देखने से विन्ध्य का स्मरण नहीं होता।

बौद्ध—शब्द का विकल्प्य (सामान्य) के साथ तदुत्पत्ति लक्षण सम्बन्ध माना है और शब्द का तथा विकल्प्य का दृश्य स्वलक्षण के साथ एकत्वाध्यवसाय है। अतः व्यवहारी पुरुष विशेष का प्रत्यक्ष होने पर भी शब्द और उसके अर्थ विकल्प्य का स्मरण करता है, क्योंकि उसकी उसमें प्रवृत्ति देखी जाती है।

जैन—उक्त कथन भी सम्यक् नहीं है, क्योंकि यह कह आये हैं कि किसी भी प्रमाण से दृश्य और विवल्प्य का एकत्वाध्यवसाय असम्भव है। अतः प्रत्यक्ष को स्वतः ही निश्चयात्मक मानना चाहिए, शब्द और जाति आदि की योजना से नहीं। इन्द्रियज प्रत्यक्ष को निश्चयात्मक मान लेने पर बौद्ध ने जो मानस-प्रत्यक्ष माना है उसकी भी आवश्यकता नहीं रहती। इन्द्रिय प्रत्यक्ष से ही उसका कार्य भी हो जाता है। दूसरी बात यह है कि निविकल्पक प्रत्यक्ष के विषय में शब्द संस्कार के न होने पर उसका विकल्प्य और शब्द के साथ संयोजन कैसे किया जा सकता है, जिससे सामान्य अभिलाष्य (शब्द प्रतिपाद्य) हो। क्योंकि प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत स्वलक्षण ही अन्य से व्यावृत्त होकर जब साधारण रूप से प्रतिभासमान होता है तो वह सामान्य कहा जाता है और उसमें विकल्प्य और शब्द की योजना होने से उसे अभिलाष्य मानते हैं। अर्थात् सामान्य के द्वारा स्वलक्षण भी अभिलाष्य माना जाता है, सामान्य और स्वलक्षण में भेद नहीं है। शायद कहा जाये कि ग्राहक के भेद से सामान्य और स्वलक्षण में भेद है, किन्तु ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। जैसे एक वृक्ष को एक साथ दो पुरुष दूर से और निकट से देखते हैं, दूर से देखने वाले पुरुष को वृक्ष अस्पष्ट दिखाई देता है और समीप से देखने वाले को स्पष्ट दिखाई देता है, किन्तु इससे वृक्ष में कोई स्वभाव भेद नहीं आता, वह तो एक ही है। उसी तरह ग्राहक प्रत्यक्ष निविकल्पक है

और स्मृति सविकल्पक है, इसलिए दोनों के प्रतिभास में भेद होने पर भी दोनों के विषय में कोई भेद नहीं है। क्योंकि स्वलक्षण को बौद्धों ने एक स्वभाव वाला ही माना है। अतः वस्तु को कथञ्चिद् शब्द के द्वारा वक्तव्यता सिद्ध होती है। यदि कहेंगे कि रूपादि स्वलक्षण में शब्द का अभाव होने से वह अवाच्य ही है तो निविकल्पक प्रत्यक्ष के विषयभूत स्वलक्षण रूप अर्थ की उपलब्धि न होने से वह अज्ञेय हो जायेगा। यदि उसे ज्ञेय मानते हो तो अभिलाष्य भी मानना होगा। अतः अवाच्यतैकान्त मानने पर 'अवाच्य' कहना भी नहीं बन सकता।

६. अस्तित्वधर्म नास्तित्व का अविनाभावी

'अस्तित्व ही वस्तु का स्वरूप है, नास्तित्व नहीं। ऐसा मानने वाले अद्वैत-वादी को लक्ष्य करके आचार्य समन्तभद्र कहते हैं—

अस्तित्वं प्रतिषेध्येनाविना भाव्येकधर्मिणी।

विशेषणत्वात्साधर्म्यं यथा भेदविवक्षया ॥^१

एक धर्मों जीवादि में अस्तित्व प्रतिषेध्य नास्तित्व के साथ अविनाभावी है, क्योंकि वह विशेषण है। जैसे भेद विवक्षा से हेतु में साधर्म्य वैधर्म्य के साथ अविनाभावी है, जिसे सभी हेतुवादी मानते हैं।

शङ्का—उक्त दृष्टान्त अयुक्त है, क्योंकि सभी हेतुओं में वह घटित नहीं होता, जैसे सभी को नित्य या अनित्य सिद्ध करने वाले हेतु में साधर्म्य वैधर्म्य का अविनाभावी नहीं है।

समाधान—केवलान्वयी हेतु में भी साधर्म्य और वैधर्म्य—दोनों रहते हैं। जैसे जीव परिणामी है, या शब्दादि अपरिणामी नहीं है, अथवा समस्त चेतन या अचेतन अमुक रूप है या अमुक रूप नहीं है—ऐसी प्रतिज्ञा करके प्रमेय होने से सत् होने से, या वस्तु होने से, या अर्थ क्रियाकारो होने से इत्यादि हेतुओं का प्रयोग करने पर अन्वय की तरह व्यतिरेक भी पाया जाता है। यथा—परिणामी है, प्रमेय होने से। जो-जो प्रमेय होता है, वह-वह परिणामी होता है, जैसे घट। जो परिणामी नहीं होता, वह प्रमेय भी नहीं होता, जैसे आकाश का फूल।

१. अष्टसहस्री, पृष्ठ १४२।

२. आसमोमांसा, १७।

बौद्ध—तब तो आकाश के फूल को भी प्रमेय (प्रमाण का विषय) मानना होगा।

जैन—जैसे बौद्ध मत में स्वलक्षण के अनिर्देश्य होने पर अनिर्देश्य शब्द से उसका निर्देश करने में कोई विरोध नहीं माना जाता। तथा प्रत्यक्ष के कल्पना-पोढ होने पर भी 'कल्पनापोढ' शब्द की कल्पना करने में कोई विरोध नहीं माना जाता। क्योंकि, यदि विरोध माना जाये तो स्वलक्षण को अनिर्देश्य और प्रत्यक्ष को कल्पनापोढ भी नहीं कहा जा सकेगा। उसी तरह आकाश-पुष्प वगैरह असम्भव वस्तुएँ अप्रमेय हैं, ऐसा व्यवहार करने पर भी उनके अप्रमेय होने में कोई विरोध नहीं आता। क्योंकि आकाश-पुष्प को जानने वाले प्रमाण का अभाव है। फिर भी यदि आकाश-पुष्प वगैरह को प्रमेय माना जाता है तो प्रमेयाभाव भी प्रमेय हो जायेगा। और ऐसा होने पर प्रमेय और प्रमेयाभाव की व्यवस्था कैसे बन सकेगी ?

शङ्का—'आकाश-पुष्प वगैरह प्रमेय हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा जाने जाते हैं।

समाधान—नहीं, क्योंकि आपका हेतु असिद्ध है। आकाश-पुष्प आदि प्रत्यक्ष से नहीं जाने जाते, क्योंकि वे प्रत्यक्ष में अपना आकार अर्पित करने में असमर्थ हैं। और न अनुमान से ही जाने जाते हैं, क्योंकि उनका न तो किसी स्वभाव हेतु के साथ अविनाभाव सम्बन्ध है और न कार्य हेतु के साथ अविनाभाव है। यदि आकाश-पुष्प आदि का किसी स्वभाव हेतु के साथ अविनाभाव सम्बन्ध माना जायेगा तो आकाश-पुष्पादि निःस्वभाव नहीं होंगे तथा किसी कार्य हेतु के साथ उनका अविनाभाव सम्बन्ध मानने पर अर्थक्रियाकारी होने से सत् मानना होगा, क्योंकि जिसका कोई कार्य या स्वभाव होता है, वह सत् कहा जाता है। अतः आकाश-पुष्प वगैरह के प्रमेय होने की बात गलत है।

बौद्ध—आकाश आदि स्वलक्षण को छोड़कर आकाश पुष्पादि का अभाव नहीं देखा जाता। और आकाश पुष्पादि के अभाव का अभाव होने पर प्रमेयपना है ही।

जैन—स्वलक्षण आकाशादि ही आकाश-पुष्प का अभाव रूप नहीं है। विधि और नियम में सर्वथा एकरूपता सम्भव नहीं है।

बौद्ध—पुष्प रहित आकाश ही आकाश में पुष्प का अभाव है, सींग रहित खरगोश वगैरह ही खरगोश वगैरह में सींग का अभाव है। इस प्रकार आकाश और खरगोश वगैरह की विधि तथा पुष्प और सींग का निषेध—इन दोनों का विषय एक ही है। अतः इन दोनों में एकरूपता सम्भव है।

जैन—नहीं, आकाश और खरगोश वगैरह के भाव और अभाव रूप स्वभाव में भेद है। आकाश की अपेक्षा वह भाव स्वभाव है और पुष्प की अपेक्षा अभाव स्वभाव है।

बौद्ध—संकेत विशेष की अपेक्षा से शब्द और विकल्प के भेद से (अर्थात् आकाश शब्द से यह कहना चाहिए और पुष्प शब्द से यह कहना चाहिए) एक वस्तु में विधि और निषेध सम्भव है।

जैन—एक वस्तु में विधि और निषेध रूप दो स्वभाव होते हैं, उन्हीं के कारण संकेत विशेष सम्भव है। यदि वस्तु में स्वभाव-भेद न हो तो संकेत-भेद सम्भव नहीं है और संकेत-भेद के अभाव में बौद्धाभिमत शब्द-भेद और विकल्प-भेद भी सम्भव नहीं है।

बौद्ध—जो इन्द्र नहीं है, उसमें भी व्यवहारीजनों के संकेत विशेष से इन्द्र शब्द और इन्द्र विकल्प देखा जाता है। अतः संकेत विशेष का कारण वस्तु-स्वभाव भेद नहीं है, जिससे वस्तु में स्वभाव भेद न होने पर संकेत विशेष न हो और संकेत विशेष के न होने से शब्द और विकल्प भेद न हो। आकाश है, आकाश पुष्प नहीं है—इस प्रकार का शब्द और विकल्प भेद अनादि वासनावश होता ही है।

जैन—उक्त वादी को वस्तु-स्वभाव का अनुभव नहीं है। शब्द में सभी अर्थों को कहने की विचित्र शक्ति है, और सभी पदार्थों में सभी शब्दों के द्वारा कहे जाने की नाना शक्तियाँ हैं। गौणता और प्रधानता से शब्द व्यवहार होता है। किसी पदार्थ में, जो इन्द्र स्वभाव नहीं है, फिर भी इन्द्र शब्द के द्वारा कहे जाने की शक्ति के होने से व्यवहारी जनों के संकेतवश इन्द्र शब्द और इन्द्र विकल्प होता है, अतः संकेत विशेष का कारण वस्तु का स्वभाव-भेद ही है। वस्तु में स्वभाव-भेद न होने पर संकेत विशेष नहीं हो सकता। और उसके अभाव में प्रत्यय विशेष नहीं हो सकता। यदि वस्तु में स्वभाव-भेद से होने वाले संकेत विशेष के बिना प्रत्यय विशेष हो सकता तो आकाश-पुष्प की तरह आकाश में भी 'नास्ति' इस प्रकार का प्रत्यय क्यों नहीं होता? या आकाश की तरह आकाश-पुष्प में भी

‘अस्ति’ प्रत्यय क्यों नहीं होता ? या उन दोनों में से किसी एक में भी दोनों प्रत्यय क्यों नहीं होते ? क्योंकि संकेत विशेष के लिए वस्तु-स्वभाव भेद की तो अपेक्षा ही नहीं है। किन्तु विधि और निषेध रूप सुनिश्चित प्रत्यय विशेष बिना किसी बाधा के होते हैं। अतः एक वस्तु के जितने पररूप हैं, उन पररूपों से निवृत्ति रूप उतने ही स्वभाव-भेद उस वस्तु में प्रति समय मानना चाहिए। इसलिए स्वलक्षण रूप आकाश ही अन्यापोह (आकाश-पुण्य का अभाव) नहीं है और इसलिए आकाश-पुण्य वगैरह प्रमेय नहीं है।

बौद्ध—‘इतर व्यावृत्ति या अन्यापोह तो निस्स्वभाव होने से असत्य रूप है।

जैन—बौद्ध का निविकल्पक प्रत्यक्ष तो ‘न हुए’ के समान है और जो सविकल्पक ज्ञान है वह स्वलक्षण रूप वस्तु को विषय नहीं करता, उसका विषय अन्यापोह है, और अन्यापोह उसके मत से असत्य है, तब बौद्ध ‘यही वस्तु तत्त्व है और इसी प्रकार है’ यह कैसे तो स्वयं जानता है और कैसे दूसरों को समझाता है, यह बड़ा आश्चर्य है।

अतः पदार्थ विधि और निषेध के विषयभूत स्वभाव भेदों को धारण करता हुआ प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण के द्वारा जाना जाने से प्रमेय है तथा आकाश-पुण्य वगैरह अप्रमेय हैं, इसलिए प्रमेयत्व आदि हेतुओं में व्यतिरेक रहता ही है। अतः सब हेतुओं में साधर्म्य वैधर्म्य का अविनाभावी है, यह उदाहरण प्रसिद्ध होने से ऊपर जो अनुमान दिया है कि एक धर्मी जीवादि में अस्तित्व धर्म नास्तित्व का अविनाभावी है, विशेषण होने से वह निर्दोष है।

७. नास्तित्वधर्म अस्तित्व का अविनाभावी

जीवादि में अस्तित्व, नास्तित्व का अविनाभावी भले ही हो, किन्तु नास्तित्व, अस्तित्व का अविनाभावी कैसे है ? आकाश-पुण्य आदि में नास्तित्व के होते हुए भी अस्तित्व असम्भव है। ऐसी आशङ्का का परिहार करने के लिए आचार्य समन्तभद्र आगे कहते हैं—

नास्तित्वं प्रतिषेध्येर्नाविना भाव्येकधर्मिणि ।

विशेषणत्वाद्द्वैधर्म्यं यथाऽभेदविवक्षया ॥^१

१. अष्टसहस्री, पृष्ठ १४५ ।

२. आसमीमांसा, १८ ।

जो जो विशेषण होता है वह एक वस्तु में अपने प्रतिपक्षी धर्म का अविनाभावी होता है। जैसे अनुमान में वैचर्म्य, साधर्म्य के साथ अविनाभावी है। नास्तित्व भी विशेषण है, अतः वह अस्तित्व के साथ अविनाभावी है। इस अनुमान से नास्तित्व भी अस्तित्व का अविनाभावी सिद्ध होता है, क्योंकि साध्य अस्तित्व के सद्भाव में ही नास्तित्व विशेषण रूप हेतु सद्भाव का निश्चय है। यदि अस्तित्व के अभाव में भी नास्तित्व विशेषण रहेगा तो व्यवहार के संकर का प्रसङ्ग उपस्थित होगा। जैसे ऊँटपना ऊँट में रहता है, वैसे ही दही में भी उसका सद्भाव मानना होगा। तथा दहीपना जैसे दही में रहता है, वैसे ही उसे ऊँट में भी मानना होगा। किसी से 'दही खाओ' ऐसा कहने पर वह ऊँट की ओर दौड़ेगा, या फिर ऊँट की तरह दही की ओर भी नहीं दौड़ेगा, क्योंकि किसी में भी दहीपने या ऊँटपने का अभाव नहीं है। इस तरह एक की ओर प्रवृत्ति और दूसरे से निवृत्ति रूप जो व्यवहार है वह गड़बड़ा जायेगा। क्योंकि सभी वस्तुएँ सब रूप से सत् हैं, एक का दूसरे में अभाव नहीं है।

यदि कहोगे कि दही में स्वरूप से दहीपना है, ऊँट रूप से नहीं; तथा ऊँट में स्वरूप से ऊँटपना है, दहीरूप से नहीं, अतः प्रवृत्ति आदि के व्यवहार में संकर दोष का प्रसङ्ग नहीं आता तो यह सिद्ध होता है कि दहीपना प्रतिषेध्य अदहीपने का अविनाभावी है और ऊँटपना प्रतिषेध्य 'न ऊँटपने' का अविनाभावी है। इसी तरह सभी विशेषण अपने प्रतिषेध्य के अविनाभावी होते हैं। इस तरह 'नास्तित्व अस्तित्व से अविनाभावी है, विशेषण होने से' इस हेतु की अपने साध्य के साथ अन्यथानुपपत्ति सिद्ध है, क्योंकि विपक्ष में बाधक का सद्भाव है।

८. शब्दगोचर-विशेष्य विधि-प्रतिषेधात्मक

किन्हीं का कहना है कि अस्तित्व और नास्तित्व केवल विशेषण ही हैं, विशेष्य नहीं हैं, इसलिये वे वास्तविक साध्य धर्म और साधन धर्म के आधार नहीं हो सकते हैं। और ऐसी स्थिति में आपने अस्तित्व को नास्तित्व का अविनाभावी और नास्तित्व को अस्तित्व का अविनाभावी सिद्ध करने के लिए जो दो अनुमान दिए हैं, वे वास्तविक नहीं हैं।

दूसरों का कहना है कि अस्तित्व और नास्तित्व सर्वथा शब्दवाच्य नहीं हैं, क्योंकि वस्तुरूप अवाच्य है (शब्द के द्वारा उसे नहीं कहा जा सकता है)। अन्य

बादियों का कहना है कि अस्तित्व और नास्तित्व वस्तु से अत्यन्त भिन्न है, जैसे घट और पट अत्यन्त भिन्न हैं। किन्हीं का कहना है कि वस्तु अस्तित्व-नास्तित्व रूप नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर धर्म और धर्मी के संकर का प्रसङ्ग आता है। इन सब बादियों के समाधान के लिये आचार्य समन्तभद्र कहते हैं—

विधेयप्रतिषेध्यात्मा विशेष्यः शब्दगोचरः।

साध्यधर्मो यथा हेतुरहेतुश्चाप्यपेक्षया ॥

विधेय अर्थात् अस्तित्व, प्रतिषेध्य अर्थात् नास्तित्व। सभी जीवादि अर्थ अस्तित्व-नास्तित्व रूप हैं, विशेष्य होने से। जैसे उत्पत्तिमत्व हेतु अनित्यत्वरूप साध्य की अपेक्षा से हेतु है और नित्यत्व रूप साध्य की अपेक्षा से अहेतु है, क्योंकि उत्पत्तिमान् हेतु से अनित्यत्व की सिद्धि होती है, नित्यत्व की सिद्धि नहीं होती। इस अनुमान से जीवादि अर्थ अस्तित्व-नास्तित्व रूप सिद्ध होते हैं। शायद कहा जाये कि जीवादि अर्थ विशेष्य नहीं हैं, इसलिए 'विशेष्य होने से' यह हेतु असिद्ध है। किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जीवादि अर्थ विशेष्य हैं शब्दगोचर होने से, हेतु की तरह। इस अनुमान से विशेष्यत्व हेतु की सिद्धि होती है। यह संक्षेप में उक्त कारिका का अर्थ है।

बौद्ध—निविकल्पक प्रत्यक्ष में स्वलक्षण रूप वस्तु का ही प्रतिभास होता है, अस्तित्व आदि विशेषणों का नहीं, स्वलक्षण तो समस्त विकल्पों से रहित है। सविकल्पक ज्ञान में ही अस्तित्व आदि व्यवहार प्रसिद्ध है।

जैन—नहीं। अस्तित्व आदि अनेक विकल्प रूप सांश वस्तु की ही प्रतीति होती है। कोई वस्तु अस्तित्व आदि किसी धर्म से विशिष्ट यदि ग्रहण की जाती है तो विशेषण, विशेष्य और उनके सम्बन्ध के ग्रहण पूर्वक ही ग्रहण की जाती है, अन्यथा नहीं, ऐसा बौद्ध का अभिप्राय होने पर भी वस्तु के विधि और प्रतिषेध रूप प्रत्येक स्वभाव का दर्शन अवश्य होता है। 'वस्तु का ही दर्शन होता है उसके विधि-निषेध रूप विशेषणों का दर्शन नहीं होता', ऐसा नहीं कह सकते। यदि निविकल्पक प्रत्यक्ष में अस्तित्व-नास्तित्व रूप स्वभाव से शून्य स्वलक्षण का दर्शन होता है तो उसके पश्चात् होने वाले सविकल्पक ज्ञान के द्वारा भी अस्तित्व और नास्तित्व का निश्चय नहीं हो सकता, क्योंकि बौद्ध ऐसा मानते हैं कि निविकल्पक में जिस वस्तु का दर्शन होता है, उसके पश्चात् होने वाला सविकल्पक

१. आसमीमांसा, १९।

२. अष्टसहस्री, पृष्ठ १४७।

ज्ञान भी उसी का ग्रहण करता है, अन्य का नहीं। इसलिये विधि और प्रतिषेध स्वलक्षण को सांश ही सिद्ध करते हैं। यदि उसमें सर्वथा भेद का अभाव हो तो 'यह सत् है' 'यह असत् है'—इस प्रकार से दर्शन के अभाव का अनुपग आता है। और उस अवस्था में 'इसे मैं प्राप्त करता हूँ' 'इसे प्राप्त नहीं करता'—इस प्रकार के विकल्प की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसलिये सामान्य-विशेषात्मक वस्तु ही स्वलक्षण है। समस्त विकल्पों से रहित सामान्य रूप अथवा विशेष रूप परस्पर निरपेक्ष उभय रूप वस्तु स्वलक्षण नहीं है; क्योंकि वस्तु न केवल सामान्य रूप है, न केवल विशेष रूप है और न परस्पर निरपेक्ष सामान्य-विशेष रूप है, किन्तु जात्यन्तर सामान्य-विशेषात्मक ही वस्तु का स्वरूप है। जो उस उस जात्यन्तर रूप से लक्षित है, वही स्वलक्षण है। उसमें कोई बाधक नहीं है।

शब्द—विधेय (अस्तित्व) और प्रतिषेध्य (नास्तित्व) का आधारभूत धर्मी कौन है ? और उन दोनों के साथ उसका क्या सम्बन्ध है, जिससे जीवादि विधेय-प्रतिषेध्यात्मा या अस्तित्व-नास्तित्व रूप है, इस प्रकार का विशेषण-विशेष्यभाव बन सके ?

समाधान—सामान्य धर्मी अस्तित्व और नास्तित्व का आधार है और उनका उससे तादात्म्य सम्बन्ध है, सम्बन्धान्तर मानने पर अनवस्था दोष आता है। अतः यह कहना कि 'जाति आदि से विशिष्ट द्रव्य का प्रत्यक्ष से ग्रहण नहीं होता' ठीक नहीं है, प्रत्युत जाति आदि के अभाव में ही प्रत्यक्ष से ग्रहण सम्भव नहीं है। अतः प्रत्यक्ष पहले विशेषण को ग्रहण करके फिर विशेष्य को ग्रहण करता है, उसके पश्चात् विशेषण और विशेष्य के सम्बन्ध समवाय को ग्रहण करता है, फिर विशेषण-विशेष्य व्यवहार मूलक लोक स्थिति को ग्रहण करता है, फिर उन सबका संकलन करके 'यह वस्तु सत् है' ऐसा ग्रहण करता है, बौद्ध के द्वारा मान्य यह प्रतीति-क्रम ही दुर्घट है। अपने अपने क्षयोपशम के अनुसार प्रत्यक्ष और परोक्षज्ञान में सामान्य विशेष रूप जात्यन्तर वस्तु का ही बिना किसी बाधा के अनुभव होता है, उससे विपरीत वस्तु की कभी भी प्रतीति नहीं होती। अतः निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में, सविकल्पक में और शब्द प्रमाण में स्पष्ट और अस्पष्ट रूप से कश्चित् प्रतिभास-भेद होने पर भी विषय-भेद नहीं है, जैसे एक वृक्ष को निकट और दूर से देखने वाले दो मनुष्यों के दर्शन में विषय-भेद नहीं है। यदि प्रतिभास में भेद होने पर विषय-भेद मानते हो तो एक ही विषय को जानने वाले योगी और सामान्य जन के प्रत्यक्ष में भी विषय-भेद का प्रसङ्ग आता है।

इस तरह सामान्य-विशेषात्मक वस्तु को प्रत्यक्ष का विषय बतलाने से दृष्टान्त के रूप में उपस्थित किये गये उत्पत्तिमत्व आदि हेतु को भी प्रत्यक्ष का विषय कह दिया है, जिसका खुलासा इस प्रकार है—धूम हेतु अग्नि की अपेक्षा हेतु है और जल की अपेक्षा हेतु नहीं है, क्योंकि धूम को देखकर अग्नि का अनुमान किया जाता है, पानी का नहीं। इसी तरह उत्पत्तिमत्व विनश्वरत्व की अपेक्षा हेतु है और अविनश्वरत्व की अपेक्षा अहेतु है; क्योंकि जो उत्पन्न होता है वह नष्ट भी होता है। जो अग्नि के साध्य होने पर धूम के साधनत्व विशेषण को और पानी के साध्य होने पर उसके असाधनत्व विशेषण को नहीं जानता, वह विशेष्य धूम को भी नहीं जानता। इसी प्रकार जो विनश्वरत्व साध्य होने पर उत्पत्तिमत्व के साधनत्व विशेषण को और अविनश्वरत्व साध्य होने पर उसके असाधनत्व विशेषण को नहीं जानता, वह विशेष्य उत्पत्तिमत्व को भी नहीं जानता और ऐसी स्थिति में वह अग्नि तथा विनश्वरत्व रूप साध्य विशेष्य को भी नहीं जान सकता, किन्तु जानता है। अतः वह अवश्य ही उनके हेतुओं को भी जानता है, क्योंकि एक ही हेतु को अपने साध्य की अपेक्षा साधन और असाध्य की अपेक्षा असाधन रूप से जानने में कोई विरोध नहीं है। हाँ, साध्य और असाध्य की अपेक्षा न करने पर एक ही हेतु को साधन और असाधन मानने में विरोध आता है, क्योंकि एक ही साध्य में एक ही हेतु की साधनता और असाधनता नहीं देखी जाती। यह उदाहरण वादी और प्रतिवादी—दोनों को इष्ट है। अतः जैसे उत्पत्तिमत्व को अपने साध्य की अपेक्षा हेतु और असाध्य की अपेक्षा अहेतु माना जाता है, वैसे ही जो कोई भी वस्तु है वह सब विधि-निषेधात्मक या अस्तित्व-नास्तित्व रूप है। चूँकि जीवादि वस्तु है, अतः वह भी विधि-निषेधात्मक या अस्तित्व-नास्तित्वात्मक है।

६. सर्वथा अर्थक्रिया का निषेध

एवं विधिनियेधाभ्यामनवस्थितमर्थकृतम् ।

नेति चेन्न यथा कार्यं बहिरन्तरस्थाधिभिः ॥^१

^१इस प्रकार 'जीवादि वस्तु सत् ही है' या 'असत् ही है' इस प्रकार सर्वथा विधि और सर्वथा निषेध से अनवस्थित अर्थात् अनेकान्तात्मक वस्तु ही कार्यकारी

१. आसमीमांसा, २१ ।

२. अष्टसहस्री, पृष्ठ १४९-१५० ।

है। यदि वस्तु को ऐसा नहीं माना जायेगा तो जैसे सहकारी और उपादान कारणों से रहित कार्य नहीं बन सकता, वैसे ही समस्त जीवादि वस्तु के सर्वथा विधि या सर्वथा निषेध रूप मानने पर कार्यकारी नहीं हो सकती। क्योंकि भावैकान्त और अभावैकान्त में कार्य का सर्वथा निषेध कर आये है।

शङ्का—यदि वस्तु को केवल सत् या केवल सर्वथा असत् माना जाये तो यह अर्थक्रियाकारी क्यों नहीं है ?

समाधान—अनेकान्तवाद में सदसदात्मक वस्तु ही अर्थक्रियाकारी है। जैसे सुवर्णत्व रूप द्रव्य की दृष्टि से सत् और केयूर आदि पर्याय की दृष्टि से असत् सुवर्ण केयूर रूप से परिणमन करने की शक्ति रूप विशिष्ट अन्तरङ्ग सामग्री और सुवर्णकार के व्यापार रूप बाह्य सामग्री के मिलने पर केयूर आदि रूप से उत्पन्न होता है, अतः सदसदात्मक वस्तु ही कार्यकारी है। उसी तरह जीवादि वस्तु को भी जानना चाहिये। यदि वस्तु को सर्वथा सत् माना जायेगा तो सत् की पुनः उत्पत्ति सम्भव नहीं है। यदि सत् की उत्पत्ति के लिये भी कारणों की अपेक्षा आवश्यक है तो उसका कभी विराम नहीं होगा। और जो अनुत्पन्न है उसकी स्थिति और विनाश नहीं हो सकता, क्योंकि वह आकाश-पुष्प की तरह सर्वथा असत् है। इसी तरह सर्वथा असत् की भी उत्पत्ति आदि नहीं हो सकती। अतः सदेकान्त और असदेकान्त में अर्थक्रिया नहीं होती।

बौद्ध—यदि अपनी उत्पत्ति से पहले अविद्यमान कार्य की उत्पत्ति कारण सामग्री से मानी जाये तो क्या दोष है ?

जैन—कारण सामग्री का निरन्वय विनाश मानने पर विना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। क्योंकि स्थिति की तरह क्रिया रूप होने से उत्पत्ति और विनाश निराधार नहीं हो सकते।

बौद्ध—उत्पत्ति आदि क्रिया नहीं है, क्योंकि क्षणिक में उत्पत्ति आदि असम्भव है, अतः क्रिया रूप होने से हेतु असिद्ध है।

जैन—यह बात तो प्रत्यक्ष विरुद्ध है, क्योंकि इन्द्रियज्ञान में उत्पत्ति आदि वाली वस्तु की प्रतीति होती है। अतः उत्पाद, विनाश और स्थिति से रहित सत्ता मात्र के मानने में प्रत्यक्ष से बाधा आती है। यदि कहोगे कि निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में इनका प्रतिभास नहीं होता तो उत्पत्ति आदि से सहित सविकल्पक ज्ञान भी नहीं होना चाहिये। क्योंकि दण्ड और पुष्प के सम्बन्ध का प्रत्यक्ष न होने पर 'दण्डो' विकल्प नहीं होता।

बौद्ध—यद्यपि निर्विकल्पक बुद्धि में उत्पाद आदि का प्रत्यक्ष नहीं होता, फिर भी उस प्रकार की पूर्वकालीन वासना के कारण उत्पाद आदि से विशिष्ट विकल्प की प्रतीति होती है।

जैन—तब तो नील, सुख वगैरह का प्रत्यक्ष नहीं होने पर भी उनके विकल्प ज्ञान का प्रसङ्ग आता है और ऐसी स्थिति में उसके आधार पर उनकी सत्ता सिद्ध नहीं की जा सकती है।

ज्ञानार्द्रत मानने पर भी ज्ञानार्द्रत के अभाव में भी वासना के बल से ही ज्ञान के स्वरूप का प्रतिभास होने से स्वरूप की स्वतः गति कैसे सिद्ध होगी ? यदि अर्द्रत वासना के बिना सत् ज्ञान स्वरूप की स्वतः गति मानते हो तो उत्पत्ति आदि क्रिया विशेषों का निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में दर्शन और उसी से विकल्प की उत्पत्ति माननी चाहिये। अतः उत्पत्ति आदि क्रिया असिद्ध नहीं हैं। और इसलिये सर्वथा असत् की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अतः यह कहना ठीक ही है कि जो सर्वथा सत् या सर्वथा असत् है वह उत्पन्न नहीं हो सकता, जैसे आकाश और वन्या का पुत्र। सर्वथा सत् आकाश उत्पन्न नहीं होता और न सर्वथा असत् वन्या पुत्र ही उत्पन्न होता है।

शङ्का—यदि आकाश उत्पन्न नहीं होता तो उसकी स्थिति कैसे हो सकती है ? क्योंकि आपने पहले कहा था कि जो उत्पन्न नहीं होता, उसकी स्थिति और विनाश नहीं होता।

जैन—हम आकाश का भी सर्वथा अनुत्पाद नहीं मानते। यहाँ केवल द्रव्याधिक नय की अपेक्षा और चूँकि अन्य मतावलम्बी आकाश को सर्वथा अनुत्पन्न मानते हैं, अतः उनकी मान्यता वक्ष आकाश का उदाहरण दिया है। इसलिये पूर्वापर विरोध नहीं है। पहले सर्वथा उत्पन्न न होने वाली वस्तु की स्थिति का निषेध किया है। उसका आशय यह है कि जो द्रव्याधिक नय की अपेक्षा उत्पन्न नहीं होता उसी की स्थिति बनती है। अतः जो अर्थक्रियाकारी है वह न सर्वथा सत् होता है और न सर्वथा असत्। क्योंकि एकान्तवाद में सर्वथा अर्थक्रिया का विरोध है।

१०. अद्वैतकान्त विचार

अद्वैतकान्तपक्षेऽपि दृष्टो भेदो विरुध्यते।

कारकाणां क्रियायाश्च नैकं स्वस्मात् प्रजायते ॥^१

अद्वैतकान्त के पक्ष में भी प्रत्यक्ष आदि के द्वारा देखा गया कारकों का और क्रिया का भेद नहीं बनता। क्योंकि एक ब्रह्म अपने से ही उत्पन्न नहीं हो सकता।

अद्वैतवादी—अद्वैत में भी कारक भेद बनने में प्रत्यक्ष आदि के द्वारा कोई विरोध नहीं आता। एक ही वृक्ष में एक साथ अथवा क्रम से कर्ता आदि अनेक कारकों की प्रतीति होती है। उसी तरह एक ही वस्तु में नाना कियाएँ भी बन सकती हैं। एक ही वेवदत्त में देश आदि की अपेक्षा से गमन और अगमन अथवा स्थिति और क्षयन का एक साथ निश्चय होता है। उसी तरह एक परब्रह्म में भी समस्त क्रिया और कारकों का भेद होने में कोई विरोध नहीं है। जैसे नाना प्रतिभास होने पर भी चित्रज्ञान के एक होने में कोई रुकावट नहीं है उसी तरह प्रतिभास-भेद के होने पर भी परब्रह्म के एक होने में कोई रुकावट नहीं है।

जैन—अद्वैतकान्त में क्रिया-कारक भेद अजन्मा है या जन्मवाला? अजन्मा तो हो नहीं सकता; क्योंकि वह अनित्य है। जो अजन्मा होता है वह अनित्य नहीं होता, जैसे आत्मा। किन्तु क्रिया-कारक भेद अनित्य है, अतः वह अजन्मा नहीं हो सकता। यदि वह जन्मवाला है तो उसकी उत्पत्ति किससे होती है? यदि परब्रह्म से ही होती है तो अद्वैत की सिद्धि कैसे हुई? कारण और कार्य के भेद से द्वैत ही सिद्ध हुआ। यदि कहते हो कि क्रिया वगैरह कार्य ब्रह्म से अभिन्न है, अतः अद्वैत ही है तो अपने से ही अपनी उत्पत्ति कैसे हो सकती है तथा कार्य से अभिन्न ब्रह्म अकार्य कैसे हो सकता है? और ऐसी स्थिति में वह नित्य नहीं हो सकता। यदि कहेंगे कि क्रिया आदि कारक-भेद पर से उत्पन्न होता है तो द्वैत की सिद्धि होती है, क्योंकि आप क्रिया-कारक-भेद का कारण परब्रह्म से भिन्न मानते हैं।

अद्वैतवादी—वह पर अनादि अविद्या रूप होने से मिथ्या है, अतः वह दूसरा नहीं है और इसलिये द्वैत की सिद्धि नहीं होती।

जैन—जो मिथ्या है वह कारण कैसे हो सकता है?

अद्वैतवादी—उससे उत्पन्न होने वाला कार्य भी मिथ्या है, अतः कोई दोष नहीं है।

जैन—तो क्या गधे के सींग से घोड़े के सींग का जन्म होता है ? यदि नहीं होता तो अविद्या रूप कारण से अविद्या रूप कार्य की उत्पत्ति कैसे हो सकती है ?

अद्वैतवादी—इन्द्रजाल में मायामयी अग्नि से मायामयी धूम की उत्पत्ति देखी जाती है, अतः कोई दोष नहीं है ।

जैन—इन्द्रजाल में भी अग्नि और धूम सर्वथा मायामयी नहीं होते । न तो उनका प्रतिभास ही माया रूप है, क्योंकि वह स्वसंवेदन से सिद्ध है । और न बाह्य सद्रूप ही माया स्वभाव है, क्योंकि वह व्यभिचारी नहीं है ।

अद्वैतवादी—उस सद्रूप के अग्नि और धूम रूप से जो विशेष आकार है, वे माया रूप हैं ।

जैन—उनसे रहित वस्तु से भिन्न माया सम्भव नहीं है, अतः क्रिया-कारक-भेद प्रपञ्च से भिन्न परब्रह्म से पृथक् जब अविद्या नहीं है, तब अविद्या रूप ब्रह्म से अविद्या रूप कार्य की उत्पत्ति होने पर अपने से अपनी ही उत्पत्ति क्यों नहीं हुई कहलाई ? और प्रमाण विरुद्ध होने से इस बात को सिद्ध नहीं किया जा सकता है ।

अद्वैतवादी—क्रिया-कारक भेद न तो स्वतः उत्पन्न होता है और न पर से उत्पन्न है, किन्तु उत्पन्न अवश्य होता है ।

जैन—यह बात तो प्रत्यक्ष विरुद्ध होने के साथ ही साथ किसी को इष्ट भी नहीं हो सकती । स्वतः और परतः उत्पन्न न होने वाली कोई वस्तु उत्पन्न होती हुई नहीं देखी गई । अतः जो बात प्रत्यक्ष विरुद्ध है, वह ठीक नहीं है । और इसलिए क्रिया-कारक के भेद को ग्रहण करने वाले प्रत्यक्ष आदि के द्वारा अद्वैतवाद में विरोध आता है ।

अद्वैतवादी—जैसे एक स्वप्नज्ञान में हाथी-घोड़ा अदि अनेक वस्तुओं का प्रतिभास होता है, वैसे ही एक परब्रह्म में भी घट-पट आदि का प्रतिभास होने पर भी कोई विरोध नहीं आता ।

जैन—स्वप्नज्ञान में भी स्ववासना से उत्पन्न हुआ क्रिया विशेष का ज्ञान भिन्न है और कारक विशेष का ज्ञान भिन्न है, एक ही नहीं है । यदि उनको एक माना जायेगा तो उनका हेतु जो वासना-भेद माना जाता है, उसके अभाव

का प्रसङ्ग आता है। जाग्रत ब्रह्मा की तरह स्वप्नादि दशा में भी अनेक शक्ति वाले पुरुष को क्रिया-कारक विषयों के नाना प्रतिभास होते हैं। अनेकान्तवादी जैन एक रूप आत्मा आकाश वगैरह को भी अनेक क्रिया-कारक विषयों के ज्ञान का आलम्बन मानते हैं। अतः अद्वैतवाद प्रत्यक्ष आदि से विरुद्ध है। 'कुम्भकार दण्ड आदि के द्वारा घट को करता है', 'देवदत्त हाथ से भात खाता है' इत्यादि प्रत्यक्ष भ्रान्त नहीं हैं, जिससे वे अद्वैत के विरोधक न हों। 'सर्वत्र क्रिया-कारक आदि कश्चिद् भिन्न है, क्योंकि उनका भिन्न प्रतिभास होता है' यह अनुमान तथा 'नाना जीव हैं' यह आगम भ्रान्त नहीं है, अतः वे भी अद्वैत का विरोध करने वाले हैं।

अद्वैतवादी—विवादग्रस्त उक्त प्रत्यक्षादि मिथ्या ही हैं, क्योंकि उनमें भेद का प्रतिभास होता है, जैसे स्वप्न में होने वाला प्रत्यक्ष।

जैन—उक्त अनुमान में पक्ष, हेतु और दृष्टान्त का भेद-प्रतिभास यदि मिथ्या नहीं है तो उसी से हेतु में व्यभिचार का दोष आता है। यदि वह मिथ्या है तो उस अनुमान से साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती।

अद्वैतवादी—दूसरों के द्वारा मान्य होने के कारण पक्ष आदि के भेद का प्रतिभास मिथ्या नहीं है। अतः कोई दोष नहीं है।

जैन—तो 'स्वयं को मान्य' और 'दूसरों को मान्य' इस भेद-प्रतिभास से व्यभिचार आता है। अतः अद्वैतकान्त प्रत्यक्षादि से विरुद्ध है।

'अद्वैतकान्त में दूषणान्तर देते हैं—

कर्मद्वैतं फलद्वैतं लोकद्वैतं च नो भवेत् ।

विद्याविद्याद्वयं न स्याद्वन्धमोक्षद्वयं तथा ॥^१

अद्वैतकान्त में लौकिक और वैदिक कर्म, अथवा पुण्य और पाप कर्म नहीं होंगे। और उनके न होने से इस लोक और परलोक में अच्छे और बुरे फल नहीं होंगे, क्योंकि कारण के अभाव में कार्य को उत्पत्ति नहीं होती। और इसलिए इहलोक और परलोक भी नहीं होंगे।

अद्वैतवादी—यह सब द्वैत अनादिकालीन अविद्या के कारण ही है, अतः कोई दोष नहीं है।

१. अष्टसहस्री, पृष्ठ १५९।

२. आसमीमांसा, २५।

जैन—घर्म और अघर्म के अभाव में बन्ध और मोक्ष के द्वैत की तरह विद्या और अविद्या का द्वैत भी सम्भव नहीं है ।

अद्वैतवादी—अनादिकालीन अविद्या के कारण ही विद्या और अविद्या का तथा बन्ध और मोक्ष का द्वैत है, वास्तव में नहीं है, क्योंकि आगम में लिखा है—

‘न बन्धोऽस्ति न वै मोक्ष इत्येषा परमार्थता ।’

‘न बन्ध है और न मोक्ष है’ यही परमार्थता है ।

प्रतिभास मात्र परब्रह्म ही तात्त्विक है ।

जैन—तब तो बौद्ध का नैरात्म्यवाद भी तात्त्विक हो जायेगा, अतः नैरात्म्य की तरह परब्रह्म की कल्पना भी निष्फल है । इसलिये पुण्य-पाप, सुख-दुःख, इहलोक-परलोक, विद्या-अविद्या, बन्ध-मोक्ष—इन द्वैतों से रहित अद्वैतवाद बुद्धि-शालियों के द्वारा स्वीकार करने के योग्य नहीं है, जैसे नैरात्म्यदर्शन । अतः उसकी जिज्ञासा भी कल्याणकारिणी नहीं है ।

११. ब्रह्माद्वैत-विचार

ब्रह्माद्वैतवादी :

ब्रह्माद्वैत अनुमान तथा आगम प्रमाण से सिद्ध है । उसका साधक अनुमान इस प्रकार है—जो वस्तु प्रतिभास का समानाधिकरण है, वह प्रतिभास के अन्तः प्रविष्ट है, जैसे प्रतिभास का स्वरूप । और सभी प्रतिभास का समानाधिकरण है । इस हेतु से परब्रह्म की सिद्धि होती है । यह हेतु असिद्ध नहीं है—‘सुख का प्रतिभास होता है’ ‘रूप का प्रतिभास होता है’—इस प्रकार सर्वत्र प्रतिभास के समानाधिकरणत्व की प्रतीति होती है । अन्यथा (प्रतिभास के समानाधिकरणत्व के अभाव में) वस्तु का सद्भाव सिद्ध नहीं हो सकता । जो प्रतिभासमान नहीं

१. न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः ।

न मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥

—माण्डूक्योपनिषत्, २।२ ।

न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च मोचकः ।

न बन्धोऽस्ति न वै मुक्तिरित्येषा परमार्थता ॥

—तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक, १।१।९३ उत्थानिका ।

२. अष्टसहस्री, पृष्ठ १५९ ।

होता, उसका भी सद्भाव मानने पर सभी के मनोरथों की सिद्धि का प्रसङ्ग आने से गधे के सींग भी असत् नहीं हो सकेंगे ।

शङ्का—प्रतिभास से भिन्न प्रतिभास्य बाह्य तथा आभ्यन्तर अर्थ भी उपचार से प्रतिभास का समानाधिकरण है, अतः आपका हेतु असिद्ध है ।

समाधान—उक्त कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्रतिभास्य और प्रतिभास में प्रतिभास्य-प्रतिभासभाव अनुपपन्न है ।

शङ्का—चूँकि प्रतिभास हेतु है, अतः अर्थ प्रतिभास्य है ।

समाधान—प्रतिभास मात्र अहेतुक है, अतः कोई अर्थ उसका हेतु नहीं हो सकता है और वह अहेतुक इसलिये है, क्योंकि वह नित्य है । यदि वह सहेतुक होता तो कभी भी उसका अभाव हो जाता ।

शङ्का—प्रतिभास का आलम्बन होने से अर्थ प्रतिभास्य है ।

समाधान—अर्थ प्रतिभास का आलम्बन क्यों है ? यदि कहेंगे कि वह प्रतिभास्य है इसलिए प्रतिभास का आलम्बन है तो परस्पराश्रय दोष आता है । क्योंकि प्रतिभास का आलम्बन होने पर अर्थ प्रतिभास्य सिद्ध होता है और अर्थ का प्रतिभास्य सिद्ध होने पर वह प्रतिभास का आलम्बन सिद्ध होता है । यदि कहेंगे कि प्रतिभास का आलम्बन होने के योग्य होने से अर्थ प्रतिभास्य है, तब तो प्रतिभास का स्वरूप ही प्रतिभास्य है और वही प्रतिभास का आलम्बन है, क्योंकि सर्वत्र प्रतिभास का आलम्बन उसका स्वरूप ही होता है । अतः अर्थ उपचार से प्रतिभास का समानाधिकरण नहीं है और इसलिये हमारा हेतु असिद्ध नहीं है और इसीलिये वह व्यभिचारी अथवा विरुद्ध भी नहीं है । क्योंकि 'जो प्रतिभास के अन्तःप्रविष्ट नहीं है, ऐसी कोई भी वस्तु प्रतिभास का समानाधिकरण नहीं है । अतः हेतु विपक्ष में नहीं रहता । हमारा हेतु आश्रयासिद्ध भी नहीं है, क्योंकि सभी कुछ परब्रह्म के आश्रय है । श्रुति के व्याख्यान में कहा है—

ब्रह्मोति ब्रह्मशब्देन कृत्स्नं वस्त्वभिधीयते ।

प्रकृतस्यात्मकात्स्न्यस्य वै शब्दः स्मृतये मतः ॥

'ब्रह्म' इस ब्रह्म शब्द से समस्त वस्तु कही जाती है । श्रुति वाक्य में 'वै' शब्द का प्रयोग प्रकृत आत्मा (ब्रह्म) की सर्वत्र व्याप्तता बतलाने के लिये किया गया है ।

अतः निर्दोष हेतु से अद्वैत की सिद्धि होती ही है। उपनिषद् में भी कहा है—'सर्वं वै सत्त्विदं ब्रह्म' यह सब ब्रह्म ही है।

जैन :

ब्रह्माद्वैत का प्रतिविधान करते हुये आचार्य समन्तभद्र कहते हैं—

हेतोरद्वैतसिद्धिश्चेद् द्वैतं स्याद्धेतुसाध्ययोः।
हेतुना चेद्विना सिद्धिर्द्वैतं वाङ्मात्रतो न किम् ॥^१

यदि हेतु से अद्वैत की सिद्धि करते हो तो हेतु और साध्य का द्वैत सिद्ध होता है। यदि बिना हेतु के अद्वैत की सिद्धि करते हो तो वचन मात्र से द्वैत की सिद्धि क्यों नहीं होगी ?

अद्वैतवादी—'प्रतिभास का समानाधिकरण होने से' इस हेतु से सभी के प्रतिभास के अन्तःप्रविष्ट होने से पुण्याद्वैत की सिद्धि होने पर भी हेतु और साध्य का द्वैत नहीं होगा, क्योंकि हेतु और साध्य का तादात्म्य माना गया है। शायद कहा जाये कि तादात्म्य मानने पर साध्य और साधन में साध्य-साधनभाव का विरोध होगा तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा होने पर 'शब्द अनित्य है सत् होने से' इस अनुमान में सत्त्व और अनित्यत्व में भी साध्य-साधन-भाव के विरोध का अनुपग आता है। यदि कहोगे कि यहाँ कल्पना के भेद से साध्य-साधन धर्म का भेद मानते हैं तो प्रकृत अनुमान में भी अविद्या के द्वारा कल्पित हेतु और साध्य में साध्य-साधनभाव का विरोध कैसे आ सकता है ? दोनों में कोई विसौपता नहीं है।

जैन—शब्द वगैरह में सत्त्व और अनित्यत्व में हम कथञ्चित् तादात्म्य मानते हैं, सर्वथा तादात्म्य असिद्ध है। सर्वथा तादात्म्य मानने पर साध्य-साधनभाव का विरोध आता है। अतः हेतु से अद्वैत की सिद्धि नहीं होती। यदि कहोगे कि हेतु के बिना आगम मात्र से अद्वैत की सिद्धि होती है तो अद्वैत और उसके साधक आगम के द्वैत का प्रसङ्ग आता है।

अद्वैतवादी—आगम भी पुण्याद्वैत रूप ही है, उससे भिन्न नहीं है जिससे द्वैत का अनुपङ्ग आ सके। कहा भी है—

ऊर्ध्वमूलमधःशाखमस्वत्थं प्राहुरव्ययम्।
छन्दांसि तस्य पर्वाणि यस्तं वेत्ति स वेदवित् ॥^२

१. आममीमांसा, २६।

२. श्रीमद् भगवद् गीता, १५।१।

जिसका ऊर्ध्व मूल है और जिसकी शाखायें नीचे हैं, ऐसे अपवत्य को वेदज्ञ अव्यय कहते हैं। उसके पर्व छन्द है। उसको जो जानता है, वह वेदविद है।

इस प्रकार ब्रह्म और आगम—दोनों एक ही हैं, अतः इनमें अद्वैतपना है।

जैन—यदि आगम ब्रह्म से भिन्न नहीं है तो ब्रह्म की तरह ब्रह्म का प्रतिपादक आगम भी असिद्ध ठहरेगा। क्योंकि जो सर्वथा असिद्ध है वह सिद्ध कैसे हो सकता है? यदि कहोगे कि आगम सिद्ध है और ब्रह्म असिद्ध है तो सिद्ध और असिद्ध में भेद का प्रसङ्ग आता है, अतः जो असिद्ध है उसे हित के इच्छुक अहित से बचने वालों को नहीं स्वीकार करना चाहिये, जैसे शून्यैकान्त। उसी तरह ब्रह्माद्वैत भी असिद्ध है। यहाँ हेतु असिद्ध नहीं है, क्योंकि पुरुषाद्वैत अनुमान और आगम से सिद्ध नहीं है।

अद्वैतवादी—‘प्रतिभास का समानाधिकरण होने से’ इस हेतु से ब्रह्माद्वैत सिद्ध है।

जैन—उक्त हेतु विरुद्ध है, क्योंकि प्रतिभास और उसके विषय रूप से माने गये पदार्थों में कथञ्चित् भेद होने पर समानाधिकरणत्व की प्रतीति होती है, अतः उक्त हेतु प्रतिभास्यों को सर्वथा प्रतिभास के अन्तःप्रविष्ट सिद्ध नहीं करता। ‘शुक्ल वस्त्र’ इत्यादि में भी गुण और द्रव्य में सर्वथा तादात्म्य मानने पर समानाधिकरण्य नहीं बनता। ‘प्रतिभास का स्वरूप प्रतिभासित होता है’ यहाँ भी लक्ष्य और लक्षणभूत प्रतिभास और उसके स्वरूप में सर्वथा तादात्म्य नहीं है, क्योंकि प्रतिभास तो साधारण और असाधारण धर्म का आधार है और उसका स्वरूप असाधारण धर्म वाला है, अतः उन दोनों में कथञ्चित् भेद है। कथञ्चिद् भेद न होने पर सुवर्ण-सुवर्ण की तरह, अथवा सद्-विन्ध्य की तरह समानाधिकरण्य नहीं हो सकता। अतः जो प्रतिभास का समानाधिकरण है वह प्रतिभास से कथञ्चित् भिन्न है, जैसे प्रतिभास का स्वरूप। तथा सुख, नील वगैरह सभी प्रतिभास के समानाधिकरण हैं। इस प्रकार साध्य अद्वैत से विपरीत द्वैत को सिद्ध करने वाले हेतु से अद्वैत की सिद्धि नहीं होती। ‘सर्वं च खल्विदं ब्रह्म’ इस आगम से भी द्वैत की ही सिद्धि होती है, क्योंकि इसके द्वारा सभी प्रसिद्ध वस्तुओं का अप्रसिद्ध ब्रह्मरूप से विधान किया गया है। अप्रसिद्ध की तरह आगम सर्वथा

प्रसिद्ध का विधान नहीं करता। ब्रह्मत्व के साधक आगम से किसी आत्म व्यक्ति में प्रसिद्ध ऐकात्म्य रूप ब्रह्मत्व का सभी आत्माओं और अनात्माओं में विधान करने से द्वैत-प्रपञ्च के आरोप का व्यवच्छेद करने पर भी व्यवच्छेद (ब्रह्म) और व्यवच्छेदक (आगम) का सद्भाव सिद्ध होने से अद्वैत की सिद्धि कैसे हो सकती है ?

आगम के परब्रह्म स्वरूप होने पर भी उससे अद्वैत की सिद्धि नहीं होती, क्योंकि स्वभाव और स्वभाववान् में तादात्म्यैकान्त नहीं है। यदि कहेंगे कि पुरुषाद्वैत का संवेदन ही पुरुषाद्वैत का साधन है तो वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि स्वसंवेदन रूप साधन भी ब्रह्म से अभिन्न नहीं है, अभिन्न मानने पर वह उसका साधन नहीं हो सकता। ब्रह्म से अभिन्न को ब्रह्म का साधन मानने पर साध्य ही साधन हो जायेगा। यदि कहेंगे कि 'ब्रह्म स्वतःसिद्ध है' तो द्वैत भी स्वतःसिद्ध क्यों नहीं है ?

आगे और भी कहते हैं—

अद्वैतं न विना द्वैतादहेतुरिव हेतुना ।

संज्ञिनः प्रतिषेधो न प्रतिषेध्यादुते क्वचित् ॥^१

जैसे हेतु के बिना अहेतु नहीं होता, वैसे ही द्वैत के बिना अद्वैत सिद्ध नहीं होता। इसका खुलासा इस प्रकार है—अद्वैत शब्द अपने वाच्य के विरोधी परमार्थ पद द्वैत की अपेक्षा करता है, नञ् पूर्वक अखण्ड पद होने से। जो नञ् (निषेध) पूर्वक अखण्ड पद होता है वह अपने वाच्यार्थ के विरोधी परमार्थ पद की अपेक्षा करता है, जैसे अहेतु शब्द अपने वाच्यार्थ के विरोधी परमार्थ पद हेतु की अपेक्षा करता है। जैसे हेतु के अस्तित्व के बिना अहेतु पद व्यवहृत नहीं होता, वैसे ही द्वैत के अस्तित्व के बिना अद्वैत शब्द व्यवहृत नहीं हो सकता। शायद कहा जाये कि हमारे उक्त अनुमान में 'अनेकान्त' शब्द से व्यभिचार आता है, किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि सम्यक् एकान्त के बिना अनेकान्त भी नहीं बनता। इसी तरह 'अमाया' आदि शब्दों से भी व्यभिचार नहीं आता, वे शब्द भी माया आदि शब्दों के बिना व्यवहृत नहीं होते। अतः उक्त कथन में कोई अतिप्रसक्ति नहीं है। अखण्ड पद के साथ जो नञ् का प्रयोग किया जाता है वह वस्तु का ही निषेधक होता है, अवस्तु का नहीं। हाँ, पदान्तर से संयुक्त पद

१. आसमीमांसा, २७।

२. अष्टसहस्री, पृष्ठ १६२।

के साथ जो नञ् का प्रयोग होता है, वह अवस्तु का निषेधक होता है, जैसे अखर-विषाण । अतएव सर्वत्र प्रतिषेध्य के बिना नाम वाली वस्तु का प्रतिषेध नहीं किया जा सकता । खरविषाण (गधे के सींग) नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, अतः उसमें उक्त कथन लागू नहीं होता ।

अद्वैतवादी—परमार्थ से पुरुषाद्वैत में प्रतिषेध का व्यवहार असम्भव है । दूसरे द्वैतवादियों ने जो अनुमान आदि माने हैं, उनसे ही हम द्वैत का अभाव सिद्ध करते हैं । स्व और पर का भेद भी वास्तविक नहीं है, वह तो अविद्याजन्य है अतः कोई दोष नहीं है ।

जैन—अद्वैतवाद में अविद्या की ही व्यवस्था नहीं बन सकती ।

अद्वैतवादी—हम अविद्या की ही व्यवस्था वास्तविकता के आधार पर नहीं करते । अविद्या तो अवस्तु है, उसमें प्रमाण का व्यापार सम्भव नहीं है । यदि परब्रह्म को अविद्यावान् माने तो विद्या से उसका विरोध होता है और यदि वह अविद्या से रहित है तो अविद्या का मानना व्यर्थ है । 'अविद्या ब्रह्म की नहीं है' यह कल्पना भी अविद्या में स्थित होकर ही की जाती है । ब्रह्माधार अविद्या तो किसी भी तरह नहीं हो सकती । यतः अनुभव से 'मैं ब्रह्म अविद्या हूँ' ऐसी अनुभूति करता है, अतएव वह अविद्या प्रमाणबाधित है । यदि वह अविद्या प्रमाण बाधित न हो तो उसके भी ब्रह्मरूप होने का प्रसङ्ग आता है । तथा ब्रह्म को नहीं जानने पर उसमें अविद्या की व्यवस्था नहीं की जा सकती । और जानने पर भी यदि अविद्या की प्रतीति होती है तो वह तो विद्या ही है, अतः अविद्या की व्यवस्था नहीं बनती, क्योंकि जो बुद्धि अबाधित है वह मिथ्या नहीं हो सकती । इसके सिवाय अविद्यावान् मनुष्य अविद्या का निरूपण नहीं कर सकता । जैसे जन्म से तैमिरिक रोगी दो चन्द्रमा के ज्ञान को भ्रान्त नहीं कह सकता । कहा भी है—

ब्रह्माऽविद्यावदिष्टं चेन्ननु दोषो महानयम् ।

निरवच्छे च विद्याया आनर्थक्यं प्रसज्यते ॥ १ ॥

नाऽविद्याऽस्येत्यविद्यायामेव स्थित्वा प्रकल्पते ।

ब्रह्माधारा त्वविद्येयं न कथञ्चन युज्यते ॥ २ ॥

यतोऽनुभवतोऽविद्या ब्रह्मास्मीत्यनुभूतिमत् ।

अतो मानोत्थविज्ञानध्वस्ता साऽप्यन्वथात्मता ॥ ३ ॥

ब्रह्मप्यविदिते बाधान्नाविद्येत्युपपद्यते ।

नितरां चापि विज्ञाते मृषा धीर्नास्त्यबाधिता ॥ ४ ॥

अविद्यावानविद्यां तां न निरूपयितुं क्षमः ।
 वस्तुवृत्तमतोऽपेक्ष्य नाविद्येति निरूप्यते ॥ ५ ॥
 वस्तुनोऽन्यत्र मानानां व्यापृतिर्न हि युज्यते ।
 अविद्या च न वस्त्वष्टं मानाघाताऽसहिष्णुतः ॥ ६ ॥
 अविद्या अविद्यात्वे इदमेव च लक्षणम् ।
 मानाघातासहिष्णुत्वमसाधारणमिष्यते ॥ ७ ॥'

अर्थात् ब्रह्म को अविद्यावान् मानने पर यह महान् दोष आता है । और अविद्या रहित ब्रह्म में विद्या व्यर्थ ठहरती है । 'अविद्या ब्रह्म की नहीं है' यह अविद्या में स्थित होकर ही कल्पना की जाती है । यह अविद्या ब्रह्माधार तो किसी भी तरह नहीं हो सकती । यतः अनुभव से अविद्या 'मैं ब्रह्म हूँ' ऐसी अनुभूति करती है, अतः वह प्रमाणजन्य विज्ञान ने बाधित है, अन्यथा उसे ब्रह्मत्व का प्रसङ्ग आता है । ब्रह्म को न जाने पर बाधा होने से अविद्या की व्यवस्था नहीं बनती और जानने पर भी नहीं बनती, क्योंकि मिथ्या बुद्धि अबाधित नहीं होती । जो अविद्यावान् है वह उस अविद्या का निरूपण नहीं कर सकता । क्योंकि अविद्या का निरूपण वास्तविकता के आधार पर नहीं किया जा सकता । प्रमाण की प्रवृत्ति वस्तु में ही होती है, अबस्तु में नहीं । और अविद्या वस्तु नहीं है, क्योंकि वह प्रमाण के आघात को सहन करने में असमर्थ है । अविद्या के अविद्या रूप होने में 'प्रमाण के आघात को सहन न कर सकना ही' असाधारण लक्षण है ।

ऐसी स्थिति में बिना प्रमाण के अविद्या की कल्पना करने में कोई दोष नहीं है । संसारी जीवों को स्वानुभव से ही अविद्या की प्रतीति होती है । द्वैतवादियों ने जो प्रमाण बाधित अनेक दृष्ट और अदृष्ट अर्थों की कल्पना की है । उसी में अनेक दोषों का अनुषंग आता है । कहा भी है—

त्वत्पक्षे बहुकल्प्यं स्यात् सर्वं मानविरोधि च ।
 कल्प्याऽविद्यैव मत्पक्षे सा चानुभवसंश्रया ॥

१. बृहदारण्यकोपनिषद् भाष्य वातिक, सम्बन्धवातिक, १७५-१८१ ।
 मूलग्रन्थ में 'व स्थित्वा' के स्थान पर 'वाऽऽसित्वा', 'ब्रह्माधारा', के स्थान पर 'ब्रह्मदृष्ट्या', 'मत्' के स्थान पर 'वत्', 'यन्यथात्मता' के स्थान पर 'येत्यथात्मताम्' 'बाधान्' के स्थान पर 'बोधान्', 'अविद्यात्वे' के स्थान पर 'अविद्यात्व' और 'च' के स्थान पर 'तु' पाठ मिलता है ।
२. बृहदारण्यकोपनिषद् भाष्य वातिक, सम्बन्धवातिक, १८२ ।

आप द्वैतवादियों के पक्ष में बहुत कल्पना करनी पड़ती है जो सब प्रमाण विरुद्ध है और हमारे पक्ष में तो केवल एक अविद्या की ही कल्पना की जाती है, जिसका आधार स्वानुभव है।

जैन—उक्त कथन करने वाला अद्वैतवादी बुद्धिमान् नहीं है, क्योंकि वह स्वयं सब प्रमाणों से अतीत स्वभाव वाली अविद्या को मानता है। जो बुद्धिशाली विचारक होता है, वह समस्त प्रमाणों से अतीत स्वभावाली अविद्या अथवा विद्या को नहीं मान सकता। और प्रमाण अविद्या को जानते हैं ऐसा मानना अनुचित नहीं है, क्योंकि विद्या की तरह अविद्या भी कथञ्चित् वस्तु है। शायद कहा जाये कि तब तो अविद्या के भी विद्या रूप होने का प्रसङ्ग आता है, किन्तु इसमें अनिष्ट कुछ भी नहीं है। अकलङ्कदेव ने भी कहा है—

‘यथा यत्राविसंवादस्तथा तत्र प्रमाणता’^१

जहाँ पर जिस रूप से अविज्ञान है वहाँ उस रूप से प्रमाणता है।

बाह्य प्रमेय की अपेक्षा से किसी ज्ञान का (जैसे सोप में चाँदी का ज्ञान) अविद्या रूप होना बाधक प्रमाण से जाना जाता है। अतः अविद्या सर्वथा प्रमाण का अविषय नहीं है। और उसका बाधक है प्रतीयमान अर्थ से विपरीत अर्थ का साधक प्रमाण। अतः बाह्य प्रमेय की अपेक्षा से ही अविद्या का निरूपण करना चाहिए। कथञ्चित् विद्यावान् ज्ञाता आत्मा को अविद्यावान् मानने में भी कोई विरोध नहीं है, जिससे कि यह कोई महान् दोष हो। और न अविद्या से शून्य मानने पर विद्या की व्ययंता का प्रसङ्ग आता है, उसका फल सम्पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति है। अविद्या में स्थित होकर ही ‘इसकी यह अविद्या है’ ऐसी कल्पना नहीं की जाती। विद्या की अवस्था में ही सभी को अविद्या और विद्या के विभाग का निश्चय होता है, स्वप्न आदि अविद्या दशा में नहीं होता। इसलिए अविद्या को आत्माश्रित मानना ही युक्तियुक्त है। यतः अनुभव से आत्मा यह अनुभव करता है कि मैं अविद्यमान् हूँ, इसलिए उस अनुभविता आत्मा की कथञ्चित् प्रमाणजन्य ज्ञान से अबाधित अविद्या भी विद्या ही है, अतः उसके आत्मरूप होने में कोई विरोध नहीं है। आत्मा के कथञ्चित् अज्ञात रहने पर भी अविद्या के होने में कोई क्षति नहीं है, क्योंकि उसमें बाधा के होने में कोई विरोध नहीं

१. प्रत्यक्षं विशदं ज्ञानं प्रसन्नाक्षेतरादिषु।

यथा यत्राविसंवादस्तथा तत्र प्रमाणता ॥

—सिद्धिविनिश्चय, १।१९।

है। कथञ्चित् विज्ञात आत्मा में भी अविद्या घटित होती है; क्योंकि जो आत्मा को जानता है, उसे ही अविद्या के बाधकत्व का निश्चय होता है। जो बुद्धि कथञ्चित् बाधित होती है, वह मिथ्या है। कथञ्चित् अविद्यावान् मनुष्य उस अविद्या का कथन करने में असमर्थ नहीं होता। ऐसा मानने पर तो समस्त विचारपूर्ण व्यवहार का लोप हो जायेगा।

आपने जो अविद्या का असाधारण लक्षण कहा है कि जो प्रमाण के आघात को न सह सके वह अविद्या है, यह लक्षण भी प्रमाण की सामर्थ्य से ही निश्चित होता है। अतः अविद्या प्रमाणातीत नहीं है और उसके मानने पर ब्रह्माद्वैत में विरोध आता है। अतः द्वैत का निषेध द्वैत का अविनाभावी है।

१२. शब्दाद्वैत-विचार

शब्दब्रह्मवादी :

‘ब्रह्म के दो प्रकार हैं—शब्दब्रह्म और परब्रह्म। कहा भी है—

शब्दब्रह्माणि निष्णातः परमब्रह्माधिगच्छति।^१

अर्थात् जो शब्दब्रह्म में निष्णात होता है वही परमब्रह्म को प्राप्त होता है।

शब्दब्रह्म के सद्भाव में प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण मौजूद हैं। समस्त योग्य अथवा अयोग्य प्रत्यक्ष शब्दब्रह्म के उल्लेख को लिए हुए ही प्रतिभासित होते हैं, क्योंकि ब्रह्म और आम्बन्तर अर्थों में उत्पन्न होने वाले प्रत्यक्ष शब्द से अनुबिद्ध ही उत्पन्न होते हैं। शब्द के संस्पर्श के अभाव में ज्ञान प्रकाशमान ही नहीं हो सकते। वचनरूपता शाश्वत है और विचारशोला है, उसके अभाव में ज्ञानों का कोई रूप ही शेष नहीं रहता। कहा भी है—

न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाद् ऋते।

अनुबिद्धमिवाभाति सर्वं शब्दे प्रतिष्ठितम् ॥^३

१. न्यायकुमुदचन्द्र, पृष्ठ १३९।

२. द्वे विश्वे वेदितव्ये तु शब्दब्रह्म परं च यत्।

शब्दब्रह्माणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥

—ब्रह्मबिन्दूपनिषद्, १७।

३. अनुबिद्धमिब ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते।

—वाक्यपदीय, १।१२४।

वायूपता चेदुत्क्रामेद् अवबोधस्य शाश्वती ।

न प्रकाशः प्रकाशेत सा हि प्रत्यवमशिनो ॥^१

अर्थात् लोक में ऐसा कोई प्रत्यय नहीं है जो शब्द के अनुगम के बिना हो । सब ज्ञान शब्द से अनुविद्ध ही प्रतिभासित होता है । सब शब्द में प्रतिष्ठित हैं । यदि शाश्वत वचनरूपता ज्ञान से चली जाये तो ज्ञान प्रकाशित नहीं हो सकता, क्योंकि वह वचनरूपता विचारशीला है ।

समस्त व्यवहार भी शब्द से अनुविद्ध ही अनुभव में आता है । 'मैं खाऊँगा, मैं दूँगा' इत्यादि उल्लेखों के बिना कोई भी मनुष्य स्वयं कार्य करने के लिए यत्नशील नहीं होता । और न 'दो' इत्यादि शब्दों के बिना दूसरे को प्रेरित करता है । 'यह जीवित है और यह मृत है' यह भी शब्दाधीन ही है । सुप्तावस्था में शब्द का उल्लेख न करने से मृत पुरुष से कोई अन्तर प्रतीत नहीं होता । उसके पश्चात् किसी शब्द से जाग्रत हुआ पुरुष अन्तर्जल्प रूप शब्द से आत्मा का अनुभव करते हुए जीवन को प्राप्त होता है । फिर 'मैं यह करता हूँ' इत्यादि रूप समस्त शब्द भावनाएँ प्रवर्तित होती हैं । वे शब्द भावनाएँ अपने-अपने विषयभूत अर्थों को प्रकट करती हैं । जब पुरुष के द्वारा उच्चारित शब्द आविर्भूत होकर तिरोभूत हो जाता है तो वह अपने अर्थ को भी तिरोभूत कर लेता है, जैसे चन्द्रमा के छिप जाने पर उसकी चाँदनी भी छिप जाती है ।^२ शायद कहा जाये कि अद्वैतवाद में आविर्भाव और तिरोभाव रूप भेद प्रपञ्च कैसे हो सकता है ? किन्तु ऐसी आशङ्का उचित नहीं है, अविद्या से इस प्रकार के भेद का प्रतिभास हो सकता है । जैसे नेत्र-विकार से पीड़ित मनुष्य विशुद्ध आकाश को भी विचित्र रेखाओं से चित्रित देखता है, वैसे ही अविद्या से ग्रस्त मनुष्य अनादि निघन एक स्वभाव और समस्त भेद प्रपञ्चों से रहित शब्दब्रह्म को आविर्भाव, तिरोभाव आदि प्रपञ्चों से युक्त ही मानता है । कहा भी है—

यथाविशुद्धमाकाशं तिमिरोपप्लुतो जनः ।

संकीर्णमिव मात्राभिश्चित्राभिरभिमन्यते ॥

तयेदममलं ब्रह्म निर्विकारमविद्यया ।

कलुषत्वमिवापन्नं भेदरूपं प्रपश्यति ॥^३

१. वाक्यपदीय, १।१२४-१२५ ।

२. न्यायकुमुदचन्द्र, पृष्ठ १४१ ।

३. बृहदारण्यकोपनिषद् भाष्य वार्तिक, ३।५।४३-४४ ।

मूलग्रन्थ में 'अभिमन्यते' के स्थान पर 'उपलक्षयेत्' पाठ मिलता है ।

‘जैसे तैमिरिक रोगी विशुद्ध आकाश को विचित्र रेखाओं से व्याप्त देखता है। वैसे ही इस निर्मल निर्विकार ब्रह्म को अविद्या से ग्रस्त मनुष्य कलुषता को प्राप्त की तरह भेद रूप देखता है।’

जब समस्त अविद्या का विलास विलीन हो जाता है तो योगी को भेद प्रपञ्च से रहित उसका ठीक-ठीक स्वरूप प्रतिभासित होता है। जैसे जल का विकार बुलबुले निर्मल जल की अपेक्षा करते हैं, वैसे ही यह व्यावहारिक स्थूल अकारादि भेदों का प्रपञ्च परम सूक्ष्म प्रतिभास मात्र रूप वाले और सर्व शब्द विषयक ज्ञान की उत्पत्ति में निमित्त शब्दब्रह्म की अपेक्षा करता है।

इस प्रकार प्रत्यक्ष से प्रतीयमान भी शब्दब्रह्म को जो अविद्याग्रस्त मनुष्य स्वीकार नहीं करते या उसमें विपर्यास पैदा करते हैं उनके प्रति आगे युक्ति दी जाती है—जो जिस आकार से अनुस्यूत होते हैं वे तन्मय होते हैं, जैसे घट, सकोरा वगैरह मिट्टी के विकार मिट्टीमय हैं और सभी पदार्थ शब्दाकार से अनुस्यूत हैं। यह हेतु असिद्ध नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष से ही समस्त अर्थों को शब्दाकार से अनुस्यूत सिद्ध कर चुके हैं। और उसके सिद्ध होने पर अर्थों का तन्मय होना सिद्ध ही है।

तथा अर्थ का शब्द से भिन्न होना प्रमाण बाधित है। वह प्रमाण इस प्रकार है—अर्थ शब्द से भिन्न नहीं है, क्योंकि शब्द की प्रतीति होने पर ही अर्थ की प्रतीति होती है। जिसकी प्रतीति होने पर ही जो प्रतीत होता है वह उससे भिन्न नहीं है, जैसे शब्द का ही स्वरूप। और शब्द की प्रतीति होने पर ही अर्थ की प्रतीति होती है, अतः वह उससे भिन्न नहीं है। इसलिये शब्दब्रह्म के सद्भाव में प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का सद्भाव सिद्ध है।

जैन :

‘शब्दब्रह्मवादियों का उक्त कथन समीचीन नहीं है। शब्दब्रह्म का सद्भाव क्या इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष से प्रतीत होता है, अथवा अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष से, अथवा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से? प्रथम विकल्प तो युक्त नहीं है। आप शब्दब्रह्म को समस्त देश, काल और अर्थाकारों से युक्त मानते हैं। इस प्रकार के शब्दब्रह्म का सद्भाव श्रोत्रजन्य प्रत्यक्ष से प्रतीत होता है अथवा अन्य इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष से? श्रोत्रजन्य प्रत्यक्ष से तो उसकी प्रतीति नहीं हो सकती, क्योंकि श्रोत्रजन्य प्रत्यक्ष तो

शब्द के स्वरूपमात्र को प्रत्यक्ष करता है; देश, काल, आकार वगैरह उसके अविषय है और शब्दब्रह्म उन सबसे अन्वित है। ऐसी स्थिति में श्रोत्रजन्य प्रत्यक्ष शब्दब्रह्म को कैसे जान सकता है? जो जिसका अविषय है वह उससे अन्वित को जानने में असमर्थ है, जैसे चक्षुजन्य ज्ञान रस से अन्वित वस्तु को जानने में असमर्थ है और देश-कालाकार श्रोत्रज्ञान का अविषय है। उनको नहीं जानते हुये भी यदि श्रोत्रज्ञान उनसे अन्वित शब्दब्रह्म को जानता है तो अतिप्रसङ्गदोष आता है। इससे अन्य इन्द्रियों से उत्पन्न होने वाले प्रत्यक्ष से भी शब्दब्रह्म की प्रतिपत्ति खण्डित हो जाती है, क्योंकि अन्य इन्द्रियों से उत्पन्न होने वाला प्रत्यक्ष शब्द को विषय नहीं करता, अतः वह शब्दब्रह्म को जानने में असमर्थ है। इसी-लिये इन्द्रिय प्रत्यक्ष से निश्चित रूपादि विषयों से भिन्न शब्दब्रह्म की प्रतीति नहीं होती।

अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष से भी शब्दब्रह्म की प्रतीति नहीं होती, क्योंकि शब्दब्रह्म के विषय में अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष ही असम्भव है। शायद कहें कि योगियों के योगज प्रत्यक्ष होता है, किन्तु यह भी ठीक नहीं है; क्योंकि योगी, योग और योगज प्रत्यक्ष के होने पर अद्वैत के अभाव का प्रसङ्ग आता है।

शब्दब्रह्मवादी—योगी अवस्था में आत्मज्योति रूप शब्दब्रह्म स्वयं प्रकाशित होता है, अतः अद्वैत के अभाव का प्रसङ्ग नहीं आता।

जैन—यह भी मनोरथ मात्र है। योगी अवस्था, आत्मज्योति रूप और प्रकाशन—इन तीनों के सद्भाव में अद्वैत के अभाव का प्रसङ्ग तदवस्थ रहता है।

तथा, योगी अवस्था में शब्दब्रह्म का आत्मज्योति रूप प्रकाशित होने से पहले उसका वह रूप प्रकाशित होता है या नहीं? यदि प्रकाशित होता है तो सर्वदा सबको बिना प्रयत्न के मोक्ष हो जायेगा। क्योंकि ज्योति स्वभाव ब्रह्म का प्रकाश ही मोक्ष है और वह अयोगी अवस्था में भी होता है। यदि वह योगी अवस्था से पहले प्रकाशित नहीं होता तो वह है या नहीं? यदि नहीं है तो वह नित्य कैसे है? क्योंकि जो कदाचित् होता है वह अनित्य होता है और यदि वह ज्योति स्वरूप अनित्य है तो शब्दब्रह्म को भी अनित्यता का प्रसङ्ग आता है, क्योंकि शब्दब्रह्म उस अनित्य ज्योति रूप ही है। अतः द्वैत की सिद्धि होती है, क्योंकि अद्वैत का विनाश होने पर द्वैतसिद्धि अवश्यम्भावी है।

यदि वह है तो क्यों प्रकाशित नहीं होता? उसका कोई ग्राहक नहीं है या वह अबिद्या से अभिभूत है? पहला पक्ष तो ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ही उसका ग्राहक है और वह नित्य होने से सदा सत् है।

दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि विचार करने पर अविद्या ही सिद्ध नहीं होती। वह अविद्या ब्रह्म से भिन्न है या अभिन्न? यदि भिन्न है तो वस्तु है या अवस्तु? अवस्तु तो वह हो नहीं सकती, क्योंकि ब्रह्म की तरह वह भी अर्थक्रियाकारी है। यदि वह अर्थक्रियाकारी नहीं है तो 'अविद्या के द्वारा विबुद्ध ब्रह्म भी कलुषित सा प्रतीत होता है' यह कथन कैसे घटित होगा? जिस रोग के कारण आकाश में रेखाओं की प्रतीति होती है, वह तो वास्तविक है। अविद्या के अवास्तविक होने पर दृष्टान्त और दार्ष्टान्त में समानता न होने से 'यथा विबुद्धमाकाशम्' इत्यादि कथन नहीं बनेगा।

यदि अविद्या वस्तु है तो ब्रह्म और अविद्या रूप दो वस्तु तत्त्वों के होने से अद्वैत के अभाव का प्रसङ्ग आता है।

यदि अविद्या ब्रह्म से अभिन्न है तो मिथ्या अविद्या से अभिन्न होने के कारण ब्रह्म भी मिथ्या ठहरता है। या फिर सत्य रूप ब्रह्म से अभिन्न होने के कारण अविद्या भी सत्य सिद्ध होती है, तब वह मिथ्या प्रतीति में हेतु कैसे हो सकती है?

अतः अयोगी अवस्था में आत्मज्योति रूप शब्दब्रह्म के असत् होने से ही उसका प्रतिभास नहीं होता। और उस अवस्था में उसका असत्त्व होने पर योभी अवस्था में उसका सत्त्व कैसे हो सकता है? जिससे अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष से उसकी प्रतीति सम्भव हो।

उक्त कथन से स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से शब्दब्रह्म की प्रतीति होने का भी खण्डन हो जाता है, क्योंकि आत्मज्योति रूप शब्दब्रह्म को स्वप्न में भी स्वसंवेदन की प्रतीति नहीं होती। यदि होती है तो सभी प्राणियों को बिना किसी प्रयत्न के ही मोक्ष हो जायेगा। क्योंकि आप आत्मज्योति स्वरूप शब्दब्रह्म के स्वसंवेदन को ही मोक्ष मानते हैं।

तथा, 'शब्द का अर्थ के साथ संयोग सम्बन्ध है, या तादात्म्य सम्बन्ध, या विशेषणीभाव सम्बन्ध, अथवा वाच्य-वाचक सम्बन्ध? संयोग सम्बन्ध तो हो नहीं सकता, क्योंकि शब्द और अर्थ का देश भिन्न है। जिनका भिन्न देश होता है, उनमें संयोग सम्बन्ध नहीं होता, जैसे मलय और हिमालय में। यह बात असिद्ध नहीं है। शब्द का श्रोत्र देश में और अर्थ का सामने के देश में प्रतिभास होता है। यदि उन दोनों का संयोग सम्बन्ध मानते हैं तो दोनों के दो विभिन्न द्रव्य सिद्ध होने से अद्वैत की सिद्धि कैसे हो सकती है?

दोनों में तादात्म्य सम्बन्ध भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का ग्रहण विभिन्न इन्द्रियों से होता है। और जो विभिन्न इन्द्रियों के द्वारा ग्राह्य होते हैं, उनमें तादात्म्य सम्बन्ध नहीं होता। शब्द और अर्थ विभिन्न इन्द्रियों के द्वारा ग्राह्य हैं यह बात असिद्ध नहीं है। शब्दाकार से रहित धटादि का प्रतिभास चक्षुजन्य ज्ञान में होता है और अर्थाकार से रहित शब्द का प्रतिभास श्रोत्रज्ञान में होता है। फिर भी यदि उनका तादात्म्य मानते हैं तो अतिप्रसङ्ग दोष आता है।

यदि अर्थ शब्दात्मक है तो शब्द का ज्ञान होने पर, जिसने यह संकेत ग्रहण नहीं किया कि अमुक शब्द का अमुक अर्थ है, उसको भी अर्थ में संदेह नहीं होना चाहिये, क्योंकि शब्द की तरह अर्थ का भी उसे ज्ञान हो गया है, अन्यथा शब्द और अर्थ में तादात्म्य नहीं बन सकता। तथा छुरा, अग्नि, पत्थर आदि शब्दों के सुनने से कान के कटने, जलने और चोट लगने का प्रसङ्ग आता है, किन्तु ऐसा होता नहीं है। अतः शब्द और अर्थ के तादात्म्य में विरोध आता है। क्योंकि जो जिसका कार्य नहीं करता, उसका उसके साथ तादात्म्य नहीं होता, जैसे रूप का रस के साथ तादात्म्य नहीं है। शब्द भी अर्थ का कार्य दाह आदि नहीं करता, अतः शब्द का अर्थ के साथ तादात्म्य नहीं है।

शङ्का—यदि शब्द का अर्थ के साथ तादात्म्य नहीं है तो शब्द से अर्थ की प्रतीति कैसे हो सकती है ?

समाधान—शब्द और अर्थ का तादात्म्य नहीं होने पर भी संकेतवश शब्द से अर्थ की प्रतीति होती है। अपनी स्वाभाविक योग्यता से शब्द अर्थ की प्रतीति कराते हैं। अतः शब्द का अर्थ के साथ तादात्म्य सम्बन्ध नहीं है।

न विशेषणीभाव सम्बन्ध ही है। जिनमें कोई अन्य सम्बन्ध नहीं होता, उनमें सद् और विन्ध्य की तरह विशेषणीभाव सम्बन्ध भी नहीं होता। वाच्य-वाचक सम्बन्ध तो शब्द और अर्थ में भेद को ही सिद्ध करता है। भेद के बिना वाच्य-वाचक सम्बन्ध नहीं हो सकता। अतः शब्द और अर्थ में अद्वैत का अविरोधी कोई भी सम्बन्ध नहीं बनता, इसलिए अर्थ शब्द से अन्वित घटित नहीं होता।

प्रत्यक्ष से नील आदि को जानने वाला व्यक्ति उसे शब्दाकार से अनन्वित ही जानता है। इस तरह शब्दाकार से अन्वित अर्थ के अभाव में भी आप अर्थ को शब्दाकार से अन्वित मानते हैं। अतः काल्पनिक हेतु से पारमार्थिक ब्रह्म की सिद्धि कैसे हो सकती है ?

आपने कहा था—शब्द से अर्थ भिन्न नहीं है। आपका यह कथन प्रत्यक्ष बाधित है। शब्द से देशादि के भेद से भिन्न अर्थ प्रत्यक्ष से प्रतीत होता है। 'शब्द की प्रतीति होने पर ही अर्थ की प्रतीति होती है' यह हेतु भी असिद्ध है,

चक्षु ज्ञान से शब्द की प्रतीति नहीं होने पर भी अर्थ की प्रतीति होती है, यदि ऐसा न हो तो बहरे मनुष्य को चक्षु इन्द्रिय से होने वाले प्रत्यक्ष से रूपादि की प्रतीति ही नहीं होगी। अतः शब्दब्रह्म का सद्भाव किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता।

यदि थोड़ी देर के लिये शब्दब्रह्म को मान भी लें तो प्रश्न होता है कि जैसे मिट्टी का परिणाम होने से घट मिट्टीमय होता है, क्या उसी तरह शब्द का परिणाम होने से जगत् शब्दमय है? या शब्द से उत्पन्न होने से जगत् शब्दमय है। प्रथम पक्ष तो ठीक नहीं है, क्योंकि परिणाम ही नहीं बनता। प्रश्न होता है कि शब्दब्रह्म स्वाभाविक रूप को छोड़कर नीलादि रूप को प्राप्त होता है या बिना छोड़े? प्रथम पक्ष में शब्दब्रह्म अनादि निघन नहीं हो सकता, क्योंकि उसका पूर्व स्वभाव नष्ट हो जाता है। दूसरे पक्ष में नीलादि के ज्ञान के समय बहरे मनुष्य को भी शब्द के ज्ञान का प्रसङ्ग आता है, क्योंकि नीलादि शब्द से अभिन्न हैं। यदि नीलादि के ज्ञान के समय शब्द का ज्ञान नहीं होता तो नीलादि का भी ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि शब्द का और नीलादि का तादात्म्य है। अन्यथा उनका तादात्म्य नहीं बन सकता। तथा शब्दब्रह्म जब नीलादि रूप परिणाम को प्राप्त होता है तो पदार्थ के भेद से भेद को प्राप्त होता है या नहीं? यदि भेद को प्राप्त होता है तो शब्दब्रह्म पदार्थों की तरह अनेक हो जायेंगे। यदि भेद को प्राप्त नहीं होता है तो सभी नीलादि पदार्थों में देश, काल स्वभाव आदि का भेद नहीं रहेगा, क्योंकि सभी पदार्थ एक स्वभाव शब्दब्रह्म से अभिन्न हैं। अतः शब्द का परिणाम होने से तो जगत् शब्दमय सिद्ध नहीं होता।

शब्द से उत्पन्न होने से भी जगत् शब्दमय सिद्ध नहीं होता, क्योंकि शब्दब्रह्म तो नित्य होने से अविकारी है। और जो अविकारी होता है वह क्रम से कार्यों को उत्पन्न नहीं कर सकता। बल्कि एक साथ ही सब कार्यों की उत्पत्ति का प्रसङ्ग आता है। कारण की विकलता के कारण ही कार्यों की उत्पत्ति में विलम्ब होता है। शब्दब्रह्म तो सदा अविकल है, उसे किसी की अपेक्षा नहीं है। इस प्रकार शब्दब्रह्म के ग्राहक प्रमाण का अभाव होने से उसको मानना उचित नहीं है।

१३. द्वैतकान्त-विचार

वैशेषिक :

वैशेषिक के मतानुसार द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव—ये सात पदार्थ परस्पर में सर्वथा भिन्न हैं, क्योंकि इन सबका लक्षण

भिन्न-भिन्न है, एक का लक्षण दूसरे में नहीं पाया जाता है। इसका खुलासा इस प्रकार है—

द्रव्य का लक्षण गुण आदि में नहीं रहता। जो क्रियावान् हो, गुणवान् हो, समवायिकारण हो तथा जिसमें द्रव्यत्व रहता है, उसे द्रव्य कहते हैं। कहा भी है—

‘क्रियावद् गुणवत् समवायिकारणं द्रव्यलक्षणम् ।’

जिनमें यह लक्षण पाया जाता है वे द्रव्य नौ हैं—पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन। पृथ्वी, जल, तेज और वायु नित्य और अनित्य के भेद से दो प्रकार के हैं। परमाणु रूप नित्य हैं, क्योंकि सत् होते हुये भी उनका कोई कारण नहीं है। द्रव्यणुक (दो परमाणुओं के संयोग से निष्पन्न) आदि अवयविरूप पृथ्वी आदि अनित्य हैं, क्योंकि उनकी उत्पत्ति होती है। आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन—ये नित्य ही हैं।

लक्षण के दो प्रयोजन होते हैं—भेद और व्यवहार। अतः द्रव्य गुणादि से भिन्न है, क्योंकि उसमें द्रव्यत्व रहता है, या वह क्रियावान्, गुणवान् और समवायिकारण है। विवादापन्न ‘वस्तु’ को ‘द्रव्य’ कहना चाहिये, क्योंकि उसमें द्रव्यत्व रहता है, आदि। इसी तरह पृथिवीत्व के साथ सम्बन्ध होने से पृथिवी, जलत्व के साथ सम्बन्ध होने से जल, तेजस्त्व के साथ सम्बन्ध होने से तेज और वायुत्व के साथ सम्बन्ध होने से वायु इत्यादि जानना चाहिये। आकाश, काल और दिशा तो एक-एक ही हैं, अतः उनमें आकाशत्व आदि अपर सामान्य के अभाव में भी पारिभाषिक संज्ञा आकाश, काल और दिशा ही उनका लक्षण है। यथा—आकाश इतर से भिन्न है या विवादापन्न द्रव्य को आकाश कहना चाहिये; क्योंकि वह अनादिकाल से आकाश शब्द वाच्य है। इसी तरह दिशा और काल का लक्षण जानना चाहिये। आत्मत्व के अभिसम्बन्ध से आत्मा है। मनस्त्व के अभिसम्बन्ध से मन है।

रूपादि चौबीस गुण हैं। उल्लेखण आदि पाँच कर्म हैं। पर और अपर के भेद से दो प्रकार का सामान्य है, जो ‘घट घट’ इस प्रकार के अनुगत ज्ञान का कारण है। नित्य द्रव्य में रहने वाले और अत्यन्त भेद बुद्धि में जो कारण है, वे विशेष हैं। अयुतसिद्ध और आचार्य-आधारभूत पदार्थों में ‘इसमें यह है’ इस प्रकार का बोध कराने वाले सम्बन्ध को समवाय कहते हैं।

जैन :

‘उक्त कथन समीचीन नहीं है, क्योंकि परमाणु रूप पृथिवी आदि के सद्भाव में प्रमाण का अभाव है। हमारा प्रत्यक्ष तो उनके सद्भाव को नहीं जान सकता, क्योंकि वे अतीन्द्रिय हैं। अनुमान भी उनके सद्भाव में प्रवृत्त नहीं होता, क्योंकि उनके सद्भाव के साधक अनुमान का अभाव है।

वैशेषिक—परमाणु रूप पृथिवी आदि का साधक अनुमान इस प्रकार है—
‘द्वघणुक आदि कार्य अपने परिमाण से अल्प परिमाण वाले कारण से बना है, क्योंकि वह कार्य है, जैसे घट आदि।

जैन—उक्त कथन अविचारपूर्ण है, क्योंकि कार्य का अपने परिमाण से अल्प-परिणाम वाले कारण से बनने का कोई नियम नहीं है। कार्य के परिमाण से अल्प परिमाण वाला द्रव्य कारण होता है, ऐसी सर्वत्र व्याप्ति नहीं है, किन्तु ‘कार्य कारण के बिना नहीं होता’ ऐसी व्याप्ति है। कार्य के परिमाण से अधिक, न्यून अवयव समपरिमाण वाला भी कारण होता है। बड़े भारी प्याल के ढेर से और शिथिल अवयव वाले कपास के ढेर से न्यून परिमाण वाली राख तथा टोस कपास का ढेर उत्पन्न हुआ देखा जाता है। अल्प परिमाण वाले बीज से महा-परिमाण वाला वृक्ष तथा समपरिमाण वाले दूध से समपरिमाण वाला दही उत्पन्न हुआ देखा जाता है। किसी कार्यद्रव्य को अपने परिमाण से अल्प परिमाण वाले कारण से उत्पन्न हुआ देखकर सभी कार्यद्रव्यों को वैसे सिद्ध करना युक्त नहीं है। अन्यथा शब्द, बिजली और दोपक बगैरह को क्षणस्थायी देखकर सभी पदार्थों को क्षणिक सिद्ध करने का प्रसङ्ग उपस्थित होगा। अतः किसी प्रमाण से परमाणु का सद्भाव सिद्ध न होने से ‘परमाणु रूप पृथिवी आदि नित्य हैं, सत् और अकारणवान् होने से’ इस अनुमान में हेतु का विशेषण असिद्ध है तथा विशेष्य भी असिद्ध है, क्योंकि स्कन्धों के भेद से परमाणु की उत्पत्ति होती है। इस सम्बन्ध में अनुमान इस प्रकार है—परमाणु का कारण स्कन्ध रूप अवयवि द्रव्य का विनाश है, क्योंकि उसके होने पर ही वे होते हैं, जैसे घट के विनाशपूर्वक कपाल। यह असिद्ध नहीं है, क्योंकि द्वघणुक आदि अवयवि द्रव्य का विनाश होने पर परमाणु का सद्भाव प्रसिद्ध है।

वैशेषिक—अवयवि द्रव्य का विनाश होने पर विभाग उत्पन्न होता है परमाणु नहीं ?

जैन—तब तो स्कन्ध के भी अहेतुक होने का प्रसङ्ग आता है। कहा जा सकता है कि अणुओं के मेल से संयोग ही उत्पन्न होता है, स्कन्ध नहीं।

बौध्दिक—अवयवि द्रव्य के विनाश के बिना भी सर्वदा स्वतन्त्र परमाणुओं का सद्भाव सम्भव है, अतः हेतु भागासिद्ध है।

जैन—स्वतन्त्र परमाणु असिद्ध है, यतः विवादापन्न परमाणु स्कन्धों के भेद से ही उत्पन्न होते हैं परमाणु होने से, जैसे द्रव्यणुक आदि के भेद से उत्पन्न होने वाले परमाणु।

बौध्दिक—जैसे पट के उत्तरकाल में होने वाले तन्तु पट के भेदन से उत्पन्न होते हैं, किन्तु पट बनने से पहले जो तन्तु होते हैं वे पटभेद पूर्वक नहीं होते, वैसे ही कोई परमाणु भी स्कन्ध भेद के बिना हो सकते हैं।

जैन—पट बनने से पहले जो तन्तु होते हैं वे कपास को पूनों के भेद से ही उत्पन्न होते हैं, अतः वे भी स्कन्ध भेद पूर्वक ही जानने चाहिए।

बौध्दिक—ग्राहक प्रमाण का अभाव होने से आपने ही परमाणु का अभाव बतलाया है, अतः ऐसी स्थिति में परमाणु को स्कन्ध भेद पूर्वक कहना ठीक नहीं है।

जैन—परमाणु के साधक निर्दोष प्रमाण का अभाव होने से आपके ही मत में परमाणु का अभाव हमने कहा है। हमारे मत में तो परमाणु का साधक निर्दोष अनुमान प्रमाण है, अतः परमाणु को स्कन्ध भेद पूर्वक बतलाना उचित ही है। अनुमान इस प्रकार है—अणु परिमाण का तर-तम आदि भेद कहीं पर विश्रान्त है, परिमाण का तर-तमादि भेद होने से, महत्परिमाण के तर-तमादि भेद की तरह। और जिसमें अणु परिमाण विश्रान्त है, वही परमाणु है। अतः परमाणु का सद्भाव असम्भव नहीं है।

हाँ, वे परमाणु नित्य एक रूप नहीं हैं, क्योंकि नित्य एक रूप मानने पर वे क्रम और युगपद् अर्थक्रिया नहीं कर सकते। इसका खुलासा इस प्रकार है—यदि परमाणु एकान्त से नित्य स्वभाव हैं तो वे सर्वदा कार्य अजनन स्वभाव वाले हैं या नहीं? प्रथम पक्ष में द्रव्यणुक आदि कार्य के सर्वदा असत्त्व का प्रसङ्ग आता है, क्योंकि सर्वदा कार्य को उत्पन्न न करने रूप स्वभाव वाले परमाणुओं से द्रव्यणुक आदि कार्य उत्पन्न नहीं हो सकते। जो जिसको उत्पन्न न करने रूप स्वभाव वाला होता है उससे उसकी उत्पत्ति नहीं होती, जैसे शालि बीज से जौ के अङ्कुर की उत्पत्ति नहीं होती। और आप परमाणु को सर्वदा द्रव्यणुक आदि

कार्य को न उत्पन्न करने रूप स्वभाव वाला मानते हैं। और ऐसी स्थिति में परमाणु का भी असत्त्व हो जायेगा, क्योंकि वह कार्य को नहीं करता। जो कुछ भी कार्य नहीं करता वह असत् है, जैसे आकाश फूल। और आपके मत में परमाणु सर्वदा कार्य को उत्पन्न न करने रूप स्वभाव वाले होने के कारण कार्य को नहीं करते। यदि परमाणु सर्वदा कार्यजनन स्वभाव है तो वे अकेले कार्य करते हैं, या सहकारी सहित होकर कार्य करते हैं? यदि एकाकी कार्य करते हैं तो उनसे उत्पन्न होने वाले कार्यों की उत्पत्ति एक बार में ही हो जायेगी, क्योंकि उनकी उत्पत्ति का कारण अविकल है। जो अविकल कारण होते हैं वे एक बार में ही उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे समान समय में उत्पन्न होने वाले अङ्कुर। और सभी कार्य अविकल कारण माने गये हैं। यदि अविकल कारण होते हुये भी वे उत्पन्न नहीं होते तो सर्वदा उनकी अनुत्पत्ति का प्रसङ्ग आता है।

बंशेषिक—कार्य की उत्पत्ति तीन कारणों से होती है, वे हैं—समवायिकारण, असमवायिकारण और निमित्त-कारण। जिसमें कार्य समवाय सम्बन्ध से रहता है, उसे समवायिकारण कहते हैं, जैसे द्व्यणुक का समवायिकारण दो अणु हैं। जो कार्य को कार्य के एक अर्थ में समवेत या कार्य के कारण के एकार्थ में समवेत उत्पन्न करता है उसे असमवायिकारण कहते हैं, जैसे पट के आरम्भ में तन्तु संयोग और पट समवेत रूपादि के आरम्भ में पटोत्पादक तन्तु रूपादि असमवायिकारण हैं। शेष उत्पादक निमित्त-कारण होते हैं, जैसे अदृष्ट आकाश वगैरह। अतः द्व्यणुक आदि की उत्पत्ति में अपेक्षणीय संयोगादि का अभाव होने से उनको अविकल कारण बतलाना असिद्ध है।

जैन—परमाणु में संयोग आदि के द्वारा अतिशय ला सकना सम्भव न होने से संयोगादि की अपेक्षा नहीं बनती। यदि कहोगे कि संयोग ही परमाणुओं का अतिशय है तो वह नित्य है या अनित्य? यदि नित्य है तो सर्वदा कार्य की उत्पत्ति होनी चाहिये, क्योंकि अतिशयभूत संयोग सदा सत् है। यदि वह अनित्य है तो उसकी उत्पत्ति में कौन अतिशय होता है? संयोग धा क्रिया। यदि संयोग है तो वही या अन्य? वही संयोग तो अभी भी असिद्ध है। तथा अपनी उत्पत्ति में अपना ही व्यापार होना सम्भव नहीं है। संयोगान्तर आप मानते नहीं हैं, यदि मानेंगे तो उसकी उत्पत्ति में भी अन्य संयोग रूप अतिशय की कल्पना का प्रसङ्ग आने से अनवस्था दोष आता है। क्रिया रूप अतिशय भी नहीं बनता, उसकी उत्पत्ति में भी पूर्वोक्त दोष का अनुषङ्ग आता है। तथा, आत्मा और अणु के अदृष्ट सापेक्ष संयोग से परमाणु में क्रिया उत्पन्न होती है, ऐसा आप

मानते हैं, अतः आत्मा और परमाणु के संयोग की उत्पत्ति में भी अन्य अतिशय मानना चाहिये, क्योंकि उसमें भी उसी दूषण के आने से दूसरा अनवस्था दोष आता है। तथा 'परमाणुओं का यह संयोग सर्वात्मना होता है या एकदेश से ? यदि सर्वात्मना होता है तो पिण्ड अणु मात्र हो जायेगा। यदि एकदेश से होता है तो परमाणु की साक्षता का प्रसङ्ग आता है। अतः अकेले परमाणु तो कार्य जनन स्वभाव नहीं हो सकते। सहकारी सहित परमाणु भी यदि कार्य जनन स्वभाव है तो उनके सहकारी परमाणुगत अतिशय विशेष ही हैं या अन्य वस्तु है ? प्रथम पक्ष में ऊपर कहे गये समस्त दोष आते हैं। दूसरे पक्ष में वे अन्य वस्तुएँ अणुओं का उपकार करती हैं या नहीं ? यदि करती हैं तो भिन्न करती हैं या अभिन्न ? यदि अभिन्न उपकार करती हैं तो परमाणु से अभिन्न उपकार करने पर परमाणु को भी कार्यता का प्रसङ्ग आता है। यदि भिन्न उपकार करती हैं तो उस उपकार से ही कार्य की उत्पत्ति हो जाने से परमाणु अकारक हो जायेंगे। यदि कहा जाता है कि उस उपकार की सहायता से परमाणु कार्य करते हैं तो वह उपकार उपकारान्तर के द्वारा परमाणु का सहकारी है या सत्ता मात्र से ? प्रथम पक्ष में अनवस्था दोष आता है, क्योंकि दूसरा उपकार भी उपकारान्तर करने से ही सहकारी हो सकेगा। दूसरे पक्ष में अतिप्रसङ्ग दोष आता है, क्योंकि सत्तामात्र से तो सब सभी के सहकारी हो सकते हैं।

यदि कहोगे कि सहकारी अणुओं का कुछ नहीं करते, वे मिलकर के कार्य को ही निष्पन्न कर देते हैं तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक अणु समर्थ होते हुये सहकारियों के साथ मिलकर कार्य करता है या असमर्थ होते हुये ? यदि समर्थ है तो प्रत्येक परमाणु के कार्य को उत्पन्न करने का प्रसङ्ग आने से कार्य के भेद का प्रसङ्ग आता है और सहकारियों की अपेक्षा व्यर्थ ठहरती है। यदि कहोगे कि प्रत्येक परमाणु कार्य करने में असमर्थ है तो सहकारियों का सान्निध्य होने पर उसमें सामर्थ्य कैसे आ सकती है ? यदि कहोगे कि सहकारियों से सामर्थ्य आती है तो वे सहकारी उन परमाणुओं से भिन्न सामर्थ्य करते हैं अथवा अभिन्न ? यदि अभिन्न करते हैं तो परमाणुओं के कार्य रूप होने का प्रसङ्ग आता है। यदि भिन्न सामर्थ्य करते हैं तो उस सामर्थ्य के साथ परमाणुओं का सम्बन्ध नहीं बनता, क्योंकि समवाय आदि सम्बन्ध असम्भव है। तथा उस सामर्थ्य से ही कार्य की उत्पत्ति का प्रसङ्ग आने से परमाणु अकारक हो जायेंगे।

तथा परमाणु जिस रूप से एक कार्य को उत्पन्न करते हैं, उसी से अन्य कार्य को उत्पन्न करते हैं अथवा रूपान्तर से ? प्रथम पक्ष में सब कार्यों के एकत्व का प्रसङ्ग आता है, क्योंकि वे सब एक स्वभाव कारण के कार्य हैं। यदि वे परमाणु रूपान्तर से कार्य को उत्पन्न करते हैं तो उस समय उन परमाणुओं का पूर्वरूप नष्ट होता है या नहीं ? यदि नष्ट होता है तो परमाणुओं की अनित्यता का प्रसङ्ग आता है, क्योंकि अपने स्वरूप से च्युत होना अनित्यता का लक्षण है। यदि पूर्व रूप नष्ट नहीं होता तो परमाणुओं में रूपान्तर कैसे सम्भव हो सकता है ? क्योंकि जिसका पूर्वरूप नष्ट नहीं होता उसमें रूपान्तर सम्भव नहीं है, जैसे अङ्गुली में सङ्कोचित रूप की निवृत्ति द्रव्य बिना प्रसारण रूप नहीं आ सकता।

अतः संबंधा नित्य और एक स्वभाव परमाणु कार्यकारी नहीं हो सकते। पूर्व अजनक स्वभाव को छोड़कर जब वे विशिष्ट संयोग परिणाम से परिणत होते हैं तभी उनमें जनक स्वभाव सम्भव हो सकता है, अतः परमाणु कथञ्चित् नित्य सिद्ध होते हैं। जो क्रम से कार्य करते हैं वे अनित्य होते हैं, जैसे क्रम से अङ्कुरादि को उत्पन्न करने वाले बीज वगैरह, वैसे ही परमाणु भी हैं। अतः वैशेषिकों के द्वारा मान्य पाचिव परमाणु रूप नित्य द्रव्य सिद्ध नहीं होता।

और न उन नित्य परमाणुओं से आरब्ध द्वघणुक आदि अवयवि द्रव्य ही सिद्ध होता है। कार्य-कारणभाव के सिद्ध होने पर द्वघणुक आदि को परमाणुओं के द्वारा आरब्ध कहा जा सकता है, किन्तु वैशेषिक मत में कार्यकारणभाव ही सिद्ध नहीं है, क्योंकि विचार करने पर वह बनता ही नहीं है। खुलासा इस प्रकार है—

योगमत में द्वघणुकादि अवयवि द्रव्य कार्य है सो इस कार्यत्व का क्या आशय है ? स्वकारण सत्ता समवाय, या नहीं होकर के होना (अमूर्त्वा भावित्व)। प्रथम पक्ष में स्वकारण सत्ता समवाय का क्या अर्थ है ? कार्य का अपने कारणों से और सत्ता से समवाय, या अपने कारणों का सत्ता से समवाय, या सत्ता से युक्त तत्समवाय। प्रथम पक्ष में अपने कारणों से और सत्ता से समवाय उत्पन्न कार्य का होता है, या अनुत्पन्न का ? यदि उत्पन्न का तो अन्धोन्ध्याध्वय नामक दोष आता है। स्वकारण सत्ता समवाय के सिद्ध होने पर कार्य की उत्पत्ति सिद्ध होती है और उत्पत्ति के सिद्ध होने पर स्वकारण सत्ता समवाय सिद्ध होता है। और अनुत्पन्न कार्य तो आकाशपुष्प के समान असत् है, अतः उसका स्वकारणों से और सत्ता से समवाय कैसे हो सकता है ?

यदि स्वकारण सत्ता समवाय का अर्थ कारणों का सत्ता से समवाय है तो कार्य के कारणों का सत्ता से समवाय होने पर कार्य का तो कुछ भी नहीं हुआ। घट का सत्ता से समवाय होने पर पट का कुछ भी नहीं होता। यदि सत्ता से सहित तत्समवाय ही कार्य की कार्यता है तो समवाय का स्वरूप असिद्ध है, क्योंकि आगे उसका निराकरण करेंगे, अतः वह कार्य का लक्षण नहीं हो सकता।

यदि अभूत्वा भावित्व (नहीं होकर होना) का नाम कार्य है तो यहाँ 'नहीं होना' और 'होना'—इन दोनों में कर्त्तापिना किसको है? कार्य तो गधे के सींग के समान असत् है, अतः वह तो कर्त्ता हो नहीं सकता। 'होने' का अर्थ है स्वरूप को स्वीकार करना, असत् के लिये यह बात दुर्घट है। अतः वैशेषिक मत में कार्यत्व नहीं बनता।

तथा कारण भी नहीं बनता। कार्य मात्र का जो उत्पादक है उसे कारण कहते हैं, या नियत कार्य का उत्पादक है उसे कारण कहते हैं? प्रथम पक्ष में सब सबके कारण हो जायेंगे, क्योंकि कार्य मात्र का उत्पादकपना सब में पाया जाता है। और ऐसी स्थिति में कोई भी नियत कार्य का अर्थात् नियत कारण का उपादान नहीं करेगा। दूसरे पक्ष में कार्य के गधे के सींग की तरह असत् होने से उसके द्वारा कारण का स्वरूप कैसे निर्धारित हो सकेगा। सत् के द्वारा ही वास्तविक स्वरूप का निर्धारण होता है। असत् के द्वारा निर्धारण करने पर तो कारण के भी असत्त्व प्रसङ्ग आता है। यदि कहोगे कि विकल्प मात्र से कल्पित कार्य के द्वारा कारण के स्वरूप का निर्धारण हो जायेगा तो कारण भी विकल्प कल्पित ही रहेगा, क्योंकि कल्पित के द्वारा वस्तु का वास्तविक रूप सिद्ध नहीं होता, जैसे यह बालक सिंह है।

तथा कारणों की प्रवृत्ति कार्य का आलम्बन लेकर होती है, या बिना ही आलम्बन के होती है? यदि कार्य के आलम्बन के बिना ही कारणों की प्रवृत्ति होती है तो कभी कारणों का विराम ही नहीं होगा और ऐसी स्थिति में गधे के सींग बगैरह की भी उत्पत्ति हो जायेगी। यदि कार्य का आलम्बन लेकर कारणों की प्रवृत्ति होती है तो कार्य की सत्ता स्वीकार कर ली गई और ऐसी स्थिति में कारणों का व्यापार व्यर्थ हो जाता है।

वैशेषिक—व्यापार को बजह से कारण कारण नहीं है, किन्तु जिसके होने पर जो होता है और नहीं होने पर जो नहीं होता वह कार्य और दूसरा कारण कहा जाता है।

जैन—‘उसके अभाव में नहीं होता’ जैसे यहाँ कोई कारण का व्यापार नहीं है वैसे ही ‘उसके होने पर होता है’ यहाँ भी कारण के सद्भाव मात्र का हो कथन हुआ, कार्य के विषय में उसने कुछ किया, यह इससे ध्वनित नहीं होता।

वैशेषिक—जो कार्य से पूर्वकाल भावी होता है उसे कारण कहते हैं, किसी प्रकार के व्यापार का नाम कारण नहीं है।

जैन—तब तो कार्य से पूर्वकाल भावी जगत् में वर्तमान सभी पदार्थों को कारणत्व का प्रसङ्ग आने से अतिप्रसङ्ग दोष आता है।

वैशेषिक—जो नियम से पूर्वकाल भावी होता है वही कारण है।

जैन—तब तो मेह भी वस्त्र का कारण कहा जायेगा।

वैशेषिक—मेह बगैरह कार्य से पूर्व ही नहीं होते, उत्तरकाल में भी होते हैं, अतः वे कारण नहीं हैं।

जैन—तब तो तन्तु भी पट के कारण नहीं कहे जायेंगे, क्योंकि वे पट के उत्तरकाल में भी रहते हैं।

वैशेषिक—कार्यकारणभाव नियत काल में ही होता है। अल्प तन्तु संयोग रूप सामग्री ही पट के प्रति कारण है, पट भी अपनी सत्ता लाभ करने के क्षण में ही कार्य है। यदि ऐसा न हो तो अविकल कारण सामग्री के मिलने पर पुनः दूसरे पट की उत्पत्ति हो जाये।

जैन—यदि पूर्व क्षण में होने वाला कारण और अनन्तर क्षण में होने वाला कार्य अपने अपने नियत काल में ही होते हैं तो दोनों का सहभाव न हो सकने से परस्पर में एक दूसरे की अपेक्षा से जो कार्यकारणभाव होता है, वह दुषंट हो जायेगा।

इस प्रकार वैशेषिक के मत में कार्यकारणभाव नहीं बनने से ‘द्वयणुक आदि अवयविरूप पृथिवी आदि अनित्य हैं, उत्पन्न होने से’ यह कथन युक्त नहीं है।

१४. अवयव-अवयवी-विचार

वैशेषिक :

पृथिवी आदि अवयवी अपने अवयवों से अत्यन्त भिन्न है, यह बात अनुमान प्रमाण से सिद्ध है। अनुमान इस प्रकार है—अवयव और अवयवी अत्यन्त भिन्न होते हैं भिन्न प्रतिभास होने से, घट-घट की तरह। घट और पट में अत्यन्त भेद

होने पर ही भिन्न प्रतिभास पाया जाता है। अवयव और अवयवी में भी भिन्न प्रतिभास पाया जाता है तब वे अत्यन्त भिन्न क्यों नहीं हैं ? अवयव और अवयवी में भिन्न प्रतिभासपना असिद्ध नहीं है, पटादि अवयवी का प्रतिभास तन्तु आदि अवयवी के प्रतिभास से विलक्षण होता है, यह सब प्राणियों को सुजात है। तथा विरुद्ध घर्माघ्यास से भी दोनों में जल और अग्नि की तरह भेद है। पट में पटत्व जाति रहती है, वह विलक्षण अर्थक्रिया करता है और अति महान् होता है। तन्तुओं में तन्तुत्व जाति रहती है और वे अल्प परिणाम वाले होते हैं। तथा दोनों के कर्त्ता भी भिन्न होते हैं, इसलिये भी उनमें भेद है। तन्तु तो विधवा स्त्रियों के द्वारा पूनी कातने से बनते हैं। और पट तुरि, तन्तु, सलाका तथा जुलाहे के बुनने से बनता है। अवयव और अवयवी की शक्तियाँ भिन्न-भिन्न हैं, पिता और पुत्र की तरह दोनों पूर्वोत्तरकाल भावी हैं। बेर और आँवले की तरह दोनों का परिमाण भी भिन्न-भिन्न है। यदि उनमें फिर भी अभेद माना जायेगा तो पदाथों में संकर दोष का प्रसङ्ग आने से सर्वत्र भेद व्यवहार के ही उच्छेद का प्रसङ्ग आयेगा।

यदि अवयव और अवयवी में तादात्म्य माना जायेगा तो प्रतिभास भेद बगैरह अत्यन्त दुर्लभ हो जायेंगे। एकत्व को तादात्म्य कहते हैं। उसके होने पर प्रतिभास भेद या विरुद्धघर्माघ्यास बगैरह कैसे हो सकते हैं ? यदि पटादि अवयवी तन्तु आदि अवयवों से भिन्न नहीं हैं तो तन्तु भी अपने अवयवों से भिन्न नहीं होंगे और वे भी अपने अवयवों से भिन्न नहीं होंगे, निरंश परमाणु तक ऐसी ही स्थिति होने पर समस्त कार्यों का ही अनुपलम्भ हो जायेगा। अतः अवयवों से अवयवी को भिन्न ही मानना चाहिये। यह कहा जाता है कि 'अवयवी अवयवों से भिन्न नहीं है, क्योंकि उसमें अनेक दोष आते हैं, जो इस प्रकार हैं—पट आदि अवयवी तन्तु आदि अवयवों में एकदेश से रहता है अथवा सर्वात्मना ? एकदेश से तो नहीं रहता, क्योंकि अवयव के सिवाय अवयवी के अन्य देश नहीं हैं। यदि हैं तो उनमें भी अवयवी को इती प्रकार रहना चाहिये, अतः अनवस्था दोष आता है। यदि अवयवी अवयवों में सर्वात्मना रहता है तो एक ही अवयव में अवयवी के सर्वात्मना रहने से अन्य अवयवों में अवयवी के अभाव का प्रसङ्ग आता है। अथवा यदि अवयवी प्रत्येक अवयव में सर्वात्मना रहता है तो जितने अवयव हैं उतने ही अवयवी मानने होंगे।'

यह सब कथन समीचीन नहीं है, क्योंकि अवयवी का निराकरण करने के लिये यह स्वतंत्र साधन है या प्रसङ्ग साधन ? यदि यह स्वतंत्र साधन है तो धर्म और साध्य में व्याघात आता है। जैसे 'यह' और 'नहीं है' कहने में व्याघात आता है। दूसरे, विशेष का निषेध शेष को स्वीकार कराता है। अतः एकदेश से या सर्वात्मना से अवयवी की अवयवों में वृत्ति का निषेध करने पर प्रकारान्तर से ही वृत्ति माननी होगी। नहीं तो (अन्यथा) अवयवों में अवयवी नहीं रहता, इतना ही कहना चाहिये। तीसरी, वृत्ति है समवाय। वह एक और निरवयव है, अतः वह सर्वात्मना और एकदेश का अविषय है। सर्वात्मना और एकदेश शब्द भेद को विषय करते हैं, अतः अभिन्न अवयवी में उनकी प्रवृत्ति अयुक्त है। 'सर्वात्मना' का मतलब है अनेक के होने पर सबको कहना और एकदेश का मतलब है अनेक में से किसी एक का कहना। ये दोनों शब्द-भेद के होने पर ही व्यवहृत होते हैं, अतः एक अवयवी में नहीं बन सकते। इसलिये यह स्वतंत्र साधन तो नहीं है।

यदि प्रसङ्ग साधन है तो दूसरे की इष्टि के द्वारा अनिष्ट का आपादन करने को प्रसङ्ग साधन करते हैं, अतः परेष्टि प्रमाण है या अप्रमाण ? यदि वह प्रमाण है तो उसी से बाधित होने से विपरीत अनुमान बन ही नहीं सकता। यदि परेष्टि अप्रमाण है तो 'प्रमाण के बिना प्रमेय की सिद्धि नहीं होती' इतना ही कहना चाहिये। उक्त अनुमान को उपस्थित करने का प्रयास ही व्यर्थ है।

जैन :

भिन्न प्रतिभास होने से आप अवयव और अवयवी में कथञ्चिद् भेद सिद्ध करते हैं या सर्वथा ? प्रथम पक्ष में सिद्ध साधन है, क्योंकि हम जैन भी अवयव और अवयवी में कथञ्चिद् भेद मानते हैं। दूसरे पक्ष में प्रत्यक्ष बाधा है; क्योंकि प्रत्यक्ष में अवयव-अवयवी कथञ्चित् तादात्म्य रूप से ही प्रतिभासित होते हैं, अत्यन्त भेद का प्रतिभास नहीं होता। इस प्रतिभास का बाधक यदि कोई अनुमान है तो उस अनुमान का हेतु क्या है ? क्या भिन्न प्रतिभास होने से अवयव-अवयवी में अत्यन्त भेद है या भिन्न अर्थक्रियाकारी होने से भेद है, या कारणों से उत्पन्न होने के कारण दोनों में भेद है, या कालभेद होने से भेद है, या विरुद्ध धर्माध्यास से भेद है, या शक्ति भेद होने के कारण दोनों में भेद है, अथवा

१. न्यायकुमुदचन्द्र, पृष्ठ २२४।

२. न्यायकुमुदचन्द्र, पृष्ठ २२५।

परिणाम भेद होने के कारण दोनों में भेद है ? पहला हेतु ठीक नहीं, क्योंकि उसका पक्ष प्रत्यक्ष से बाधित है। प्रत्यक्ष से अवयव-अवयवी कथञ्चित् तादात्म्य रूप ही प्रतिभासित होते हैं, अत्यन्त भिन्न नहीं। यह ऊपर लिख आये हैं।

भिन्न अर्थ क्रियाकारी होने से भी दोनों में भेद नहीं है। ऐसा मानने से नर्तकी से व्यभिचार आता है। नर्तकी दर्शकों को हर्ष-विषाद आदि अनेक अर्थ-क्रिया करते हुये भी एक ही है, नाना नहीं है। 'भिन्न कारणों से उत्पन्न होना' हेतु अंकुरादि से व्यभिचारी है। अनेक कारणों से उत्पन्न होने पर भी अंकुर एक ही है। काल भेद से अवयव-अवयवी में भेद सिद्ध करते हैं तो सूत कातने वाली विधवा की पिटारी में रखे हुये तन्तुओं से पट का भेद सिद्ध करते हैं या पट अवस्था को प्राप्त तन्तुओं से पट का भेद सिद्ध करते हैं ? प्रथम पक्ष में सिद्ध साधन है, सूत कातने वाली के पिटारे में रखे हुए तन्तुओं से पट का भेद हम भी मानते हैं। दूसरे पक्ष में हेतु असिद्ध है, क्योंकि पट अवस्था को प्राप्त तन्तुओं का पट से काल भेद नहीं है।

विरुद्धधर्माध्यास हेतु भी धूपदानों से व्यभिचारी होने के कारण अवयव-अवयवी में अत्यन्त भेद सिद्ध नहीं कर सकता। धूपदानों का जो भाग हाथ में रहता है वह ठण्डा रहता है और जिसमें आग रहती है वह गर्म होता है। इस प्रकार विरुद्धधर्माध्यास होने पर भी धूपदानों एक ही होती हैं।

शक्ति-भेद तथा परिणाम-भेद से भी तन्तु और पट वर्ग-रह में कथञ्चिद् अवस्था-भेद ही सिद्ध होता है, आत्यन्तिक भेद नहीं, और कथञ्चिद् भेद हम भी मानते हैं। अतः उक्त हेतुओं से भी अवयव-अवयवी में कथञ्चिद् भेद ही सिद्ध होता है, इसलिये उक्त प्रत्यक्ष का बाधक कोई अनुमान नहीं है। अतः अवयव-अवयवी में अत्यन्त भेद असिद्ध है।

और जो आपने 'प्रसङ्ग साधन है या स्वतन्त्र साधन' आदि कहा है वह भी असार है। वह स्वतन्त्र साधन हो या प्रसङ्ग साधन, इससे आपको क्या प्रयोजन है ? स्वतन्त्र साधन का प्रयोग अवयवी के सद्भाव का निराकरण करने के लिये नहीं किया है, किन्तु अत्यन्त भेद का निराकरण करने के लिये किया है। बुने गये तन्तु आदि अवयवों की आत्मभूत अवस्था विशेष रूप जो पटादि अवयवी है, उसका हम निराकरण नहीं करते। उसमें उक्त दूषण नहीं आते। अवयव से सर्वथा भिन्न अवयवी 'एकदेश से या सर्वदेश से रहता है'

इत्यादि दोष का भाजन होता है, स्वात्मभूत नहीं। जो स्वात्मा से भिन्न वस्तु में रहता है वह सर्वात्मना या एकदेश से रहता है, जैसे कुण्ड में बेल या अनेक आसनों पर एक देवदत्त। अवयवी स्वात्मा से भिन्न अवयवों में रहता है, ऐसा आपका मत है, अतः वह दोषपूर्ण है।

आपने कहा था कि 'सर्वात्मना और एकदेश शब्द भेद को विषय करते हैं, अभिन्न अवयवी में उसकी प्रवृत्ति अयुक्त है' यह भी कथन माथ है, अनेक अवयवों में वर्तमान एक निरंश अर्थान्तरभूत अवयवी की प्रतीति नहीं होती और सर्वात्मना तथा एकदेश को छोड़कर प्रकारान्तर से वृत्ति की भी प्रतीति नहीं होती। जो जहाँ रहता है या तो वह एकदेश से रहता है जैसे अनेक शाखाओं पर एक बाँस, या सर्वात्मना रहता है जैसे कुण्ड में दही। अतः दोनों प्रकार नहीं मानने पर अवयवी की अवयवों में वृत्ति नहीं बन सकती, क्योंकि वृत्ति के व्यापक एकदेश और सर्वदेश का अभाव है। और वृत्ति के न बनने पर अवयवी का अवयव से सर्वथा भेद का अभाव है। तथाहि—तन्तु आदि अवयवों से पटादि अवयवी सर्वथा भिन्न नहीं है, क्योंकि वह उनमें न तो एकदेश से रहता है और न सर्वात्मना रहता है। जो जिससे सर्वथा भिन्न होता है वह उसमें सर्वदेश या एकदेश से नहीं रहता, जैसे कुण्ड बगैरह में दही बगैरह। उसी तरह अवयवी भी अवयवों में न एकदेश से रहता है और न सर्वदेश से रहता है।

तथा, यदि अवयवी निरंश एक स्वभाव है तो वह एक साथ अनेक अवयवों में व्याप्त होकर नहीं रह सकता, क्योंकि जो निरंकुश एक स्वभाव द्रव्य होता है वह एक साथ अनेक द्रव्यों में व्याप्त होकर नहीं रहता, जैसे परमाणु। और अवयवी द्रव्य निरंश एक स्वभाव है, इसमें आकाश आदि से व्यभिचार नहीं आता, क्योंकि अनन्त प्रदेशी होने से आकाश निरंश नहीं है। यदि अवयवी निरंश है तो लंगोटी बगैरह से शरीर का एकदेश ढाँकने पर समस्त शरीर ढाँका जाता है या नहीं? यदि समस्त शरीर ढाँका जाता है तो विवक्षित अवयव की तरह पूरा शरीर दिखाई नहीं देना चाहिये।

वैशेषिक—लंगोटी बगैरह से विवक्षित अवयव के ढाँके जाने पर भी शरीर नहीं ढाँका जा सकता, क्योंकि एक अवयव को ढाँकने वाली लंगोटी में पूरे शरीर को ढाँकने की शक्ति नहीं है। जितना वस्त्र एक अवयव को ढाँकता है उतना ही अवयवी को नहीं ढाँक सकता, क्योंकि अवयव से अवयवी बड़ा होता है।

जैन—तो उस लंगोटी से शरीर के एकदेश का आवरण होता है या नहीं ? प्रथम पक्ष में निरंश अवयवी के देश का अभाव होने से उसका आवरण नहीं बन सकता । यदि देश का आवरण होता है तो वह निरंश नहीं हो सकता । यदि कहा जाये कि लंगोटी वगैरह से अवयवी के एकदेश का भी आवरण नहीं होता तो पूरा शरीर दिखाई देना चाहिये, क्योंकि अवयव को ढाँकने या नहीं ढाँकने पर भी अवयवी में कोई विशेषता नहीं आती । दोनों ही अवस्थाओं में अवयवी को अनावृत ही माना जाता है । यदि लंगोटी से ढाँका हुआ शरीर का अवयव दिखाई नहीं देता, ऐसा मानते हैं तो अवयवी एक नहीं हो सकता, ढँका और बेढँका या अदृश्य होने से उसमें कथञ्चिद् भेद सिद्ध होता है ।

तथा तन्तु आदि एक अवयव के लाल रंगे जाने पर अवयवी पटादि रंगा जाता है या नहीं ? यदि रंगा जाता है तो पूरे अवयवी में लाल प्रत्यय होना चाहिये । यदि अवयव के रंगे जाने पर भी अवयवी नहीं रंगा जाता है तो यह कथन लोक विरुद्ध है । 'तन्तु आदि अवयवों के रंगे जाने पर भी पट नहीं रंगा जाता' ऐसा कोई नहीं मानता ।

अतः अवयवों से अत्यन्त भिन्न निरंश अवयवी नहीं मानना चाहिये, किन्तु ताने-बाने रूप अवस्था विशेष से विशिष्ट तन्तु आदि अवयवों के कथञ्चिद् एकत्व परिणति रूप अवस्था विशेष को ही पट आदि अवयवी मानना चाहिये ।

बौद्ध :

रूपादि से भिन्न अवयवी की किसी भी प्रमाण से प्रतीति नहीं होती, अतः बुद्धिमानों के लिए अवयवी को स्वीकार करना उचित नहीं है । इसका खुलासा इस प्रकार है—रूप आदि से भिन्न अवयवी की प्रतीति प्रत्यक्ष से होती है या अनुमान से ? प्रत्यक्ष से तो नहीं होती, क्योंकि चक्षु आदि इन्द्रियों से उत्पन्न होने वाले ज्ञान में रूपादि का ही अवभास होता है, अवयवी का नहीं । उसी को यदि आप अवयवी नाम देते हैं तो हमें कोई विरोध नहीं है, यह तो नाम मात्र का भेद है । अनुमान से भी रूपादि से भिन्न अवयवी की प्रतीति नहीं होती, क्योंकि प्रत्यक्ष के अविषय में अनुमानकी प्रवृत्ति नहीं होती । यदि प्रत्यक्ष से अवयवी को और उसके अविनाभावी किंशो लिङ्ग को जाना होता तो घूम से अग्नि की तरह कहीं उस लिङ्ग को देखकर अवयवी का अनुमान किया जा सकता था, किन्तु रूपादि से भिन्न अवयवी की प्रतीति स्वप्न में भी प्रत्यक्ष से नहीं होती । अतः प्राहक प्रमाण का अभाव होने से अवयवी का अभाव है ।

तथा अवयवी की उत्पत्ति में कोई कारण भी नहीं बनता, इसलिये भी अवयवी नहीं है। द्व्यणुक आदि अवयवी की उत्पत्ति में कारण परमाणु संयोग को माना जाता है। वह परमाणु संयोग न एकदेश से बनता है और न सर्वात्मना बनता है। परमाणुओं का संयोग सर्वात्मना मानने पर पिण्ड को अणुमात्रता का प्रसङ्ग आता है। एकदेश से भी परमाणुओं का संयोग नहीं बनता, क्योंकि परमाणुओं के देश सम्भव नहीं है। यदि उनके देश हैं तो वे परमाणु नहीं हैं, क्योंकि छह दिशाओं के भेद से एक साथ छह परमाणुओं के साथ संयोग होने से परमाणु को षडंशता की आपत्ति आती है। इसलिये लोहे की कील के तुल्य परमाणु ही वास्तविक हैं।

शङ्का—अवयवी द्रव्य को न मानने पर परस्पर में असम्बद्ध परमाणु में स्थूल एकाकार बोध नहीं होगा।

समाधान—जैसे तैमिरिक रोगी को आकाश में अस्त् केश आदि भी दिखाई देते हैं वैसे ही हम लोगों को परमाणुओं में भी अस्त् स्थूल एकाकार प्रतीति होती है। स्थूल एकाकार प्रतीति भ्रान्त है। तथा, आप अवयवी को अनेक अवयव व्यापी और रूपरसाद्यात्मक मानते हैं, उसका ग्रहण अवयवी के समस्त अवयवों के ग्रहण होने पर ही हो सकता है। तो इस भाववर्ती अवयवों को ग्रहण करने वाले प्रत्यक्ष से उसका ग्रहण होता है, या उस भागवर्ती अवयवों को ग्रहण करने वाले प्रत्यक्ष से उसका ग्रहण होता है, अथवा उभय भागवर्ती अवयवों को ग्रहण करने वाले प्रत्यक्ष से अवयवी का ग्रहण होता है? पहला और दूसरा पक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि इस भाग के अवयवों को ग्रहण करने वाला प्रत्यक्ष उस भाग के अवयवों को ग्रहण नहीं कर सकता। और पर भागवर्ती अवयवों को ग्रहण करने वाला प्रत्यक्ष इस भागवर्ती अवयवों को ग्रहण नहीं कर सकता। और दोनों भागों के अवयवों को ग्रहण करने वाला कोई प्रत्यक्ष नहीं है, अतः तीसरा पक्ष भी ठीक नहीं है। इसी तरह रूप को ग्रहण करने वाला चाक्षुष प्रत्यक्ष रस को नहीं जानता और रस को जानने वाला रासन प्रत्यक्ष रूप को नहीं जानता। और रूप-रस दोनों को ग्रहण करने वाला प्रत्यक्ष स्वप्न में भी दृष्टिगोचर नहीं होता। अतः अवयवों का रूप-रसाद्यात्मकपना भी सिद्ध नहीं होता।

जैन :

विचारणीय यह है कि चक्षु आदि इन्द्रियों से उत्पन्न होने वाले ज्ञान में एकस्व परिणति विशिष्ट उर्ध्व-अधो-मध्यभागात्मक, विशिष्ट आकार से युक्त घट

१. न्यायकुमुदचन्द्र, पृष्ठ २३२।

आदि कहे जाने के योग्य रूप का प्रतिभास होता है या परस्पर में एक दूसरे से विलक्षण निरंश परमाणु के समूह का प्रतिभास होता है ? प्रथम पक्ष में इन्द्रियों से उत्पन्न होने वाले ज्ञान में अवयवी द्रव्य का अप्रतिभास कैसे हुआ ? उर्ध्व-अधो-मध्यभागात्मक, विशिष्ट आकार से युक्त एकत्व परिणति ही का तो नाम अवयवी है। यदि रूपादि से अतिरिक्त अवयवी का प्रतिभास न होने से अभाव मानते हो तो रूपादि के भी अभाव का प्रसङ्ग आता है, क्योंकि अवयवी को छोड़कर रूपादि का भी प्रतिभास नहीं होता। बेल, आँवला आदि अवयवी द्रव्यों से रहित उनके रूपादि की स्वप्न में भी उपलब्धि नहीं होती। जो जिस रूप से निर्बाध ज्ञान में प्रतिभासित होता है उसको उसी रूप ही मानना चाहिए, जैसे नील को नील रूप से। निर्बाध ज्ञान में बेल, आँवला आदि का रूप एकत्व परिणति विशिष्ट अवयवी रूप से ही प्रतिभासित होता है, अतः उसे उसी रूप ही मानना चाहिए। अवयवी का ज्ञान निर्बाध नहीं है ऐसा कहना भी योग्य नहीं है, उसका बाधक कोई भी प्रमाण नहीं है। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा एकत्व रूप से ही अर्थों का प्रतिभास होता है।

बौद्ध—अवयव की संयोगपूर्वक ही एकत्व परिणति होती है। और अवयवों का संयोग सर्वात्मना या एकदेश से नहीं बनता, यह ऊपर कहा है।

जैन—ऐसा कहने से आपका अभिप्राय क्या है ? इससे आपको अवयवों का सम्बन्धाभाव इष्ट है या सर्वदेश और एकदेश को छोड़कर प्रकारान्तर से सम्बन्ध इष्ट है ? प्रथम पक्ष में प्रत्यक्ष विरोध है, क्योंकि अर्थों का अवयव सम्बन्ध प्रत्यक्ष में दृष्टिगोचर होता है। यदि अर्थों का अवयव सम्बन्ध नहीं है तो रस्सी, बाँस, दण्ड वगैरह के एकदेश को खींचने पर अन्य देशों का आकर्षण नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो जिससे असम्बद्ध है उसके खींचने पर उससे अन्य का आकर्षण नहीं देखा जाता, जैसे घड़े को खींचने पर दीवार नहीं खिंचती। और आपके मतानुसार रस्सी, दण्ड, बाँस वगैरह का एक भाग दूसरे भाग से सम्बद्ध नहीं है, अतः एक भाग के खींचने पर दूसरा भाग नहीं खिंचना चाहिये। यदि सर्वदेश और एकदेश को छोड़कर प्रकारान्तर से अवयवों का परस्पर में सम्बन्ध इष्ट है तो वह उचित ही है, क्योंकि स्निग्धता और रूक्षता के कारण अर्थों का सम्बन्ध पाया जाता है, सत्तु-जल वगैरह में स्निग्धता और रूक्षता को छोड़कर कोई दूसरा प्रकार सम्बन्ध का हेतु नहीं देखा जाता।

और आपने जो परमाणुओं को पड़शता की आपत्ति दी है वह क्या आरम्भक देशों की अपेक्षा से दो है या संयोग में हेतुभूत स्वभाव की अपेक्षा से ? प्रथम पक्ष में परस्पर विरोध है—परमाणु और छह अंशों से आरब्ध ? यदि परमाणु छह अंशों से बना है तो वह अपने अवयवों की अपेक्षा से बड़ा परिमाण वाला होना चाहिए, और ऐसी स्थिति में उसे परमाणु कैसे कहा जा सकता है ? जो सबसे कम परिमाण वाला होता है वही परमाणु कहा जाता है। दूसरे पक्ष में कोई दोष नहीं है, क्योंकि दिशा भेद से अणुओं के संयोग में हेतुभूत स्वभाव रूप अंश परमाणुओं में माने गये हैं। यदि ऐसा न हो तो जल धारण और जल लाने रूप अर्थक्रिया को करने वाले घटादि की उत्पत्ति कैसे हो सकती है ? लोहे की कीलों के तुल्य परमाणु तो परस्पर में असम्बद्ध होने के कारण इस प्रकार की अर्थक्रिया नहीं कर सकते। शायद आप कहें कि देश प्रत्यासत्ति से विशिष्ट परमाणु अर्थक्रिया कर सकते हैं, अन्य नहीं, तो वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि अवयवी को नहीं मानने पर देश प्रत्यासत्ति भी नहीं बन सकती, देश भी तो अवयवी है। परस्पर में विलक्षण निरंश परमाणुओं का समूह रूप घटादि प्रत्यक्ष में प्रतिभासित होता है, उक्त कथन से यह पक्ष भी खण्डित हो जाता है, क्योंकि किसी को भी इन्द्रियजन्य ज्ञान में उक्त प्रकार के परमाणुओं की प्रतीति नहीं होती, सब प्राणियों को स्थिर, स्थूल अर्थ को ही प्रतीति होती है। तैमिरिक रोगी को भी परस्पर में असम्बद्ध केश कभी भी दृष्टिगोचर नहीं होते। किन्तु संयोग विशेष से समूह अवस्था को प्राप्त केशों को ही प्रतीति होती है। तथा केश के दृष्टान्त से अवयवी का निषेध ठीक नहीं है, क्योंकि केश भी तो अवयवी है।

तथा, यदि आप अवयवी नहीं मानते तो घट आदि का ज्ञान निविषय है या सविषय ? निविषय तो ही नहीं सकता, क्योंकि 'मैं घट को जानता हूँ' इस उल्लेख से सिद्ध है कि वह अपने विषय को जानता है। यदि सविषय है तो उसका विषय क्या है ? यदि परमाणु समूह उसका विषय है तो परमाणु समूह से क्या मतलब है ? परमाणु ही या उनका धर्म ? पहला विकल्प तो ठीक नहीं है, परमाणु तो अत्यन्त अणु होने से अतीन्द्रिय होते हैं, अतः वे इन्द्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं हो सकते। और ऐसा होने से सभी का ग्रहण न हो सकने से कहीं पर प्रत्यक्ष व्यवहार ही नहीं होगा। गुण, कर्म, सामान्य वगैरह भी अवयवी रूप होने से ही प्रत्यक्ष के विषय होते हैं, यथा—गौ, शुक्ल, चलती है आदि।

यदि कहोने कि परमाणु समूह का मतलब परमाणुओं का संयोगरूप धर्म है सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि परमाणुओं का संयोग मानने पर अवयवी की मान्यता से नहीं बच सकते। तथा परमाणुओं का यह संयोग वास्तविक है या अवास्तविक? यदि अवास्तविक है तो वह प्रत्यक्ष का विषय कैसे है? क्योंकि जो अवास्तविक होता है वह प्रत्यक्ष का विषय नहीं होता, जैसे आकाश-पुष्प। यदि वह वास्तविक है तो हम लोगों के प्रत्यक्ष का विषय नहीं होना चाहिये, क्योंकि वह निरतिशय परिमाण वाले द्रव्य का संयोग है। जो निरतिशय परिमाण वाले द्रव्य का संयोग होता है वह हम लोगों के प्रत्यक्ष का विषय नहीं होता, जैसे आकाश और परमाणु का संयोग।

बौद्ध—परमाणु संयोग हमारे प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, किन्तु संचित परमाणु ही हमारे प्रत्यक्ष के विषय हैं।

जैन—परमाणु के संचय से क्या मतलब है? देश प्रत्यासत्ति अथवा संयोग विशिष्टता? दोनों ही पक्षों में अवयवी की सिद्धि होती है, क्योंकि देश स्वयं अवयवी है। तथा यदि हमारे प्रत्यक्ष के विषय परमाणु हैं तो 'एक' 'महान्' 'घट' इत्यादि प्रत्यय नहीं हो सकते, क्योंकि परमाणु महान् नहीं है तथा वे बहुत हैं।

बौद्ध—जैसे सेना और वन के बहुत से अंग होते हैं, किन्तु दूर से उनका भेद ग्रहण न किये जाने से 'एक वन' 'एक सेना' इस प्रकार एक प्रत्यय उत्पन्न होता है, उसी तरह अत्यन्त निकटवर्ती परमाणुओं में भेद ग्रहण न होने से 'महान् एक घट' इत्यादि प्रत्यय उत्पन्न होता है।

जैन—यह ठीक नहीं है। परमाणु अतीन्द्रिय है, अतः उनकी उपलब्धि न होने से वे उस प्रकार के प्रत्यय के विषय नहीं हो सकते। उपलब्धमान सेना के अंग रथादि और वन के अंग वाक आदि 'एक सेना' तथा 'एक वन' आदि अभेद प्रत्यय के विषय देखे गये हैं। दूसरे जब आप अवयवी को नहीं मानते तो सेना और वन प्रत्यय का दृष्टान्त नहीं दे सकते क्योंकि सेना और वन अवयवी हैं और अवयव के अभाव में सेना और वन प्रत्यय कैसे बन सकते हैं?

आपने स्थूल आदि प्रतीति को भ्रान्त कहा है, क्योंकि वह अतत् में तत् का ग्रहण करती है किन्तु यह ठीक नहीं है, मुख्य का ग्रहण हुए बिना अतत् में तत् का ग्रहण नहीं होता। जिसने मुख्य पुरुष को कभी नहीं देखा। उसे स्थाणु में पुरुष का बोध नहीं होता। आप स्थूलता वगैरह किसी वस्तु में मुख्य रूप से मानते ही नहीं, यदि माने तो अवयवी की सिद्धि का प्रसङ्ग आता है।

तथा, प्रत्यक्ष और स्मरणादि की सहायता से इस भाग और उस भागवर्ती अवयवों में रहने वाले अवयवी का ग्रहण होता है। 'मैंने जिसे देखा था उसे ही मैं छूता हूँ' इस प्रत्यय से अवयवी रूपाचात्मक सिद्ध होता है। रूप और स्पर्श के आधारभूत एक अर्थ को दो इन्द्रियों से ग्रहण किये बिना इस प्रकार का प्रत्यय नहीं बनता। अतः प्रसिद्ध अवयवी का अरलाप करना युक्त नहीं है। अवयवी को न मानने पर परमाणु मात्र को भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि अवयवी के सिवाय परमाणु की सिद्धि का अन्य कोई उपाय नहीं है। जो कार्य होता है वह अपने परिमाण से अल्प परिमाण वाले कारण से बनता है जैसे पट, वैसे ही द्रवणुक, अथवा अल्प परिमाण किसी वस्तु में अपनी अत्यन्त उन्नत सीमा तक रहता है वर्द्धनशील होने से, जैसे महापरिमाण। इन अनुमानों के द्वारा परमाणु की सिद्धि करने पर अवयवी के प्रसाद से ही परमाणु की सिद्धि होती है। तथा अवयवी को न मानने पर सभी अनुमानों के उच्छेद का प्रसङ्ग आता है, क्योंकि घर्मी, हेतु और दृष्टान्त अवयवी रूप होते हैं और आप अवयवी को मानते नहीं। यदि आप उनको मानते हैं तो अवयवी को मानना अनिवायं है, क्योंकि ये सब परमाणु रूप नहीं होते।

अतः अपने अवयवों से कषत्रिद् अभिन्न अवयवी ही वास्तविक सिद्ध होता है, इसलिये वैशेषिकों के द्वारा माना गया कार्य कारणभूत परमाणु-द्रवणुक आदि अवयवी द्रव्य भी नहीं बनता।

१५. वैशेषिकाभिमत पदार्थ-विचार

१. द्रव्य-पदार्थ :

द्रव्यत्व के योग से द्रव्य होता है, ऐसा वैशेषिक का मत है। किन्तु द्रव्य के भाव को द्रव्यत्व कहते हैं। अतः द्रव्य के ज्ञात होने पर द्रव्यत्व ज्ञात होता है और द्रव्यत्व के बिना द्रव्य का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वैशेषिक जाति द्वारा ही द्रव्यादि की प्रतिपत्ति मानते हैं। अतः अन्योन्याश्रय दोष आता है।

तथा, किसी आकार वगैरह के द्वारा सामान्य की अभिव्यक्ति होती है, जैसे गोत्व की अभिव्यक्ति खुर-कूबड़ आदि के द्वारा होती है, या घी-तेल वगैरह की अभिव्यक्ति तपाने पर गन्ध से होती है। द्रव्यत्व का तो कोई व्यञ्जक भी नहीं है।

वैशेषिक—क्रियावत्त्व गुणवत्त्व और समवायिकारणत्व द्रव्यत्व का व्यञ्जक है।

जैन—तो ये समस्त व्यञ्जक हैं या एक-एक व्यञ्जक हैं ? एक-एक व्यञ्जक तो हो नहीं सकते, क्योंकि क्रियावत्त्व आकाश आदि द्रव्य व्यक्तियों में असम्भव है, तत्काल उत्पन्न हुये पट वगैरह में गुणवत्त्व नहीं है। जिसने आत्मलाभ कर लिया है, ऐसा अवयवी गुणों की उत्पत्ति में समवायिकारण होता है। इसलिये तत्काल उत्पन्न हुये पट में गुण का अभाव वैशेषिकों ने माना है, अतः योगियों की उसमें द्रव्यवृद्धि नहीं होगी। समवायिकारणत्व भी द्रव्यत्व का व्यञ्जक नहीं है, क्योंकि वह भी सर्वदा नहीं रहता। अतः उक्त लक्षण में अव्याप्ति दोष आता है। तथा, जब कारण होता है तब समवायी नहीं होता, और जब समवायी होता है तब कारण नहीं होता। कार्य से पूर्वक्षण में कारण होता है, उस समय कार्य नहीं है, जिससे वह कार्य समवायी हो। और जिस समय कार्य समवायी होता है, उस समय कार्य के निष्पन्न हो जाने से कारण नहीं होता। इस तरह असम्भव नाम का लक्षण दोष है। 'जिस समय जिसमें जो रहे उस समय उसका वही लक्षण है' इस कथन के अनुसार भी तत्काल उत्पन्न हुये घटादि में असम्भव दोष आता ही है, क्योंकि उसमें द्रव्य का कोई भी लक्षण सम्भव नहीं है। तीनों को समुदाय रूप से द्रव्य का लक्षण मानने पर भी अव्याप्ति दोष रहता ही है, क्योंकि तत्काल उत्पन्न हुये घट वगैरह में क्रियावत्त्व, गुणवत्त्व और समवायिकारणत्व—तीनों का ही अभाव है तथा आकाशादि में क्रियावत्त्व का अभाव है।

'द्रव्य गुणादि से भिन्न है, क्योंकि उसमें द्रव्यत्व का सम्बन्ध पाया जाता है' इत्यादि अनुमान भी ठीक नहीं है। धर्मी, साध्य और साधन वादि-प्रतिवादी—दोनों को प्रसिद्ध होते हैं, तभी अनुमान की प्रवृत्ति होती है। उक्त अनुमान में न तो नौ द्रव्य रूप धर्मी किसी को किसी प्रमाण से सिद्ध है, न उनमें रहने वाला द्रव्यत्व हेतु सिद्ध है और न भेद रूप साध्य ही सिद्ध है। अतः उक्त अनुमान के द्वारा द्रव्य का गुणादि से भेद-व्यवहार सिद्ध नहीं होता। तथा पृथिवी आदि का परस्पर में अत्यन्त भेद भी असिद्ध है, क्योंकि हम जैन उन्हें पुद्गलात्मक होने से कथञ्चिद् अभिन्न मानते हैं।

(क-घ) पृथिवी, जल, तेज और वायु-द्रव्य

वैशेषिक :

'यदि पृथिवी, जल, तेज, और वायु को एक पुद्गलात्मक माना जायेगा तो उसमें प्रतिनियत गन्ध आदि गुणों की आधारता का नियम नहीं बन सकता,

क्योंकि जैन लोग पुद्गलों को रूप, रस, गन्ध और स्पर्शात्मक मानते हैं। अतः यदि पृथिवी आदि चारों पौद्गलिक हैं तो उन सभी में गन्धादि चारों गुणों की प्रतीति होनी चाहिये ? किन्तु ऐसी बात नहीं है, क्योंकि चारों में गन्धादि चारों गुण प्रतिनियत रूप से ही पाये जाते हैं। कहा है—गन्ध पृथिवी में ही होती है, जल में रस होता है, तेज में रूप होता है और वायु में स्पर्श होता है। तथा यदि पृथिवी आदि चारों एक हैं तो उनका पृथिवीत्व आदि प्रतिनियत जाति से सम्बन्ध नहीं बन सकता। किन्तु पृथिवी में ही पृथिवीत्व पाया जाता है तथा जलादि में जलत्व आदि पाये जाते हैं।

जैन :

पृथिवी आदि में प्रतिनियत गन्धादि गुणों की आधारता का नियम आप उनकी सत्ता की अपेक्षा मानते हैं या उनकी अभिव्यक्ति की अपेक्षा मानते हैं ? पहला विकल्प तो अयुक्त है, क्योंकि पृथिवी की तरह जलादि में भी गन्धादि चारों गुणों का सद्भाव होने से प्रतिनियत गन्धादि गुणों की आधारता का नियम नहीं बन सकता। और उनका सद्भाव अनुमान से सिद्ध है, तथा हि—जलादि गन्धादिमान् हैं, स्पर्शवान् होने से। जो स्पर्श वाला होता है वह गन्धादिमान् होता है जैसे पृथिवी और जलादि स्पर्शवान् हैं अतः गन्धादिमान् भी हैं। जो गन्धादिमान् नहीं होता वह स्पर्शवान् भी नहीं होता, जैसे आत्मा, आकाश आदि।

यदि पृथिवी आदि में अभिव्यक्ति की अपेक्षा से प्रतिनियत गन्धादि गुणों की आधारता का नियम मानते हैं तो मानिये, किन्तु इससे वे द्रव्यान्तर सिद्ध नहीं होते। जल से संयुक्त अग्नि में भासुर रूप अनभिव्यक्त है और स्वर्ण से युक्त तेज में उष्णस्पर्श अनभिव्यक्त है, एतावता वे दोनों अभिव्यक्त भासुर रूप और उष्ण-स्पर्श वाली अग्नि से भिन्न द्रव्यान्तर नहीं हैं, अन्यथा द्रव्यों की संख्या के व्याघात का प्रसङ्ग आता है। इसी तरह पृथिवी आदि में भी अनभिव्यक्त होते हुये भी स्पर्शादि गुण समान रूप से पाये जाते हैं, अतः वे परस्पर में अत्यन्त भिन्न द्रव्यान्तर नहीं हैं।

पृथिवीत्व आदि जाति का सम्बन्ध भी सर्वथा द्रव्य भेद का साधक नहीं है। उससे तो व्यक्त भेद ही सिद्ध होता है, तत्त्व भेद नहीं। अन्यथा क्षत्रियत्व आदि अवान्तर जाति के सम्बन्ध से आत्माओं को भी तत्त्वान्तरत्व का प्रसङ्ग आने से द्रव्य की संख्या में व्याघात आयेगा। यदि जाति भेद के कारण पृथिवी आदि में

सर्वथा भेद मानते हैं तो उनमें परस्पर में उपादानोपादेय भाव नहीं हो सकता । जिनमें जाति भेद के कारण अत्यन्त भेद होता है उनमें परस्पर में उपादानोपादेय भाव नहीं होता, जैसे आत्मा और पृथिवी आदि में । आप पृथिवी आदि में भी अत्यन्त भेद मानते हैं, अतः उनमें परस्पर में उपादानोपादेय भाव नहीं हो सकेगा, किन्तु वह देखा जाता है । चन्द्रकान्त मणि से जल की और जलादि से मोती की उत्पत्ति देखी जाती है, अतः उनमें तत्त्वान्तर रूप से भेद नहीं है । जिनका परस्पर में उपादानोपादेय भाव होता है, उनका परस्पर में अत्यन्त तत्त्वान्तर रूप से भेद नहीं होता, जैसे तन्तु-पट बगैरह में नहीं है । इसी तरह पृथिवी आदि में भी उपादानोपादेय भाव होने से सर्वथा तत्त्वान्तरपना नहीं है ।

वैशेषिक—चन्द्रकान्त के अन्दर रहने वाले जल से ही जल की उत्पत्ति होती है ।

जैन—नहीं, क्योंकि चन्द्रकान्त में जल की सत्ता सिद्ध करने वाले प्रमाण का अभाव है ।

वैशेषिक—विजातीय से विजातीय की उत्पत्ति होने पर तत्त्व व्यवस्था के अभाव का प्रसङ्ग आता है, अतः चन्द्रकान्त में रहने वाले जल से ही जल की उत्पत्ति मानना चाहिये ।

जैन—तब तो मिट्टी के पिण्ड के अन्दर रहने वाले घट से घट की उत्पत्ति मानिये । और ऐसा मानने पर सांख्यदर्शन की सिद्धि होती है । अतः जैसे मृत्पिण्ड में घट का अभाव है, वैसे ही चन्द्रकान्त में जल का अभाव है । इसलिये पृथिवी बगैरह में पर्याय भेद से भेद है और द्रव्य रूप से अभेद है । इस तरह वैशेषिक मत में पृथिवी आदि के भेद से चार प्रकार का द्रव्य नहीं बनता । और न आकाश द्रव्य का सद्भाव ही उस रूप से सिद्ध होता है, जिस रूप से वह माना गया है ।

(ड) आकाश-द्रव्य

वैशेषिक :

आकाश द्रव्य के सद्भाव का साधक प्रमाण इस प्रकार है—शब्द किसी के आश्रित है, गुण होने से रूपादि की तरह । और शब्द गुण है, द्रव्य और कर्म से भिन्न होते हुए सत्तावाला होने से । जो-जो ऐसा होता है वह गुण है,

जैसे रूपादि । शब्द भी वैसा ही है, अतः वह गुण है । शब्द द्रव्य और कर्म से भिन्न है, यह बात असिद्ध नहीं है । तथा हि—शब्द द्रव्य नहीं है, एक द्रव्य होने से, जैसे रूपादि । कोई द्रव्य तो अद्रव्य (जिसका समवायिकारण द्रव्य नहीं होता) होता है नित्य होने से, जैसे आत्मा आदि । कोई द्रव्य अनेक द्रव्य होता है कार्य होने से, जैसे घट आदि । किन्तु शब्द एक द्रव्य है सामान्य-विशेषवान् होते हुए बाह्य एक इन्द्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष होने से, जैसे रूप आदि । यदि 'सामान्य-विशेषवान्' केवल इतना ही कहें तो परमाणु आदि से व्यभिचार आता है, अतः उसकी निवृत्ति के लिए 'इन्द्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष होने से' कहा । फिर भी घटादि से व्यभिचार आता है, इसलिये उसकी निवृत्ति के लिए 'एक इन्द्रिय के द्वारा' आदि कहा । फिर भी आत्मा से व्यभिचार आता है, अतः उसकी निवृत्ति के लिए बाह्य विशेषण दिया है । शब्द कर्म भी नहीं है, क्योंकि न वह संयोग में कारण होता है और न विभाग में । तथा शब्द न द्रव्य है और न कर्म, अनित्य होते हुये नियम से चाक्षुष प्रत्यक्ष का विषय न होने से । अतः गुण होने से शब्द किसी के आश्रित है । और जो इसका आश्रय है वह आकाश है । वह आकाश एक और व्यापक है तथा परमाणु की तरह नित्य है । उस आकाश का लिङ्ग शब्द है, उसको उत्पत्ति की प्रक्रिया इस प्रकार है—

संयोग से, विभाग से और शब्द से शब्द की उत्पत्ति होती है । संयोग से शब्द की उत्पत्ति में आकाश समवायिकारण है, भेरी आदि आकाश संयोग असमवायिकारण है, और भेरी और दण्ड का संयोग निमित्त कारण है । विभाग से शब्द की उत्पत्ति में आकाश समवायिकारण है, बाँस के आधे भाग का आकाश से विभाग असमवायिकारण है और बाँस का विभाग निमित्तकारण है । तथा शब्द से शब्द की उत्पत्ति में आकाश समवायिकारण है, पहला शब्द असमवायिकारण है और अदृष्ट आदि निमित्त कारण है ।

जैन :

उक्त अनुमान से आप वैशेषिक लोग शब्द को आश्रय मात्र का आश्रित सिद्ध करते हैं या नित्य, एक, व्यापी आश्रय का आश्रित सिद्ध करते हैं ? प्रथम पक्ष में उक्त अनुमान से आकाश-द्रव्य की सिद्धि कैसे हो सकती है, किन्तु आश्रय मात्र की ही सिद्धि होती है और उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि पुद्गल का परिणाम होने से हम शब्द को पुद्गल के आश्रित मानते हैं । दूसरे पक्ष में दृष्टान्त साध्य विकल होता है, क्योंकि रूपादि नित्य एक और व्यापक द्रव्य के आश्रित नहीं है, अतः शब्द का गुण होना असिद्ध है, क्योंकि उसके साधक प्रमाण का

अभाव है। प्रत्युत द्रव्य का लक्षण पाया जाने से शब्द द्रव्य ही है। जो गुणवान् और क्रियावान् हो वह द्रव्य है। यह लक्षण द्रव्य में पाया जाता है। तथा हि—शब्द गुणवान् है, स्पर्श अल्पत्व महत्त्व परिमाण संख्या संयोग का आश्रय होने से। तथा शब्द स्पर्शवान् है, स्वसम्बद्ध अर्थान्तर में अभिघात का हेतु होने से। यह बात असिद्ध नहीं है, काँसे के पात्र के शब्द का सम्बन्ध होने पर श्रोत्र में अभिघात की प्रतीति होती है। शायद कहा जाये कि शब्द के साथ जो वायु होती है उससे श्रोत्र में अभिघात की प्रतीति होती है, किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वह अभिघात शब्द के होने पर ही होता है और शब्द के नहीं होने पर नहीं होता। फिर भी यदि उसका हेतु अन्य को माना जायेगा तो फिर किसी में कार्य-कारणभाव का नियम ही नहीं बनेगा। तथा शब्द स्पर्शवान् है, क्योंकि स्पर्शवान् पदार्थ के द्वारा उसका अभिघात होता है। इससे शब्द में स्पर्शगुण का अस्तित्व सिद्ध होता है, यह भी असिद्ध नहीं है, क्योंकि प्रतिवायु के द्वारा तथा भित्ति आदि के द्वारा शब्द का अभिघात देखा जाता है। अतः शब्द का स्पर्शवान् होना असिद्ध नहीं है।

तथा अल्पत्व और महत्त्व परिमाण का आश्रय होना भी असिद्ध नहीं है, क्योंकि शब्द में अल्पत्व और महत्त्व की प्रतीति होती है। 'अल्प शब्द' 'महान् शब्द'—ऐसी प्रतीति बच्चों तक को होती है। इसी तरह 'एक शब्द, दो शब्द, बहुत शब्द'—इस प्रतीति से शब्द में संख्यावत्त्व भी सिद्ध होता है। यदि कहोगे कि उपचार से शब्द में संख्यावत्त्व की प्रतीति होती है तो कारणगत संख्या का शब्द में उपचार किया जाता है, या विषयगत संख्या का? यदि कारणगत संख्या का उपचार किया जाता है तो समवायिकारणगत या कारण-मात्रगत संख्या का उपचार किया जाता है? प्रथम पक्ष में सर्वदा 'एक शब्द' ऐसा ही व्यवहार होगा, क्योंकि शब्द का समवायिकारण आकाश एक है। दूसरे पक्ष में सर्वदा 'बहुत से शब्द' ऐसा ही व्यवहार होगा, क्योंकि कारणमात्र बहुत है। विषयगत संख्या के उपचार में तो गगन, आकाश और व्योम आदि शब्द बहुत नहीं कहे जायेंगे, क्योंकि उनका विषय एक है। और पशु बहुत होते हैं अतः गो शब्द को स्वप्न में भी एक नहीं कहा जायेगा। अतः शब्द संख्या का आश्रय है यह बात असिद्ध नहीं है। शब्द संयोग का आश्रय है, यह भी असिद्ध नहीं है, क्योंकि वायु वगैरह से शब्द का अभिघात देखा जाता है। वायु आदि के

द्वारा जिसका अभिघात होता है, वह संयोग का आश्रय होता है, जैसे धूल बगैरह ! देखा जाता है कि देवदत्त के प्रति जाता हुआ शब्द प्रतिकूल वायु से दूसरी ओर चला जाता है। इसी से अन्य दिशा में स्थित शब्द को अन्य दिशा में स्थित व्यक्ति ग्रहण कर लेता है।

वैशेषिक—देवदत्त की ओर आने वाली गन्ध प्रतिकूल वायु से लौट जाती है, किन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि वायु का गन्ध से संयोग हुआ, क्योंकि गन्ध गुण है और गुण में गुण नहीं रहता।

जैन—वायु गन्धवान् द्रव्य को ही लौटा देती है, केवल अकेला गुण तो निष्क्रिय है, अतः उसका आना और लौटना नहीं हो सकता। इसलिये शब्द संयोग का आश्रय है। 'शब्द में क्रियावत्त्व भी असिद्ध नहीं है, क्योंकि वह पूर्वदेश को छोड़कर देशान्तर में पाया जाता है। शब्द वक्ता के मुखदेश को छोड़कर श्रोता के कर्णप्रदेश में पाया जाता है—यह बात सब लोग जानते हैं।

वैशेषिक—आकाश और शंख तथा मुख के संयोग आदि से उत्पन्न हुआ प्रथम शब्द आकर श्रोत्र से सम्बन्ध नहीं करता, किन्तु जैसे लहर से लहर उत्पन्न होती है वैसे ही शब्द से उत्पन्न होता हुआ शब्द आकर श्रोत्र से सम्बन्ध करता है तब शब्द क्रियावान् कैसे हुआ ?

जैन—इस तरह तो सर्वत्र क्रिया के उच्छेद का प्रसङ्ग आता है। बाण बगैरह भी पूर्व पूर्व समान जातीय ध्वनि से उत्पन्न होकर लक्ष्य देश में पहुँचते हैं, जो छोड़ा जाता है वही बाण लक्ष्य तक नहीं जाता, ऐसी भी कल्पना की जा सकती है। यदि कहोगे कि प्रत्यभिज्ञान से बाण में स्थायित्व की प्रतीति होती है अतः उसमें उक्त कल्पना नहीं की जा सकती, तो शब्द में भी यह बात समान है। 'उपाध्याय का कहा हुआ सुनता हूँ' या 'शिष्य का कहा हुआ सुनता हूँ' इस प्रकार एकत्व को ग्रहण करने वाले प्रत्यभिज्ञान की शब्द में भी प्रतीति होती है। यदि कहे हुए शब्द से सुना गया शब्द भिन्न होता तो 'उपाध्याय के द्वारा कहे गये शब्द से उत्पन्न हुआ उसके सदृश अन्य शब्द सुनता हूँ' ऐसी प्रतीति होना चाहिये थी। शायद कहा जाये कि जैसे नाखून और केश कट जाने के बाद पुनः उग आते हैं और पहले के समान होने से उसमें एकत्व की प्रतीति होती है, उसी तरह शब्द में भी जो प्रत्यभिज्ञान होता है वह भी ऐसा ही है, किन्तु

यह बात तो वाण वगैरह के विषय में भी कही जा सकती है और ऐसा होने पर सभी पदार्थों के क्षणिक सिद्ध होने से सौगत मत की सिद्धि का प्रसङ्ग आता है ।

तथा यदि बीची तरंग न्याय से शब्द की उत्पत्ति मानते हैं तो वक्ता के प्रथम व्यापार से एक शब्द उत्पन्न होता है या अनेक ? यदि एक शब्द उत्पन्न होता है तो नाना दिशाओं में एक साथ अनेक शब्दों की उत्पत्ति कैसे होगी ? तालु आदि व्यापार से जनित सर्व दिशा सम्बन्धी वायु और आकाश का संयोग असमवायिकारण और व्यापक आकाश रूप समवायिकारण के होने से सर्व दिशा में अनेक शब्दों की उत्पत्ति होने में अविरोध है तो शब्द आरम्भक नहीं हो सकता । क्योंकि जैसे प्रथम शब्द शब्द के द्वारा आरम्भ नहीं होता, किन्तु तालु आदि के व्यापार से उत्पन्न होने वाली वायु और आकाश के संयोग रूप असमवायिकारण से उत्पन्न होता है, वैसे ही सर्व दिशा सम्बन्धी शब्दान्तर भी उक्त असमवायिकारण से ही उत्पन्न हो सकते हैं । ऐसी स्थिति में 'संयोग से, विभाग से और शब्द से शब्द की उत्पत्ति होती है' यह कथन नहीं बनता ।

वैशेषिक—प्रथम शब्द अन्य शब्दों का असमवायिकारण है, क्योंकि वह उनके समान है । अन्यथा उससे विसदृश शब्दान्तर की उत्पत्ति का प्रसङ्ग आता है ।

जैन—तब तो प्रथम शब्द भी अन्य शब्द से उत्पन्न होगा और वह भी उससे पूर्व के अन्य शब्द से उत्पन्न होगा, इस तरह शब्द की सन्तान अनादि हो जायेगी । यदि प्रथम शब्द प्रतिनियत वक्ता के व्यापार से उत्पन्न होकर अपने समान अन्य शब्दों को उत्पन्न करता है तो फिर असमवायिकारण रूप से प्रथम शब्द की कल्पना से क्या लाभ है ? प्रतिनियत वक्ता के व्यापार से और उससे उत्पन्न हुये वायु और आकाश के संयोग से अपने समान अपरापर शब्दों की उत्पत्ति हो सकती है, अतः एक शब्द शब्दान्तर का आरम्भक नहीं हो सकता ।

न अनेक शब्द ही शब्दान्तर के आरम्भक हो सकते हैं, क्योंकि एक तालु आदि आकाश संयोग से अनेक शब्दों की उत्पत्ति नहीं हो सकती । और एक साथ एक वक्ता का अनेक तालु आदि आकाश संयोग सम्भव नहीं है, क्योंकि प्रयत्न तो एक ही है । और प्रयत्न भेद के बिना तालु आदि की क्रिया पूर्वक तालु आदि आकाश संयोग होता नहीं, जिससे अनेक शब्दों की उत्पत्ति सम्भव हो ।

१. न्यायकुमुदचन्द्र, पृष्ठ २४६ ।

२. न्यायकुमुदचन्द्र, पृष्ठ २४७ ।

तथा यदि शब्द आकाश का गुण है तो हमें उसका प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिये, क्योंकि आकाश अत्यन्त परोक्ष है। जो अत्यन्त परोक्ष गुणी का गुण होता है वह हमारे प्रत्यक्ष का विषय नहीं होता, जैसे परमाणु का रूप। शब्द के भी अत्यन्त परोक्ष आकाश का गुण माना जाता है।

और जो यह कहा कि शब्द द्रव्य नहीं है एक द्रव्य होने से। इसमें 'एक द्रव्य होने से' यह हेतु असिद्ध है, क्योंकि शब्द को गुणत्व सिद्ध होने पर तथा एक द्रव्य आकाश में ही समवाय सम्बन्ध से उसका रहना सिद्ध होने पर 'एक द्रव्यत्व' सिद्ध हो सकता है, उसका ऊपर खण्डन कर आए है। तथा 'शब्द अनेक द्रव्य है, हमारे प्रत्यक्ष होते हुए स्पर्शवान् होने से' इस अनुमान से एक द्रव्यत्व का निराकरण हो जाता है।

शब्द की उत्पत्ति की जो प्रक्रिया ऊपर बतलाई है कि आकाश समवायिकारण है आदि, वह भी इससे निरस्त हो जाती है, क्योंकि शब्द के आकाश गुण होने का निषेध कर देने पर आकाश शब्द का समवायिकारण नहीं हो सकता।

अब शब्द को पौद्गलिक ही मानना चाहिए। तथा हि—शब्द पौद्गलिक है, गुणवान् और क्रियावान् होते हुए हमारी बाह्य इन्द्रिय का प्रत्यक्ष होने से। जो ऐसा होता है वह पौद्गलिक होता है, जैसे घट। शब्द भी वैसा ही है, अतः वह पौद्गलिक है। इसलिये शब्द आकाश का लिङ्ग नहीं है और इसलिये शब्द के आधार पर आकाश द्रव्य की सिद्धि नहीं हो सकती। किन्तु एक साथ समस्त द्रव्यों की अवगाह दान रूप कार्य से ही आकाश की सिद्धि होती है। एक साथ समस्त द्रव्यों का अवगाह एक सामान्य कारण की अपेक्षा रखता है, निखिल द्रव्यों का एक साथ अवगाह होने से। जैसे एक तालाब के जल में रहने वाले मत्स्यों आदि का अवगाह।

(च) काल-द्रव्य

वैशेषिक :

^१दिशाकृत और देशकृत 'पर' 'अपर' आदि प्रत्ययों से विपरीत पर अपर आदि विशिष्ट प्रत्यय विशिष्ट कारणपूर्वक होते हैं, विशिष्ट प्रत्यय होने से। जो विशिष्ट प्रत्यय होता है वह विशिष्ट कारण पूर्वक देखा गया है, जैसे 'दण्डो' आदि प्रत्यय। और पर, अपर, योगपक्ष, चिर, जल्दी आदि प्रत्यय विशिष्ट प्रत्यय हैं।

जिस दिशा और देश में स्थित पिता में परत्व व्यवहार होता है उसी दिशा और देश में स्थित पुत्र में अपरत्व व्यवहार होता है। और जिस दिशा और देश में स्थित पुत्र में अपरत्व व्यवहार होता है, उसी दिशा और देश में स्थित पिता में परत्व व्यवहार होता है। इसलिये इन व्यथहारों में दिशा और देश से भिन्न कोई अन्य निमित्त होना चाहिए। उसके बिना यह व्यवहार सम्भव नहीं। शायद कोई कहे कि इस प्रकार के परापर व्यवहार में सूर्य आदि का गमन तथा केशों का सफेद होना आदि निमित्त हैं, किन्तु ऐसा कहना युक्त नहीं है, क्योंकि यह व्यवहार उससे विलक्षण है। कहा है—

अपरस्मिन् परं युगपदयुगपच्चिरं क्षिप्रमिति काललिङ्गानि ।^१

अपर में पर, युगपद्, अयुगपद्, देर में, जल्दी—ये सब काल के लिङ्ग (चिह्न) हैं। आकाश की तरह काल भी एक, नित्य और व्यापक है। उस काल-द्रव्य को अन्य द्रव्यों से भिन्न करने में अथवा 'काल' ऐसा व्यवहार करने में पर-अपर आदि प्रत्यय ही लिङ्ग हैं।

जैन :

उक्त पर-अपर आदि प्रत्यय रूप लिङ्ग से काल को एक द्रव्य स्वरूप सिद्ध करते हैं या अनेक द्रव्य स्वरूप? पहला पक्ष तो ठीक नहीं है, क्योंकि विचार करने पर काल-द्रव्य नित्य, निरंश और एक रूप सिद्ध नहीं होता। जो सर्वथा नित्य, निरंश और एक स्वभाव होता है वह अनित्य, विभिन्न देशवर्ती और अनेक स्वभाव कार्य नहीं कर सकता। अन्यथा नित्य, निरंश और एक स्वभाव ब्रह्म भी अनेक प्रकार के कार्य कर सकेगा और इस प्रकार 'ब्रह्माद्वैत' की सिद्धि का प्रसङ्ग आयेगा। तथा यौगपद्य आदि प्रत्यय भी नहीं बन सकेंगे। जो कार्य एक काल में किये जाते हैं उन्हें 'युगपत् कृत' कहा जाता है। यदि काल नित्य और एक रूप है तो उससे होने वाले कार्यों की एक साथ उत्पत्ति का प्रसङ्ग आने से कोई कार्य 'अयुगपत् कृत' नहीं कहा जायेगा। जो कार्य बहुत काल में किया जाता है उसे 'चिरकाल कृत' कहा जाता है और जो स्वल्पकाल में किया जाता है उसे 'जल्दी किया गया' कहा जाता है। काल को सर्वथा नित्यादि रूप मानने पर ये दोनों प्रत्यय नहीं बन सकते।

१. वैशेषिकसूत्र, २।२।६।

२. न्यायकुमुदचन्द्र, पृष्ठ २५२।

तथा, जैसे पृथिवी या प्रकाश के बहुत से अवयवों से अन्तरित वस्तु को दूर, विप्रकृष्ट या पर कहते हैं और थोड़े अवयवों से अन्तरित वस्तु को निकट या अपर कहते हैं, उसी तरह दिन-रात आदि बहुत से कालक्षणों से अन्तरित वस्तु को दूर और पर कहते हैं तथा थोड़े कालक्षणों से अन्तरित वस्तु को निकट और पर कहते हैं। बहु और थोड़ापन गुणत्व और परिमाण की तरह आपेक्षिक है, काल को एक मानने पर वह नहीं बन सकता। अतः जैसे गुणत्व और परिमाण बगैरह को अनेक गुण रूप मानते हैं वैसे ही काल को अनेक द्रव्य रूप मानना चाहिये।

तथा यदि काल नित्य, निरंश, एक द्रव्य रूप है तो अर्थों में भूत, भविष्यत् और वर्तमानता नहीं बन सकती; क्योंकि अतीत, अनागत और वर्तमान रूप से काल भेद नहीं है। काल में भूतादि का भेद होने पर भी उसके सम्बन्ध से अर्थों में भूतादि का व्यवहार होता है, अन्यथा नहीं। किन्तु नित्य, निरंश, एक रूप होने से काल में भूतादि व्यवहार सिद्ध नहीं होता। क्योंकि जो नित्य, निरंश, एक रूप होता है उसमें अतीत आदि भेद नहीं होता, जैसे परमाणु में।

जरा देर के लिये यह मान भी लिया जाये कि काल में अतीत आदि भेद होता है तो फिर प्रश्न होता है कि वह स्वतः होता है या अन्य अतीत आदि काल के सम्बन्ध से, अथवा अतीत आदि क्रिया के सम्बन्ध से? स्वतः तो हो नहीं सकता, क्योंकि निरंशता और भेदरूपता में विरोध है। दूसरा पक्ष भी सम्भव नहीं है, क्योंकि काल के एक रूप होने से अन्य अतीत आदि काल असम्भव हैं, सम्भव भी हो तो अनवस्था दोष आता है, क्योंकि उस अन्यकाल में भी अतीत आदि व्यवहार अन्य अतीत आदि काल के सम्बन्ध से ही हो सकता है। यदि कहोगे कि अतीत आदि क्रिया के सम्बन्ध से काल में अतीत आदि व्यवहार होता है तो क्रिया में अतीत रूपता आदि की सिद्धि कैसे करोगे? अन्य अतीत आदि क्रिया के सम्बन्ध से या अतीत आदि काल के सम्बन्ध से? प्रथम विकल्प में अनवस्था दोष आता है और दूसरे विकल्प में अन्योन्याश्रय दोष। जब क्रिया में अतीतादि रूपता सिद्ध हो तो काल में अतीतादि रूपता सिद्ध हो, और जब काल में अतीतादि रूपता सिद्ध हो तो उसके सम्बन्ध से क्रिया में अतीतादि रूपता सिद्ध हो।

तथा काल में अतीतादि भेद मानकर भी यदि काल को सर्वथा एक मानते हो तो स्ववचन विरोध आता है, क्योंकि आप स्वयं उसमें अतीत आदि रूप से

भेद मानते हैं। लोक विरोध भी आता है, क्योंकि लौकिक जन सुबह, दोपहर, सन्ध्या के भेद से और शीत-ऋतु, ग्रीष्म-ऋतु, वर्षा-ऋतु आदि के भेद से काल को भेद रूप मानते हैं। तथा जैसे पृथिवी आदि द्रव्य परमाणु और कार्य के भेद से अनेक द्रव्य हैं, जीव द्रव्य एकेन्द्रिय आदि के भेद से अनेक द्रव्य हैं, वैसे ही समय, मूर्त आदि के भेद से काल-द्रव्य भी अनेक है। मुख्य और गौण की अपेक्षा भी काल-द्रव्य अनेक है। मुख्य काल के बिना समय, आवली आदि व्यवहार-काल नहीं हो सकता, जैसे मुख्य सत्ता के बिना उपचरित सत्त्व सम्भव नहीं है।

यह मुख्यकाल अनेक द्रव्य है। इसी से प्रत्येक आकाश-प्रदेश में व्यवहार काल भिन्न-भिन्न पाया जाता है, क्योंकि कुक्षेत्र और लङ्का के क्षेत्रों में दिवस आदि का भेद देखा जाता है। अतः प्रत्येक लोकाकाश के प्रदेश पर कालाणु भिन्न-भिन्न माना गया है। कहा है—

लोयागासपदेशे एविकके जे ठिया हु एविकका ।
रयणाणं रासीविव ते कालाणु मुणेयव्वा ॥^१

लोकाकाश के एक-एक प्रदेश पर रत्नों की राशि की तरह जो एक-एक स्थित है, वे कालाणु जानने चाहिये।

कालाभाववादी :

विचार करने पर कालद्रव्य का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होता, तब आप जैन उसके एक द्रव्य होने का खण्डन करके उसे अनेक द्रव्य मानने का व्यर्थ ही क्यों प्रयास करते हैं? अतीत आदि भेदों से भिन्न काल कोई वस्तु नहीं है जिसके सम्बन्ध से पदार्थों में अतीत-आदिपना सम्भव हो, क्योंकि काल में अतीत आदि भेद न स्वतः हो सकता है और न पर से हो सकता है। यदि काल में अतीत आदि भेद स्वतः हैं तो पदार्थों में भी अतीत आदि भेद स्वतः क्यों नहीं हैं? काल की कल्पना ही बेकार है। अतीत आदि कालान्तर के सम्बन्ध से अथवा अतीत आदि क्रिया के सम्बन्ध से यदि काल में अतीतता आदि मानते हो तो पूर्वोक्त दोष आते हैं। अतः यह अतीत आदि व्यवहार प्रमाण सापेक्ष होता है। प्रमाण के द्वारा एक साथ अनुभूयमान वस्तु को वर्तमान कहते हैं। क्रम से अनु-

१. द्रव्यसंग्रह, गाथा २२ ।

मूलग्रन्थ में 'मुणेयव्वा' के स्थान पर 'असंखदब्बाणि' पाठ मिलता है।

२. न्यायकुमुदचन्द्र, पृष्ठ २५४ ।

भूयमान जो वस्तु पूर्वक्षणवर्ती होती है उसे भूत कहते हैं और उत्तरक्षणवर्ती को भविष्यत् कहते हैं ।

जैन^१ :

आपके कथन के अनुसार काल द्रव्य का अस्तित्व क्यों नहीं सिद्ध होता ? क्या उसके ग्राहक प्रमाण का अभाव है या उसमें अतीत आदि भेद सम्भव नहीं है ? प्रथम पक्ष तो ठीक नहीं है, पर-अपर आदि प्रत्यय रूप लिङ्ग से उत्पन्न होने वाले अनुमान प्रमाण से ही काल द्रव्य के अस्तित्व की सिद्धि होती है । पर-अपर आदि प्रत्यय न तो निमित्त के बिना होते हैं, क्योंकि वे अनित्य हैं, और न वे प्रत्यय जिस किसी भी निमित्त से होते हैं । न दिशा, गुण और जाति के निमित्त से होते हैं । क्योंकि अपर दिशा में स्थित गुण रहित नीच जाति के वृद्ध को बड़ा कहा जाता है और पर दिशा में स्थित गुणवान् उच्च जातीय युवा को छोटा कहा जाता है ।

पूर्वपक्षवादी—उक्त व्यवहार में निमित्त सूर्य वगैरह की क्रिया है । जन्म से लेकर एक के सूर्यभ्रमण बहुत से हो चुके हैं इसलिये उसे बड़ा कहते हैं । दूसरे के सूर्य भ्रमण कम हुये हैं इसलिये उसे छोटा कहते हैं ।

जैन—तब योगपक्ष आदि प्रत्यय कैसे होंगे ? क्योंकि काल के सिवाय अन्य कोई निमित्त उनका नहीं बनता । इसी तरह क्रम व्यवहार भी कैसे होगा ? अतः काल को मानना चाहिये । काल के बिना देर और जल्दी का व्यवहार भी नहीं बनता । एक ही कर्त्ता किसी कार्य को देर से करता है और किसी कार्य को जल्दी करता है । अतः देर में किया और जल्दी किया—ये दोनों व्यवहार किसी विशिष्ट निमित्त की अपेक्षा करते हैं और वह निमित्त काल है । इस तरह काल द्रव्य की सिद्धि होती है । अतः ग्राहक प्रमाण का अभाव होने से काल का अभाव सिद्ध नहीं होता ।

दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि काल में अतीत आदि भेद स्वभावतः ही होता है । किन्तु इससे पदार्थों में भी अतीत आदि भेद स्वभावतः नहीं माना जा सकता, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ का स्वभाव प्रतिनियत होता है । एक के स्वभाव को सब पर नहीं लाया जा सकता । यदि ऐसा किया जायेगा तो दीपक को स्वयं ही स्वप्रकाशक देखकर घट वगैरह को भी स्वप्रकाशकता का प्रसङ्ग

१. न्यायकुमुदचन्द्र, पृष्ठ २५५ ।

आयेगा और ऐसी स्थिति में पदार्थों की प्रतिनियत स्वरूप व्यवस्था का लोप हो जायेगा ।

तथा आपने जो यह कहा है कि अतीत आदि भेद व्यवहार प्रमाण सापेक्ष होता है सो 'प्रमाण के द्वारा एक साथ अनुभूयमानता' का क्या अर्थ है ? यदि इसका अर्थ 'प्रमाण के साथ एककालतया अनुभूयमानता' है तो स्ववचन विरोध का अनुपग आता है, क्योंकि ऐसा कहने पर आपने अपने वचन द्वारा ही काल को स्वीकार कर लिया । काल को स्वीकार किये बिना 'एककालतया' कह ही नहीं सकते । तथा 'जो पूर्वक्षण में हो उसे भूत कहते हैं' इत्यादि वचन भी काल को माने बिना नहीं कह सकते, क्योंकि 'क्षण' शब्द से काल को ही कहा गया है । अतः पदार्थों में जो वर्तमान आदि व्यवहार होता है वह काल को लेकर ही होता है ।

तथा काल को न मानने पर लोक प्रतीति का भी विरोध होता है, क्योंकि लोक में बसन्त आदि कालों की प्रतीति देखी जाती है । सभी व्यवहारीजन ऐसा कहते सुने जाते हैं कि निश्चित काल में ही अमुक वनस्पति आती है या फूलती-फलती है । समय, मूर्त आदि के व्यवहार से भी काल की सिद्धि होती है । अतः अनेक द्रव्य रूप काल वास्तविक ही है । इसलिये वैशेषिक के द्वारा कल्पित काल-द्रव्य भी नहीं बनता । न दिशा नामक द्रव्य ही सिद्ध होता है ।

(छ) दिक्-द्रव्य

वैशेषिक :

कालकृत पर-अपर आदि प्रत्ययों से भिन्न, पूर्व-पश्चिम आदि प्रत्यय रूप हेतु से दिशा-द्रव्य की प्रतीति होती है । मूर्त द्रव्यों में ही मूर्त द्रव्य की सीमा करके यह इतसे पूरब में है, दक्षिण में है, पश्चिम में है, उत्तर में है, पूरब-दक्षिण में है, दक्षिण-पश्चिम में है, पश्चिम-उत्तर में है, उत्तर-पूरब में है, नीचे है, ऊपर है— इस प्रकार से दस प्रत्यय जिसमें होते हैं वह दिशा है । कहा भी है—

'अतः इदम् इति यतः तद्दिशो लिङ्गम् ।'

ये प्रत्यय बिना किसी निमित्त के तो हो नहीं सकते, क्योंकि कदाचित् ही होते हैं । और 'दण्डी' की तरह विशिष्ट प्रत्यय होने से जिस किसी निमित्त से भी नहीं हो सकते । परस्पर सापेक्ष मूर्त द्रव्य के निमित्त से भी नहीं हो सकते,

क्योंकि परस्पर में एक दूसरे के आश्रित होने से दोनों ही प्रत्ययों के अभाव का अनुपग आता है। किसी अन्य निमित्त से भी इन प्रत्ययों का होना सम्भव नहीं है, अतः इनसे दिशा के ही अस्तित्व का अनुमान होता है। वह अनुमान इस प्रकार है—जो यह पूरब-पश्चिम आदि का ज्ञान है, यह मूर्त्त द्रव्य से भिन्न किसी अन्य पदार्थ के निमित्त से होता है, क्योंकि वह मूर्त्त द्रव्य के निमित्त से होने वाले प्रत्ययों से विलक्षण है, जैसे सुखादि प्रत्यय। तथा दिशा-द्रव्य दूसरे द्रव्यों भिन्न है, क्योंकि उसका लिङ्ग पूरब आदि प्रत्यय है। 'काल की तरह दिशा व्यापक, एक और नित्य द्रव्य है। शायद कहा जाये कि दिशा को एक द्रव्य मानने पर पूरब आदि व्यवहार नहीं बन सकेगा, किन्तु ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि मेरु की प्रदक्षिणा करते हुये सूर्य का लोकपालों के द्वारा गृहीत दिशा प्रदेशों के साथ संयोग होने से पूरब आदि व्यवहार बन जाता है।

जैन :

उक्त कथन ठीक नहीं है, क्योंकि पूरब आदि प्रत्यय चूँकि कार्यरूप है, अतः इनसे कारण मात्र का अनुमान करते हैं या दिग्द्रव्य नामक कारण विशेष का ? प्रथम पक्ष में तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हम उन प्रत्ययों का कारण आकाश को मानते हैं। यदि उसी को आप दिशा नाम देते हैं तो केवल नाम में विवाद रह जाता है। इसी से दूसरा पक्ष भी खण्डित हो जाता है, क्योंकि गधे के सींग की तरह जब दिशा द्रव्य सर्वथा असम्भव है तो पूरब आदि प्रत्ययों का कारण दिशा-द्रव्य कैसे हो सकता है ? जिससे उन प्रत्ययों के द्वारा दिशा-द्रव्य का अनुमान किया जा सके। शायद कहा जाये कि दिशा के अभाव में पूरब आदि का व्यवहार कैसे होगा ? किन्तु ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। आकाश के प्रदेशों की पंक्ति में ही सूर्योदय के कारण पूरब आदि व्यवहार बन जाता है और उसके सम्बन्ध से मूर्त्त द्रव्यों में पूरब-पश्चिम आदि प्रत्यय विशेष की उत्पत्ति होती है। अतः परस्पर सापेक्ष मूर्त्त द्रव्य ही पूरब आदि प्रत्ययों के हेतु नहीं हैं, जिससे इतरेतराश्रय दोष आने से दोनों का ही अभाव हो जाये।

वैशेषिक—यदि मूर्त्त द्रव्यों में पूरब आदि प्रत्यय के होने में आकाश-प्रदेशों की पंक्ति कारण है तो आकाश-प्रदेशों की पंक्ति में पूर्वादि प्रत्यय होने में क्या कारण है ?

जैन—स्वरूप ही कारण है। यदि ऐसा न माने तो दिशा के प्रदेशों में पूरब आदि व्यवहार स्वभाव से होता है, अन्य दिशा-द्रव्य की अपेक्षा से होता है

या परस्पर की अपेक्षा से होता है ? यदि स्वभाव से होता है तो पूरब आदि व्यवहार में परिवर्तन नहीं होना चाहिये, अर्थात् जो दिशा-प्रदेश पूरब व्यवहार कराने में कारण है वे ही दिशा-प्रदेश पश्चिम व्यवहार कराने में हेतु नहीं होने चाहिये, किन्तु ऐसा नहीं देखा जाता, जो दिशा-प्रदेश विवक्षित प्रदेश की अपेक्षा से पूरब व्यवहार कराने में कारण होते हैं, वे ही दिशा-प्रदेश अन्य प्रदेश की अपेक्षा से पश्चिम व्यवहार कराने में हेतु होते हैं। कहा भी है—

प्राग्भागो यः सुराष्ट्राणां मालवानां स दक्षिणः ।

प्राग्भागः पुनरेतेषां तेषामुत्तरतः स्थितः ॥^१

अर्थात् जो सौराष्ट्रदेश के वासियों के लिये पूर्वीय भाग है वह मालवदेश के वासियों के लिये दक्षिण भाग है और जो मालववासियों के लिये पूर्वभाग है वह सौराष्ट्रदेश वासियों के लिये उत्तर भाग है।

यदि दिशा के प्रदेशों में पूरब आदि व्यवहार अन्य दिशा-द्रव्य की अपेक्षा से होता है तो अनवस्था दोष आता है, क्योंकि उन अन्य दिशा-द्रव्य के प्रदेशों में भी पूरब आदि व्यवहार अन्य दिशा-द्रव्य की अपेक्षा से मानना होगा। यदि कहोगे कि दिग्द्रव्य के प्रदेशों में पूरब आदि व्यवहार परस्पर में एक दूसरे दिग्द्रव्य की अपेक्षा से होता है तो परस्पराश्रय दोष का अनुपगं आता है।

फिर भी यदि दिशा नाम का एक द्रव्य मानने का आग्रह है तो देश नाम का भी एक द्रव्य मानना चाहिये, क्योंकि 'यह इससे पूरब देश है' इत्यादि प्रत्यय भी देश द्रव्य के बिना नहीं बन सकते। और ऐसा होने पर द्रव्यों की नौ संख्या में बाधा आती है। यदि कहोंगे कि पूरब आदि दिशाओं की अपेक्षा से ही पूरब देश आदि प्रत्यय होते हैं तो ऐसा कहना भी मनोरथ मात्र है, क्योंकि उक्त न्याय से दिशा आकाश के प्रदेशों की पंक्ति से भिन्न नहीं है।

शङ्का—तब तो सूर्य के उदय आदि के कारण ही आकाश के प्रदेशों की पंक्ति की तरह पृथ्वी आदि में पूरब-पश्चिम आदि प्रत्यय बन जायेंगे, अतः आकाश के प्रदेशों की पंक्ति की कल्पना भी निष्फल है।

१. न्यायकुमुदचन्द्र, पृष्ठ २५९।

२. मिलाइये—प्राग्देशो हि केषांचित्सोऽन्येषां दक्षिणापयः।

—मीमांसादर्शन, तन्त्रवातिक १।३।६८० पूर्वार्द्ध

समाधान—नहीं। 'पूरव दिशा में पृथ्वी आदि हैं' इस प्रकार का आधार आधेय व्यवहार पाया जाता है, अतः पृथ्वी आदि के आधारभूत आकाश के प्रदेशों की पंक्ति की कल्पना निष्फल है।

उक्त कथन से वैशेषिक ने जो दिशा-द्रव्य की सिद्धि के लिये अनुमान उप-स्थित किया है, वह भी खण्डित हो जाता है, क्योंकि पूरव-पश्चिम आदि का ज्ञान आकाश के प्रदेशों की पंक्ति रूप पदार्थ के निमित्त से होता है, उसमें दिशा-द्रव्य कारण नहीं है। यतः किसी भी प्रमाण से दिग्द्रव्य की सिद्धि नहीं होती, अतः दिग्द्रव्य का वर्णन बन्ध्या के पुत्र के सौभाग्य वर्णन के समान उपेक्षणीय है। इस प्रकार वैशेषिक के द्वारा माना गया दिग्द्रव्य सिद्ध नहीं होता। और न आत्मद्रव्य ही सिद्ध होता है, क्योंकि व्यापकत्व आदि धर्मों से युक्त आत्मा किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं है।

(ज) आत्म-द्रव्य

वैशेषिक :

उक्त कथन युक्त नहीं है, क्योंकि व्यापकत्व आदि धर्मों से युक्त आत्मा अनुमान से सिद्ध है। वह अनुमान इस प्रकार है—आत्मा व्यापक है, क्योंकि वह अणु परिमाण का अधिकरण न होते हुए नित्य द्रव्य है। जो जो अणु परिमाण का अधिकरण न होते हुये नित्य द्रव्य होता है, वह वह व्यापक होता है, जैसे आकाश। आत्मा भी वैसा ही है, इसलिये वह व्यापक है। तथा, आत्मा अणु परिमाण का अधिकरण नहीं है, क्योंकि वह हमारे प्रत्यक्ष विशेष गुणों का अधिकरण है, जैसे घटादि। तथा, आत्मा नित्य द्रव्य है अस्पशंबान् द्रव्य होने से, जैसे आकाश। अथवा, आत्मा नित्य है क्षणिक विशेष गुणों का आधार होने से, जैसे आकाश। तथा आत्मा द्रव्य है, गुणवान् होने से, जैसे घट।

यदि आत्मा व्यापक न होता हो देवदत्त की पत्नी का शरीर तथा द्वीपान्तर-वर्ती मणि-मुक्ता वगैरह, जो देवदत्त के उपकारक हैं, उन सबकी उत्पत्ति न हुई होती। क्योंकि उन सबकी उत्पत्ति में देवदत्त का अदृष्ट गुण कारण है। इसके सम्बन्ध में अनुमान इस प्रकार है—देवदत्त की पत्नी आदि का शरीर देवदत्त के गुणों पूर्वक ही निर्मित हुआ है, क्योंकि वह कार्य होते हुये देवदत्त का उपकारक है, जैसे ग्रास वगैरह। जो कारण कार्य देश में वर्तमान होता है, वही कार्य की उत्पत्ति में सहायक होता है, अन्यथा नहीं। अतः जिस देश में देवदत्त की पत्नी

का शरीर आदि उत्पन्न होता है, उसमें उसके उत्पादक कारणों की तरह देवदत्त के गुणों की भी सिद्धि होती है। और जहाँ गुण रहते हैं, वहाँ उसके गुणी का भी अनुमान किया जाता है, क्योंकि गुणी के बिना गुण नहीं रहते।

तथा, यदि आत्मा व्यापक नहीं है तो देशान्तर और दिशान्तर में रहने वाले परमाणुओं के साथ उसका युगपत् संयोग नहीं हो सकता और उसके न होने से आद्य क्रिया नहीं हो सकती। आद्य क्रिया के न होने से अन्य संयोग और उस संयोग निमित्तक शरीर का तथा उस शरीर के साथ आत्मा के सम्बन्ध का अभाव होने से बिना किसी उपाय के सर्वदा सबको मोक्ष की प्राप्ति हो जायेगी। अथवा जिस किसी तरह शरीर की उत्पत्ति हो भी जाये, तथापि शरीर के प्रत्येक अवयव में प्रवेश करने के कारण आत्मा भी सावयव हो जायेगा। और सावयव होने पर घट-पट की तरह आत्मा भी कार्य हो जायेगा। और कार्य होने से घट की तरह आत्मा का भी विनाश हो जायेगा।

तथा, यदि आत्मा शरीर के बराबर है तो आत्मा के मूर्त्तिक होने से शरीर में उसका प्रवेश नहीं हो सकेगा क्योंकि मूर्त्त का मूर्त्त में प्रवेश नहीं हो सकता। अतः सभी शरीर आत्मशून्य हो जायेंगे। तथा यदि आत्मा शरीर परिमाण वाला है तो बाल शरीर परिमाण वाला आत्मा उस परिमाण को छोड़कर युवा शरीर परिमाण को स्वीकार करता है या बिना छोड़े ही? यदि वह बाल शरीर परिमाण को छोड़कर युवा शरीर परिमाण को स्वीकार करता है तो शरीर की तरह आत्मा में भी अनित्यता का प्रसङ्ग आता है, अतः परलोक वगैरह के अभाव का अनुपग आता है। यदि बाल शरीर परिमाण के बिना छोड़े ही युवा शरीर परिमाण को स्वीकार करता है तो शरीर की तरह पूर्व परिमाण को छोड़े बिना वह उत्तर परिमाण को कैसे प्राप्त कर सकता है? तथा यदि आत्मा शरीर परिमाण वाला है तो शरीर को काटने पर आत्मा के भी कटने का प्रसङ्ग आता है।

जैन :

'आत्मा व्यापक है' इत्यादि कथन समीचीन नहीं है, क्योंकि यह पक्ष प्रत्यक्ष बाधित होने से उसके समर्थन के लिए दिया गया हेतु कालात्ययापदिष्ट है। 'मैं सुखी हूँ' इस प्रकार के प्रत्यक्ष के द्वारा अपने शरीर में ही आत्मा का ग्रहण होता है।

वैशेषिक—यदि आत्मा की प्रतिपत्ति अव्यापक रूप से होती तो पक्ष को प्रत्यक्ष बाधित कहा जा सकता था, जैसे अग्नि को ठण्डी सिद्ध करने पर उसकी उष्ण रूप से प्रतिपत्ति होने से 'अग्नि ठण्डी है' यह पक्ष प्रत्यक्ष बाधित है।

किन्तु आत्मा की प्रतिपत्ति अव्यापक रूप से नहीं होती, क्योंकि नियत देश में आत्मा का अवच्छेद नहीं होता।

जैन—‘नियत देश में आत्मा का अवच्छेद नहीं होता’ इसका क्या अर्थ है? क्या नियत देश में आत्मा का अनुभव नहीं होता, या नियत देश का उल्लेख करने वाले शब्द का प्रयोग नहीं पाया जाता? पहला पक्ष तो ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मा में नियत देश का अनुभव होता है। ‘मैं सुखी हूँ’ इत्यादि प्रत्यय के द्वारा सुखादि से विशिष्ट आत्मा का शरीर देश में ही अनुभव होता है। जैसे ‘यह घट है’ इस प्रत्यय के द्वारा पुरोवर्ती देश में घट की प्रतीति होती है। प्रत्यक्ष से नियत देश, नियत काल और नियत आकार का अनुभव हुये बिना वस्तु का अनुभव नहीं हो सकता।

दूसरा विकल्प भी अयुक्त है, क्योंकि यदि नियत देश का उल्लेख करने वाले शब्द का प्रयोग नहीं पाया जाता, तथापि प्रत्यक्ष के द्वारा उसका अनुभव होने में क्या बाधा है? प्रत्यक्ष का स्वरूप शब्दानुबिद्ध तो है नहीं, जिससे शब्द के अभाव में वह वस्तु के स्वरूप का विवेचन ही नहीं कर सकता हो। अतः अनुभव के पश्चात् ही सर्वत्र शब्द प्रयोग होता है। अनेक धर्मों से युक्त वस्तु का अनुभव होने पर जिस अंश में संकेत स्मरण होता है, उसी में शब्द का प्रयोग होता है। अतः शब्द के अप्रयोग में वस्तु का अनुभव कैसे नहीं हो सकता। इसलिये शब्द का प्रयोग नहीं होने पर भी आत्मा की नियत देश रूप से प्रतीति होती है और इसलिये ‘आत्मा व्यापक है’ यह पक्ष प्रत्यक्ष बाधित होने से आपका हेतु काला-त्ययापदिष्ट है।

तथा, ‘आत्मा अणु परिमाण का अधिकरण नहीं है’ यहाँ जो प्रतिषेध है वह पर्युदास रूप है या प्रसज्य रूप? यदि पर्युदास रूप है तो उसका मतलब यह होता है कि आत्मा अणु परिमाण का अधिकरण न होकर किसी अन्य परिमाण का अधिकरण है, वह अन्य परिमाण कौन सा है? परम महापरिमाण या अवान्तर परिमाण? प्रथम पक्ष में हेतु का विशेषण असिद्ध है। जैसे ‘शब्द अनित्य है क्योंकि वह अनित्य होते हुये बाह्य इन्द्रिय से प्रत्यक्ष होता है’ इस अनुमान में हेतु का विशेषण ‘अनित्य होते हुये’ अमिद्ध है। दूसरे पक्ष में हेतु का विशेषण विरुद्ध है, क्योंकि पक्ष तो ‘आत्मा व्यापकत्व है’ और हेतु का विशेषण है ‘अवान्तर परिमाण का अधिकरण होते हुये’। जो अवान्तर परिमाण वाला है वह व्यापक कैसे हो सकता है? प्रसज्य पक्ष में असिद्धता है, क्योंकि हम जैन लोग अभाव को तुच्छ स्वभाव नहीं मानते। अतः विचार करने पर आत्मा में अणु परिमाण का प्रतिषेध घटित नहीं होता।

तथा आत्मा को आप कथञ्चित् नित्य द्रव्य मानते हैं या सर्वथा ? यदि कथञ्चित् नित्य द्रव्य मानते हैं तो घटादि से व्यभिचार आता है, क्योंकि घट अणु परिमाण का अधिकरण नहीं है तथा कथञ्चित् नित्य द्रव्य है फिर भी व्यापक नहीं है। यदि सर्वथा नित्य मानते हैं तो अनिष्ट है, क्योंकि सर्वथा नित्य वस्तु अर्थक्रियाकारी नहीं हो सकती, अतः गधे के सींग की तरह उसका सत्व ही असम्भव है। इससे आत्मा को नित्य सिद्ध करने के लिये जो 'अस्पृश-वाम् द्रव्य होने से' हेतु दिया है वह भी खण्डित हो जाता है। क्योंकि यदि उस हेतु से आत्मा को कथञ्चित् नित्य सिद्ध करते हो तो सिद्ध साधन है और यदि सर्वथा नित्य सिद्ध करते हो तो अन्वय नहीं बनता, सर्वथा नित्य कुछ भी नहीं है।

तथा 'देवदत्त की पत्नी का शरीर' आदि जो कुछ कहा है वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि देवदत्त की पत्नी के शरीर आदि कार्यों का कारण आप देवदत्त की आत्मा के ज्ञान-दर्शन आदि गुणों को मानते हैं या धर्म-अधर्म को ? प्रथम पक्ष में हेतु काल्पन्ययापदिष्ट है, क्योंकि देवदत्त की आत्मा के ज्ञानादि गुण प्रत्यक्ष आदि से देवदत्त के शरीर में ही पाये जाते हैं और वे देवदत्त की पत्नी के शरीर आदि को उत्पन्न करने में कुछ भी व्यापार नहीं करते। हाँ, देवदत्त के धर्म-अधर्म (पुण्य-पाप) को देवदत्त की पत्नी के शरीर आदि कार्यों की उत्पत्ति में निमित्त हम भी मानते हैं, किन्तु उन्हें हम देवदत्त की आत्मा का गुण नहीं मानते, क्योंकि वे अचेतन हैं और मोक्ष का विचार करते समय हम कर्मों को पौद्गलिक सिद्ध करेंगे।

जरा देर के लिये यह मान भी लिया जाये कि धर्म-अधर्म देवदत्त की आत्मा के गुण हैं, फिर भी देवदत्त की पत्नी का शरीर जिस देश में उत्पन्न होता है, उसमें उनके (धर्म-अधर्म) के सद्भाव की सिद्धि नहीं होती। ऐसा कोई नियम नहीं है कि कार्यदेश में वर्तमान कारण ही कार्य की उत्पत्ति में व्यापार करते हैं। अञ्जन, तिलक, मन्त्र वगैरह जिस स्त्री वगैरह को आकृष्ट करते हैं, उसके देश में वर्तमान नहीं होते हुये भी अपना कार्य करते हुये देखे जाते हैं और जो आपने कहा है कि 'आत्मा के अव्यापक न होने पर दिशान्तर तथा देशान्तर-वर्ती परमाणुओं के साथ उनका संयोग नहीं हो सकेगा' इत्यादि वह भी ठीक नहीं है। 'जो जिससे संयुक्त होता है उसके प्रति वही आकृष्ट होता है' ऐसा नियम नहीं है। चुम्बक की ओर उससे असंयुक्त होने पर भी लोहा आकृष्ट होता

है। जो आत्मा को व्यापक मानता है, उसका सभी परमाणुओं के साथ संयोग होने से सभी परमाणु उसकी ओर आकृष्ट हो जायेंगे और ऐसी स्थिति में न जाने कितना विशाल शरीर बन जायेगा।

तथा जो यह कहा है कि 'सावयव शरीर में प्रवेश करने से आत्मा भी सावयव हो जायेगा, यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि सावयव होने से अपने से भिन्न अवयवों से रचा जाना घट वगैरह में भी नहीं बनता। घट वगैरह सावयव होने पर भी कपालों के संयोग पूर्वक निमित्त होते हुए नहीं देखे जाते। कुम्भकार के हाथ वगैरह के व्यापार से युक्त मिट्टी के पिण्ड से ही घट की उत्पत्ति देखी जाती है। पूर्व आकार को छोड़कर उत्तर आकार रूप से द्रव्य के परिणाम करने का नाम ही कार्य है। बाहर की तरह आन्तर में भी उसकी अनुभूति होती है। पट वगैरह में अवयव संयोग पूर्वक कार्यपना देखा जाता है, अतः सर्वत्र वैसे ही मानना युक्त नहीं है, अन्यथा लकड़ी पर लोहे से लिखा जाता देखकर वज्र में भी वैसे ही मानने का प्रसङ्ग उपस्थित होगा। प्रमाण बाधा दोनों पक्षों में समान है।

तथा जब आत्मा युवा शरीर के बराबर होता है तो यद्यपि वह बाल-शरीर परिमाण को छोड़ देता है, फिर भी उसका सर्वथा विनाश नहीं होता। जैसे फण रहित अवस्था को छोड़कर फण सहित अवस्था को धारण करने पर भी सर्प का विनाश नहीं होता। अतः परलोक के अभाव का प्रसङ्ग नहीं आता, क्योंकि पर्याय रूप से अनित्य होने पर भी आत्मा द्रव्य रूप से नित्य है। तथा यह कहना भी ठीक नहीं है कि शरीर का छेद (विनाश) होने पर आत्मा का भी छेद हो जायेगा। शरीर से सम्बद्ध आत्मप्रदेशों से छिन्न हुये शरीर-प्रदेश में आत्म-प्रदेशों के रहने का नाम ही आत्मा का छेद है, ऐसा छेद आत्मा में होता है। यदि ऐसा न हो तो शरीर से कटकर जुदे हुये शरीर-प्रदेश में कम्प नहीं होना चाहिये। शायद कहा जाये कि शरीर से कटकर जुदे हुये शरीर-प्रदेश में वर्तमान आत्मप्रदेश एक जुदी आत्मा हो जायेंगे किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि छिन्न अवयव में वर्तमान आत्मप्रदेश तत्काल ही मूल शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं इसी से छिन्न अवयव में कम्प होना भी बन्द हो जाता है। शायद कहा जाये कि छिन्न और अछिन्न आत्मप्रदेश पुनः आपस में कैसे मिल जाते हैं तो इसका यह उत्तर है कि सर्वथा छेद नहीं मानते। जैसे कमल की नाल के तन्तु आपस में जुड़े रहते हैं वैसे ही आत्मा के प्रदेश भी परस्पर में सम्बद्ध रहते हैं।

१ आत्मा को शरीर परिमाण मानने पर मूर्तता का जो प्रसङ्ग दिया गया है उसके सम्बन्ध में पृष्ठम्ब यह है कि मूर्तता से आपका क्या मतलब है ? असर्वगत द्रव्य परिमाणपना या रूपादिमत्ता । पहला पक्ष हमें अमीष्ट है, उसमें कोई दोष नहीं है । हाँ, दूसरा पक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि जो अव्यापक होता है वह नियम से रूपादिमान् होता है, ऐसी कोई व्याप्ति नहीं है । मन अव्यापक है फिर भी आप उसे रूपादिमान् नहीं मानते । अतः आत्मा का शरीर में प्रवेश अनुपपन्न नहीं है, क्योंकि असर्वगत द्रव्य परिमाण रूप मूर्तत्व मन की तरह शरीर प्रवेश का प्रतिबन्धक नहीं है । जब रूपादिमत्त्व रूप मूर्तत्व से युक्त जल वर्गैरह का मस्म वर्गैरह में प्रवेश हो सकता है तो उस प्रकार के मूर्तत्व से रहित आत्मा का शरीर में प्रवेश क्यों नहीं हो सकता ?

अतः जो जैसे निर्वाच ज्ञान में प्रतिमासित होता है वह वैसे ही यथार्थ में व्यवहार का भाजन होता है । जैसे घट का प्रतिमास प्रतिनियत देश, प्रतिनियत काल और प्रतिनियत आकार रूप से सामने बाहर में होता है, वैसे ही आत्मा का प्रतिमास प्रतिनियत देश, प्रतिनियत काल और प्रतिनियत आकार रूप से निर्वाच ज्ञान में शरीर के अभ्यन्तर में होता है । यह बात असिद्ध नहीं है, क्योंकि पहले बतला आये हैं कि शरीर से बाहर आत्मा का प्रतिमास नहीं होता है ।

तथा आत्मा व्यापक नहीं है, क्योंकि वह सामान्य और विशेष से युक्त होते हुये हम लोगों के प्रत्यक्ष का विषय है । जो-जो सामान्य और विशेष से युक्त होते हुये हम लोगों के प्रत्यक्ष का विषय होता है, वह व्यापक नहीं होता, जैसे घट । आत्मा भी सामान्य-विशेष से युक्त होते हुये हम लोगों के प्रत्यक्ष का विषय है, अतः वह व्यापक नहीं है । इसलिये वैशेषिकों ने आत्मा को जिस रूप में माना है, वह रूप सिद्ध नहीं होता । इसी तरह मन नामक द्रव्य भी सिद्ध नहीं होता ।

(झ) मनो-द्रव्य

वैशेषिक :

१ मन कार्य नहीं हो सकता, अतः नित्य है । और कार्य इसलिये नहीं है कि उसको बना सकने वाले कारणों का अभाव है । उसका खुलासा इस प्रकार है—

१. न्यायकुमुदचन्द्र, पृष्ठ २६८ ।

२. न्यायकुमुदचन्द्र, पृष्ठ २६८ ।

मन को बना सकने वाले कारण विजातीय है या सजातीय ? पहला पक्ष तो ठीक नहीं है, क्योंकि विजातीय कारण से कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि मन की उत्पत्ति में मन ही सजातीय है। अतः एक मन की उत्पत्ति में कारणभूत अनेक मनों के सद्भाव का प्रसङ्ग आता है। क्योंकि एक ही द्रव्य द्रव्यान्तर को उत्पन्न नहीं कर सकता। कहा भी है—

‘द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारभन्ते’^१

अर्थात् अनेक द्रव्य द्रव्यान्तर को उत्पन्न करते हैं।

और एक शरीर में अनेक मनों का सद्भाव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक शरीर में एक-एक मन रहता है। यदि एक शरीर में अनेक मन होते तो प्रत्येक शरीर में एक साथ अनेक ज्ञान हो सकते। तथा प्रत्येक शरीर में अवरुद्ध होने के कारण उन अनेक मनों का परस्पर में संयोग भी नहीं हो सकता, और बिना संयुक्त हुये वे मन किसी अन्य मन को उत्पन्न नहीं कर सकते। शायद कहा जाये कि मुक्त जीवों के मन शरीर से अवरुद्ध नहीं होते, अतः उनमें परस्पर में संयोग सम्भव होने से वे मन दूसरे मन को उत्पन्न कर सकते हैं। किन्तु ऐसा कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि धर्म और अधर्म से अघिष्ठित हुये बिना मन मन को उत्पन्न नहीं कर सकते। इसलिये कार्यरूपता न बनने से मन की नित्यता सिद्ध होती है।

एक साथ अनेक ज्ञान न हो सकने से मन के सद्भाव की सिद्धि होती है। एक साथ सभी इन्द्रियों के अपने-अपने विषय से सम्बद्ध होने पर भी जो इन्द्रिय मन के द्वारा प्रेरित होती है, वही अपने विषय में ज्ञान को उत्पन्न करती है। तथा, एक साथ सन्नहित इन्द्रिय और अर्थ अपने कार्य में क्रमवान् कारण की अपेक्षा करते हैं, क्योंकि अन्य सब सामग्री के होते हुये भी वे क्रम से कार्य करते हैं, जैसे लुहार हाथ आदि की अपेक्षा करता है। चक्षु बर्गरह क्रमवान् कारण की अपेक्षा करते हैं, क्योंकि कारणान्तर का साकल्य होने पर भी जो उत्पन्न नहीं हो सकता, उसे उत्पन्न करते हैं, जैसे बिसोला (बसुला), केंची बर्गरह। इत्यादि अनुमानों से मन के सद्भाव की सिद्धि होती है। धीघ्र संचारी होने के कारण उस मन की गति निर्बाध होती है, अतः वह स्पर्श से रहित है। स्पर्श से रहित होने के कारण आकाश की तरह नित्य है। क्रम से अर्थ को जानने के कारण अव्यापक है और अदृष्ट विशेष के कारण प्रत्येक आत्मा का मन भिन्न-भिन्न है।

जैन^१ :

वैशेषिक ने पूछा है कि मन के आरम्भक कारण सजातीय हैं या विजातीय ? सो यह कारण की सजातीयता और विजातीयता का विचार पृथिवी आदि द्रव्य की अपेक्षा से है या अवान्तर सामान्य की अपेक्षा से ? यदि अवान्तर सामान्य की अपेक्षा से है तब तो तन्तु-पट वगैरह में भी कार्य-कारणभाव नहीं बन सकता, क्योंकि वे दोनों एक अवान्तर सामान्य के आधार नहीं हैं और इसका कारण यह है कि न तो तन्तुपने की अपेक्षा से पट सजातीय है और न पटपने की अपेक्षा से तन्तु सजातीय हैं। यदि पृथिवी आदि की अपेक्षा से यह विचार करते हैं तो पृथिवी आदि द्रव्य की अपेक्षा से तन्तु-पट वगैरह में सजातीयता होने से कार्य-कारणभाव है, वैसे ही पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा से मन परमाणु का सजातीय है, अतः उनमें कार्य-कारणभाव हो सकता है। और ऐसी स्थिति में मन पौद्गलिक सिद्ध होता है। अतः मन पौद्गलिक है, इन्द्रिय होने से, जैसे चक्षु आदि।

वैशेषिक—चक्षु वगैरह सुनिश्चित रूप वगैरह के व्यञ्जक होते हैं, अतः उन्हें सुनिश्चित पृथिवी आदि भूतों का कार्य माना जाता है, किन्तु मन तो रूप, रस आदि सभी का व्यञ्जक होता है, तब चक्षु के दृष्टान्त से उसे पुद्गल का कार्य कैसे सिद्ध किया जा सकता है ?

जैन—पृथिवी आदि चार पृथक् द्रव्यों का निषेध करते हुये उनमें जाति भेद का निराकरण कर आये हैं तथा जैन न्याय^२ में इन्द्रियों के प्रतिनियत पृथिवी आदि भूतों के कार्य होने का भी निराकरण कर आये हैं। ये चक्षु आदि एक ही पुद्गल द्रव्य की पर्यायें हैं। अतः दृष्टान्त और दाष्टान्त में कोई विषमता नहीं है। यदि आप प्रतिनियत रूप आदि का व्यञ्जक होने के कारण चक्षु वगैरह को प्रतिनियत भूत का कार्य मानते हैं तो सभी रूपादि का व्यञ्जक होने के कारण मन को समस्त भूतों का कार्य मानिये।

दूसरी बात वैशेषिक ने यह कही है कि चूंकि एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते, अतः मन के सद्भाव की सिद्धि हांती है, किन्तु ऐसा कथन भी विचारपूर्ण नहीं है, क्योंकि अणु रूप मन चक्षु आदि का अधिष्ठायक नहीं हो सकता। चक्षु तो अनेक किरण वाली है और घ्राण वगैरह पाथिव आदि के

१. न्यायकुमुदचन्द्र, पृष्ठ २६९।

२. जैन न्याय (भाग १), लेखक : कैलाशचन्द्र शास्त्री, प्रकाशक : भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी, प्रथम संस्करण, सन् १९६६।

अवयव रूप हैं। तो मन के द्वारा वे एक साथ अधिष्ठित होती हैं या क्रम से? पहला पक्ष तो ठीक नहीं है, क्योंकि अणुरूप मन एक साथ अनेकों का अधिष्ठायक नहीं हो सकता। दूसरे पक्ष में निकटवर्ती और दूरवर्ती अर्थों की क्रम से ही प्रतीति होती है। शायद कहा जाये कि मन क्षीघ्रगामी है, अतः क्रम से प्रतीति होने पर भी एक साथ प्रतीति का भ्रम होता है, किन्तु ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि तब तो अवयवों की प्रतीति भी भ्रान्त ठहरेगी। क्योंकि सामने वर्तमान अनेक अर्थों में क्रम से एक-एक रश्मि से उत्पन्न हुआ ज्ञान क्रम से एक एक ही अर्थ को ग्रहण करेगा, एक साथ समस्त अवयवों में एकाकार की प्रतीति तो भ्रान्त ठहरेगी।

तथा एक साथ अनेक ज्ञानों की अनुत्पत्ति भी असिद्ध है। बड़ी पूरी को खाते समय रूपादि विषयक पाँच ज्ञानों की एक साथ उत्पत्ति की प्रतीति होती है।

शङ्का—यद्यपि वे पाँचों ज्ञान क्रम से होते हैं, किन्तु जल्दी होने के कारण ऐसी प्रतीति होती है मानों एक साथ हुये हैं?

समाधान—ऐसा मानने से तो सभी पदार्थों के क्षणिक होने का प्रसङ्ग आता है, क्योंकि यह कहा जा सकता है कि पदार्थ प्रतिक्षण नष्ट होकर इतनी जल्दी पुनः उत्पन्न हो जाते हैं कि जिसके कारण उनमें अक्षणिकपने का बोध होता है। यदि कहोगे कि पदार्थों को क्षणिक मानने में प्रत्यक्ष से बाधा आती है तो बड़ी पूरी को खाते समय रूपादि विषयक पाँचों ज्ञानों की उत्पत्ति क्रम से मानने में भी प्रत्यक्ष से बाधा आती है। और वैशेषिक ने कहा है कि मन जिससे संयुक्त होता उसमें समवाय सम्बन्ध से रहने वाले सुखादि में ज्ञान को उत्पन्न करता है, किन्तु ऐसा मानने पर समस्त आत्माओं में समवाय सम्बन्ध से रहने वाले सुख आदि में भी उसे ज्ञान को उत्पन्न करना चाहिये, क्योंकि नित्य और व्यापी होने से मन के साथ उनका संयोग सम्बन्ध है और ऐसी स्थिति में प्रत्येक प्राणी में भिन्न-भिन्न मन मानना व्यर्थ है।

वैशेषिक—जो मन जिसका होता है, वह मन उसमें समवाय सम्बन्ध से रहने वाले सुखादि में ज्ञान को उत्पन्न करता है।

जैन—यह भी केवल श्रद्धा मात्र है, क्योंकि प्रतिनियत मन का प्रतिनियत आत्मा से सम्बन्ध ही सिद्ध नहीं होता। अमुक मन अमुक आत्मा से

ही क्यों सम्बद्ध होता है ? क्या वह उसका कार्य है, या उसने उसका उपकार किया है, या उसका उसके साथ संयोग है, या वह मन उसके अदृष्ट से प्रेरित है, या वह मन उस आत्मा से प्रेरित है ? वह मन उस आत्मा का कार्य तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसा मानना वैशेषिक सिद्धान्त के विरुद्ध है तथा ऐसा मानने से मन नित्य नहीं हो सकता । दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि मन सर्वथा नित्य है, अतः उसमें कोई अतिशय उत्पन्न कर सकना सम्भव नहीं है । तीसरा पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि सभी आत्माएँ व्यापक हैं अतः उस मन के साथ सभी का संयोग सम्बन्ध है, इसलिये उस मन को सभी आत्माओं में समवाय सम्बन्ध से रहने वाले सुखादि का ज्ञान कराना चाहिये । जो मन जिसके अदृष्ट से प्रेरित होकर प्रवृत्ति या निवृत्ति करता है, वह मन उसका है यह चौथा पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि अदृष्ट अचेतन है, अतः वह अनिष्ट नरकादि से बचाकर इष्ट स्वर्ग वगैरह में मन को प्रेरित नहीं कर सकता । यदि अचेतन अदृष्ट ऐसा कर सकता तो ईश्वर नाम के चेतन अधिष्ठाता की कल्पना व्यर्थ ठहरेगी ।

जिस आत्मा के द्वारा जो मन प्रेरित होता है वह उसका है, ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो अनुपलब्ध होता है, उसको प्रेरित करना शक्य नहीं है । यदि अनुपलब्ध को भी प्रेरित किया जा सकता है तो अदृष्ट परमाणु वगैरह को भी प्रेरणा का प्रसङ्ग जाने से ईश्वर की कल्पना व्यर्थ ठहरेगी है, अतः मन की सिद्धि किसी प्रमाण से नहीं होती । सिद्धि हो तो भी उसका आत्मा के साथ संयोग नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा और मन दोनों निरंश हैं । निरंशों का एक देश से संयोग होने पर दोनों सांश ठहरे हैं । सर्वात्मना संयोग होने पर दोनों एक हो जाने से दोनों के व्याघात का प्रसङ्ग आता है । अतः वैशेषिक के द्वारा माने गये मनो द्रव्य की भी सिद्धि नहीं होती ।

इस तरह विचार करने पर वैशेषिक के द्वारा कल्पित द्रव्य-पदार्थ सिद्ध नहीं होता और न गुण-पदार्थ सिद्ध होता है ।

२. गुण-पदार्थ^१ :

वैशेषिक :

हम वैशेषिकों ने गुण-पदार्थ का जो स्वरूप माना है, प्रमाण से वह वैसा ही सिद्ध होता है । उसका लक्षण इस प्रकार कहा है—

१. न्यायकुमुदचन्द्र, पृष्ठ २७२ ।

‘द्रव्याश्रय्यगुणवान् संयोगविभागेष्वकारणमनपेक्षः ।’^१

अर्थात् जो द्रव्य के आश्रय हो, निर्गुण हो और संयोग तथा विभाग में सापेक्ष कारण हो वह गुण है ।

इस लक्षण से लक्षित गुण चौबीस हैं । सूत्रकार ने कहा भी है—

‘रूप-रस-गन्ध-स्पर्शाः संख्यापरिमाणानि पृथक्त्वं संयोगविभागौ परत्वापरत्वे बुद्धयः सुखदुःखे इच्छाद्वेषौ प्रयत्नश्च गुणाः ।’^२

इस सूत्र के द्वारा, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न—इन सत्तरहू गुणों को गिनाया है और ‘च’ शब्द से गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, अधर्म और शब्द—इन सात का ग्रहण किया है ।

‘तत्र रूपं चक्षुर्ग्राह्यं पृथिवी-उदक-ज्वलनवृत्तिः ।’^३

उनमें से रूप का ग्रहण चक्षु के द्वारा होता है और वह रूपगुण पृथिवी, जल और अग्नि में रहता है ।

‘रसो रसनेन्द्रियग्राह्यः पृथिवी-उदकवृत्तिः ।’^४

रस का ग्रहण रसनेन्द्रिय के द्वारा ग्राह्य होता है । वह पृथिवी और जल में रहता है ।

‘स्पर्शः त्वगिन्द्रियग्राह्यः पृथिवी-उदक-ज्वलन-पवनवृत्तिः ।’^५

स्पर्श का ग्रहण स्पर्शन इन्द्रिय के द्वारा होता है । वह स्पर्शगुण पृथिवी, जल, अग्नि और वायु में रहता है ।

ये रूप, रस, गन्ध और स्पर्शगुण पार्थिव परमाणु में तो अनित्य हैं, क्योंकि अग्नि के संयोग से उनमें पाकज रूप वर्णरह की उत्पत्ति देखी जाती है । तथा जल और वायु के परमाणुओं में यथासम्भव नित्य हैं, क्योंकि

१. वैशेषिकसूत्र, १।१।१५ ।

२. वैशेषिकसूत्र, १।१।५ ।

३. प्रशस्तपाद भाष्य, पृष्ठ ६८ ।

४. प्रशस्तपाद भाष्य, पृष्ठ ७० ।

५. प्रशस्तपाद भाष्य, पृष्ठ ७० ।

उनमें उनकी किसी अन्य प्रकार से उत्पत्ति नहीं देखी जाती। पाचिव कार्य-द्रव्य घटादि में वे रूपादि अनित्य हैं।

एक आदि व्यवहार में जो हेतु है, वह संख्या है। एकत्व, द्वित्व आदि उसका लक्षण है। वह संख्या एक द्रव्या भी है और अनेक द्रव्या भी। एक संख्या एक द्रव्या है और द्वित्व आदि संख्या अनेक द्रव्या हैं। यह बात प्रत्यक्ष से ही सिद्ध है और अनुमान से भी। नित्य द्रव्यों में एकत्व संख्या नित्य है और कार्य-द्रव्यों में अनित्य है। दो से लेकर अन्तिम संख्या पर्यन्त सब संख्याएँ सापेक्ष होने से अनित्य हैं।

परिमाण के व्यवहार में जो कारण है, उसे परिमाण कहते हैं। उसके चार भेद हैं—महत्, अणु, दीर्घ और ह्रस्व। महत् दो प्रकार का है—नित्य और अनित्य। आकाश, काल, दिशा और आत्मा में परम महत्त्व नित्य है। द्रघणुक आदि द्रव्यों में अनित्य है। अणु परिमाण भी नित्य और अनित्य के भेद से दो प्रकार का है। परिमाण और मन में परिमण्डल रूप परिमाण नित्य है और द्रघणुक में अनित्य है। बेर, आँवला और बेल यद्यपि महत् परिमाण वाले हैं, फिर भी उनमें महत् का प्रकथं न होने से अणु व्यवहार भी होता है। द्रघणुक में ह्रस्वत्व अनित्य है तथा अणुक बगैरह में दीर्घत्व अनित्य है।

शंका—द्रघणुक में वर्तमान अणुत्व और ह्रस्वत्व में और अणुक आदि में वर्तमान महत्त्व और दीर्घत्व में परस्पर से क्या अन्तर है ?

समाधान—‘महात् में से दीर्घ को लाओ’ और ‘दीर्घों में से महत् को लाओ’ इस प्रकार व्यवहार-भेद की प्रतीति होने से प्रत्येक प्राणी को महत्त्व और दीर्घत्व में भेद प्रसिद्ध है और अणुत्व तथा ह्रस्वत्व में अन्तर तो योगीजन ही जान जा सकते हैं।

ये महत् आदि परिमाण रूप आदि से भिन्न हैं, क्योंकि रूपादि प्रत्यय से विलक्षण बुद्धि के द्वारा ही उनका ग्रहण होता है।

जिसके कारण संयुक्त द्रव्य भी ‘इसमें यह अलग है’ इस प्रकार पृथक् किया जाता है, इस प्रकार के व्यवहार में कारण पृथक्त्व नाम का गुण है। एकत्व संख्या से विशिष्ट पृथक्त्व-गुण एकत्व संख्या की तरह नित्य भी है और अनित्य भी। दो पृथक्त्व से लेकर चरम संख्या वाले पृथक्त्व पर्यन्त सब पृथक्त्व द्वित्व आदि संख्या की तरह अनित्य ही होते हैं।

अप्राप्ति पूर्वक प्राप्ति को संयोग कहते हैं अर्थात् जुड़े द्रव्यों का परस्पर में संयुक्त होने का नाम संयोग है और प्राप्ति पूर्वक अप्राप्ति को विभाग कहते हैं अर्थात् मिले हुए दो द्रव्यों के वियुक्त होने का नाम विभाग है। ये दोनों द्रव्यों में क्रम से संयुक्त और विभक्त प्रत्यय के जनक होते हैं। जिनके द्वारा 'यह पर है' और 'यह अपर है', इस प्रकार के शब्द व्यवहार तथा ज्ञान होते हैं, उनको क्रम से परत्व और अपरत्व कहते हैं। ये अनित्य ही हैं।

बुद्धि से लेकर प्रयत्न पर्यन्त सब गुण अनित्य ही हैं। गुरुत्व-गुण पतन क्रिया (गिरने) में कारण है। यह पृथिवी और जल में रहता है तथा अणु में नित्य है और द्रघणुक वगैरह में अनित्य है। स्पन्दन (बहने) में जो कारण है, वह द्रवत्व है। यह द्रवत्व-गुण पृथिवी, जल और अग्नि में रहता है। पृथिवी और अग्नि में द्रवत्वगुण नैमित्तिक होने से अनित्य है, जल में स्वामाविक है। जलीय अणुओं में नित्य है और जलीय द्रघणुक आदि में अनित्य है। स्निग्ध प्रत्यय में जो कारण है, उसे स्नेहगुण कहते हैं। यह जल में ही रहता है। जलीय अणुओं में नित्य है और द्रघणुक वगैरह में अनित्य है।

संस्कार के तीन भेद हैं—वेग, भावना और स्थितस्थापक। वेग नाम का संस्कार पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और मन नामक मूर्त द्रव्यों में प्रयत्न और अभिघात विशेष की अपेक्षा लेकर क्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है और निवृत्त दिशा की ओर ले जाता है तथा स्पर्शवान् द्रव्य के साथ संयोग का विरोधी है। भावना नामक संस्कार आत्मा का गुण है, यह ज्ञान से उत्पन्न होता है तथा ज्ञान का कारण है। देखे गये, सुने गये तथा अनुभूत पदार्थों के स्मरण और प्रत्यभिज्ञान रूप कार्यों के द्वारा उसका सद्भाव माना जाता है। स्थितस्थापक नामक संस्कार मूर्त द्रव्य का गुण है, क्योंकि यह संस्कार मूर्त द्रव्य में रहता है, उसे प्रयत्नपूर्वक अन्यथा कर देने पर भी यह उसे पहले की तरह ही कर देता है। जैसे ताड़ के पत्ते को फँलाकर छोड़ देने पर वह पुनः वैसा ही हो जाता है। इसी तरह धनुष, शाला, वज्र वगैरह में इस संस्कार का कार्य देखा जाता है। ये तीनों संस्कार अनित्य ही होते हैं। धर्म और अधर्म आत्मा के विशेष गुण हैं तथा अनित्य हैं। शब्द आकाश का विशेष गुण है, वह भी अनित्य है।

जैन :

वैशेषिक ने 'जो द्रव्य के आश्रय हो' इत्यादि जो गुणों का लक्षण कहा है वह समीचीन नहीं है, क्योंकि वैशेषिक के द्वारा कल्पित द्रव्य का निषेध कर

दिये जाने पर गुण द्रव्याश्रित कैसे हो सकता है ? अथवा, गुणों का उक्त लक्षण रहा आये, तथापि 'गुण चौबीस ही हैं' ऐसा नियम तो नहीं बन सकता, क्योंकि लोक में शौर्य-औदार्य आदि अनेक गुण सुने जाते हैं। वैयाकरणों के मत में विशेष्य द्रव्य है और विशेषण गुण है, यह प्रसिद्ध है। वैद्यकशास्त्र में विशाद, स्थिर, तीक्ष्ण, चिकण आदि गुण प्रसिद्ध हैं। सांख्य सत्त्व, रज और तम को गुण मानते हैं, तब गुणों की संख्या कैसे निर्धारित की जा सकती है ?

तथा^१ आप एक घटादि अवयवी में रूपादि गुणों को निरंश एक रूप मानते हैं। ऐसी स्थिति में किसी छोटे से छिद्र में से घटादि को देखने पर सम्पूर्ण घट में रहने वाले रूपादि का दर्शन होना चाहिये, अन्यथा रूप निरंश एक रूप नहीं हो सकता। क्योंकि निरंश एक रूप वस्तु प्रतिभास और अप्रतिभास रूप विरोधी घर्मों का आधार नहीं हो सकती। इसी तरह कहीं पर जल सिञ्चन से पृथिवी में गन्ध की अभिव्यक्ति होने पर समस्त पृथिवी तल में विद्यमान गन्ध गुण की अभिव्यक्ति होना चाहिए, अन्यथा अभिव्यक्त और अनभिव्यक्त रूप विरोधी घर्मों का आधार होने से कोई एक गुण नहीं हो सकता। अग्नि के संयोग से घट बगैरह में पाकज रूप की उत्पत्ति होने में तो कोई विवाद नहीं है, हम लोग भी ऐसा मानते हैं। किन्तु अपेक्षा बुद्धि से दो आदि संख्यायें उत्पन्न होती हैं, ऐसा मानना युक्त नहीं है। एक संख्या की तरह दो आदि संख्या भी पदार्थों में स्वभाव सिद्ध है। केवल उसका व्यवहार अपेक्षा बुद्धि से जन्य है, स्वरूप नहीं। जैसे अपने कारणों से स्थूलता आदि घर्मों से युक्त उत्पन्न हुये बेर बगैरह में स्थूलता का व्यवहार अपेक्षा बुद्धि से होता है, इसी तरह द्वित्व आदि संख्या का व्यवहार भी अपेक्षा बुद्धि से होता है। कोई प्रामाणिक ऐसा नहीं कहता कि अपेक्षा बुद्धि से पदार्थों की उत्पत्ति होती है। यदि इच्छा मात्र से अर्थ की उत्पत्ति होने लगे तो सभी की इष्ट अर्थ की सिद्धि का प्रसङ्ग आता है

तथा, एक बुद्धि में प्रतिमासमान एक-एक गुण कैसे कभी द्वित्व बुद्धि को उत्पन्न करते हैं और कभी बहुत्व को ? उनके एकत्व में तो कोई विशेषता है नहीं। शायद कहा जाये कि जो एक-एक गुण दो होते हैं, वे द्वित्व संख्या को उत्पन्न करते हैं और जो बहुत होते हैं, वे बहुत्व संख्या को उत्पन्न करते हैं। किन्तु ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि द्वित्व आदि संख्या की उत्पत्ति से पहले न उनमें द्वित्व सम्भव है और न बहुत्व।

दूसरी बात यह है कि संख्या गुण नहीं हो सकती, क्योंकि वह गुणों में भी रहती है। एक ज्ञान, दो ज्ञान, चौबीस गुण, छह पदार्थ इत्यादि प्रतीति से गुणों में भी संख्या का सद्भाव प्रसिद्ध है। शायद कहा जाये कि 'एक ज्ञान' आदि प्रत्यय औपचारिक हैं, किन्तु ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। क्योंकि औपचारिक प्रत्यय का लक्षण है, जिसका प्रयोग निर्बाध रूप से नहीं किया जा सकता, जैसे बच्चे में सिंह व्यवहार। किन्तु एक ज्ञान आदि व्यवहार बिना किसी प्रकार के स्वलन के अबाध गति से होता है।

वैशेषिक ने जो परिमाण के महत्, अणु, दीर्घ और ह्रस्व—ये चार भेद कहे हैं, वे भी ठीक नहीं हैं, क्योंकि ये तो वस्तु के आकार-भेद के सिवाय अन्य कुछ नहीं हैं। यदि वस्तु के आकार-भेद को भी गुण मानते हो तो गोल, त्रिकोण, चतुर्कोण आदि को भी गुण मानना होगा और ऐसी स्थिति में परिमाण के चार ही भेद नहीं हो सकते।

वैशेषिक^१ ने कहा है कि बेर, आँवले वगैरह में अणु व्यवहार गौण है, किन्तु उसमें किसी को भी गौणता की प्रतीति नहीं होती। जैसे सिंह में सिंह व्यवहार मुख्य है और बालक में सिंह व्यवहार गौण है, इसमें किसी को कोई विवाद नहीं होता। उसी तरह इषणुक में अणुपना और ह्रस्वपना मुख्य है, अन्यत्र गौण है, इस प्रकार की प्रतीति किसी को भी नहीं होती।

दूसरी बात यह है कि परिमाण आपेक्षिक है, अतः वह गुण नहीं हो सकता। रूप वगैरह या सुख वगैरह गुणों में आपेक्षिकता नहीं देखी जाती। नील-विशेषनील, सुख-अधिकसुख—इस प्रकार का जो आपेक्षिक व्यवहार पाया जाता है, वह भी नील और सुख की हीनाधिकता को लेकर है, गुणों के स्वरूप को लेकर नहीं है।

भेद-व्यवहार का जो कारण है, वह पृथक्त्व नाम का गुण है, ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सभी पदार्थों में जो असाधारण भेद पाया जाता है, उसी से भेद-व्यवहार होता है। उसके लिये पृथक्त्व नाम का एक गुण मानने की क्या आवश्यकता है? अन्यथा अभेद-व्यवहार के लिये एक अपृथक्त्व नाम का भी गुण मानना पड़ेगा।

पदार्थों की अन्तराल रहित रूप से अवस्थिति का नाम ही संयोग है। जो पदार्थ नैरन्तर्य रूप से रहते हैं, उनमें संयुक्तपने का व्यवहार होता है। यदि

नैरन्तर्य रूप संयोग को गुण मानते हैं तो समीपता, दूरता बर्गरह को भी गुण मानना होगा। संयोग के अभाव को विभाग कहते हैं। विभक्त पदार्थों में कोई नया गुण तो उत्पन्न होता नहीं। जिनमें विभाग नाम का गुण नहीं पाया जाता ऐसे सत्ता और विन्ध्य बर्गरह में भी विभक्त व्यवहार देखा जाता है। सत्ता और विन्ध्य पर्वतों में विभाग गुण तो है नहीं, क्योंकि संयोग विशिष्ट पदार्थों में ही विभाग नाम का गुण वैशेषिक ने माना है। प्रशस्तपाद भाष्य^१ में प्राप्ति पूर्वक अप्राप्ति को विभाग कहा है—'प्राप्तिपूर्विकाऽप्राप्तिविभागः।' सत्ता और विन्ध्य में विभक्त प्रत्यय गीण भी नहीं है, क्योंकि 'सत्ता और विन्ध्य विभक्त हैं' तथा 'दो मेढे अलग-अलग हैं'—इन दोनों प्रत्ययों में कोई विलक्षणता नहीं है, जिससे एक को मुख्य माना जाये और दूसरे को गीण।

संख्या की तरह परत्व और अपरत्व भी आपेक्षिक हैं। जो निकट होता है उसे पर कहते हैं और जो दूर होता है उसे अपर कहते हैं। उसके लिये परत्व और अपरत्व गुणों की क्या आवश्यकता है? तथा यह पर-अपर आदि व्यवहार सत्ता द्रव्यत्व बर्गरह में भी होता है। यदि वह सत्ता बर्गरह में संकेतवध स्वरूप मात्र से ही हो सकता है तो अन्यत्र भी उसी तरह क्यों नहीं हो सकता? इसके लिये उनमें परत्व और अपरत्व गुणों को मानने की क्या आवश्यकता है? इस तरह तो मध्यत्व नाम का भी एक गुण मानना होगा, क्योंकि पर-अपर व्यवहार की तरह कालकृत और दिशाकृत मध्य व्यवहार भी देखा जाता है।

^२पतन-क्रिया से गुरुत्व का अनुमान किया जाता है, ऐसा कहना भी युक्त नहीं है। क्योंकि हथेली पर रखे हुये स्वर्णपिण्ड में पतन-क्रिया के बिना भी यह दस पल है और यह पाँच पल है, ऐसी प्रतीति होती है। तथा द्रव्य की पतन-शक्ति का नाम गुरुत्व है। और प्रत्येक द्रव्य में अपना-अपना काम करने वाली अनेक प्रकार की शक्तियाँ हैं। उनको कहाँ तक गिना जा सकता है। पदार्थों में षट्कारक शक्तियाँ प्रधान हैं और उनके भेद-प्रभेद अनन्त हैं। यदि उन्हें नहीं गिना जा सकता तो गुरुत्व की गणना से क्या लाभ? तथा यदि गुरुत्व एक गुण है तो लघुत्व भी गुण होना चाहिये। यदि लघुत्व गुरुत्व का अभाव रूप होने से गुण नहीं है तो गुरुत्व भी लघुत्व का अभाव रूप होने से गुण नहीं है। यदि कहोगे कि गुरुत्व के अभाव रूप होने पर उसमें तारतम्य (कमोवेशी-

१. प्रशस्तपाद भाष्य, पृष्ठ १०७

२. न्यायकुमुदचन्द्र, पृष्ठ २७८

पना) नहीं होना चाहिये, तो लघुत्व के भी अभाव रूप होने पर उसमें तार-तम्य नहीं होना चाहिये। तथा जिसमें पतन-क्रिया होती है, केवल उसी में गुरुत्व व्यवहार नहीं होता, अपितु अपने पूज्य में 'मिरा गुह' ऐसा व्यवहार भी देखा जाता है।

द्रवत्व भी एक शक्ति विशेष है। और पदार्थों की शक्तियों को गिना नहीं जा सकता है। वह द्रवत्व तीन द्रव्यों में रहता है, ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अग्नि में द्रवत्व नहीं है। तथा सुवर्ण अर्गैरह में तँजसपना असिद्ध है। सिद्ध भी हो तो उसमें जो द्रवत्व पाया जाता है, वह संयुक्त-समवाय-सम्बन्ध से पाया जाता है। अतः वह पार्थिव है। सभी पृथिवियों में भी द्रवत्व नहीं रहता, सूखी लकड़ी में उसका अभाव है।

स्नेहगुण भी शक्ति विशेष से भिन्न नहीं है। न वह जल का विशेष गुण है, क्योंकि पार्थिव घी-तेल वगैरह में पाया जाता है और जल में नहीं पाया जाता। शुद्ध जल से स्नान किये हुये पुरुष में स्निग्ध प्रत्यय नहीं देखा जाता। शायद कहा जाये कि आटे में जल डालने से आटा बँध जाता है, किन्तु ऐसा तो पार्थिव लाल में भी देखा जाता है।

तीन प्रकार का संस्कार भी ठीक नहीं है, क्योंकि वेग नाम का संस्कार क्रिया से भिन्न नहीं है, क्रिया की शीघ्रता को ही वेग कहते हैं। 'इसी तरह भावना रूप संस्कार भी आत्मा की स्मरण-जनन शक्ति से भिन्न नहीं है। स्थितस्थापक संस्कार भी यथावस्थित वस्तु स्थापन की शक्ति से भिन्न नहीं तथा यह जो वस्तु जिस रूप से स्थित है, उसका नियम से उसी रूप से स्थापन नहीं करता है—खाला वगैरह को नीचे की ओर खींचकर पुनः छोड़ देने पर शाखादि का गमन तथा स्थापन पुनः ज्यों का त्यों नहीं देखा जाता।

धर्म और अधर्म भी आत्मा के गुण नहीं हो सकते, क्योंकि उसके सम्बन्ध में विवाद पाया जाता है। जैनमत में तो धर्माधर्म पौद्गलिक हैं, सांख्यमत में बुद्धि के धर्म हैं, मीमांसाशास्त्र में कल्याण साधन की शक्ति से विशिष्ट द्रव्य वगैरह को धर्म-अधर्म कहा है और बौद्ध-आगम में ज्ञान की ही वासना नामक शक्ति को धर्म-अधर्म कहा है।

इसी तरह शब्द के भी आकाश का गुण होने में मतभेद है। जैन शब्द को पौद्गलिक मानते हैं, मीमांसक नित्य द्रव्य मानते हैं, शिक्षाकार मीमांसक

शब्द को वायवीय मानते हैं, सौत्रान्तिक परमाणु रूप मानते हैं, वैयाकरण स्फोट रूप मानते हैं तथा सौख्य प्रकृति का परिणाम मानते हैं। अतः वैशेषिक के द्वारा माना गया गुण नामक पदार्थ भी विचार करने पर सिद्ध नहीं होता। इसी प्रकार कर्म नाम का पदार्थ भी सिद्ध नहीं होता।

३. कर्म-पदार्थ :

वैशेषिक :

गुण के लक्षण से कर्म का लक्षण भिन्न है, अतः गुण-पदार्थ के निराकरण से कर्म-पदार्थ का निराकरण कैसे हो सकता है ? उसका लक्षण इस प्रकार कहा है—

‘एकद्रव्यमगुणं संयोगविभागोऽनपेक्षं कारणं कर्म’।^१

अर्थात् एक द्रव्य जिसका आश्रय होता है, जो न स्वयं गुण रूप है और न जिसमें गुण रहते हैं तथा संयोग और विभाग के करने में जो अन्य कारण की अपेक्षा नहीं रखता, उसे कर्म कहते हैं।

उस कर्म के पाँच भेद हैं— उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुञ्चन, प्रसारण और गमन। हाथ ऊपर उठाता है, पैर नीचे रखता है, पंजे को संकोचता है, अंगुली को फैलाता है—इत्यादि विशिष्ट प्रत्यय देखे जाते हैं, अतः कर्म-द्रव्य से अर्थान्तर है। जो कर्म ऊपर के प्रदेशों से संयोग और नीचे के प्रदेशों से वियोग कराता है, उसे उत्क्षेपण नाम का कर्म कहते हैं। जैसे हाथ में धूसल लेकर धान कूटते समय ऊपर के प्रदेशों से संयोग का कारण और नीचे के प्रदेशों से विभाग का कारण कर्म उत्पन्न होता है। ऊपर के प्रदेशों से विभाग का कारण और नीचे के प्रदेशों से संयोग का कारण जो कर्म होता है, उसे अपक्षेपण कहते हैं। सीधी वस्तु को मोड़ने में कारण जो कर्म है, वह आकुञ्चन है, जैसे अंगुली वगैरह को मोड़ना आकुञ्चन है। आकुञ्चन से उल्टा कर्म प्रसारण है। जो अनिश्चित दिग्देशवर्ती घट आदि से संयोग और विभाग का कारण कर्म होता है, उसे गमन कहते हैं। उत्क्षेपण वगैरह चार कर्म नियत दिग्देशवर्ती पदार्थों से ही संयोग और विभाग के कारण होते हैं, अतः पाँच ही कर्म हैं। भ्रमण, स्पन्दन, रेचन वगैरह का अन्तर्भाव गमन में ही हो जाता है।

१. ग्यायकमुदचन्द्र, पृष्ठ २८०।

२. वैशेषिकसूत्र, १।१।१६।

जैन :

वैशेषिकों ने जो कर्म का लक्षण एक द्रव्य आदि कहा है, वह ठीक नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा माने गये द्रव्य का निराकरण कर देने पर वह उसका लक्षण नहीं हो सकता। अथवा वह द्रव्य रहे, किन्तु वह द्रव्य क्रियाशील है या अक्रियाशील, अथवा उभयरूप है या अनुभय रूप ? यदि क्रियाशील है तो द्रव्य से भिन्न कर्म की कल्पना करना व्यर्थ है। क्रियाशील में भी कर्म की कल्पना करने पर अनवस्था का प्रसङ्ग आता है। तथा वह द्रव्य सर्वदा क्रियाशील है या कभी-कभी ? प्रथम पक्ष में सर्वदा क्रियाशील होने से वायु की तरह वह द्रव्य कभी भी नहीं ठहरेगा। यदि वह कभी-कभी क्रियाशील है तो इसका यह मतलब हुआ कि पहले यह अक्रियाशील है, पश्चात् क्रियाशील होता है। ऐसी स्थिति में वह द्रव्य पहली अक्रियाशीलता को त्यागकर क्रियाशीलता को अपनाता है या बिना त्यागे ही। यदि त्यागकर अपनाता है तो अणु वगैरह द्रव्य अनित्य ठहरते हैं, क्योंकि स्वभाव को छोड़ना ही अनित्यता का लक्षण है। दूसरा पक्ष तो ठीक नहीं है, क्योंकि अक्रियाशीलता को छोड़े बिना क्रियाशीलता नहीं आ सकती। अतः क्रियाशील अणु आदि द्रव्य तो कर्म के आश्रय नहीं हो सकते। और न अक्रियाशील द्रव्य ही आकाश वगैरह की तरह कर्म का आश्रय हो सकता है। यदि कहोगे कि अक्रियाशील द्रव्य उत्तरकाल में क्रियाशील होने पर कर्म का आश्रय होता है तो उसको अनित्यता का प्रसङ्ग आता है।

यदि वह द्रव्य उभयरूप है तो दोनों पक्षों में ऊपर जो दोष दिये गये हैं, उन सबका प्रसङ्ग आता है। तथा द्रव्य क्रम से दोनों स्वभाव वाला है या एक साथ ? एक साथ तो दोनों स्वभाव वाला हो नहीं सकता, क्योंकि क्रिया-स्वभाव और अक्रिया-स्वभाव एक द्रव्य में एक साथ नहीं रह सकते, दोनों का समय भिन्न-भिन्न है। जो विभिन्न कालवर्ती होते हैं, वे एक साथ नहीं रह सकते, जैसे एक ही अंगुली में संकोचन और प्रसारण एक साथ नहीं रह सकते। यदि वे दोनों स्वभाव एक साथ रहें तो परस्पर विरोधी दो धर्मों का आधार होने से परमाणु वगैरह में भेद का प्रसङ्ग आने से एक रूपता में व्याघात आता है। क्रम से उभयरूप मानने पर अक्रियाशील स्वभाव को छोड़कर या बिना छोड़े क्रियाशीलता के उत्पन्न होने पर पहले कहे गये दोष आते हैं।

अनुभय रूपता तो युक्त नहीं है, क्योंकि विधि और निषेध रूप धर्मों में से एक का निषेध करने पर दूसरे की विधि अवश्यम्भावी है। अतः सर्वथा एक स्वभाव वस्तु में कर्म नहीं हो सकता, इसलिये वैशेषिकों का कर्म-पदार्थ भी सिद्ध नहीं होता।

अथवा कर्म रहा आये, फिर भी 'पदार्थ के एक देश से दूसरे देश तक ले जाने में कारण हलन-चलन रूप परिणाम को कर्म कहते हैं' इतने से ही काम चल सकता है, अतः कर्म के पाँच भेदों का कथन युक्त नहीं है। उत्क्षेपण वर्गरह का अन्तर्भाव उसी में हो जाता है। यदि उत्क्षेपण वर्गरह में कुछ विशेषता देखकर उन्हें भिन्न मानते हो तो भ्रमण वर्गरह को भी भिन्न मानना पड़ेगा और तब कर्म के पाँच ही भेद नहीं हो सकते।

अतः प्रमाण के द्वारा जो जिससे सर्वथा अर्थान्तर प्रतीत नहीं होता, उसको वैसा नहीं मानना चाहिये। किसी भी प्रमाण से कर्म अर्थ से भिन्न प्रतीत नहीं होता, अतः उसे अर्थ का परिणाम विशेष मानना ही उचित है।

४. सामान्य-पदार्थ :

वैशेषिक :

'द्रव्य, गुण और कर्म के निमित्त के बिना जो बाधा रहित अनुगत ज्ञान में निमित्त होता है, उसे सामान्य कहते हैं। वह सामान्य दो प्रकार का है—पर और अपर। पर सामान्य का नाम सत्ता है। वह सत्ता समस्त द्रव्य गुण कर्मों में अनुगत प्रत्यय का ही कारण होने से सामान्य रूप ही है, विशेष रूप नहीं। द्रव्यत्व, गुणत्व और कर्मत्व वर्गरह अपर-सामान्य हैं। ये अपने आश्रयभूत द्रव्य, गुण और कर्म में अनुगत प्रत्यय का कारण होने से 'सामान्य' कहे जाते हैं और विजातीयों से अपने आश्रय के 'यह इससे भिन्न है' इस प्रकार के व्यावृत्त प्रत्यय में कारण होने से विशेष भी कहे जाते हैं। इसका ख़ुलासा इस प्रकार है—

गुण में जो 'यह द्रव्य नहीं है' या द्रव्य में जो 'यह गुण नहीं है' इस प्रकार की व्यावृत्त बुद्धि उत्पन्न होती है, उसमें ये द्रव्यत्व और गुणत्व ही कारण हैं, अन्य नहीं। एक ही में सामान्य और विशेष प्रत्यय के होने में भी कोई विरोध नहीं है, अपेक्षा भेद से एक ही अपर-सामान्य में दोनों बुद्धियाँ हो सकती हैं। उस सामान्य के सद्भाव में प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, क्योंकि विभिन्न गौ आदि से

भिन्न एक अनुगत रूप सामान्य 'गौ गौ' इस प्रकार इन्द्रियजन्य ज्ञान में प्रतिभासमान होता है।

^१अनुगत एकाकार वस्तु के आलम्बन के बिना इस प्रकार का प्रत्यय नहीं हो सकता। यदि उसे निर्हेतुक माना जायेगा तो उसके सर्वदा सत्त्व अथवा सर्वदा असत्त्व का प्रसङ्ग आता है। तथा नियामक का अभाव होने से 'गौ गौ' यह प्रत्यय खण्डी गौ आदि की तरह अन्यत्र भी हो सकता है।

अनुमान भी उसके अस्तित्व का साधक है। वह अनुमान इस प्रकार है— गौ, घोड़ा, भैंस और शूकर वगैरह में गौ आदि शब्द व्यवहार तथा ज्ञान, समय, आकृति, व्यक्ति आदि से भिन्न किसी अन्य निमित्तमूलक होते हैं, क्योंकि उनका विषय गौ आदि होते हुये वे व्यक्ति आदि के स्वरूप के वाचक शब्द तथा ज्ञान से भिन्न शब्द तथा ज्ञान विशेष हैं। जैसे उन्हीं गौ आदि में बछड़े वाली गौ, बोझा लदा भैंसा, तीर लगा शूकर, अंकुश सहित हाथी आदि शब्द-विशेष और ज्ञान-विशेष अन्य निमित्त से होते हैं। तथा जो प्रत्यय जिस वस्तु के आधार से विलक्षण होता है, वह उससे भिन्न अन्य निमित्त से होता है, जैसे वस्त्र आदि में रक्त आदि प्रत्यय। उसी तरह व्यक्तियों में यह गौ आदि प्रत्यय भी अन्य निमित्त से होता है। तथा गौ आदि में 'गौ गौ' इस प्रकार का अनुगत प्रत्यय पिण्ड आदि से भिन्न निमित्तों से होता है, विशिष्ट प्रत्यय होने से, जैसे मील आदि प्रत्यय। गोत्व गोव्यक्ति से भिन्न है, भिन्न प्रत्यय का विषय होने से, जैसे रूप, स्पर्श आदि प्रत्यय। व्यक्ति से गोत्व भिन्न है, व्यक्ति का गोत्व कहे जाने से, जैसे चैत्र का घोड़ा। 'गौ गौ' ये अभिन्न शब्द और प्रत्यय अनुगत वस्तु निमित्तक हैं। इत्यादि अनुमान से सामान्य द्रव्यादि से भिन्न प्रतिभासित होता है।

जैन :

^२श्लेषिकों का कहना है कि सामान्य के सद्भाव में प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, तो गोत्व आदि सामान्य को कौन सा प्रत्यक्ष जानता है, निर्विकल्पक या सविकल्पक? निर्विकल्पक तो जान नहीं सकता, क्योंकि वह विचार से शून्य होने के कारण 'गौ गौ' इत्यादि उल्लेख के द्वारा अनुवृत्त वस्तु का परामर्शक नहीं हो सकता। यदि हो सकता है तो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में आपके द्वारा कथित

१. न्यायकुमुदचन्द्र, पृष्ठ २८४।

२. न्यायकुमुदचन्द्र, पृष्ठ २८५।

स्वरूप वाला वर्ण, आकृति और अक्षराकार से शून्य, नित्य, एक और व्यापक सामान्य प्रतिभासित नहीं होता, यदि होता तो विवाद को स्थान ही नहीं रहता, क्योंकि जो अर्थ अपने स्वरूप से प्रतिभासित होता है, उसमें किसी को विवाद नहीं होता। सविकल्पक प्रत्यक्ष भी उक्त सामान्य को नहीं जान सकता, क्योंकि सविकल्पक निविकल्पक के पश्चात् होता है, अतः वह निविकल्पक के द्वारा जाने गये अर्थ को ही जानता है। यदि निविकल्पक सामान्य को जानता है और फिर उसे सविकल्पक जानता है तो ग्रहीतग्राही होने से सविकल्पक एकदम अप्रमाण ठहरता है।

तथा अनुगत प्रत्यय का क्या रूप है? जो यह गौ है, वही यह गौ है? या यह भी गौ है, यह भी गौ है? पहला पक्ष अयुक्त है, क्योंकि एक चितकबरी और एक पीली गौ का प्रतिभास होने पर 'जो यह गौ है वही यह गौ है' ऐसा प्रतिभास नहीं होता। अन्यथा दोनों के ऐक्य होने का प्रसङ्ग आता है। दूसरा पक्ष युक्त है, क्योंकि 'यह' प्रत्यय के द्वारा परस्पर में विलक्षण चितकबरी आदि विशेष का परामर्श करके 'गौ' इस प्रत्यय के द्वारा सहस्य परिणाम का परामर्श किया जाता है। अपने कारणों से वस्तु का रूप ही इस प्रकार का उत्पन्न होता है, जो इस प्रकार को बुद्धि को उत्पन्न करता है। किन्तु व्यक्ति से भिन्न नित्यादि रूप सामान्य कोई नहीं है। यदि सामान्य व्यक्ति से भिन्न होता तो व्यक्ति का ग्रहण हुये बिना भी सामान्य का ज्ञान हो जाता। जैसे घट से भिन्न पट घट का ग्रहण न होने पर भी जाना जाता है, उसी तरह व्यक्ति से भिन्न सामान्य का ग्रहण व्यक्ति का ग्रहण न होने पर भी होना चाहिये, किन्तु व्यक्ति को जाने बिना सामान्य को नहीं जाना जा सकता, इसलिये सामान्य व्यक्ति से भिन्न नहीं है।

वैशेषिक—व्यक्ति सामान्य का व्यञ्जक होता है, अतः व्यक्ति के बिना सामान्य का ग्रहण नहीं होता।

जैन—तो दीपक की तरह पहले व्यक्ति का ग्रहण होना चाहिये, किन्तु ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऐसा माना है कि पहले सामान्य का ग्रहण होता है, पीछे व्यक्ति का ग्रहण होता है। तथा यदि व्यक्ति व्यञ्जक है तो गोत्व सामान्य का व्यञ्जक अथवा व्यक्ति भी हो सकता है। शायद कहा जाये कि अपना व्यक्ति ही सामान्य का व्यञ्जक होता है, किन्तु ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सामान्य की सिद्धि के बिना अपने व्यक्ति को ही कह सकना सम्भव नहीं है।

अथवा स्वव्यक्ति ही सामान्य का व्यञ्जक रहे, तथापि यदि व्यक्ति स्वभाव से ही सामान्य प्रत्यय को उत्पन्न करने वाली समान शक्ति के कारण सामान्य का व्यञ्जक होता है तो उतने से ही सामान्य का प्रयोजन सिद्ध हो जाता है, फिर एक सामान्य नाम का पदार्थ मानने की क्या आवश्यकता है ?

वैशेषिक—यदि व्यक्तियों में अनुगत एक सामान्य नहीं मानते तो उनमें 'गौ गौ' इस प्रकार का अनुगत प्रत्यय और एक शब्द का सन्निवेश कैसे हो सकता है ? विभिन्न स्वभाव वाले घट, पट वगैरह में इस प्रकार का अनुगत प्रत्यय और एक शब्द का सन्निवेश नहीं देखा जाता ।

जैन—सामान्यों में सामान्य के नहीं होने पर भी 'सामान्य सामान्य' इस प्रकार का अनुगत प्रत्यय और एक शब्द का सन्निवेश देखा जाता है । 'जो जिसके अभाव में भी होता है, उसका वह कारण नहीं होता ।

यदि कहोगे कि सामान्यों में जो 'सामान्य सामान्य' इस प्रकार का प्रत्यय होता है, उसका कारण समवाय है । तो प्रश्न होता है कि ऐसा क्यों ? यदि कहोगे कि सामान्यों में अपर-सामान्य की प्रतीति नहीं होती तो क्या व्यक्तियों में अपर-सामान्य की प्रतीति होती है ? यदि इसी प्रत्यय से व्यक्तियों में अपर-सामान्य की प्रतीति होती है तो सामान्यों में भी होनी चाहिये । यदि सामान्यों में अपर-सामान्य की प्रतीति होने में समवाय कारण है तो व्यक्तियों में भी अपर-सामान्य की प्रतीति के होने में समवाय को ही कारण मानो, सामान्य की कल्पना की क्या आवश्यकता है ? जैसे जिस समवाय सम्बन्ध से गोत्व गो व्यक्तियों में रहता है, उसी समवाय सम्बन्ध से अश्वत्व घोड़ों में रहता है, अतः एक समवाय सम्बन्ध के कारण सामान्यों में सामान्य प्रत्यय होता है, वैसे ही जिस समवाय सम्बन्ध से चितकबरी गौ अपने अवयवों में रहती है उसी समवाय सम्बन्ध से मुण्डी गौ अपने अवयवों में रहती है, अतः 'गौ गौ' इस प्रत्यय का कारण भी समवाय सम्बन्ध होना चाहिये ।

तथा, सामान्य व्यक्तियों से भिन्न है या अभिन्न ? यदि अभिन्न है तो व्यक्तियों की तरह सामान्य की भी उत्पत्ति और विनाश का प्रसङ्ग आता है । यदि भिन्न है तो व्यक्ति की उत्पत्ति होने पर सामान्य उत्पन्न होता है या नहीं ? यदि उत्पन्न होता है तो व्यक्ति की तरह सामान्य भी अनित्य

ठहरता है। यदि व्यक्ति के उत्पन्न होने पर सामान्य उत्पन्न नहीं होता तो वह सामान्य व्यक्ति के उत्पत्ति स्थान में रहता है या नहीं? यदि रहता है तो व्यक्ति की उत्पत्ति से पहले भी वहाँ सामान्य का ग्रहण होना चाहिये। यदि कहा जाये कि सामान्य व्यक्ति के आश्रित है, इसलिये उसके अभाव में उसका ग्रहण नहीं होता, तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि कुण्ड और बेर की तरह उपकार्य-उपकारकभाव के होने पर ही आश्रय-आश्रयीभाव सम्भव है। बेर भारी होते हैं, अतः कुण्ड उनको अपने में रखकर नीचे गिरने से बचाता है, अतः बेरों का उपकार करने के कारण वह उनका आधार होता है। किन्तु सामान्य तो निष्क्रिय है, अतः उसका पतन न होने से कोई आधार सम्भव नहीं है। यदि सामान्य आश्रित है तो आश्रय का अभाव होने पर उसका भी अभाव प्राप्त होता है।

यदि कहोगे कि व्यक्ति के उत्पत्ति स्थान में सामान्य नहीं रहता, किन्तु किसी व्यक्ति के उत्पन्न होने पर दूसरे व्यक्ति में से आ जाता है तो वह उस व्यक्ति को छोड़कर वहाँ आता है या बिना छोड़े ही आ जाता है, यदि छोड़कर आता है तो वह व्यक्ति सामान्य से रहित हो जायेगा। यदि व्यक्ति को छोड़े बिना आता है तो उस व्यक्ति के साथ ही आता है या कुछ अंश से उसी व्यक्ति में रहता है और कुछ अंश से चला आता है? पहले पक्ष में चितकबरी गी में भी पीली गी की प्रतीति होगी। दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि वैशेषिकों ने सामान्य को निरंश माना है। यदि वह सांश है तो व्यक्ति की तरह उसे अनित्यता का प्रसङ्ग आता है।

वैशेषिक सामान्य व्यापक है, अतः एक साथ सर्वत्र रहता है।

अंश—तो वह सामान्य अपने व्यक्तियों में ही व्यापक है या सर्वत्र? यदि सर्वत्र व्यापक है तो मुण्डो आदि गीर्षों के बीच में पाये जाने वाले घोड़े आदि में भी गोत्व का प्रसङ्ग आता है, क्योंकि वह सर्वत्र पाया जाता है। यदि सामान्य अपने व्यक्तियों में ही व्यापक है तो प्रत्येक व्यक्ति में सर्वात्मना रहता है या एकदेश से? सर्वात्मना रहने पर या तो सब व्यक्ति एक हो जाते हैं या सामान्य व्यक्ति की तरह नाना ठहरता है। एकदेश से रहने पर पहले ही आपत्ति की जा चुकी है, अतः व्यक्तियों में नित्य आदि स्वभाव वाला सामान्य सिद्ध नहीं होता। इसके सम्बन्ध में अनुमान देते हैं—जो जहाँ प्राप्त

होने योग्य होते हुये भी प्राप्त नहीं होता वह वहाँ नहीं है, जैसे किसी प्रदेश में घट। इन्द्रियों से सम्बन्ध होने पर भी व्यक्तियों में वैशेषिक के द्वारा कल्पित सामान्य की उपलब्धि नहीं होती। अतः व्यक्तियों से सर्वथा भिन्न सामान्य सिद्ध नहीं होता। न उभय रूप ही सिद्ध होता है, क्योंकि उसमें उभय पक्ष में दिये गये दोष आते हैं। अतः प्रत्यक्ष से तो सामान्य का सद्भाव सिद्ध नहीं होता। आपने जो अनुमान दिये हैं, उनसे भी सामान्य का सद्भाव सिद्ध नहीं होता, क्योंकि वे सब अनुमान दूषणों से दूषित है।

बौद्ध :

^१उक्त प्रकार से नित्य, निरंश, एकरूप सामान्य अनुवृत्त प्रत्यय का कारण नहीं है, अतः विजातीय से व्यावृत्ति ही उसका कारण है। सामान्य के बिना अथवा आदि को छोड़कर खण्डी गौ आदि में ही गोत्व प्रत्यय क्यों होता है ? इसका उत्तर है कि विजातीय से व्यावृत्ति ही उसका कारण है। वह विजातीय व्यावृत्ति जहाँ है, वही उस प्रत्यय को उत्पन्न करती है, अन्यत्र नहीं।

शङ्करा — जब बाह्य अर्थ उसका विषय नहीं है तो उस प्रत्यय से खण्डी गौ में प्रवृत्ति कैसे होती है ?

समाधान—दृश्य और विकल्प में एकरूप का अभ्यवसाय करने से। दर्शन (निर्विकल्पक प्रत्यक्ष) के पश्चात् उत्पन्न होने वाले सविकल्पक का दर्शन के साथ भेद ग्रहण न करने का नाम एकरुपाध्यवसाय है। अतः भेद का ग्रहण न होने से विकल्प के व्यापार को घटा बताकर 'मैंने इसे ग्रहण किया' इस अभ्यवसाय से प्रवृत्ति होती है और परम्परा से वस्तु से प्रतिबद्ध होने के कारण वस्तु की प्राप्ति होती है। उसी से सच्चे और मिथ्या का विवेक भी होता है, क्योंकि जो विकल्प वस्तु से सम्बन्ध रखने वाले दर्शन के पश्चात् होता है, वह सच्चा है और जो ऐसा नहीं है, वह मिथ्या है।

जैन :

^२अनुवृत्त प्रत्यय का कारण नित्य, निरंश, एकरूप सामान्य नहीं है, यह ठीक है, किन्तु सहस्र परिणाम रूप सामान्य उसका कारण है और प्रत्यक्षादि प्रमाणों से उसका स्वरूप सिद्ध है, क्योंकि समान धर्म योगित्व रूप सहस्र परिणाम पदार्थों में प्रत्यक्ष से प्रतीत होता है और सबसे विलक्षण स्वलक्षण की प्रतीति

१. न्यायकुमुदचन्द्र, पृष्ठ २८९।

२. न्यायकुमुदचन्द्र, पृष्ठ २८९।

स्वप्न में भी नहीं होती। सर्वत्र अर्थ की व्यवस्था प्रत्यय के द्वारा ही होती है और विलक्षण काली-पीली आदि गायों में भी 'गौ गौ' इस प्रकार का अनुगत प्रत्यय पाया जाता है। अतः अनुगत प्रतिभास के होने से 'वस्तु भी अनुगत धर्म से युक्त है' ऐसा मानना चाहिये। यदि इसका विषय व्यावृत्ति होता तो 'गौ गौ' इस प्रकार विधि की प्रधानता से प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिये थी। जिस प्रकार विजातीय से व्यावृत्ति वस्तु का स्वरूप है, उसी प्रकार सजातीय से व्यावृत्ति भी वस्तु का स्वरूप है। अतः दर्शन के पश्चात् होने वाले विकल्प में यदि विजातीय व्यावृत्ति रूप आकार का उल्लेख होता है तो सजातीय व्यावृत्ति रूप आकार का भी उल्लेख होना चाहिये। क्योंकि सजातीय व्यावृत्ति और विजातीय व्यावृत्ति में तथा स्वलक्षण में कोई भेद नहीं है।

तथा, 'बौद्ध असमानाकार व्यावृत्ति के द्वारा समानाकार रूप सजातीयता की कल्पना करते हैं तो जो स्वयं असमानाकार है उसमें समानता की कल्पना करते हैं या जो स्वयं समानाकार है उसमें समानता की कल्पना करते हैं? जो स्वयं असमानाकार है उसमें अन्य से व्यावृत्ति होने पर भी समानाकारता कैसे मानी जा सकती है? अन्यथा भैंस बगीरह से व्यावृत्त होने से गौ और अश्व में भी समानाकारता का प्रसङ्ग आता है। तथा भैंसे भूतं घट से ज्ञान व्यावृत्त (भिन्न) है वैसे ही पट भी व्यावृत्त है। अतः ज्ञान और पट में भूतिकपना समानधर्म हो जायेगा तथा अन्योन्याश्रय दोष भी आता है। अर्थात् अन्य से व्यावृत्ति होने पर समानाकारता होती है और समानाकारता के होने पर अन्य से व्यावृत्ति होती है। और जो स्वयं समानाकार है उसमें अन्य से व्यावृत्ति के द्वारा समानाकार की कल्पना करना व्यर्थ है।

वायद कहा जाये कि अनुवृत्त प्रतीति निर्हेतुक है, अतः उसके कारण की चिन्ता करना निष्फल है, किन्तु ऐसा भी कहना उचित नहीं है, क्योंकि यदि अनुवृत्त प्रतीति निर्हेतुक होती तो उसमें देश आदि का नियम नहीं हो सकता था। यदि वह वासना हेतुक होती तो अर्थ की अपेक्षा नहीं होनी चाहिये थी, क्योंकि जिसका कारण अन्य होता है, वह उससे अन्य की अपेक्षा नहीं करता तथा अनुवृत्त प्रतीति के वासना हेतुक होने में कोई प्रमाण भी नहीं है। जिस

१. न्यायकुमुदचन्द्र, पृष्ठ २९०।

२. न्यायकुमुदचन्द्र, पृष्ठ २९१।

प्रमाण के द्वारा वासना विकल्प की कारण प्रतीत होती है, वह प्रमाण भी विकल्प रूप होने से बाह्य अर्थ को विषय नहीं करता, अतः उससे यह जानना शक्य नहीं है कि यह विकल्प वासनाजन्य है। अतः अन्य कारण न होने से अनुगत प्रत्यय का कारण सट्टा परिणाम को ही मानना चाहिये।

बौद्ध—यदि अनुवृत्त प्रत्यय का कारण सट्टा परिणाम है तो 'यह सट्टा है' ऐसा प्रत्यय होना चाहिये, 'यह वही गौ है' ऐसा प्रत्यय नहीं होना चाहिये।

जैन—'यह वही गौ है' यह प्रत्यय किसको होता है? सफेद गाय को देखने के बाद चितकबरी गाय को देखने पर 'यह वही गौ है' ऐसा प्रत्यय नहीं होता, क्योंकि सम्यग्ज्ञान वाले को चितकबरी गाय में सफेद गाय की प्रतीति नहीं होती। किन्तु 'गौ गौ' ऐसा प्रत्यय होता है, क्योंकि सफेद गाय और चितकबरी गाय में पाये जाने वाले सट्टा परिणाम में 'गौ' शब्द का संकेत किया गया है। सब समान धर्मों में सट्टा शब्द का संकेत किया जाता है और उसकी प्रधानता से 'यह सट्टा है' ऐसा प्रत्यय होता है और उसमें विशेषता होने पर गौ, अश्व आदि विशेष शब्दों का संकेत किया जाता है और उसकी प्रधानता से गौ, अश्व आदि प्रत्यय होते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो सामान्यों में 'सामान्य सामान्य' प्रत्यय और छह पदार्थों में 'पदार्थ पदार्थ' यह प्रत्यय कैसे हो सकता है? सामान्यों में अनुगत स्वभाव रूप और छह पदार्थों में अत्यन्त मिन लक्षण रूप सट्टा परिणाम को छोड़कर कोई अन्य निमित्त उक्त प्रत्ययों का नहीं पाया जाता। अतः नैयायिक वैशेषिकों के द्वारा कल्पित सामान्य पदार्थ भी नहीं बनता और न विशेष नामक पदार्थ ही बनता है, क्योंकि न तो उसका कोई निर्दोष लक्षण ही है और न उसका ग्राहक कोई प्रमाण ही है।

५. विशेष-पदार्थ :

वैशेषिक :

^१विशेष नामक पदार्थ का लक्षण इस प्रकार कहा है—

'नित्यद्रव्यवृत्तयोऽन्त्या विशेषाः।'^२

समान जाति, समान गुण और समान क्रिया के आधारभूत नित्य द्रव्यों में अत्यन्त व्यावृत्त बुद्धि में कारणभूत विशेषों को छोड़कर अत्यन्त व्यावृत्त बुद्धि का

अन्य कोई कारण नहीं हो सकता। वे विशेष नित्य द्रव्य परमाणु आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन में ही रहते हैं। तथा वे अनस्य हैं, क्योंकि जगत् के विनाश और आरम्भ के कोटिभूत होने से परमाणु तथा संसार के अन्त रूप होने से मुक्तात्मा और मुक्त जीवों के मन 'अन्त' कहे जाते हैं। उनमें रहने से विशेषों को अन्त्य कहा है। ये सभी परमाणु आदि नित्य द्रव्यों में रहते हैं। इसलिये इन्हें नित्य द्रव्य वृत्ति और अन्त्य कहा है। वे परस्पर में अत्यन्त व्यावृत्त बुद्धि में कारण होने से अपने आश्रय को दूसरों से भिन्न करते हैं, इसलिये उन्हें विशेष कहा जाता है। वे विशेष अनन्त हैं और अपने आश्रय नित्य द्रव्य की तरह ही नित्य हैं, योगिजन उनका प्रत्यक्ष करते हैं। हम लोग उन्हें अनुमान से जानते हैं। वह अनुमान इस प्रकार है—समान जाति, समान गुण और समान क्रिया के आधारभूत परमाणुओं में कोई भेदक धर्म रहता है, क्योंकि उनमें व्यावृत्त प्रत्यय होता है, जैसे मोतियों के ढेर में पड़े हुये चिह्नित मुक्ताफल्लों में अन्य मोतियों से भेद कराने वाला चिह्न पाया जाता है। इस अनुमान का हेतु असिद्ध नहीं है, क्योंकि परमाणुओं में भेदक प्रत्यय होता है और उनमें सत्ता का सम्बन्ध पाया जाता है, जैसे बेर और आँपला। अतः ग्राहक प्रमाण का अभाव होने से विशेषों का अभाव सिद्ध नहीं होता। उनके ग्राहक प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण हैं।

जैन :

ऊपर विशेषों का जो लक्षण कहा है, वह समीचीन नहीं है। उसके सम्बन्ध में प्रश्न यह है कि विशेषों के आधारभूत द्रव्य सर्वथा नित्य हैं या कश्चित् नित्य हैं। प्रथम पक्ष में लक्षण असम्भव दोष से दूषित है, क्योंकि कोई भी द्रव्य सर्वथा नित्य नहीं है, द्रव्य की परीक्षा करते हुये उसका निराकरण किया जा चुका है। इसी तरह विशेषों का अन्त्य होना भी असम्भव है। सत् जगत् का महाप्रलय रूप सर्वथा विनाश और सर्वथा असत् जगत् की पुनः उत्पत्ति किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं होती, जिससे परमाणुओं को जगत् के विनाश और आरम्भ का कोटिभूत होने के कारण 'अन्त' माना जाये और उनमें रहने के कारण विशेषों को अन्त्य कहा जाये।

यदि विशेषों के आधारभूत द्रव्य कश्चित् नित्य हैं तो लक्षण में अति-व्याप्ति नाम का दोष आता है, क्योंकि समान जाति आदि के आधारभूत मोतियों वगैरह में अत्यन्त भेदक बुद्धि के कारणभूत जो चिह्न पाये जाते हैं, उनमें भी विशेषों का उक्त लक्षण चला जाता है। अथवा द्रव्य सर्वथा नित्य

रहे, किन्तु जो उनमें रहते हैं, वे कर्मों भी नित्य द्रव्य को नहीं छोड़ते। यदि उनको विशेष माना जाता है तो आत्मत्व आदि सामान्य से व्यभिचार आता है। आत्मत्व आदि भी नित्य द्रव्यों में ही रहते हैं, किन्तु उन्हें विशेष नाम से नहीं कहा जाता।

वैशेषिक—जो सम्पूर्ण नित्य द्रव्यों में ही पाये जाते हैं, उन्हें ही विशेष संज्ञा दी गई है। आत्मत्व आदि तो नियत द्रव्य में ही रहते हैं, अतः उनमें व्यभिचार नहीं आता।

जैन—तब तो निरतिषय परिमाण से व्यभिचार आता है। निरतिषय परिणाम नित्य द्रव्यों में ही रहता है तथा विशेषण रूप होने से अपने आश्रय को दूसरों से पृथक् भी करता है, किन्तु उसे विशेष नहीं कहा जाता।

पदार्थ स्वभाव से ही परस्पर में भेदबुद्धि के जनक होते हैं, अतः विशेषों की कोई आवश्यकता नहीं है। तथा विशेष स्वभाव से ही भिन्न नित्य द्रव्यों का भेदक है या स्वभाव से अभिन्न नित्य द्रव्यों का? दूसरे पक्ष में तो जो स्वभाव से ही अभिन्न हैं विशेष कैसे उनका भेदक हो सकता है? प्रथम पक्ष में विशेषों की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जो स्वभाव से ही भिन्न हैं, उनमें भेदबुद्धि कराने वाले विशेष नहीं रहते, जैसे विशेष नामक पदार्थ स्वभाव से ही भिन्न होते हैं, अतः उनमें अन्य विशेष नहीं माने गये हैं। जो स्वभाव से ही भिन्न हैं, उनमें भी यदि विशेषों को माना जायेगा तो स्वभाव से ही भिन्न विशेषों में भी अन्य विशेष मानने होंगे और ऐसा होने पर अनवस्था दोष आता है।

तथा आपने कहा है कि विशेष नामक पदार्थ योगि-प्रत्यक्ष से जाने जाते हैं। यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि परमाणु वर्गैरह का स्वरूप स्वभाव से ही परस्पर में असंकीर्ण है या संकीर्ण? प्रथम पक्ष में उससे विशेष की सिद्धि कैसे हो सकती है? क्योंकि परस्पर में असंकीर्ण परमाणु वर्गैरह के स्वरूप से ही योगियों को उनमें वैलक्षण्य की प्रतीति होती है। दूसरे पक्ष में तो योगि-प्रत्यक्ष की भ्रान्तता का प्रसङ्ग आता है, क्योंकि स्वभाव से परस्पर में अभिन्न स्वरूप वाले परमाणु वर्गैरह को वह भिन्न रूप से देखता है।

उक्त अनुमान से भी यदि आप परमाणुओं में भेदक धर्म का अस्तित्व सिद्ध करते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु यदि विशेषों का अस्तित्व सिद्ध करते हैं तो उक्त दोषों का अनुषङ्ग आता है। अतः वैशेषिकों के द्वारा मान्य विशेष "नामक पदार्थ" भी सिद्ध नहीं होता। और न समवाम पदार्थ ही सिद्ध होता है।

६. समवाय-पदार्थ :

वैशेषिक :

‘समवाय सम्बन्ध का लक्षण इस प्रकार है—

‘अयुतसिद्धानामाधार्याधारभूतानाम् इहेदम्प्रत्ययसम्बन्धः हेतुर्यः
स समवायः ।’^१

अयुतसिद्ध और आधार्य-आधारभूत पदार्थों में ‘इह इदम्’ ‘इसमें यह है’—
इस व्यवहार का कारण जो सम्बन्ध होता है, वह समवाय है ।

ग्राम और उसके निकटवर्ती वृक्षों में भी ‘इस ग्राम में ये वृक्ष हैं’ ऐसा व्यव-
हार पाया जाता है । उससे दोष का निवारण करने के लिये लक्षण में ‘सम्बन्ध’
पद दिया है । ‘इस आकाश में यह पक्षी है’ इस व्यवहार से दोष का निवारण
करने के लिये ‘आधार्य-आधारभूत’ पद दिया है । क्योंकि आकाश और पक्षी में
आधार्याधार-भाव नहीं है । व्यापक होने से आकाश सर्वत्र पाया जाता है, अतः
जैसे वह पक्षी के नीचे है, वैसे ही पक्षी के ऊपर भी है । ‘इस बर्तन में दही है’
इससे दोष का निवारण करने के लिये समवाय के लक्षण में ‘अयुतसिद्ध’ पद
दिया है । दही और बर्तन अयुतसिद्ध नहीं हैं, दोनों जुदे-जुदे हैं । जो भिन्न-
भिन्न आश्रय में रहते हैं, उन्हें युतसिद्ध कहते हैं, जैसे दही और बर्तन । अतः
समवाय का उक्त लक्षण निर्दोष है ।

तन्तु-पट वगैरह संयुक्त नहीं हैं, क्योंकि वे नियम से अयुतसिद्ध आधार्य-
आधारभूत होते हैं । जो संयुक्त होते हैं, वे अयुतसिद्ध और आधार्य-आधारभूत
नहीं होते, जैसे कुण्ड और दही । तथा तन्तु-पट वगैरह में संयोग सम्बन्ध नहीं है,
क्योंकि नियम से उनमें अयुतसिद्ध सम्बन्ध पाया जाता है ।

समवाय के सद्भाव में प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, क्योंकि प्रत्यक्ष से पट तन्तु
सम्बद्ध ही प्रतिभासित होता है और रूपादि पटादि से सम्बद्ध ही प्रतिभासित
होते हैं । अनुमान से भी समवाय की प्रतीति होती है । तथाहि—‘इन तन्तुओं में
पट है’ इत्यादि प्रत्यय सम्बन्ध का कार्य है, अबाध्यमान ‘इह’ प्रत्यय होने से,
जैसे ‘इस कुण्ड में दही’ यह प्रत्यय सम्बन्ध का कार्य है । ‘इन तन्तुओं में पट है’
यह प्रत्यय निहंतुक नहीं है, क्योंकि जो निहंतुक होता है, वह स्थायी होता है,

१. न्यायकुमुदचन्द्र, पृष्ठ २९४ आदि ।

२. प्रबन्धपाद भाष्य, पृष्ठ २८९ ।

किन्तु यह प्रत्यय स्थायी नहीं है। न यह प्रत्यय तन्तु हेतुक या पट हेतुक है, यदि वैसा होता तो तन्तु या पट ऐसा प्रत्यय होना चाहिये था। इस प्रत्यय का हेतु तादात्म्य भी नहीं है। तादात्म्य एकत्व को कहते हैं और जहाँ एकत्व है वहाँ सम्बन्ध का कोई प्रश्न ही नहीं है, सम्बन्ध तो दो में होता है। उक्त प्रत्यय संयोग हेतुक भी नहीं है। युतसिद्ध पदार्थों में ही संयोग सम्बन्ध पाया जाता है। अतः उक्त प्रत्यय समवाय हेतुक ही है। तथा वह समवाय संयोग की तरह अनेक नहीं है, किन्तु सत्ता की तरह एक ही है।

जैन :

वैशेषिक प्रश्न, गुण, कर्म, सामान्य और विशेष—इन पाँच पदार्थों को समवायी मानता है और जब उनका ही निराकरण कर दिया गया तो समवाय नाम का पदार्थ कैसे सिद्ध हो सकता है? वैशेषिकशास्त्र में कहा है—पृथक् आश्रय में न रहने को अयुतसिद्धि कहते हैं। यह अयुतसिद्धि तन्तु-पट में नहीं है, क्योंकि तन्तु अपने अवयवों में रहते हैं और पट तन्तुओं में रहता है। अतः दोनों का आश्रय भिन्न है। इसी तरह गुण, कर्म और सामान्य भी पृथक् आश्रय में रहते हैं।

वैशेषिक—जैसे कुण्ड और दही—ये दोनों दो भिन्न आधार हैं और उनमें रहने वाले दधि-अवयव और कुण्ड-अवयव ये दो आश्रयी हैं। इस तरह तन्तु और पट में नहीं है। तन्तु ही अपने अवयवों की अपेक्षा से आश्रयी है और पट की अपेक्षा से आश्रय है, अतः युतसिद्धि का लक्षण उनमें नहीं पाया जाता, अतः तन्तु-पट अयुतसिद्धि है।

जैन—तब तो दिशा, काल, आकाश और आत्मा में भी युतसिद्धि के अभाव का प्रश्न आता है, क्योंकि इन सबका आश्रय पृथक्-पृथक् नहीं है। आपने कहा है कि प्रत्यक्ष से ही समवाय की प्रतीति होती है, किन्तु ऐसा कहना भी श्रद्धा-मात्र है। जब किसी वस्तु का असाधारण स्वरूप स्थिर होता है तो उसकी प्रत्यक्ष से सिद्धि होती है, किन्तु समवाय का तो असाधारण स्वरूप ही सिद्ध नहीं है। उसका असाधारण स्वरूप अयुतसिद्ध सम्बन्ध है या सम्बन्ध मात्र? अयुतसिद्ध सम्बन्ध तो उक्त प्रकार से सिद्ध नहीं होता और सम्बन्ध मात्र तो संयोग आदि सम्बन्ध में भी पाया जाता है, अतः वह भी समवाय का असाधारण

स्वरूप नहीं हो सकता। शायद कहा जाये कि 'इसमें यह है' इस प्रत्यक्ष में समवाय का प्रतिभास होता है, किन्तु यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि इससे तो आधाराधेयभाव सम्बन्ध की ही प्रतीति होती है।

वैशेषिक—कुण्ड और बेर वगैरह में संयोग सम्बन्ध पूर्वक ही आधाराधेयभाव रूप सम्बन्ध पाया जाता है, अतः अवयव-अवयवी वगैरह में भी वह सम्बन्धान्तरपूर्वक ही सिद्ध होता है और वह सम्बन्धान्तर समवाय ही हो सकता है। इससे समवाय की सिद्धि होती है।

जैन—इस तरह तो अनवस्था हो जायेगी, क्योंकि वही और कुण्ड वगैरह का सम्बन्ध सम्बन्धान्तर से होने के कारण सम्बन्धान्तर की परतन्त्रता देखी जाती है। उसी प्रकार अवयव-अवयवी आदि का सम्बन्ध भी सम्बन्धान्तर से होने के कारण यहाँ भी सम्बन्धान्तर की परतन्त्रता का प्रसङ्ग आता है। यदि कहोगे कि समवाय बुद्धि के द्वारा समवाय की प्रतीति होती है तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि 'ये तन्तु हैं' 'यह पट है' और 'वह समवाय है' इस तरह तीनों की अलग-अलग प्रतीति स्वप्न में भी किसी को नहीं होती, अतः प्रत्यक्ष से समवाय की प्रतीति नहीं होती है।

और अनुमान से भी नहीं होती, क्योंकि समवाय का साधक कोई निर्दोष अनुमान नहीं है। आपने जो अनुमान कहा है वह तो अनेक दोषों से दूषित है। पहला दोष तो यह है कि उसका हेतु आश्रयासिद्ध है, क्योंकि 'इन तन्तुओं में पट' इत्यादि पक्ष ही असिद्ध है। 'पट में तन्तु हैं' ऐसी ही सबको प्रतीति होती है, 'तन्तु में पट हैं' ऐसी प्रतीति किसी को नहीं होती। तथा स्वरूपासिद्ध भी है, क्योंकि तन्तु-पट के ज्ञान में 'इस' प्रत्यय का अनुभव नहीं होता, 'यह पट है' इत्यादि रूप से उसका अनुभव होता है। अनैकान्तिक भी है 'इस प्रागभाव में अनादिपना है, इस प्रध्वंसाभाव में प्रध्वंसाभाव का अभाव है' ये प्रत्यय सम्बन्धान्तरपूर्वक नहीं हैं।

और आपने जो समवाय सम्बन्ध को एक कहा है, वह भी ठीक नहीं है। उसका एक होना अनुमान से बाधित है। तथाहि—समवाय अनेक है, क्योंकि वह भिन्न देशवर्ती, भिन्न कालवर्ती और भिन्न आकार वाले पदार्थों में सम्बन्ध बुद्धि कराने में हेतु है। जो ऐसा होता है, वह एक नहीं होता, जैसे संयोग। समवाय चूंकि ऐसा ही है, इसलिये वह अनेक है। तथा समवाय अनेक है,

क्योंकि वह अयुतसिद्ध अवयव-अवयवी के आश्रित है, जैसे संख्या । इस अनुमान से भी समवाय अनेक सिद्ध होता है । यह अनुमान असिद्ध नहीं है, क्योंकि प्रशस्तपाद भाष्य में समवाय को आश्रित कहा है । अतः समवाय परमार्थ से आश्रित है, सम्बन्ध होने से संयोग की तरह ।

तथा आपका यह कहना भी ठीक नहीं है कि समवाय चूंकि स्वतः सम्बन्ध रूप है, अतः वह अन्य सम्बन्ध की अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि संयोग स्वतः सम्बन्ध रूप है । फिर भी वह समवाय सम्बन्ध से द्रव्य में रहता है, ऐसा नैयायिक ने माना है । अतः विचार करने पर सम्बन्धियों से सर्वथा भिन्न सम्बन्ध सिद्ध नहीं होता ।

१६. 'सम्बन्ध-विचार

बौद्ध :

यदि सम्बन्ध सिद्ध हो जाये तो यह विचार करना उचित है कि वह सम्बन्धियों से भिन्न है अथवा अभिन्न है । किन्तु वह सिद्ध नहीं होता, क्योंकि उसका कोई स्वरूप ही नहीं बनता । उसका खुलासा इस प्रकार है—पदार्थों के सम्बन्ध का स्वरूप या लक्षण क्या है ? परतन्त्रता उसका लक्षण है या वह रूपसंश्लेष स्वभाव है, अथवा परापेक्षा रूप है ? प्रथम पक्ष में वह सम्बन्ध निष्पन्न सम्बन्धियों में होता है या अनिष्पन्न सम्बन्धियों में ? जो सम्बन्धी अभी निष्पन्न ही नहीं हुये उनका तो स्वरूप ही अभी असत् है, अतः उनमें गधे के सौग और बाँस के पुत्र की तरह सम्बन्ध हो ही नहीं सकता । तथा जो सम्बन्धी निष्पन्न हो चुके हैं उनमें परतन्त्रता का अभाव होने से सहा पर्वत और विन्ध्य पर्वत की तरह सम्बन्ध नहीं हो सकता । कहा भी है—

पारतन्त्र्यं हि सम्बन्धः सिद्धे का परतन्त्रता ।

तस्मात् सर्वस्य भावस्य सम्बन्धो नास्ति तत्त्वतः ॥^२

परतन्त्रता ही सम्बन्ध का स्वरूप है । जो वस्तु सिद्ध है उसमें क्या परतन्त्रता ? अतः वास्तव में सभी पदार्थों में कोई सम्बन्ध नहीं है ।

रूपसंश्लेष भी सम्बन्ध का स्वरूप नहीं बनता । सम्बन्धी दो होते हैं, अतः उनमें संश्लेष के होने में विरोध है । यदि दोनों सम्बन्धी एक हैं तो उनमें

१. न्यायकुमुदचन्द्र, पृष्ठ ३०५ ।

२. सम्बन्धपरीक्षा, कारिका १ ।

स्वर्य-सम्बन्ध का अभाव है, क्योंकि सम्बन्ध दो में रहता है, अतः सम्बन्धियों के अभाव में सम्बन्ध कैसे हो सकता है।

तथा सम्बन्धियों में सर्वात्मना रूप संश्लेष होता है अथवा एकदेश से? सर्वात्मना संश्लेष होने पर पिण्ड अणुमात्र हो जायेगा। एकदेश से संश्लेष मानने पर एक अणु के छह अंश होने की आपत्ति आती है। तथा सम्बन्धियों के वे एकदेश उनसे भिन्न हैं या अभिन्न? यदि अभिन्न हैं तो देशों का अभाव होने से सम्बन्धियों का संश्लेष एकदेश से कैसे हो सकता है? यदि देश सम्बन्धियों से भिन्न हैं तो उनके साथ भी अणुओं का सर्वात्मना अथवा एकदेश से सम्बन्ध मानने पर वही प्रश्न पैदा होता है और अनवस्था दोष भी आता है। कहा भी है—

रूपश्लेषो हि सम्बन्धः द्वित्वे स च कथं भवेत् ।

तस्मात् प्रकृतिभिन्नानां सम्बन्धो नास्ति तत्त्वतः ॥^१

अर्थात् रूपश्लेष को सम्बन्ध कहते हैं। वह सम्बन्ध दो में कैसे हो सकता है। अतः जो स्वभाव से ही भिन्न हैं, उनमें वास्तव में सम्बन्ध नहीं है।

यदि सम्बन्ध परापेक्षा रूप है तो रहे, किन्तु पदार्थ स्वर्य सत् होते हुये पर की अपेक्षा करता है अथवा स्वर्य असत् होते हुये पर की अपेक्षा करता है? जो स्वर्य असत् है वह तो पर की अपेक्षा नहीं कर सकता। जो सत् है वह सब ओर से निःकांक्ष है, उसे किसी प्रकार की चाह ही नहीं है। यदि हो तो वह सत् नहीं हो सकता। कहा भी है—

परापेक्षा हि सम्बन्धः सोऽसत् कथमपेक्षते ।

संश्रुच सर्वनिराशंसो भावः कथमपेक्षते ॥^२

पर की अपेक्षा का नाम सम्बन्ध है। जो असत् है वह पर की अपेक्षा कैसे कर सकता है? और जो सत् है वह सब ओर से निरपेक्ष होने से पर की अपेक्षा कैसे कर सकता है?

तथा सम्बन्ध सम्बन्धियों से भिन्न है या अभिन्न? यदि अभिन्न है तो या तो सम्बन्धी ही रहेंगे या सम्बन्ध ही रहेगा। यदि भिन्न है तो अकेले सम्बन्धी परस्पर में कैसे सम्बद्ध हो सकेंगे? सम्बन्ध तो उनसे भिन्न है। तथा ऐसी स्थिति में उस एक सम्बन्ध के साथ उन दोनों सम्बन्धियों का क्या सम्बन्ध

१. न्यायकुमुदचन्द्र, पृष्ठ ३०६।

२. सम्बन्धपरीक्षा, कारिका २।

३. सम्बन्धपरीक्षा, कारिका ३।

है ? यदि उसके साथ उन दोनों सम्बन्धियों का अन्य सम्बन्ध मानते हैं तो अनवस्था दोष आता है, क्योंकि उस दूसरे सम्बन्ध के लिये अन्य सम्बन्ध मानना पड़ेगा। अतः सम्बन्ध बुद्धि वास्तविक नहीं है, क्योंकि सम्बन्धियों से मिल्न कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि है तो 'दो सम्बन्धी और एक सम्बन्ध' इस प्रकार सब पदार्थ परस्पर में अमिश्रित होकर परमार्थ से अपने-अपने स्वरूप में स्थित हैं। कल्पनावश वे मिश्रित प्रतीत होते हैं।

जैन :

बौद्धों का उक्त कथन ठीक नहीं है। पदार्थों में एकत्व परिणति रूप पारतन्त्र्य प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध है, उसका निह्वन कर सकना शक्य नहीं है। जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध है, उसका निह्वन नहीं हो सकता है, जैसे घट-पट का। बाह्य और आन्तरिक पदार्थों में एकत्व परिणति रूप पारतन्त्र्य प्रमाणसिद्ध है, अतः उसका निह्वन नहीं किया जा सकता। 'जैन लोग पदार्थों में द्रव्यकृत, क्षेत्रकृत, कालकृत और भावकृत प्रत्यासत्ति को सम्बन्ध कहते हैं, उसी का नाम पारतन्त्र्य है और वह प्रत्यासत्ति (नैकट्य) एकत्व परिणति रूप है। प्रत्यक्षादि प्रमाण में बच्चों तक को उसका प्रतिभास होता है। बाहर में एक अवयवी द्रव्य में रहने वाले रूपादि का तथा अन्तरंग में एक आत्मद्रव्य में रहने वाले ज्ञान सुखादि का प्रत्यक्ष से ही ज्ञान होता है और अवयवी द्रव्य तथा आत्मद्रव्य की सिद्धि पहले कर आये हैं।

तथा एक क्षेत्र में रहने वाले दूध-धानी का परस्पर में मिले-जुले रूप में एकत्व परिणति रूप क्षेत्रकृत प्रत्यासत्ति रूप सम्बन्ध प्रत्यक्ष से ही प्रतीत होता है। कालकृत प्रत्यासत्ति रूप सम्बन्ध आम के रस वगैरह में प्रत्यक्ष से प्रतीत होता है। भावकृत प्रत्यासत्ति रूप सम्बन्ध संयोगी द्रव्य-पर्याय वगैरह में प्रतीत होता है। ये प्रत्यासत्तियाँ एक-एक की प्रधानता से बतलाई हैं, किन्तु जहाँ इनमें से एक प्रत्यासत्ति होती है, वहाँ अन्य प्रत्यासत्तियाँ भी होती हैं।

तथा हम कथञ्चित् निष्पन्न सम्बन्धियों में पारतन्त्र्य रूप सम्बन्ध मानते हैं। वस्तु द्रव्य-पर्यायात्मक है, अतः द्रव्य रूप से निष्पन्न वस्तु अनिष्पन्न पर्याय रूप से परिणमन करती है। पट तन्तुद्रव्य रूप से निष्पन्न है, क्योंकि पट की उत्पत्ति से पहले भी तन्तुद्रव्य रहता है और स्वरूप से अनिष्पन्न है। तन्तुद्रव्य भी स्वरूप से निष्पन्न है और पट रूप से अनिष्पन्न है। इस प्रकार सभी वस्तुएँ

कथञ्चित् निष्पन्न और कथञ्चित् अनिष्पन्न होते हुये पारतन्त्र्य रूप सम्बन्ध से युक्त होती हैं ।

और जो बौद्धों ने 'रूपश्लेषो हि सम्बन्धः...' आदि कहा है, वह भी एकान्तवादियों के लिये ही दूषण है, स्याद्वादियों के लिये नहीं । क्योंकि हम सम्बन्धियों में कथञ्चित् एकत्वापत्ति रूप सम्बन्ध मानते हैं । सम्बन्धियों का पृथक् पृथक् न किया जा सकना ही रूपश्लेष है और उनकी असाधारणरूपता अश्लेष है, अतः सम्बन्धियों के द्वित्व के साथ उनका कोई विरोध नहीं है ।

तथा हम सम्बन्धियों का रूपश्लेष रूप सम्बन्ध न सर्वात्मना मानते हैं और न एकदेश से मानते हैं, किन्तु एक तीसरे ही प्रकार से मानते हैं । जिनके मत में विभिन्न सम्बन्धी अपने पूर्व स्वरूप को त्यागे बिना और नये स्वरूप को स्वीकार किये बिना परस्पर में सम्बद्ध होते हैं, उन्हीं के मत में पहले कहा गया दोष आता है । हमारे मत में तो पृथक् रूपता को त्याग कर संश्लिष्ट रूप से एकमेव रूप परिणति को सत्तु-जल वगैरह का सम्बन्ध माना है, उसमें उक्त दोष नहीं आते । इस प्रकार का सम्बन्ध नहीं मानने पर चित्रज्ञान नहीं बन सकता । चित्रज्ञान का नीलादि अनेक आकारों के साथ उक्त प्रकार की एकत्व परिणति को छोड़कर अन्य सम्बन्ध सम्भव नहीं है । यदि उसका उन आकारों के साथ सर्वात्मना या एकदेश से सम्बन्ध माना जायेगा तो उक्त सब दोषों का प्रसंग आता है । उक्त प्रकार का सम्बन्ध कहीं तो पदार्थों के सब प्रदेशों के परस्पर अनुप्रवेश को लिये हुये होता है, जैसे जल और सत्तु का और कहीं एकदेश से संश्लेष होने मात्र से होता है, जैसे अंगुली वगैरह का । हम तो प्रत्येक वस्तु को सांश मानते हैं, अतः हमारे लिये सांशता का प्रसंग कोई दोष नहीं है, किन्तु सांश मानने से अनवस्था दोष नहीं आता, क्योंकि वस्तु से उसके प्रदेश अत्यन्त भिन्न नहीं हैं । भिन्न मानने पर ही अनवस्था दोष आता है । अनेकान्तात्मक वस्तु अत्यन्त भेद और अत्यन्त अभेद रूप न होकर चित्रज्ञान की तरह जात्यन्तर ही होती है ।

परमाणुओं की सांशता का प्रसंग जो दिया गया है, उसमें अंश शब्द का अर्थ स्वभाव है या अवयव ? यदि स्वभाव है तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि हम परमाणुओं में स्वभाव-भेद मानते हैं । यदि उनमें स्वभाव भेद न होता तो विभिन्न दिशाओं में स्थित परमाणुओं के साथ उनका सम्बन्ध नहीं हो सकता था । हाँ, अवयव अर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि अणु अभेद होते हैं, अतः उनके अवयव सम्भव नहीं हैं ।

बौद्ध—यदि परमाणुओं में स्वभाव-भेद सम्भव है तो वे अविभागी कैसे हो सकते हैं ?

जैन—अविभागी का मतलब है कि उन परमाणुओं का भेदन नहीं किया जा सकता। अविभागी का मतलब निस्स्वभावता नहीं है।

परापेक्षा रूप सम्बन्ध हम मानते ही नहीं हैं, अतः उसकी चर्चा ही बेकार है।

बौद्ध—पदार्थों का सम्बन्ध मिथ्या है, क्योंकि वह परापेक्षा है।

जैन—पदार्थों का सम्बन्ध क्या आत्मलाभ में पर की अपेक्षा करता है या सम्बन्ध व्यवहार में ? आत्मलाभ में तो पर की अपेक्षा वह करता नहीं है, क्योंकि एकत्व परिणति रूप सम्बन्ध अपने कारणों से ही उत्पन्न होता है। हाँ, सम्बन्ध व्यवहार में परापेक्षा होने से वह मिथ्या नहीं हो सकता। जो परापेक्षा व्यवहार होता है, वह मिथ्या होता है, ऐसी कोई व्याप्ति नहीं है। यदि ऐसा माना जायेगा तो बुद्ध के ज्ञान में साधारण जन की अपेक्षा से स्पष्टतर आदि का व्यवहार किया जाता है, अतः उसके मिथ्या होने का प्रसंग आयेगा।

अतः अवयव-अवयवी बगैरह में कश्चित् एकत्व परिणति रूप सम्बन्ध ही सिद्ध होता है। इसलिये वैशेषिक के द्वारा कल्पित समवाय-पदार्थ भी सिद्ध नहीं होता। इस प्रकार वैशेषिक मत में कणाद के द्वारा प्रतिपादित छह पदार्थ सिद्ध नहीं होते।

१७. सांख्याभिमत तत्त्व-विचार

सांख्य :

सांख्य^१ तरंग रहित समुद्र के तुल्य प्रधान को जगत् के प्रपञ्च की रचना में कारण मानते हैं। वह प्रधान संक्षेप में तीन प्रकार का है—

शक्तिः करणं कार्यम् इति त्रेधा जगत् स्थितम् ।

कार्यं भूतानि करणं खानि शक्तिः गुणत्रयम् ॥

शक्ति, करण और कार्य के भेद से जगत् तीन रूप है। कार्य के दश भेद हैं—पाँच तन्मात्रा (रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द) तथा पाँच महामूत (पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और आकाश)। करण के तेरह भेद हैं—पाँच

१. न्यायकुमुदचन्द्र, पृष्ठ ३५०

ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, एक अन्तःकरण, एक बुद्धि और एक अहङ्कार । शक्ति प्रकृति है, वही जगत् का मूल उपादान कारण है । उसका सद्भाव पाँच हेतुओं से जाना जाता है । वे पाँच हेतु इस प्रकार हैं—

भेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च ।
कारणकार्यविभागादविभागाद्वैश्वरूप्यस्य ॥^१

जो एक कारण पूर्वक होता है, उसी में परिमितपना पाया जाता है । जैसे एक मिट्टी रूप कारण से बनने वाले घट, सकोरा आदि में परिमितपना पाया जाता है । यह व्यक्त भी परिमित है—एक बुद्धि, एक अहङ्कार, पाँच तन्मात्राएँ, ग्यारह इन्द्रियाँ और पाँच महामूल । अतः इनका जो एक कारण है, वह प्रधान है, इसलिये प्रधान के अस्तित्व की सिद्धि होती है ।

जो जिस जाति से समन्वित होता है, उसके कार्य और कारण तदात्मक ही होते हैं, जैसे घटादि विशेष मिट्टी रूप जाति से समन्वित होते हैं, अतः उसके कारण और कार्य भी मिट्टी रूप ही होते हैं । यह महत् आदि व्यक्त प्रधान सत्त्व, रज और तमो जाति से समन्वित होता है । सत्त्व का कार्य प्रसन्नता, लघुता, हर्ष, प्रीति आदि है, रज का कार्य ताप, शोष, उद्वेग आदि है और तम का कार्य विषाद, दीनता, गौरव, आवरण आदि है । महत् आदि में प्रसन्नता, सन्ताप, विषाद आदि कार्य पाया जाता है, अतः ये सब प्रधान से अन्वित हैं, यह सिद्ध होता है

जो जिस कार्य में प्रवृत्त होता है, वह उसमें समर्थ होता है । जैसे जुलाहा बरत बुनने में प्रवृत्त होता है तो वह उसमें समर्थ होता है । प्रधान व्यक्त को करने में प्रवृत्त होता है, अतः उसमें ऐसी शक्ति है, जिससे वह व्यक्त को उत्पन्न करता है । वह शक्ति निराधार नहीं हो सकती । अतः प्रधान का अस्तित्व सिद्ध होता है ।

तथा जैसे मिट्टी के पिण्ड के बिना घटादि कार्य नहीं होते, उसी तरह कारण के बिना महत् आदि कार्य नहीं हो सकते । अतः कार्य के देखने से कारण का अस्तित्व सिद्ध होता है ।

महत् आदि प्रपञ्च को वैश्वरूप्य कहते हैं । वह प्रपञ्च प्रलयकाल में किसी में लीन हो जाता है । पाँच महामूल पाँच तन्मात्राओं में लीन हो जाते हैं, तन्मात्राएँ और इन्द्रियाँ अहङ्कार में लीन हो जाती हैं । अहङ्कार बुद्धि में और

बुद्धि प्रकृति में लीन हो जाती है। इस प्रकार प्रकृति नीचे लिखे क्रमानुसार सत्त्व की रचना में प्रवृत्त होती है—

प्रकृतेर्महान् ततोऽहङ्कारः तस्माद् गणश्च षोडशकः ।

तस्मादपि षोडशकात् पञ्चभ्यः पञ्च भूतानि ॥^१

प्रथम प्रकृति से महान् प्रकट होता है। वह महान् एक और व्यापक है, विषय के अध्यवसाय रूप है तथा सृष्टिकाल से लेकर प्रलयकाल तक स्थायी होता है। हम लोग उसे नहीं जान सकते। उस महान् से जो प्रत्येक प्राणी में विभिन्न बुद्धि रूप वृत्तियाँ प्रकट होती हैं, वे जानने योग्य होती हैं। उस बुद्धि से अहङ्कार प्रकट होता है। वह भी प्रत्येक प्राणी में भिन्न-भिन्न होता है—'मैं स्पूल हूँ', 'सुरूप हूँ' आदि उसी अहङ्कार की तरंगें हैं। वह अहङ्कार प्रथम वैकारिक और भूतादि के भेद से दो प्रकार का होता है। सत्त्व प्रधान वैकारिक अहङ्कार से प्रकाश रूप ग्यारह इन्द्रियाँ प्रकट होती हैं, पाँच बुद्धीन्द्रियाँ—श्रोत्र, स्पर्शन, चक्षु, जिह्वा और घ्राण; पाँच कर्मेन्द्रियाँ—वाणी, हाथ, पैर, गुदा और मूत्रेन्द्रिय तथा एक मन। बुद्धि को अभिव्यक्त करने के लिये जो इन्द्रियाँ होती हैं, उन्हें बुद्धीन्द्रिय कहते हैं। और कर्म को अभिव्यक्त करने के लिये जो इन्द्रियाँ होती हैं, उन्हें कर्मेन्द्रिय कहते हैं। 'मैं गाँव को जाता हूँ वहाँ से सुवर्ण की प्राप्ति होगी या द्रव्य की प्राप्ति होगी' इस प्रकार की संकल्पवृत्ति को मन कहते हैं। भूतादि रूप अहङ्कार से पाँच तन्मात्राएँ और उन पाँच तन्मात्राओं से पाँच महानूत प्रकट होते हैं।

इस प्रकार तत्त्वों की सृष्टि करने के पश्चात् जब प्रकृति भूत-सृष्टि में प्रवृत्त होती है, तब सर्व प्रथम ब्रह्म का प्रादुर्भाव होता है। उसके महत्त्व तत्त्व से ही योजन परिमाण वाली बुद्धि निकलती है, बुद्धि से अहङ्कार उत्पन्न होता है तथा अहङ्कार से ग्यारह इन्द्रियाँ और पञ्च तन्मात्राएँ प्रकट होती हैं। पञ्च तन्मात्राओं से सूक्ष्म देह के आरम्भक पञ्च भूत प्रकट होते हैं। उसके बाद बहुत से भूतों से कलल आदि के क्रम के बिना ही क्षत से स्पूल देह उत्पन्न हो जाता है। इसी तरह मनु आदि के भी शरीर उत्पन्न होते हैं। अन्य प्राणियों के सूक्ष्मभूत से बने हुये शरीर सृष्टि से लेकर प्रलयकाल तक स्थायी होते हैं। मनुष्य आदि के शरीर माता-पिता के संयोग से बनते हैं। देव, नारकी और क्षुद्र जन्तुओं का शरीर औपपादक होता है।

१. सांख्यकारिका, २२

२. न्यायकुमुदचन्द्र, पृष्ठ ३५२

यह महत् आदि प्रपञ्च प्रकृति में विद्यमान रहता है और किसी कारण से प्रकट हो जाता है। प्रकृति में इस प्रपञ्च की सत्ता पाँच कारणों से जानी जाती है। जो इस प्रकार हैं—

असदकरणादुपादानग्रहणात् सर्वसम्भवाऽभावात् ।

शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाच्च सत्कार्यम् ॥^१

यदि कारण में कार्य असत् होता तो आकाश कुसुम की तरह असत् होने से उसका करना शक्य नहीं होता। तथा यदि कारण में कार्य सर्वथा नहीं रहता तो नियत उपादान का ग्रहण करना अनावश्यक है। जैसे तन्तुओं से घट का असत्त्व है, वैसे ही यदि मिट्टी के पिण्ड में भी घट का असत्त्व है तो घट के लिये मिट्टी के पिण्ड की तरह तन्तुओं का भी ग्रहण करना उचित होगा।

^२तथा यदि कार्य असत् है तो सभी कारणों से सभी कार्यों की उत्पत्ति होनी चाहिये। और ऐसी स्थिति में मिट्टी के पिण्ड से भी पट की उत्पत्ति और तन्तुओं से घट की उत्पत्ति होनी चाहिये। तथा आकाश के फूल की तरह असत् कार्य को कर सकना शक्य नहीं है और कारण में उसको उत्पन्न करने की शक्ति ही नहीं है। तथा कारणपना कार्य की अपेक्षा करता है। जो आकाश के फूल की तरह असत् है, उसका कारण के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः कारण में कार्य तादात्म्य से रहता है। फिर भी उन दोनों में लक्षण के भेद से भेद पाया जाता है। लक्षण इस प्रकार है—

हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिङ्गम् ।

सावयवं परतन्त्रं व्यक्तं विपरीतमव्यक्तम् ॥^३

व्यक्त ही कारणवाला है, क्योंकि प्रधान से बुद्धि, बुद्धि से अहङ्कार, अहङ्कार से सोलह गण और पाँच तन्मात्राओं से पाँच महाभूत व्यक्त होते हैं। प्रधान कारणवाला नहीं है, क्योंकि उसका कोई कारण नहीं है। चैतन्य रूप पुरुष तो जड़ का कारण हो नहीं सकता, क्योंकि वह उससे अत्यन्त विलक्षण है। प्रधान जड़ की अत्यन्त सूक्ष्म अवस्था है, उससे भी सूक्ष्म कोई अवस्था नहीं है। अतः प्रधान का कारण न जड़ है और न चेतन, अतः वह अहेतुक है। इसी से वह नित्य है और महत् आदि कारणवान् होने से अनित्य हैं।

१. सौख्यकारिका, ९ ।

२. न्यायकुमुदचन्द्र, पृष्ठ ३५३ ।

३. सौख्यकारिका, १० ।

तथा कारण से कार्य अल्प परिमाण वाला होना चाहिये। इसलिये कारण की अपेक्षा से महत् आदि अव्यापक हैं और प्रधान व्यापक है। हलन-चलन रूप क्रिया मूलतः महत् आदि से ही होती है, इसलिये वह सक्रिय है और उससे विपरीत होने के कारण प्रधान निष्क्रिय है, किन्तु परिणमन रूप क्रिया दोनों में होती है। जैसे यदि ईश्वर अनेक हों तो परस्पर में मतभेद होने से कषपच होने के कारण कार्य की निष्पत्ति नहीं हो सकती, वैसे ही प्रधानों के अनेक होने पर भी नहीं हो सकती। इसलिये प्रधान एक है और व्यक्त महत् आदि के भेद से अनेक है। जो जिससे उत्पन्न होता है, वह उसके आश्रित होता है, अतः व्यक्त आश्रित है, किन्तु किसी का कार्य न होने से अव्यक्त प्रधान आश्रित नहीं है। जो अपने सूक्ष्म कारण का बोध कराता है या लय हो जाता है, उसे लिंग कहते हैं। अतः व्यक्त लिंग रूप है। किन्तु अव्यक्त लिंग रूप नहीं है। व्यक्त सावयव है और अव्यक्त निरवयव है। कारणवान् तथा आश्रित होने से व्यक्त परतन्त्र है, अव्यक्त नहीं है। किन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि दोनों में अत्यन्त भेद ही है। लक्षण के अभेद से दोनों में अभेद भी है। यथा—

त्रिगुणमविवेकि विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवधर्मि ।

व्यक्तं तथा प्रधानं तद्विपरीतस्तथा च पुमान् ॥^१

सत्त्व, रज और तमोमय होने से दोनों में ही त्रिगुणपना समान है। ये सत्त्व आदि गुण हैं और यह व्यक्त और अव्यक्त प्रधान है, ऐसा भेद करना शक्य न होने से अविवेकी हैं। तथा दोनों ही भोग्य स्वभाव होने से विषय हैं। जो भोग्य रूप से इन्द्रियों को बाँधता है, उसे विषय कहते हैं।^२ समस्त पुरुषों के द्वारा उपभोग्य होने से सामान्य रूप है और विषय होने से ही अचेतन है। दोनों ही कार्य को उत्पन्न करने के कारण प्रसवधर्मि हैं। क्योंकि प्रधान बुद्धि को उत्पन्न करता है, बुद्धि अहङ्कार को, अहङ्कार तन्मात्राओं को तथा ग्यारह इन्द्रियों को, और तन्मात्राएँ महामूर्तों को उत्पन्न करती हैं, किन्तु पुरुष सामान्य धर्म की अपेक्षा प्रधान के समान है और अन्य धर्मों की अपेक्षा प्रधान के समान नहीं है। जैसे प्रधान भोग्य होने से सब भोक्ता पुरुषों के प्रति समान है, वैसे ही पुरुष भी भोक्ता होने से सब भोग्यों के प्रति समान है।

१. सांख्यकारिका, ११

२. न्यायकुमुदचन्द्र, पृष्ठ ३५४

जैन :

'साँख्य ने प्रकृति के सद्भाव को सिद्ध करने के लिये जो पाँच हेतु दिये हैं, वे आश्रयासिद्ध नामक दोष से दृष्ट होने के कारण अयुक्त हैं। क्योंकि असंवेद्य स्वभाव होने से प्रकृति स्वरूप से ही असिद्ध है। तथा उक्त हेतु व्यधिकरणासिद्ध भी है, क्योंकि परिमितपना आदि हेतु भेदों में रहते हैं और साँख्य अस्तित्व प्रकृति में रहता है।

साँख्य—उक्त हेतुओं से हम महत् आदि भेदों को ही एक कारण पूर्वक सिद्ध करते हैं, इसलिए उक्त दोनों दोष नहीं आते।

जैन—तब तो प्रधान और पुरुष से व्यभिचार का दोष आता है। क्योंकि दोनों ही एक और अनेक संख्या तथा महापरिमाण के द्वारा परिमित होने पर भी एक कारण पूर्वक नहीं हैं। तथा दृष्टान्त भी साँख्य विकल है, क्योंकि घट आदि एक कारण पूर्वक नहीं हैं। समी कार्य सहकारो और उपादान कारणों से उत्पन्न होते हैं। मिट्टी का पिण्ड भी अनेक अवयवों का समुदाय रूप होने से सर्वथा एक नहीं है। अतः परिमितपने की व्याप्ति अनेक कारण पूर्वकत्व के साथ होने से परिमितत्व हेतु विरुद्ध है।

तथा समन्वय हेतु भी अनैकान्तिक है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष में एक कारण पूर्वकपना नहीं होने पर भी नित्यपना, व्यापिपना आदि धर्मों से समानता पाई जाती है। तथा पुरुषों में भोक्तृत्व आदि धर्मों से समानता पाई जाती है। इसके सिवाय जल और अग्नि भिन्न जातीय हैं, अतः दोनों एक ही उपादान कारण से उत्पन्न नहीं हो सकते, क्योंकि पदार्थों में जाति भेद एक कारण पूर्वकता का विरोधी है तथा 'समन्वय' हेतु असिद्ध भी है, क्योंकि समस्त भूत सुख, दुःख और मोहमय नहीं हैं और इसलिये वे एक प्रधान से अन्वित नहीं हैं। सुखादि का प्रतिभास आन्तरिक रूप से होता है, अतः बाह्य पदार्थ सुखादिमय नहीं हो सकते। कोई भी मनुष्य चन्दन-माला बगैरह बाह्य वस्तुओं को सुख नहीं जानता, उन्हें बच्चे तक सुखकारक रूप से ही जानते हैं। कोई भी प्रामाणिक पुरुष कार्य और कारण को वस्तुतः एक नहीं मानता।

तथा प्रधान का अस्तित्व असिद्ध होने से 'शक्तिः प्रवृत्तेः.....'रूप हेतु भी संगत नहीं है। सर्वथा अभेद मानने पर शक्ति भी नहीं बनती, अतः उससे किसी की प्रवृत्ति कैसे हो सकती है? इसी तरह कारण और कार्य के भेद से प्रधान की सिद्ध करने से गधे के सीगों का भी सत्व सिद्ध

हो सकता है, क्योंकि गंधे के सीगों की तरह प्रधान का सत्त्व भी सिद्ध नहीं है। प्रलयकाल भी असिद्ध है, विश्व का उक्त प्रकार से अविभाग भी असिद्ध है। अतः उक्त हेतुओं से प्रकृति की सिद्धि नहीं होती।

जरा' देर के लिये यह मान लिया जाये कि 'प्रकृति' है तो प्रश्न होता है कि प्रकृति तत्त्व की सृष्टि में और भूतों की सृष्टि में स्वभाव से प्रवृत्ति करती है या किसी निमित्त के आश्रय से? यदि स्वभाव से प्रवृत्ति करती है तो न तो नियत रूप से प्रवृत्ति हो सकती है और न प्रवृत्ति का विराम हो सकता है, क्योंकि अचेतन प्रकृति में 'इतनी ही तत्त्व सृष्टि है और यह इसी का उपकारक है', इस प्रकार का विचार सम्भव नहीं है।

यदि प्रकृति किसी निमित्त के आश्रय से प्रवृत्ति करती है तो वह निमित्त पुरुष की प्रेरणा है या पुरुषार्थ कर्तव्यता? पुरुष की प्रेरणा तो हो नहीं सकती, क्योंकि पुरुष को उदासीन माना है, अतः 'यह इससे होता है' ऐसा अनुसन्धान उसमें सम्भव नहीं है, इसलिये वह प्रतिनियत प्रसव-क्रिया में प्रकृति की प्रेरणा नहीं कर सकता। पुरुषार्थ कर्तव्यता भी निमित्त नहीं हो सकती, क्योंकि पुरुष के निरमिलाधी होने से प्रयोजन ही सम्भव नहीं है। तथा प्रकृति जड़ है इसलिये 'मैं पुरुष के प्रयोजन का सम्पादन करूँ' इस प्रकार का अनुसन्धान उसमें नहीं हो सकता। जो पुरुष को इष्ट न हो उसे पुरुषार्थ नहीं कह सकते। लोक में किसी के अमिलषित को जानकर ही 'मैं इसके अमिलषित को करूँगा जिससे यह मुझ पर सन्तुष्ट होगा' ऐसे विचार पूर्वक ही प्रवृत्ति देखी जाती है।

शायद कहा जाये कि प्रकृति का स्वभाव ही ऐसा है कि वह किसी के द्वारा प्रेरित नहीं होने पर भी और 'मैं इसकी अमिलाषा पूरी करूँगी' इस प्रकार के विचार से शून्य होने पर भी विश्व की रचना में प्रवृत्त होती है तो उसके उत्तर में हमारा कहना है कि यह स्वभाववाद प्रमाण से सिद्ध वस्तु में बन सकता है, जैसे अग्नि में जलाने का स्वभाव है। प्रमाण से असिद्ध वस्तु में भी उसे मानने पर बन्ध्या के पुत्र में भी जगत् की रचना करने का स्वभाव क्यों नहीं माना जा सकता? अतः 'प्रकृति से महान् की उत्पत्ति होती है' इत्यादि कथन अयुक्त है।

तथा यह महान् आदि जगत् प्रपञ्च प्रकृति से भिन्न है या अभिन्न? यदि अभिन्न है तो कोई अन्तर न होने से दोनों ही कार्य या कारण कहे जायेंगे। और तब प्रकृति कारण ही है, मूलादि कार्य ही हैं, इत्यादि कथन विरुद्ध ठहरता है।

जैन न्याय

भाग २

परिशिष्ट

१. सन्दर्भ-ग्रन्थ
२. उद्धृत वाक्य-सूची
३. विशिष्ट पारिभाषिक शब्दानुक्रमणिका

परिशिष्ट १ सन्दर्भ-ग्रन्थ

- अष्टसहस्री** : आचार्य, विद्यानन्द, सम्पादक—वंशीधर, प्रकाशक—रामचन्द्र नाथारंग गाँधी, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, सन् १९१५ ।
- आसमीमांसा** : आचार्य समन्तभद्र, अनुवादक—जुगलकिशोर मुस्तार 'युगवीर', प्रकाशक—वीर सेवा मन्दिर ट्रस्ट, दिल्ली, प्रथम संस्करण, सन् १९६७ ।
- उपनिषत्संग्रह** : सम्पादक—पण्डित जगदीश शास्त्री, प्रकाशक—मोतीलाल बनारसीदास, बंगलो रोड, जवाहरनगर, दिल्ली-७, प्रथम संस्करण, सन् १९७० ।
- जैन न्याय** : सिद्धान्ताचार्य पं० कैलाशचन्द्र शास्त्री, प्रकाशक—भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी, प्रथम संस्करण, सन् १९६६ ।
- तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकम्** । आचार्य विद्यानन्द, सम्पादक—पं० नाथारंग जी, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, सन् १९१८ ।
- तन्त्रवार्तिकम्** : कुमारिल्लभट्ट (मीमांसा दर्शन : महर्षि जैमिनी, प्रथम भाग), सम्पादक—श्री महाप्रभु लाल गोस्वामी, प्रकाशक—तारा प्रिन्टिंग वर्क्स वाराणसी, प्रथम संस्करण, सन् १९८४ ।
- ब्रह्मसंग्रह** : नेमिचन्द्र सिद्धान्तिदेव, सम्पादक—दरबारीलाल कोठिया, प्रकाशक—श्री गणेश प्रसाद वर्णी जैन ग्रन्थमाला, वाराणसी, सन् १९६६ ।
- न्यायकुमुदचन्द्र** : आचार्य प्रभाचन्द्र, प्रथम भाग, सम्पादक—पं० महेन्द्रकुमार न्यायशास्त्री, प्रकाशक—माणिकचन्द्र दि० जैन ग्रन्थमाला, बम्बई, प्रथम संस्करण, सन् १९३८ ।
- न्यायविनिश्चय विवरण** : मूल—आचार्य अकलंकदेव, प्रथम भाग, सम्पादक—श्री० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य, प्रकाशक—भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, सन् १९४९ ।
- प्रमाण-नय-निलेप प्रकाश** : सिद्धान्ताचार्य पं० कैलाशचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री, प्रकाशक—वीर सेवा मन्दिर ट्रस्ट, वाराणसी, प्रथम संस्करण, सन् १९७० ।

- प्रमाणवार्तिकम्** : धर्मकीर्ति, सम्पादक—स्वामी द्वारिकादास शास्त्री, प्रकाशक—
बौद्धभारती, नरहरिपुरा वाराणसी, प्रथम संस्करण, सन्
१९६८।
- प्रशस्तपाद भाष्य** : प्रशस्तदेव (हिन्दी वैशेषिक दर्शन, प्रशस्तपाद भाष्य), भाष्य-
व्याख्याकार—आचार्य दुण्डिराज शास्त्री, प्रकाशक—
चौखम्भा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी-१, प्रथम
संस्करण, सन् १९६६।
- गृहवारण्यकोपनिषद्-ब्रह्मवार्तिकम्** : सुरेश्वराचार्य, सम्बन्धवार्तिक, सम्पादक—
वे० शा० रा० रा० काशीनाथ शास्त्री आगाशे, प्रकाशक—
महादेव चिमणाजी आपटे, आनन्दाश्रम मुद्रणालय, पुण्याख्य-
पत्तन (पूना), सन् १८९२।
- वाक्यपदीयम्** : भर्तृहरि, प्रथम काण्ड, सम्पादक—चारुदेव शास्त्री पाणिनीय,
प्रकाशक—श्री रामलाल कपूर न्यास समिति, हिन्दी भवन
मुद्रण यन्त्रालय, लखपुर (लाहौर), प्रथम संस्करण, वि० सं०
१९९१।
- वैशेषिकदर्शनम्** : सम्पादक—विन्ध्येश्वरी प्रसाद द्विवेदी, प्रकाशक—ब्रजभूषण-
दास एण्ड कम्पनी, सी० के० ४०/५ ठठेरी बाजार, चौक,
वाराणसी, सन् १९१९।
- वैशेषिकसूत्रम्** : कणाद, सम्पादक—मुनिश्री जम्बूविजय, प्रकाशक—ओरि-
यण्टल इन्स्टीट्यूट, बड़ौदा, सन् १९६१।
- श्रीमद् भगवद्गीता** : प्रकाशक—चौखम्भा संस्कृत संस्थान, वाराणसी, द्वितीय
संस्करण, सन् १९८३।
- सम्बन्धपरीक्षा** : धर्मकीर्ति (वादन्यायः सम्बन्धपरीक्षा च) सम्पादक—स्वामी
द्वारिकादास शास्त्री, प्रकाशक—बौद्ध भारती, पो० बा० ४९,
वाराणसी, प्रथम संस्करण, सन् १९७२।
- सौख्यकारिका** : ईश्वरकृष्ण, सम्पादक—डॉ० रमाशङ्कर त्रिपाठी, प्रकाशक—
बालकृष्ण त्रिपाठी, बी० २/२४२, भदैनी, वाराणसी, प्रथम
संस्करण, सन् १९७०।
- सिद्धिविनिश्चय टीका** : मूल—आचार्य अकलंकदेव, प्रथम भाग, सम्पादक—डॉ०
महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य, प्रकाशक—भारतीय ज्ञानपीठ,
काशी, प्रथम संस्करण, सन् १९५९।

परिशिष्ट २
उद्धृत वाक्य-सूची

[अ]	पृष्ठ-संख्या
अतः इदम् इति यतः तद्दिशो लिङ्गम् । [वैशेषिकसूत्र, २।२।१२]	९३
अद्वैतं न विना द्वैतादहेतुरिव हेतुना । संज्ञिनः प्रतिषेधो न प्रतिषेध्यादृते क्वचित् ॥ [आप्तमीमांसा, २७]	५२
अद्वैतकान्तपक्षेऽपि दृष्टो भेदो विरुध्यते । कारकाणां क्रियायाञ्च नैकं स्वस्मात् प्रजायते ॥ [आप्तमीमांसा, २४]	४४
अपरस्मिन् परं युगपदयुगपच्चिरं क्षिप्रमिति काललिङ्गानि । [वैशेषिकसूत्र, २।२।६]	८९
अभावैकान्तपक्षेऽपि भावापह्नववादिनाम् । बोधवाक्यं प्रमाणं न केन साधनदूषणम् ॥ [आप्तमीमांसा, १२]	२४
अयुतसिद्धानामाधारार्थाधारभूतानाम् इहेदम्प्रत्ययहेतुर्यः सम्बन्धः स समवायः । [प्रचस्तपाद भाष्य, पृष्ठ २८९]	१२५
अवाच्यतेकान्तेऽप्युक्तिर्वाच्यमिति युज्यते ॥ [आप्तमीमांसा, १३ उत्तरार्ध]	२८
अविद्याया अविद्यात्वे इदमेव च लक्षणम् । मानाघातासहिष्णुत्वमसाधारणमिष्यते ॥ [बृहदारण्यकोपनिषद् भाष्य वार्तिक, सम्बन्धवार्तिक, १८१]	५४
अविद्यावानविद्यां तां न निरूपयितुं क्षमः । वस्तुवृत्तमतोऽपेक्ष्य नाविद्येति निरूप्यते ॥ [बृहदारण्यकोपनिषद् भाष्य वार्तिक, सम्बन्धवार्तिक १७९]	५४

अविभागोऽपि बुद्ध्यात्मविपर्यासितदर्शनैः । ग्राह्यग्राहकसंविस्तिभेदवानिव लक्ष्यते ॥ [प्रमाणवार्तिक, २।३५४]	८
असदकरणादुपादानग्रहणात् सर्वसम्भवाऽभावात् । शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाच्च सत्कार्यम् ॥ [संख्यकारिका, ९]	१३५
अस्तित्वं प्रतिषेध्येनाविना भाव्येकधर्मिणि । विशेषणत्वात्साधर्म्यं यथा भेदविवक्षया ॥ [आप्तमीमांसा, १७]	३५
[ऊ]	
ऊर्ध्वमूलमधःशास्त्रमववर्त्य प्राहुरव्ययम् । छन्दांसि तस्य पर्वाणि यस्तं वेत्ति स वेदवित् ॥ [श्रीमद् भगवद्गीता, १५।१]	५०
[ए]	
एकद्रव्यमगुणं संयोगविभागेऽनपेक्षं कारणं कर्म । [वैशेषिकसूत्र, १।१।१६]	११३
एवं विधिविषेधाभ्यामनवस्थितमर्थकृत् । नेति चेन्न यथा कार्यं बहिरन्तरुपाधिभिः ॥ [आप्तमीमांसा, २१]	४२
[क]	
कर्मद्वैतं फलद्वैतं लोकद्वैतं च नो भवेत् । विद्याविद्याद्वयं न स्याद्वन्धमोक्षद्वयं तथा ॥ [आप्तमीमांसा, २५]	४७
कार्यद्रव्यमनादि स्यात् प्रागभावस्य निह्लवे । प्रध्वंसस्य च धर्मस्य प्रध्वयवेऽनन्ततां व्रजेत् ॥ [आप्तमीमांसा, १०]	११
किञ्चिन्निर्णीतमाश्रित्य विचारोऽन्यत्र प्रवर्तते । सर्वविप्रतिपत्तौ तु स्वचिन्नास्ति विचारणा ॥ [तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक, १।१।१४०]	१६

उद्धृत वाक्य-सूची	१४५
क्रियावद् गुणवत् समवायिकारणं द्रव्यलक्षणम् । [वैशेषिकसूत्र, १।१।१४]	६३
[त]	
तत्र रूपं चक्षुर्ग्राह्यं पृथिवी-उदक-ज्वलनवृत्तिः । [प्रशस्तपाद भाष्य, पृष्ठ ६८]	१०६
तत्र शौडोदनेरेव कथं प्रज्ञापराधिनी । [न्यायविनिश्चय विवरण, १।५३ उत्तरार्द्धं]	२६
तथेदममलं ब्रह्म निविकल्पमविद्यया । कलुषत्वमिवापन्नं भेदरूपं प्रपद्यति ॥ [बृहदारण्यकोपनिषद् भाष्य वातिक, ३।५।४४]	८, ५७
त्वपक्षे बहु कल्प्यं स्यात् सर्वं मानविरोधि च । कल्प्याऽविद्यैव मत्पक्षे सा चानुभवसंशया ॥ [बृहदारण्यकोपनिषद् भाष्य वातिक, सम्बन्धवातिक, १८२]	५४
[थ]	
द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारभन्ते । [वैशेषिकसूत्र, १।१।८]	१०२
द्रव्याश्रय्यगुणवान् संयोगविभागोऽकारणमनपेक्षः । [वैशेषिकसूत्र, १।१।१५]	१०६
[न]	
न बन्धोऽस्ति न वै मोक्ष इत्येषा परमार्थता । [तत्त्वार्थश्लोकवातिक, १।१।९३ उत्पानिका]	४८
न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाद् ऋते । अनुविद्धमिवाभाति सर्वं शब्दे प्रतिष्ठितम् ॥ [वाक्यपदीय, १।१२४]	५६
माऽविद्याऽस्येत्यविद्यायामेव स्थित्वा प्रकल्पते । ब्रह्माधारा त्वविद्येयं न कथञ्चन युज्यते ॥ [बृहदारण्यकोपनिषद् भाष्य वातिक, सम्बन्धवातिक, १७६]	५३

- नास्तित्वं प्रतिषेध्येनाविना भाव्येकधर्मिणि ।
विशेषणत्वाद्द्वैधर्म्यं यथाऽभेदविवक्षया ॥
[आप्तमीमांसा, १८] ३८
- नित्यद्रव्यवृत्तयोऽन्त्या विशेषाः ।
[प्रशस्तपाद भाष्य, पृष्ठ २८४] १२२
- [प]
- परापेक्षा हि सम्बन्धः सोऽक्षन् कथमपेक्षते ।
संश्च सर्वैरनिराशंसो भावः कथमपेक्षते ॥
[सम्बन्धपरीक्षा, ३] १२९
- पारतन्त्र्यं हि सम्बन्धः सिद्धे का परतन्त्रता ।
तस्मात् सर्वस्य भावस्य सम्बन्धो नास्ति तत्त्वतः ॥
[सम्बन्धपरीक्षा, १] १२८
- प्रकृतेर्महास्ततोऽहङ्कारस्तस्माद् गणश्च षोडशकः ।
तस्मादपि षोडशकात् पञ्चम्यः पञ्चभूतानि ॥
[संख्यकारिका, २२] ६, १३४
- प्राग्भागो यः सुराष्ट्राणां मालवानां स दक्षिणः ।
प्राग्भावः पुनरेतेषां तेषामुत्तरतः स्थितः ॥
[] ९५
- प्राप्तिपूर्विकाऽप्राप्तिविभागः ।
[प्रशस्तपाद भाष्य, पृष्ठ १०७] १११
- [ब]
- बभूवेति वयं तावद् बहु विस्मयमास्महे ।
तत्राद्यापि जडासक्तास्तमसो नापरं परम् ॥
[न्यायविनिश्चय विवरण, १/५४] २६-२७
- ब्रह्मण्यविदिते बाधान्नाविद्येत्युपपद्यते ।
नितरां चापि विज्ञाते भूवा धीर्नास्त्यबाधिता ॥
[बृहदारण्यकोपनिषद् भाष्य वार्तिक, सम्बन्धवार्तिक, १७८] ५३
- ब्रह्माऽविद्यावदिष्टं चेन्ननु दोषो महानयम् ।
निरवद्ये च विद्याया आनर्थक्यं प्रसज्यते ॥
[बृहदारण्यकोपनिषद् भाष्य वार्तिक, सम्बन्धवार्तिक, १७५] ५३

उद्धृत वाक्य-सूची	१४७
ब्रह्मेति ब्रह्मशब्देन कृत्स्नं वस्त्वभिधीयते । प्रकृतस्यात्मकात्स्न्यस्य वै शब्दः स्मृतये मतः ॥	
[]	४९
[अ]	
भावा येन निरूप्यन्ते तद्रूपं नास्ति तत्त्वतः । यस्मादेकमनेकं च रूपं तेषां न विद्यते ॥	
[प्रमाणवातिक, २।३६०]	२४
भावेकान्ते पदार्थानामभावानामपह्लावात् । सर्वात्मकमनाद्यन्तमस्वरूपमतावकम् ॥	
[आसमीमांसा, ९]	४
भेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तिः प्रवृत्तेश्च । कारणकार्यविभागादविभागाद्वैश्वरूप्यस्य ॥	
[सौख्यकारिका, १५]	१३३
[अ]	
मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त । षोडशकश्च विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः ॥	
[सौख्यकारिका, ३]	४
[अ]	
यतोऽनुभवतोऽविद्या ब्रह्मास्मीत्यनुभूतिमत् । अतो मानोत्पविज्ञानध्वस्ता साऽऽन्यथात्मता ॥	
[बृहदारण्यकोपनिषद् भाष्य वातिक, सम्बन्धवातिक, १७७]	५३
यथा यत्राविसंवादस्तथा तत्र प्रमाणता ।	
[सिद्धिविनिश्चय टीका, १।१९]	५५
यथा विशुद्धमाकाशं तिमिरोपप्लुतो जनः । संकीर्णमिव मात्राभिभिन्नाभिरभिमन्यते ॥	
[बृहदारण्यकोपनिषद् भाष्य वातिक, ३।५।४३]	८,५७
[अ]	
रूप-रस-गन्ध-स्पर्शाः संख्यापरिमाणानि पृथक्त्वं संयोगविभागी परत्वा- परत्वे बुद्धयः सुख-दुखे इच्छाद्वेषी प्रयत्नश्च गुणाः ।	
[वैशेषिकसूत्र, १।१।५]	१०६

- रूपदलेषो हि सम्बन्धः द्वित्वे स च कथं भवेत् ।
तस्मात् प्रकृतिभिन्नानां सम्बन्धो नास्ति तत्त्वतः ॥
[सम्बन्धपरीक्षा, २] १२९
- रसो रसनेन्द्रियप्राह्यः पृथिवी-उदकवृत्तिः ।
[प्रशस्तपाद भाष्य, पृष्ठ ७०] १०६
- [स]
- लोयागासपदेशे एविकके जे ठिया हु एविकका ।
रयणाणं रासीविव ते कःलाणु मुणेयव्वा ॥
[द्रव्यसंग्रह, २२] ९१
- [ब]
- वस्तुनोऽन्यत्र मानानां व्यापृतिर्न हि युज्यते ।
अविद्या च न वस्त्वष्टं मानाघाताऽसहिष्णुतः ॥
[बृहदारण्यकोपनिषद् भाष्य वार्तिक, सम्बन्धवार्तिक, १८०] ५४
- वाग्नपता चेदुत्क्रामेद् अवबोधस्य शाश्वती ।
न प्रकाशः प्रकाशेत सा हि प्रत्यवमशिनी ॥
[वाक्यपदीय, १।१२५] ५७
- विधेयप्रतिषेध्यात्मा विशेष्यः शब्दगोचरः ।
साध्यधर्मो यथा हेतुरहेतुश्चाप्यपेक्षया ॥
[आप्तमीमांसा, १९] ४०
- विभ्रमे विभ्रमे तेषां विभ्रमोऽपि न सिद्धयति ।
[न्यायवित्तिश्चय विवरण, १।५५ पूर्वाह्नं] २७
- विरोधान्नोभयैकात्म्यं स्याद्वादन्यायविद्विषाम् ।
[आप्तमीमांसा, १३ पूर्वाह्नं] २७
- [स]
- शक्तिः करणं कार्यम् इति त्रेधा जगत् स्वितम् ।
कार्यं भूतानि करणं खानि शक्तिः गुणत्रयम् ॥
[] १३२
- शब्दब्रह्मणि निष्णातः परमब्रह्माधिगच्छति ।
[ब्रह्मबिन्दूपनिषद्, १७] ५९

उद्धृत वाक्य-सूची	१४९
शब्दार्थस्त्रविधो घर्मो भावाभावोभयाश्रितः । [प्रमाणवार्तिक, २।२०६]	२३
[स]	
'सर्वं वै खल्विदं ब्रह्म' [उपनिषद्]	५०
सर्वात्मकं तदेकं स्यादन्यापोहव्यतिक्रमे । अन्यत्र समवाये च व्यपदिश्येत सर्वथा ॥ [आप्तमीमांसा, ११]	१९
स्पर्शः त्वगिन्द्रियघ्राह्यः पृथिवी-उदक-ज्वलन-पवनवृत्तिः [प्रशस्तपाद भाष्य, पृष्ठ ७०]	१०६
[ह]	
हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिङ्गम् । सावयवं परतन्त्रं व्यक्तं विपरीतमव्यक्तम् ॥ [सौख्यकारिका, १०]	५, १३५
हेतोरद्वैतसिद्धिश्चेद् द्वैतं स्याद्धेतुसाध्ययोः । हेतुना चेद्विना सिद्धिर्द्वैतं बाह्यमाश्रितो न किम् ॥ [आप्तमीमांसा, २६]	५०
[ञ]	
त्रिगुणमविवेकि विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवधमि । व्यक्तं तथा प्रधानं तद्विपरीतस्तथा च पुमान् ॥ [सौख्यकारिका, ११]	५, १३६

परिशिष्ट-३

विशिष्ट पारिभाषिक शब्दानुक्रमणिका

अकलङ्कदेव २६, ५५	अध्यवसाय १२०, १३४
अक्रिया-स्वभाव ११४	अध्यवसायात्मक ३०
अग्नि १०६, १०८, १३२	अनवस्था ११४, १२७
अचेतन ५, ९९, १३६, १३८	अनवस्था दोष ३, ४, १०, १३, ४१, ६६, ६७, ७१, ९०, १२४, १२९, १३०, १३१
अजन्मा १४५	अनवस्थित ४२
अणु ६५, ६६, ६७, ७८, १०३, १०७, १०८, ११०, १०४, १२९, १३१	अनभिलापात्मक ३१
अणु परिमाण ६५, ९६, ९८, ९९, १०७	अनभिलाष्य ३३
अणुमात्र ६७	अनित्य १, ५, ३५, ४५, ५०, ५९, ६३, ६६, ७०, ८४, ८९, ९२, १००, १०६, १०७, १०८, ११४, ११८, १३५
अणुमात्रता ७६	अनिर्देश्य ३६
अणुरूप १०४	अनुगत प्रत्यय ११५, ११७, ११८, १२१, १२२
असत् ७९	अनुगम ५७
अतिप्रसङ्गदोष ५९, ६१, ६७, ७०	अनुपलब्धि (हेतु) १०
अतिव्याप्ति १२३	अनुभव ११५
अतीन्द्रिय ६४, ७८, ७९	अनुमान १३, २५, २७, ३२, ३४, ३६, ३८, ३९, ४२, ४७, ४८, ५०, ५१, ५२, ५३, ६४, ७२, ७५, ८०, ८१, ८४, ८८, ९४, ९६, ९८, १०२, १११, ११६, ११७, ११९, १२३, १२४, १२७, १२८
अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष ५८, ५९, ६०	अनुमान प्रमाण ७, २३, ५६, ६५, ७०, १२३
अत्यन्ताभाव ५, ६, १५, १९, २०, २१, २२, २३	अनुवृत्त प्रत्यय १२०, १२२
अद्वैत ४५, ४७, ५०, ५१, ५२, ५९, ६५	
अद्वैतत्व ७	
अद्वैतवाद १०, ४६, ४७, ५३, ५७	
अद्वैतवादी ३५, ४५, ४६, ४८, ५०, ५१, ५३, ५५	
अद्वैतकान्त ४४, ४५, ४७	
अधर्म ४८, १०२, १०६, १०८, ११२	

अनेकात्मक २	अयुतसिद्ध ६३, १२५, १२६, १२८
अनेकान्त ५२	अयुतसिद्धि १२६
अनेकान्तवाद ४३	अयोगज प्रत्यक्ष ५६
अनेकान्तवादी ४७	अयोगो अवस्था ५९
अनेकान्तात्मक १, ४, ४२, १३१	अर्थक्रिया ४२, ४३, ७१, ७८
अनेकान्तिक १३७	अर्थक्रियाकारी ३६, ४३, ४४, ६०, ७२, ७३, ९९
अनैरात्म्यवाद २५	अल्पत्व ८५
अन्त (मुक्तजीवों के मन) १२३	अल्प परिमाण ६४, ७१, ८०, १३६
अन्त्य १२३	अवक्तव्य २८, २९
अन्त्य संयोग ९७	अवयव ७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ७५, ७६, ७७, ७८, ९०, ९७, १००, १०४, ११८, १३१
अन्यथानुपपत्ति ३९	अवयव-अवयवी ७०, ७३, १२७, १२८, १३२
अन्यापोह २०, २१, २२, २९, ३८	अवयवविद्वन्म्य ६४, ६५, ७६
अन्योन्याभाव ५	अवयवी ७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ७५, ७६, ७७, ७८, ७९, ८०, ८१, १०४, १०९, १३०
अन्योन्याश्रय दोष ६८, ९०, १२१	अवस्था भेद ७३
अन्वय ३५	अवाच्य २५, ३५, ३९
अपक्षेपण ११३	अवाच्यतैकान्त २९, ३५
अपर ६३, ८८, ८९, ९२, १०८, १११, ११५	अवान्तर परिमाण ९८
अपर सामान्य ११५, ११८	अवान्तर सामान्य १०३
अपरत्व ८९, १०६, १०८, १११	अविद्या २, ७, ८, १०, ४७, ४८, ५०, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८, ६०
अपरिणामो ३५	अविनाभाव सम्बन्ध ३६
अपूर्वं अर्थ ९	अविनाभावी ३५, ३९, ५६, ७५
अपुष्यत्व ११०	अविभाग १३८
अभाव ६, ७, १०, २३, ६२	अविसंवाद ५५
अभाव भेद १६	
अभावात्मक २४	
अभावातन्त २४, २७, २८, ४३	
अभिलाष्य ३३, ३४, ३५	
अभेदवादी ८	
अमाया ५२	
अयुगपद् ८९	

अव्यक्त १३६	आकाश द्रव्य ८३, ८४, ८८
अव्यय ५१	आकाश प्रदेश ९४
अव्यापी ५	आकुञ्चन ११३
अव्याप्ति दोष ८१	आगम ४८, ५०, ५१, ५२
अशून्यवाद २५	आगम प्रमाण ७, ४८
अश्लेष १३१	आत्म द्रव्य ९६, १३०
अश्वत्थ ५१	आत्मप्रवेश १००
असत् १, १०, १३, १५, २६, २७, २८, ४१, ४२, ४३, ४४, ६६, ६८, ६९, ७६, १२३, १२८, १२९, १३५	आत्मा २०, ३३, ४५, ४९, ५५, ५६, ६३, ६६, ६७, ८२, ८३, ८४, ९६, ९७, ९८, ९९, १००, १०१, १०२, १०४, १०७, १०८, ११२, १२३, १२६,
असत्त्व २४, ६५, १३५	आत्यन्तिक भेद ७३
असदेकान्त ४३	आचाराधेयभाव सम्बन्ध १२७
असमवायिकारण ६६, ८४, ८७	आवली ९१
असम्भवबोध ८१, १२३	आश्रय-आश्रयीभाव ११९
असाधारण ५१	आश्रयासिद्ध ४९, १२७, १३७
असाधारण लक्षण ५४, ५६	इच्छा १०६
असिद्ध ४०, ५१, ७३, ९८, ९९, १०१, १२८, १३७	इतरव्यावृत्ति ३८
असिद्ध (हेतु) २२, ४८, ४९, ५८, ६१, ७३, ८८	इतरेतराभाव ४, ५, ६, ९, ११, १२, १३, १५, १७, १९, २०, २१
अस्तित्व ७, २०, २७, ३५, ३८, ३९, ४०, ४१, ४२, ५२, ८५, ९२, ११६	इतरेतराश्रयदोष ९४
अस्वरूप ६	इन्द्र ३७
अहङ्कार ४, ५, ६, १३३, १३४, १३५, १३६	इन्द्रजाल ४६
अहेतु ५२	इन्द्रिय ७६, १०३, १२०, १३३, १३६
अहेतुक ६५, १३५	इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष ५८, ५९
आकार भेद ११०	इन्द्रियज्ञान २९, ३४, ४३
आकाश ६, ६३, ८२, ८७, ८८, ८९, ९४, ९५, ९६, १०२, १०७, १०८, ११२, ११३, १२६, १३२	इन्द्रिय प्रत्यक्ष ९, ३४, ७८
	इहलोक ४७, ४८
	उत्क्षेपण ६३, ११३, ११५
	उत्तर परिमाण ९७

उत्पाद १६, १७, ४३, ४४
 उपकार्य उपकारकभाव २१, ११९
 उपचरित अभाव १३
 उपचार ८५
 उपनिषद् ५०
 उपादान ३०, ४३, १३५
 उपादान कारण १८, १३३, १३७
 उपादानोपादेयभाव १९, ८३
 उपाध्याय ८६
 उभयात्मक तत्त्ववाद २८
 उभयैकात्म्य २८
 उभयैकान्त २८
 ऋजुसूत्रनय १६, १७, १८
 एकत्वाध्यवसाय ३३, ३४, १२०
 एकरूप ८९, ९०
 एकात्मक १, २
 एकानेकात्मक १, ४
 एकान्तवाद ४४
 एकान्तवादी १, २४, १३१
 औदार्य १०९
 औपपादक (शरीर) १३४
 कणाद १३२
 कथञ्चित् अनिष्पन्न १३१
 कथञ्चित् निष्पन्न १३१
 कथञ्चिद् नित्य १२३
 कथञ्चिद् भेद ७३, ७५
 कारण १३२
 कर्म ६२, ७८, ८३, ८४, ९९, ११४,
 ११५, १२६
 कर्म-द्रव्य ११३
 कर्म-पदार्थ ११३, ११५

कर्मभेद १५
 कर्मोन्निर्वा ४, १३३, १३४
 कल्पनापोढ २९, ३६
 कारण ६९, ७०, १३७
 कार्य १३२, १३७
 कार्यकारणभाव ६८, ७०, ८५, १०३
 कार्यदेश ९९
 कार्यद्रव्य ६४, १०७
 कार्यरूपता १०२
 कार्यहेतु ३६
 कार्यानुमान २३
 काल १४, ६३, ८९, ९४, ९५,
 १०७, १२३, १२६
 कालकृत १११, १३०
 कालद्रव्य ८८, ८९, ९१, ९२, ९३
 कालभेद १५, ७२, ७३
 कालाणु ९१
 कालात्ययापदिष्ट ९७, ९८, ९९
 कालाभाववादी ९१
 केवलान्वयी हेतु ३५
 क्रिया ३१, १२२
 क्रियावत्त्व ८०, ८१, ८६
 क्रियावान् ५
 क्रिया-स्वभाव ११४
 क्षण ९३
 क्षणिक ३१, ८७
 क्षयोपशम ४१
 क्षुद्रजन्तु १३४
 क्षेत्रकृत १३०
 गन्ध ४, ६, ८१, ८२, १०६, १०९
 १३२
 गण ६, १३५

गमन (कर्म) ११३	२६, २८, २९, ३०, ३१, ३२,
गुण ५, ३१, ६२, ६३, ७८, ८३,	३३, ३४, ३६, ३७, ३८, ४०,
८४, ८६, ९०, ९२, ९७, १०६,	४३, ४४, ४५, ४६, ४७, ४८,
१०९, ११०, १११, ११२,	५०, ५१, ५३, ५५, ६४, ६५,
११५, १२२, १२६	७०, ७५, ७६, ७७, ७९, ८१,
गुण-पदार्थ १०५, ११३	८२, ८३, ८४, ८६, ८७, ८९,
गुणभेद १५	९२, ९४, ९७, १०३, १०४,
गुणवत्त्व ८०, ८१	१०८, ११२, ११४, ११६,
गुणी ९७	११७, ११९, १२०, १२३,
गुदा १३४	१२४, १२६, १२७, १३०,
गुह्यत्व १०६, १०८, १११	१३२, १३७
ग्राह्याग्राहकभाव २१	जैन न्याय १०३
घ्राण १०३, १३४	ज्ञान २, ७५, ७६, ९९, १०२, १०३,
चक्षु १०३, १०६, १३४	१०४, १०८, ११०, ११२,
चाक्षुष प्रत्यक्ष ७६, ८४	११६, १२१, १३०
चार्वक ११, १२, १३, १४, १५,	ज्ञान भेद ७
१६, १७, १९, २१	ज्ञानाद्वैत ८, २४, ४४
चिह्नण १०९	ज्ञानाद्वैतवादी २१
चित्रज्ञान १, २, ३, ४, २२, ४५,	ज्ञानेन्द्रियाँ (पाँच) १३३
१३१	शेयज्ञायकभाव २५
चित्रैकज्ञानवादी २२	तत् ७९
चिर ८८	तत्त्व ४, ८२, १३८
चैतन्यज्ञान ३	तत्त्वाद्यंश्लोकवार्तिक २६
छन्द ५१	तत्त्वोपप्लववादी २५
जल ६, ६३, ८१, ८२, १०६, १०८,	तन्मात्रा ४, ५, ६, १३२; १३३,
१३२	१३४, १३५, १३६
जल्दी ८८, ८९	तम ५, १०९, १३३, १३६
जाति ३१, ३३, ३४, ९२, १२२	तादात्म्य ७१, ७२, ७३, १३५
जातिभेद ८२, १३७	तादात्म्य सम्बन्ध ६०, ६१
जिह्वा १३४	तादात्म्यैकान्त ५२
जैन २, ३, ४, ६, ७, १०, ११, १२,	तीक्ष्ण १०९
१६, १७, १९, २२, २३, २५,	

तेज ६, ६३	द्वेष १०६
तैमरिक रोगी ५३	द्वैत ४५, ४८, ५१, ५२, ५६, ५९
त्र्यणुक १०७	द्वैतवादी ५३, ५४, ५५
दर्शन ९९	द्वैतकान्त ६२
विक् (विद्या) द्रव्य ९३, ९४, ९५, ९६	धर्म ४८, ९८, ९९, १०२, १०६, १०८, ११२
विद्या ६३, ७६, ८९, ९२, ९३, ९४, १०७, १२३, १२६	धर्मकीर्ति २४
विद्याकृत १११	धर्मि ७२
विद्या प्रदेश ९५	धर्मो ८१
वीर्य १०७, ११०	नाम ३३
दुःख ४८, १०६	नारकी १३४
दूरता (गुण) १११	नास्तित्त्व ७, १८, ३५, ३८, ३९, ४०, ४१, ४२
देर ८९	नित्य १, ३५, ५९, ६३, ६५, ६६, ८४, ८९, ९०, १००, १०१, १०२, १०४, १०५, १०७, १०८, ११९, १२३
देव १३४	नित्यता १०२
देश प्रत्यासत्ति ७९	नित्य द्रव्य ९४, ९६, ९९, ११२, १२४
देश भेद १५	नित्य द्रव्य परमाणु १२३
द्रवत्व १०६, १०८, ११२	नित्य द्रव्य वृत्ति १२३
द्रव्य १, १८, २२, ३१, ६२, ६३, ७४, ७९, ८०, ८१, ८३, ८४, ८५, ८८, ९०, ९१, ९३, ९४, ९५, १००, १०२, १०३, १०६, १०७, १०८, १०९, ११४, ११५, १२६, १२८	नित्य स्वभाव ६५
द्रव्यकृत १३०	निमित्त १३८
द्रव्यत्व ८०	निमित्त कारण ६६, ८४
द्रव्य पदार्थ ८०, १०५	नियतकाल ९८
द्रव्यपर्यायात्मक १, १२, १३०	नियत देश ९८
द्रव्य भेद १५	निरंश ८९, ९०
द्रव्याधिकनय १२, ४४	निर्गुण १०६
द्रव्यैकान्त ७	निर्विकल्पक ३१, ३२, ३३, ४३, ४४, ११६, ११७
द्रव्यणुक ६३, ६४, ६५, ६६, ६८, ७०, ७६, ८०, १०७, १०८, ११०	निर्विकल्पज्ञान ३०

निबिकल्पक प्रत्यक्ष २३, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३८, ४०, ४१, ४४, ११६, १२०	परलोक ४७, ४८, १००
निर्हेतुक १२१, १२५	पर सामान्य ११९
निषेध ३६, ३७, ३८, ४३	परस्तराश्रय दोष ४९, ९५
निस्त्वभाव ७, १०, ३८	परापेक्ष १३२
नैयायिक १३, १४, १५, १९, १२२, १२८	परापेक्षा १२८, १२९, १३२
नैरात्म्यज्ञान २५	परार्थानुमान प्रमाण २५
नैरात्म्यदर्शन ४८	परिणाम ६२, ६४, १०६, १०७
नैरात्म्यवाद २५, ४८	परिणाम भेद ७३
नैरात्म्यवादी २५, २६	परिणाम सन्तान १६
न्यायविनिश्चय २६	परिणामी ३५
पदार्थ २६, ६२, १०४, १०९, ११०, १२०, १२५, १३१, १३२, १३७	परिभाषा ३१
पदार्थज्ञान १	परिमाण ७१, ७८, ७९, ८५, ११०, ११३
पर ६३, ८८, ८९, ९०, ९२, १०८, १११, ११५	परोक्ष ७२
परतः ४६	परोक्ष ८८
परतन्त्रता १२८	परोक्षज्ञान ४१
परत्व ८९, १०६, १०८, १११	पर्याय १, ११, १२, १८, १९, १००, १०३
परब्रह्म ४५, ४६, ४८, ४९, ५२, ५३, ५६	पर्युदास २३, ९८
परमब्रह्म ५६	पाप ४८, ९९
परमाणु ३४, ६३, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ७१, ७४, ७६, ७७, ७८, ७९, ८०, ८४, ८८, ९०, ९१, ९७, ९९, १००, १०३, १०५, १०६, ११३, १२३ १२४, १३१, १३२	पापकर्म ४७
परमार्थ १३०	पारतन्त्र्य १३०, १३१
	पारमाधिक ब्रह्म ६१
	पुण्य ४७, ४८, ९९
	पुद्गल ८४, १०३
	पुद्गल द्रव्य १०३
	पुद्गलात्मक ८१
	पुरुष ४, ५, ७, १३५, १३६, १३७, १३८
	पुरुषार्थ ५०, ५१, ५२, ५३
	पुरुषार्थ १३८
	पूर्वपरिमाण ९७

पृथक्त्व १०६, १०७, ११०

पृथिवी ६४, ८१, ८२, ८३, ९०, ९१,
९५, ९६, १०३, १०६, १०८,
१०९, १३२

पृथिवी तत्त्व २१

पृथ्वी ६, १६, ६३

पैर १३४

पौद्गलिक ८२, ८८, ९९, ११२

प्रकृति ४, ५, ६, ७, ११३, १३३,
१३४, १३७, १३८

प्रतिनियत आकार १०१

प्रतिनियत काल १०१

प्रतिनियत देश १०१

प्रतिभास्य-प्रतिभासभाव ४९

प्रतिषेध ४१, ९८

प्रत्यक्ष ७, १०, १६, २९, ३३, ४३,
४५, ४७, ५६, ५९, ६१, ६२,
६४, ७५, ७६, ७७, ७८, ७९,
८८, ९८, ९९, १०१, १०४,
१०७, ११५, ११६, १२०,
१२२, १२३, १२५, १२६,
१२७, १३०

प्रत्यक्ष ज्ञान ९

प्रत्यक्ष प्रमाण ९

प्रत्यभिज्ञान ८६, १०८

प्रत्यय १३, ५७, ८८, ११०, १११,
१२१, १२२, १२५, १२६, १२७

प्रत्यय भेद १६

प्रत्यय सम्बन्ध १२५

प्रत्यासत्ति १३०

प्रदेश ९४, ९५, ११३, १३१

प्रधान ४, ५, २८, १३२, १३३,
१३५, १३६, १३७, १३८

प्रधानाद्वैत २८

प्रध्वंस १२

प्रध्वंसाभाव ६, १०, ११, १३, १५,
१८, १९, २०, १२७

प्रमाण १, ४, ९, १०, १८, २३,
२४, ३४, ३६, ५४, ५६, ६२,
६४, ७५, ७७, ८३, ९१, ९३,
९६, १०५, ११५, ११६, १२१,
१२२, १२५, १३०, १३८

प्रमाण-नय-निक्षेप प्रकाश १

प्रमाण बाधा १००

प्रमाण बाधित ५३

प्रमाण विरुद्ध ५४

प्रमेय ३५, ३६, ७२

प्रयत्न ८७, १०६, १०८

प्रलयकाल १३४, १३८

प्रशस्तपाद भाष्य १११, १२८

प्रसङ्गसाधन ७२, ७३

प्रसज्य ९८

प्रसवक्रिया १३८

प्रसवधर्मी ५, १३६

प्रसारण ११३

प्रागभाव ६, १०, ११, १२, १३,
१४, १५, १६, १७, १८, १९,
२०, १२७

बन्ध ४८

बाल-शरीर-परिमाण ९७, १००

बाह्य इन्द्रिय ९८

बुद्ध २७, १३२

बुद्धि ५, ६, १०६, १०८, १३३,
१३४, १३५, १३६

बुद्धीन्द्रिया ४, १३४

बौद्ध २, ३, ४, ७, ८, ९, १२, २१, २३, २५, २६, २७, २९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ४०, ४३, ४४, ४८, ७५, ७७, १२०, १२१, १२२, १२८, १३०, १३१, १३२	मध्यत्व (गुण) १११ मन ४, ६३, १०१, १०२, १०३, १०४, १०५, १०७, १०८, १२३ मनोद्रव्य १०१ मलय ६० महत्, ४, २१, २८, १०७, ११०, १३३, १३५, १३६ महत्त्व ८५ महत्परिमाण ६५ महान् ६, १३४, १३८ महापरिमाण ८०, ९८, १३७ महाभूत ४, ५, ६, १६, १३२, १३३, १३४, १३५, १३६ माध्यमिक २४, २५ माध्यमिक बौद्ध २ मानस प्रत्यक्ष ३४ माया ५२ मालवदेश ९५ मिथ्या ४५, ४७, ५३, ५६, ६० १३२ मिथ्याज्ञान २६, २७ मीमांसक ११२ मीमांसाशास्त्र ११२ मुक्तजीव १०२ मुक्तात्मा १२३ मुहूर्त ९१, ९३ मूर्त्त ९७ मूर्त्तत्व १०१ मूर्त्त द्रव्य ९४ मूर्त्तिक ९७ मूर्त्तेन्द्रिय १३४
बौद्ध आगम ११२ बौद्धदर्शन २६ ब्रह्म ८, ४९, ५०, ५१, ५२, ५३, ५४, ५८, ५९, ६०, १३४ ब्रह्माद्वैत ८, ५०, ५१, ५६, ८९ ब्रह्माद्वैतवाद ८, ९ ब्रह्माद्वैतवादी ७, ८, ९, १०, ४८ भव्यजीव १८ भाट्ट २७ भाव ६, २३ भावकृत १३० भावना १०८, ११२ भाव स्वभाव ७, १३; १४ भावात्मक २४ भावाभाव २३ भावाभावात्मक ६, २८ भावाभावात्मकवाद २७ भावाभावात्मकान्तवाद २८ भावाकार्त ४, ६, १०, २४, २७, २८, ४३ भूत १३८ भेद (प्रयोजन) ६३ भेदक प्रत्यय १२३ भेद व्यवहार ११० भेदाभेदवादी १० भ्रमण ११३, ११५	

भोक्ष ४८, ५९, ९७, ९९

युगपत् ८९

युगपत् संयोग ९७

युतसिद्ध १२५, १२६

युवा शरीर परिमाण ९७

योग ५९

योगज (प्रत्यक्ष) ५६, ५९

योगाचार २२

योगिप्रत्यक्ष १२४

योगी ५८, ५९

योगी अवस्था ५९

योग ९

योगपद्य ८८, ८९ ९२

योगमत ६८

रज ५, १०९, १३३, १३६

रस ४, ६, ८२, १०३, १०६, १३२

रसनेन्द्रिय १०६

रासन प्रत्यक्ष ७६

रूप ४, ६, ८२, १०३, १०६, १३२

रूपज्ञान २०

रूपरसाद्यात्मक ७६

रूपस्लेष १३१

रूपसंदलेष १२८, १२९

रूपाद्यात्मक ८०

रेचन ११३

लघुत्व (गुण) १११, ११२

लिङ्ग ५, १५, ९३, ९४, १३६

लोकविरुद्ध ७५

लोकाकाश ९१

लौकिक ४७

वस्तुस्वभाव ३७

वाच्यवाचक सम्बन्ध ३४, ६०, ६१

वाणी १३४

वायवीय ११३

वायु ६, ६३, ८१, ८२, १०८, १३२

वासना भेद ४६

विकल्प भेद ३७

विकल्पात्मक ३०

विज्ञान २१

विद्या ४८

विधि ३६, ३७, ३८, ४१, ४३, ११५

विधि-निषेधात्मक ४२

विनाश ४३

विन्ध्य ३४, ६१, १११, १२८

विन्ध्य पर्वत ३३

विभाग ६४, ८४, १०६, १०८, १११,

११३

वियोग ११३

विरुद्ध ९८

विरुद्धधर्माध्यास १, ७, ८, ७१, ७२, ७३

विशद १०९

विशेष ६२, १०१, ११५, १२३,

१२४, १२६

विशेषण-विशेष्यभाव ४१

विशेषणीभाव सम्बन्ध ६० ६१

विशेष पदार्थ १२२

विशेषवान् ८४

विषय १३६

विषय भेद ४१

वृत्ति १३४

वंग १०८, ११२

वेदज्ञ ५१

वे ४९	शब्दब्रह्म ५६, ५७, ५८, ५९, ६२
वैदिक कर्म ४७	शब्दब्रह्मवाद ५८
वैद्यकशास्त्र १०९	शब्दब्रह्मवादी ५९
वैद्यम्य ३५, ३८, ३९	शब्दभेद ३७
वैयाकरण १०९ ११३	शब्दवाच्य ३९
वैशेषिक १५, ६२, ६५, ६६, ६९, ७०, ७४, ८०, ८१, ८३, ८४, ८६, ८७, ८८, ९३, ९४, ९६, ९७, १०१, १०३, १०४, १०५, १०८, ११०, ११३, ११४, ११५, ११६, ११७, ११८, ११९, १२०, १२२, १२४, १२६, १२७, १३२	शब्दाद्वैतवादी ३२
वैशेषिकशास्त्र १२६	शरीर परिमाण ९७, १०१
व्यक्त १३५, १३६	शरीर प्रदेश १००
व्यतिरेक ३५	शिक्षाकार ११२
व्यधिकरणासिद्ध १३७	शून्यवाद २५, २६, २७
व्यभिचार ५२, ७३, ७४	शून्यवादी २५, २६
व्यभिचार दोष ९	शून्यैकान्त ५१
व्यभिचारी (हेतु) ८, ४९, ७३	शून्यैकान्तवाद २७
व्यवहार (प्रयोजन) ६३	शौर्य १०९
व्यवहारनय १७, १९	श्रुति ४९
व्यवहार भेद १०७	श्रुतिवाच्य ४९
व्याख्यान ४९	श्रोत्र ८६, १३४
व्यापी १०४	श्रोत्रजन्य प्रत्यक्ष ५८
व्याप्ति ६४, १३२	श्रोत्रज्ञान ३३, ५९, ६१
व्यावृत्त प्रत्यय १२३	षडक्षता ७६, ७८
शक्ति १३२, १३३	संकरदोष ७१
शक्तिभेद ७३	संख्या ८५, १०६, १०७, १०९, ११०, १११
शब्द ४, ६, ३४, ८३, ८४, ८५, ८६, १०६, १०८, ११२, ११३, १३१	संख्यावत्त्व ८५
शब्द प्रमाण ४१	संयुक्त-विशेषण सम्बन्ध ९
	संयुक्त-समवाय सम्बन्ध ११२
	संयोग ६५, ६६, ६७, ६८, ७०, ७६, ७९, ८४, ८५, ८६, ८७, ९४, ९९, १००, १०२, १०५, १०६, १०८, ११०, १११, ११३
	संयोग विशिष्टता ७९
	संयोग सम्बन्ध ६०, १०४, १०५, १२६

संबृति (कल्पना) ९, २६	समान क्रिया १२२, १२३
संश्लिष्ट १३१	समान गुण १२२, १२३
संश्लेष १२९	समान जाति १२२, १२३
संस्कार १०६, १०८, ११२	समानाधिकरण ४८, ४९, ५०
सत् ९, १०, १३, १५, २४, २६, २८, ३६, ४१, ४२, ४३, ४४, ५०, ५९	समानाधिकरणत्व ५१
सत्ता १५, ६८, ११५	समीपता (गुण) १११
सत्ताद्वैत ७, १०	सम्बन्ध १२८, १२९ १३०, १३१, १ १३२
सत्त्व ५, १०९, १३३, १३४, १३६, १३८	सम्बन्धाभाव ७७
सत्प्रत्यय १३	सम्यक् एकान्त ५२
सदसवात्मक २७, ४३	सम्यग्ज्ञान १२२
सदृश परिणाम १२०, १२२	सर्प बिल प्रवेश न्याय २८
सदेकान्त ४३	सर्वथा नित्य १२३
सद्भाव ४९, ८३	सर्वनैरात्म्य २४
सद्वाद २५	सर्वात्मक ६, ७, २०, २१
समन्तभद्र ३५, ३८, ४०, ५०	सर्वात्मकता ५, १०
समन्तभद्राचार्य २७	सविकल्पक ३२, ३३, ३४, ३५, ४१, ४३, ११६, ११७, १२०
समपरिमाण ६४	सविकल्पकज्ञान ३०, ४०
समय ९१, ९३	सविकल्पक प्रत्यक्ष ३१, ३२, ११७
समवाय २०, ६२, ६३, ६७, ६८, ६९, ७२, ११८, १२५, १२६, १२७, १२८	सविकल्पात्मक ज्ञान ३१
समवाय पदार्थ १२४, १२५, १३२	सहकारी ४३, ६७, १३७
समवाय संयोग १२६	सह्य ३३, ६१, १११, १२८
समवाय सम्बन्ध ६६, १०४, १०५, ११८, १२५, १२७, १२८	सह्य पर्वत ३४
समवायिकारण ६६, ८१, ८४, ८५, ८७, ८८	सौख्य ४, ५, ६, ७, २१, २८, १०९, ११३, १३२, १३७
समवायिकारणत्व ८०, ८१	सौख्यमत ११२
समवायी ८१	साधक ११६
समवेत ६६	साधन ७२, ८१
	साधर्म्य ३५, ३८, ३९
	साधारण ५१
	साध्य ७२, ८१

साध्य साधनभाव ५०	स्कोट ११३
सामान्य ५, ३४, ६२, ६३, ७८, ८४, १०१, ११५, ११७, ११८, ११९, १२०, १२६	स्मरण १०८
सामान्य पदार्थ ११५	स्मृति ९, १०, ३५
सामान्य प्रत्यय ११८	स्यन्दन ११३
सामान्य विशेष ४१	स्याद्वाद २८
सामान्य विशेषात्मक १, ४१, ४२	स्याद्वादी १२, १६, २६, १३१
सिद्ध साधन ७३	स्वतन्त्र साधन ७३
सुख ४८, १०६	स्वतः ४६, ९१
सुखज्ञान १	स्वप्नज्ञान २, ४६
सूक्ष्म कारण १३६	स्वप्रकाशक ९२
सृष्टि १३८	स्वभाव ७, १०
सृष्टिकाल १३४	स्वभाव भेद ३७, ३८, १३१, १३२
सृष्टिक्रम ६	स्वभाववाद १३८
सृष्टि संहार ६	स्वभावानुमान २३
सौगतमत ८७	स्वरूप (वस्तु का) १२१
सौत्रान्तिक ११३	स्वरूपासिद्ध १२७
सौराष्ट्रदेश ९५	स्वलक्षण २२, २३, २९, ३०, ३१, ३३, ३४, ३५, ३६, ३८, ४०, ४१, १२०, १२१
स्कन्ध ६४, ६५	स्वलक्षण सामान्य २९
स्थित स्थापक १०८, ११२	स्ववचन विरोध ९०
स्थिति ४३	स्वसंवेदन ४६, ५२
स्थिर १०९	स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ३३, ५८
स्निग्ध प्रत्यय ११२	स्वस्वभाव २४
स्नेह १०६, १०८	स्वानुभव ५४, ५५
स्नेह गुण ११२	स्वार्थानुमान २४, २५
स्पर्श ४, ६, ८२, ८५, १०६, १३२	हाथ १३४
स्पर्शन १३४	हिमालय ६०
स्पर्शन इन्द्रिय १०६	हेतु ५२, १३३, १३७, १३८
स्पर्शात्मक ८२	हेतुवादी ३५
	ह्रस्व १०७, ११०